एकादश माला, खंड 7, अंक 16

गुरूवार, 12 दिसम्बर, 1996
21 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 16, गुरूवार, 12 दिसम्बर, 1996/21 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	301, 302, 304, 305, 307, 309, और 310	2—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	303, 306, 308, 311 से 320	26—41
अतारांकित प्रश्न संख्या	2879 से 3114	42—292
सभा पटल पर रखे गये पत्र		292—295.375
लोक लेखा समिति		
समिति की विभिन्न रिपोर्टों पर कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण—**सभा पटल पर रखे गये**		295—296
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
पहला और दूसरा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		296
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य		
बांग्लादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे पर हुई संधि पर हस्ताक्षर		296—301
कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत		302—309
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		309—314
नियम 377 के अधीन मामले		333—337
(एक)	कृषि मूल्य आयोग में किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता श्री विजय अन्नाजी मुडे	333—334
(दो)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु ठोस नीतियां बनाने तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता डा. सत्यनारायण जटिया	334
(तीन)	स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान आदिवासी समुदाय के नायकों द्वारा किए गये त्याग का स्मरण किए जाने की आवश्यकता कुमारी फ्रिडा तोपनो	334—335
(चार)	राष्ट्रीय जनसंचार संस्थान का नाम उड़ीसा के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी डा. राधा नाथ रथ के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	335
(पांच)	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के "बैकलॉग" को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता श्री सुकदेव पासवान	335—336

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(छह)	पूर्व रेलवे के अन्दल-सैन्धिया खण्ड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता डा. रामचन्द्र डोम	336
(सात)	तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की शीघ्र मरम्मत और इसके रखरखाव किये जाने की आवश्यकता श्री एन. डेनिस	336—337
(आठ)	मेहदार, जिला सीवान के प्राचीन शिव मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता श्री रामबहादुर सिंह	337
(नौ)	हावड़ा में औद्योगिक एककों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त विशेष सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता श्री प्रिय रंजन दासमुंशी	337
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक		338—371
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री राम कृपाल यादव		338—340
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"		340—345
श्री कमारुल इस्लाम		345—347
श्री अनंत गंगाराम गीते		347—350
श्री इलियास आजमी		350—354
श्री नकली सिंह		354—356
श्री नीतीश कुमार		356—360
श्री कल्पनाथ राय		360—364
श्री शफीकुर्रहमान बर्क		364—367
श्री मंगत राम शर्मा		367—369
श्री आई.डी. स्वामी		369—371
नियम 193 के अधीन चर्चा		
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि		374—424
श्री पिनाकी मिश्र		374—375, 375—380
श्री शिवराज वी. पाटिल		380—384
श्री प्रमथेस मुखर्जी		384—387
श्री भक्त चरण दास		387—396
श्री राम कृपाल यादव		396—400
श्री अमर पाल सिंह		401—404
श्री जय प्रकाश		404—407
श्री सुब्रता मुखर्जी		407—409
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी		409—411
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह		411—413

विषय	कालम
श्री लक्ष्मण सिंह	413—415
श्री चमन लाल गुप्त	415—418
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	418—421
श्री राजीव प्रताप रूडी	421—422
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	422-

लोक सभा

गुरूवार, 12 दिसम्बर, 1996/21, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न काल के पश्चात इस पर विचार करेंगे। मैं प्रश्न काल के पश्चात आपको अनुमति दूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त : कृपया यह समझाने की कोशिश करें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी विकासात्मक कार्य ठप्प पड़े हैं। हजारों मजदूर अब बेरोजगार हैं। हम जनजातिय लोगों को पेयजल भी प्रदान नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : हम पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। यह एक अत्यन्त गंभीर समस्या है जो देश के विभिन्न भागों में व्याप्त है ...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार : इस मामले पर विचार किया जा सकता है। ...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : यह अत्यन्त असामान्य स्थिति है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : केन्द्र शासित प्रदेश होने के बावजूद उस प्रदेश को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : जनजातिय व्यक्तियों को पेयजल प्रदान करने हेतु इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। वहां सभी विकासात्मक कार्य रोक दिया गया है। सी आर जेड नियम के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बालू और गिट्टी के संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम लोगों को पेयजल प्रदान नहीं कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अंडमान और निकोबार के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिए। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है। सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। वहां लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह मामला पहले भी उठाया गया था। इसका कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा। वास्तव में मैंने यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा था और माननीय सदस्य ने मुझसे कक्ष में भेट कर यह बताया कि संघ राज्य क्षेत्रों, जहां कोई विधायिका नहीं है, से संबंधित समस्याओं पर सभा में चर्चा नहीं की गयी है। मुझे विश्वास है कि यह बात बहुत ही वैध है। चूंकि वहां विधायिका नहीं है, उनकी समस्यायों पर सभा में चर्चा करनी होगी। मैं माननीय सदस्य की मांग से सहमत हूं और हमने उन संघ राज्य क्षेत्रों, जहां विधायिका नहीं है, से संबंधित समस्याओं पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा किया जाना स्वीकार कर लिया है। हम इस संबंध में एक विशेष वाद विवाद करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

विमान यातायात नियंत्रण सेवा का आधुनिकीकरण

+

***301. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :**
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाश में विमानों के टकराने की हाल ही में हुई दुर्घटना को देखते हुए, सरकार का विचार आने और जाने वाली उड़ानों के लिए दो पृथक विमान कारिडोर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण सेवा के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई परियोजना आरंभ की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसकी मूल अनुमानित लागत कितनी है, इस योजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना के अन्तर्गत अब तक किए गए कार्य की स्थिति क्या हैं और इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (च). एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख). एक दिशात्मक संचलन के लिए अलग-अलग गलियारे का प्रस्ताव कुछ समय से परीक्षाधीन है। दिल्ली में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना बनाते समय आने वाले तथा जाने वाले यातायात के लिए अलग-अलग गलियारों को समाविष्ट किया गया है तथा उपयुक्त दिक्चालनात्मक उपस्कर संस्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 266.48 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा घटक के साथ 423.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली तथा मुम्बई में हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना आरंभ की है। परियोजना की मूल अनुमोदित लागत 162:05 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा घटक के साथ 209.76 करोड़ रुपए थी। इस प्रणाली को आरंभ करने के लिए उपस्करों का संस्थापन पहले से ही किया जा रहा है तथा इसकी जांच की जा रही है। इस आधुनिकीकृत प्रणाली के दिल्ली हवाई अड्डे पर मार्च, 1997 तथा मुम्बई हवाई अड्डे पर जून, 1997 तक प्रचालनात्मक हो जाने की संभावना है।

(ङ) और (च). इस परियोजनना के निष्पादन में कुछ विलम्ब हुआ है। इस परियोजना के निष्पादन में विलम्ब भूमि अर्जन में कार्यविधिक विलंब अप्रत्याशित समस्याएं जैसे मुम्बई हवाई अड्डे पर पानी के पाइप लाइन का रिसाव, जिसके कारण सिविल/इलैक्ट्रीकल कार्य में विलम्ब हुआ, उपग्रह पर आधारित भविष्य में हवाई दिक्चालनात्मक सुविधाओं सहित अद्यतन हवाई नियंत्रण सुविधाओं को निगमित करने की प्रणाली के स्तरोन्नयन के कारण कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन, संस्थापन के दौरान काफी संख्या में संघटकों की विफलता, जिसके कारण क्षतिग्रस्त सामग्री को पुनः आयात/विस्थापन किया गया, राडार, उपस्करों में परिवर्धन आदि कारणों से हुआ। तथापि, आगे विलम्ब होने के कोई संभावना नहीं है। 209.76 करोड़ रुपए की मूल अनुमान की तुलना में अनुमानित लागत में 214.13 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दे दिया है।

आप उत्तर में पायेंगे कि विमान यातायात नियंत्रण सेवा के आधुनिकीकरण हेतु परियोजना के कार्यान्वयन में पहले ही विलम्ब हो चुका है और विलम्ब के कारण 214.13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह देश और देश के लोगों के लिए एक प्रकार की सजा है।

यह सजा आधुनिकीकरण परियोजना की लागत में वृद्धि अथवा 100 प्रतिशत मूल्य वृद्धि से अधिक है। साथ ही आयात संघटकों के मूल्य में भी 104.43 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह परियोजना संभवतः अक्तूबर, 1995 में आरम्भ की गयी थी परन्तु आज तक इसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री महोदय ने इसका कारण बताया है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। उन्होंने कहा "ऐसा अत्प्रत्याशित समस्याओं जैसे मुम्बई हवाई अड्डे में जल पाइपलाईन के रिसाव आदि के कारण हुआ है।" सामान्य पाइपलाईन का रिसाव अप्रत्याशित कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कई कारण बताये हैं जैसे पद्धति का उन्नयन। इसके कारण इसी दिन, एक माह पहले, विमान टकराने की भयंकर दुर्घटना हुई थी जिससे भारत में विद्यमान विमान सुरक्षा संबंधी उपायों की वास्तविकता सामने आ गई।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यातायात सर्तकता तथा विमान टकराने की घटना को रोकने संबंधी प्रणाली स्थापित कर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल विमान सुरक्षा प्रणाली का उन्नयन कर नई प्रौद्योगिकी का समावेश किये जाने हेतु किसी समयबद्ध कार्यक्रम का अथवा तत्संबंधी आश्वासन सभा को दिया गया है। इसी प्रकार विमानों तथा हवाई अड्डों पर भी कुछ नए प्रतिबंध लगाये गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : माननीय अध्यक्ष जी, मार्च, 1997 तक दिल्ली और मुम्बई दोनों का आधुनिकीकरण पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : महोदय, मैंने एक समाचार पढ़ा था जिसमें उल्लेख किया गया था कि सौर ऊर्जा को विमानों के लिए ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया गया है। अमरीका विशेषकर कैलीफोर्निया में "नासा" में तत्संबंधी प्रयास किया गया है। यह प्रयोग 50,000 फीट की ऊंचाई पर विमान चालक रहित विमान में 2 घंटे की उड़ान पर किया गया है। इससे निश्चित रूप से ध्वनी प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण नहीं होगा। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को इस प्रणाली की जानकारी है और यदि हां, तो क्या उनका इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : सर, पहले जो एनर्जी है उसी को हम पूरा ठीक से सीख लें फिर बाद में देखेंगे।

[अनुवाद]

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, यह हमारी जानकारी में नहीं है। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : स्पीकर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर इब्राहीम साहब काबिले मुबारकबाद हैं कि ओहदा संभालते ही उन्होंने सबसे पहले एअर सेफ्टी पर तवज्जह दी और बयान दिया। अब यह जो देरी हुई है यह तो आपको विरासत में मिली है, कुछ आपका इनहेरीटैंस हुआ है। आप अपने जवाब में कहते हैं कि सम डिले, कुछ देर हुई है। हकीकत में देर बहुत ज्यादा हुई है। क्या यह एक हकीकत नहीं कि मॉडर्नाइजेशन का प्लान 1988 में तैयार हुआ। हमें बताया जाए कि यह प्लान कब तैयार हुआ फिर यह तकरीबन 1990 में दिया गया। क्या यह सच नहीं कि किसी ब्रिटिश फर्म को यह दिया गया, बाद में ब्रिटिश फर्म को ड्रॉप कर दिया गया, फिर किसी अमरीकन फर्म को यह दिया गया। अमरीकन फर्म का भी यह वायदा था कि अक्टूबर 1995 तक यह पूरा कर दिया जायेगा। लेकिन वह यह वादा पूरा नहीं कर सकी। ऐसा क्यों हुआ? उसकी जिम्मेदारी किस पर है। इतने अहम मामले के ऊपर बहुत ज्यादा ताखीर हुई, क्या इंक्वायरी की गई? किसे जिम्मेदार करार दिया गया क्योंकि कॉस्ट डबल हो गई। 'सम डिले' कहकर इसे खत्म कर देना मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूं कि डिले के वजूहात, कितनी डिले हुई और इस बारे में क्या कार्यवाही हो रही है, तमाम बातें हमें बताई जाएं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैन्डर्ड के मुताबिक एक रनवे कम-से-कम 4 किलोमीटर का होना चाहिए। जापान में 5-5 किलोमीटर के रनवे हैं लेकिन हमारे यहां 4 किलोमीटर के स्टैन्डर्ड को भी पूरा नहीं किया गया है। इस सिलसिले में, मौडर्नाइजेशन में क्या किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक डिले हुई है, उसके बोलने का एक तरीका है-सम डिले-अगर जोर से खीचें तो वह लम्बी हो जाएगी, अगर शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट हो जाएगी। अक्तूबर, 1995 में इस योजना को पूरा होना था लेकिन जब पूरा नहीं हुआ तो अभी 15 दिन पहले मैंने डी.जी.सी.ए. यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को अपाइंट किया है ताकि वे पता लगाएं कि देरी के कारण क्या हैं, गलती हमारी है या रैथान कम्पनी की है। अगर गलती रैथान कम्पनी की है तो वे इसका नुकसान कैसे भरेंगे और क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। अभी 15 दिन पहले ही मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को अपाइंट किया है और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आयेगी, मैं आपको इन्फार्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर सभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है। हमें प्रश्न संख्या 302 पर विचार करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन हमने इस पर पूरी चर्चा की है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, 'बम्बई' शब्द का अक्सर उपयोग किया जाता है। इसे ठीक कर 'मुम्बई' कहा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसे ठीक कर लिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हमने नियम 193 के अधीन चर्चा की थी। प्रश्न संख्या 302 श्री हरिन पाठक।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन

302. **श्री हरिन पाठक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा अपना लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कतने डिजीटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया है; शहरी क्षेत्रों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा वाले कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं तथा प्रमुख शहरों में कितनी डाइरेक्ट्री इन्क्वायरी सेवाओं तथा फाल्ट रिपेयर सेवाओं को कंप्यूटरीकृत किया गया है; और

(ग) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. तथा सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया क्या है?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(1) डिजिटल/एसपीसी ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की संख्या 323 (आज की तारीख तक)।

(2) आधुनिक बनाए गए स्वचालित एक्सचेंजों की संख्या 8424 (1.4.92 से 31.3.1996 तक)

(3) एसटीडी/आईएसडी सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन 1,40,195 (31.10.1996 की स्थिति के अनुसार)

(4) प्रमुख शहरों में कंप्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा 75 (31.10.96 की स्थिति के अनुसार)

(5) कंप्यूटरीकृत दोष मरम्मत सेवा 65 (31.10.96 की स्थिति के अनुसार)

(ग) एसटीडी/आईएसडी पीसीओ शिक्षित (शहरी क्षेत्रों में कम से कम मैट्रिक/हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण) और बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं। पात्र आवेदकों को एसटीडी/आईएसडी पीसीओ का आबंटन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए अलग से गठित एसटीडी पीसीओ आबंटन समिति द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन मुझसे सहमत होगा कि दूरसंचार सेवाओं से देश में कोई भी उपभोक्ता खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मंत्री जी या दूरसंचार मंत्रालय चाहे कितने ही दावे करे मगर आज देश में स्थिति यह है कि दूरसंचार सेवाओं से कोई उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है। आपका मंत्रालय समय-समय पर नई-नई योजनाएं, नए-नए ड्राइव शुरू करता है, अभी मंत्रालय ने 'मिशन बैटर कम्युनिकेशन' ड्राइव शुरू किया लेकिन इस योजना के बारे में तथा उसके साथ-साथ सब्सकाईबर्स की तकलीफों के बारे में यहां बहुत कुछ कहा जा सकता है मगर मैं सीधे आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि देश में कितने ओल्ड इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजज हैं और उनमें से कितने आपकी 'मिशन बैटर कम्युनिकेशन' तथा मौडर्नाईजेशन योजना के अंतर्गत मौडर्न डिजिटल इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेंजेज में परिवर्तित कर दिए गए हैं और कितने परिवर्तित करने अभी शेष हैं। पहली सप्लीमेंटरी के रूप में मैं यही पूछना चाहता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाठक जी का जो प्रश्न था वह 1986 में एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना के बारे में था जिसके छः पैरामीटर्स थे और उसमें यह भी शामिल था कि जो मैन्युअल बेस्ड एक्सचेंज हैं उनको औटोमैटिक किया जाए। इस समय हमारी सूचना के अनुसार जितने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर इलैक्ट्रकल एक्सचेंजेज औटोमैटिक हो गए हैं और प्रोग्रेस काफी तेजी से चल रही है और हम भी पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि जो मैन्युअल एक्सचेंज हैं वे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिए जाएं। इस साल के लिए हमने यह योजना बनाई है कि कुछ पिछड़े क्षेत्रों, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जहां बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर इस वर्ष के अंत तक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज हो जाएं।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और जो प्रश्न मैंने पूछा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है मंत्री जी ठीक तरह से सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने जो पूछा है वह यह है।

[अनुवाद]

"क्या वर्ष 1986 में आरम्भ किए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।"

[हिन्दी]

इसका मंत्री जी, जवाब देते हैं- "यस सर" मैं इसको बिलकुल नहीं मानता हूं क्योंकि मैं पिछले आठ साल से इस सदन में हूं आज कोई भी विभाग यह नहीं कह सकता है कि उसने जो गोल तय किए हैं, वे पूर्णरूप से प्राप्त कर लिए हैं। मेरे प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मंत्री जी कहते हैं-"यस सर" मेरे पास 1995-96 की टैलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट है, उसमें फीगर्स दिए हैं, उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि 40 प्रतिशत ऐसे मैकेनिकल एक्सचेंज हैं जिनको डिजीटल एक्सचेंजेज में परिवर्तित नहीं किया गया है। मंत्री जी मेरे प्रश्न को लगता है, टालने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा था कि गोल अचीव किया या नहीं, मंत्री जी ने कहा यस सर, जो ठीक नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे मेरे प्रश्न को पढ़कर उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि अक्तूबर 1994 के आसपास तत्कालीन प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक योजना की घोषणा की थी कि यदि वे आवेदन करेंगे, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एस.टी.डी.-पी.सी.ओ. दे दिए जाएंगे। मैं करूणावती से आता हूं। मंत्री जी ने कहा कि वहां यह काम चल रहा है। मेरे पास जो फीगर्स हैं उनके अनुसार 24 हजार लोगों ने इस योजना के अंदर वहां एस.टी.डी.पी.सी.ओ. के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन शायद ही 1500 लोगों को ये मिले हों। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों के नाम पर जो एक जाली योजना चला दी है उसके अंदर देश के हर राज्य और हर शहर में हजारों की संख्या में एप्लीकेशंस पैंडिंग हैं, उनकी क्या स्थिति है क्योंकि इस योजना के अंदर कहा गया है कि आप एप्लीकेशन दो और आपको यह मिल जाएगा। आप उनको कब तक ये दे देंगे और क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित करने जा रहे हैं कि उस समय-सीमा के अंदर आप सबको एस.टी.डी.-पी.सी.ओ. दे देंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमान, इस समय 750 इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंज हैं और 20715 इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज हैं। इसलिए इसमें सुधार तो हुआ है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने "यस सर" कह दिया, इसलिए मुझे आपत्ति थी क्योंकि अभी तक गोल अचीव नहीं हुआ है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमारा जवाब सही है। कृपया पहले सुन लीजिए। 1986 में जो मिशन बनाया गया था, उसके छः पैरामीटर्स थे-सेवा की गुणवत्ता में सुधार, शहरी सार्वजनिक टेलीफोनों की वृद्धि, तारों की डिलीवरी में सुधार करना, मांग पर टैलेक्स देना, ग्रामीण संचार में सुधार करना, राष्ट्रीय डिजीटल नैटवर्क का निर्माण करना, यह कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इसका उत्तर हमने हां में दिया है। उसमें हम बराबर प्रोग्रस कर रहे हैं। इसलिए मैंने यह उत्तर दिया है। मेरा उत्तर गलत नहीं है। जहां तक आपका इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंज को ओटोमेटिक एक्सचेंज में बदलने का है, आपने कहा था कि उसमें बहुत सुधार नहीं हुआ है। हमारे पास जो फिगर हैं उसके हिसाब से देश में इस समय सिर्फ 750 इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेज हैं और 20,715 इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज हैं। इस वर्ष के अंत तक इसकी संख्या भी हम कम कर देंगे।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री, शिक्षित बेरोजगारों के बारे में था, उसका जवाब नहीं आया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अधिक महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : शिक्षित बेरोजगार या अशिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने की योजना या उन पर अमल करने की जिम्मेदारी हमारे विभाग की नहीं है।

श्री हरिन पाठक : नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने इस हाउस में घोषणा की थी। ...**(व्यवधान)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : आप पूरा उत्तर तो सुनिये। पी.सी.ओ. देने के हमारे जो नियम हैं उसमें हमने बता दिया है कि हाई स्कूल और आठवीं दर्जा तक उत्तीर्ण लोगों को यह दिया जायेगा। जितने पी.सी. ओ. देने हैं, वे सब उन्हीं को मिलेंगे। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 600 की पापुलेशन पर एक पी.सी.ओ. शहरी क्षेत्र में देने का था। उसमें जितने बेरोजगार खप सकते हैं, वह खप जायेंगे।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि एस.टी. डी. और पी.सी.ओ. की नहीं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें सितम्बर 1994 से तीन महीने के अंदर अर्जी देकर एस.टी.डी. की मांग करने की योजना जाहिर की थी। उसके अंतर्गत हजारों लोगों ने अपने फार्म्स भरे हैं। मैं पी.सी.ओ. नहीं एस.टी.डी. के बारे में कह रहा हूं। पी.सी. ओ. तो अलग बात है। ...**(व्यवधान)**

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1,40,195 कनेक्शन एस.टी.डी./पी.सी.ओ. जनरल पब्लिक को दिये हैं। मेरा प्रश्न यह है कि शहरों में जो पब्लिक एस.टी.डी. दिये गये हैं, वहां उनके नार्म्स क्या हैं? उनके रूल्स क्या हैं? 100-100 फुट में एक-एक एस.टी.डी. बूथ दिये हुए हैं। जहां 30 टेलीफोन लगने चाहिए वहां 200 जनरल टेलीफोन लगे हुए हैं। क्या इसके लिए कोई नार्म्स नहीं हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरावती जो कि महानगर निर्वाचन क्षेत्र है। वहां महानगर कार्पोरेशन भी है। वहां दो सिस्टम इलैक्ट्रोनिक सिस्टम और नॉन इलैक्ट्रोनिक सिस्टम चलते हैं। इलैक्ट्रोनिक सिस्टम से नॉन इलैक्ट्रोनिक सिस्टम में फोन नहीं मिलता और न ही नॉन इलैक्ट्रोनिक सिस्टम से इलैक्ट्रोनिक सिस्टम में फोन लगता है। मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रपोजल आपके मंत्रालय में पड़ा हुआ है, क्या पूरे शहर में इलैक्ट्रोनिक सिस्टम पूरा हो जायेगा या नहीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : जैसा हमने पहले बताया है कि इस विभाग की नई योजना 1994 में स्वीकार की गयी थी। उस समय यह लक्ष्य रखा गया था कि 500 की आबादी पर एक पी.सी.ओ. दिया जायेगा लेकिन निजी ऑपरेटर्स का प्रवेश इसमें सम्भव नहीं हो पा रहा है इसलिए डी.ओ.टी. इसको पूरा कर रहा है। हमने जो प्रयत्न किया है उसके हिसाब से इस वर्ष के अंत तक 600 पर एक समझौता हो जायेगा। इसमें दूरी का नहीं है। 600 पर एक पी.सी.ओ. दिया जायेगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं किसी और अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : महोदय, प्रश्न भिन्न है और इसका उत्तर भिन्न है। क्या आप माननीय मंत्री महोदय को उचित जवाब देने का निर्देश देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरा उत्तर नहीं सुना। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? पहले आप मंत्री महोदय का पूरा उत्तर सुनें।

श्री ए.सी. जोस : मंत्री महोदय का जवाब सुनने के पश्चात् मैंने पाया कि वे प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न अलग है और उसका उत्तर भिन्न है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : प्रश्न यही है कि दो-दो कदम पर पी.सी. ओ. लगाये गये हैं। 500 की आबादी पर लगाने का हमारा लक्ष्य था। इस वर्ष के अंत तक 600 की आबादी पर एक पी.सी.ओ. लग जायेगा। हमारा जो लक्ष्य था कि 1997 के अंत तक 500 पर लगाया जायेगा लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। आपने अपने क्षेत्र के बारे में कहा है। क्षेत्र के बारे में तो प्रश्न है ही नहीं लेकिन आप अलग से लिखकर दे दीजिए। हम उसे गंभीरता से देख लेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह महत्वपूर्ण है। परन्तु यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

टेलीफोन टेपिंग

+

*304. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री विजय गोयल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर टेलीफोन टेपिंग के आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार का तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों, पत्रकारों

और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा उनकी टेलीफोन वार्ताओं को टेप किए जाने और उनके पत्रों को सेंसर किए जाने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। टेलीफोनों की टेपिंग के संबंध में भारतीय तार अधिनियम 1885 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस अधिनियम की धारा 5 में पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध है। पत्रों को सेंसर करने का कार्य भारतीय तार अधिनियम द्वारा शासित नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर दिया है कि इस अधिनियम में संशोधन करने का उनका कोई विचार नहीं है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, 1885 के अनुसार देश की प्रभुसत्ता, अखण्डता और सुरक्षा के हित में अथवा जन व्यवस्था को बनाये रखने अथवा अपराध को बढ़ावा दिए जाने से रोकने हेतु सरकार को टेलीफोन टेपिंग का पूर्ण अधिकार है। निःसंदेह यह एक अच्छा मुद्दा है। परन्तु साथ ही ऐसे अनेक अवसर हैं, जहां टेपिंग की गयी है तथा राजनेताओं, कार्यकारी अधिकारियों और अन्य विभिन्न व्यक्तियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाये गए हैं।

हम सभी जानते हैं कि हाल ही में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हाराव का टेलीफोन टेप किया गया था। यह एक बहुत ही बड़ा आरोप है और माननीय प्रधान मंत्री ने इस संबंध में सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने का भी आदेश दिया था।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आज की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व प्रधानमंत्री के टेलीफोन टेपिंग के मामले में सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने संबंधी आदेश की क्या स्थिति है? यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन् पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित होने के पश्चात् यह मांग उठी थी कि कुछ नेताओं के टेलीफोन टेप किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसकी जांच सी.बी.आई. को दी और जांच के पश्चात् सी.बी.आई. ने प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट भी दी है। उसमें अखबार में छपी जो खबर थी, वह निराधार पाई गई।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : इस प्रकार सभा इसकी गारण्टी ले सकती है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, 1885 बहुत पुराना हो गया है। वास्तव में यह स्वतन्त्रता पूर्व लागू किया गया था। अब वर्तमान आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक दर्शन और आधुनिक सभ्यता के युग में वर्तमान अधिनियम में संशोधन किये जाने हेतु यही उचित समय है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री महोदय यह जवाब देते हैं कि उनका इस संबंध में संशोधन करने की कोई योजना नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राजनैतिक नेताओं द्वारा ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं जिससे सरकार के लिए परेशानी पैदा होती है तो क्या इस पुराने अधिनियम में संशोधन करना सरकार के लिए उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन् हमारा विभाग सिर्फ टेलीफोन टेपिंग की टैक्नीकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। होम डिपार्टमैंट उसकी परमीशन देता है। जहां तक आप आधुनिकता की बात कर रहे हैं, जहां हम दूसरे क्षेत्रों में आधुनिक हो रहे हैं वहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को तमाम चीजों से खतरा पैदा हो रहा है, आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि इस तरह की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन यह विभाग खुद नहीं करता। होम डिपार्टमैंट जब हमसे यह अनुमति मांगता है तो हम उसे सिर्फ टैक्नीकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस संबंध में आपने जो कहा कि यह पुराना कानून है, अंग्रेजों के समय का कानून है, यह सही है। लेकिन लेटैस्ट अटॉनी जनरल की भी राय है कि इस अधिनियम में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : विभाग के बारे में हमारी अच्छी राय है और विभाग बहुत प्रभावयुक्त कार्य करने में सक्षम है।

अब जो कहा गया है वह सरकार द्वारा टेपिंग के बारे में है। कानून के मुताबिक ऐसा होता है और यह संभव है। लेकिन गैर सरकारी टैपिंग, जो संभव हैं और की जा सकती हैं, के बहुत से मामले हैं।

यह सेल्युलर टेलीफोन का युग है और इस क्षेत्र में बहुत सी एजेन्सियां कार्य कर रही हैं। क्या यह समय ऐसा कानून बनाने के बारे में सोचने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसके द्वारा इस क्षेत्र में समस्त जनसंचार पर हम नियंत्रण कर लें? ...**(व्यवधान)** परिवर्तनों पर भी विचार किया जाना है। इसलिए यह पहलू भी मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग यह है कि क्या मंत्री महोदय उस नये वातावरण पर विचार करेंगे और कोई विधेयक लायेंगे अथवा किसी विधेयक पर विचार करेंगे जिसे इस संबंध में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है, जैसा कि मैंने कहा है, कि यह सेल्यूलर टेलीफोन का युग है। यह विभाग बुरा नहीं है। हमारे पास अच्छा आधारभूत ढांचा है और कार्य

बल है। इसके अतिरिक्त, विभाग के बारे में हमारी बहुत अच्छी राय है। अतः हम सेल्युलर टेलीफोन केवल निजी पार्टियों को देने की बजाय विभाग को देने के लिए विचार क्यों नहीं करें?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी चिंता को प्रश्न के माध्यम से व्यक्त किया। मैंने आज ही अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है कि सैल्युलर टेलीफोन में टैपिंग की फैसिलिटी विकसित कर लें, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी सैल्युलर टेलीफोन में टैपिंग की व्यवस्था नहीं है, उसमें टैपिंग टेक्नोलॉजी हम जरूरी समझते हैं। हमारे यहां आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हमारी मशीनरी के पास इसमें चैक करने की व्यवस्था नहीं है। हम जल्द ही इंतजाम करेंगे कि इस प्रकार की तकनीक विकसित कर ली जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. राजेश्वर राव : महोदय, चार माह पूर्व आन्ध्र प्रदेश में उन्होंने सेल्यूलर फोन दिये हैं और बहुत से लोगों ने उन्हें खरीदा है लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। जब कभी हम सम्बंधित व्यक्तियों की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि विभाग ने इस मामले को अंतिम रूप नहीं दिया है और उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। गत चार माह से फोन केवल दिखावटी वस्तु बनकर रह गये हैं। लोगों के पास फोन हैं लेकिन वे कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने तथा इन मसलों पर तुरंत निर्णय लेने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, हम समझते हैं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेनिक माननीय सदस्य का इसमें जो सुझाव है हम विभाग से कहेंगे कि इसको ठीक से देखे।

[अनुवाद]

इनसेट-सी की सहायता से दूरदर्शन प्रणाली

*305. **श्री सनत मेहता** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार दूरदर्शन के चैनल-3 और मूवी क्लब, मूवी चैनल को मिलाकर इस चैनल को इनसेट-2 सी पर राष्ट्रीय ब्राडकास्टर को आवंटित एक ट्रांसपोंडर के माध्यम से प्रसारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनसेट-2सी की सहायता से टेलीफोन प्रणाली में क्या-क्या सुधार किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे और अधिक लम्बे समय तक प्रसारण सुनिश्चित करने तथा और अधिक राजस्व अर्जन करने में कहां तक सहायता मिल सकने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). जी, हां। मूवी क्लब चैनल को 1.11.96 से इनसैट-2 सी उपग्रह के सी-3 ट्रांसपोण्डर पर डी.डी.-3 चैनल के साथ जोड़ दिया गया है।

(ग) उपग्रह की उच्च शक्ति होने के कारण इनसैट-2सी के सी. बैण्ड ट्रांसपोंडरों से प्रसारण ने न केवल इस चैनल की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि इसने केबल आपरेटरों के लिए उपग्रह पर अधिकतम संख्या में दूरदर्शन की सेवाओं को प्राप्त करना और भी आसान बना दिया है।

(घ) और (ङ). जी, हां। दूरदर्शन को पुनःसंरचित डी.डी.-3 चैनल पर प्रायोजित श्रेणी में स्लाटों के आवंटन के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि इस चैनल ने प्रायोजकों के लिए आकर्षक बनना शुरू कर दिया है।

(च) हालांकि, 12 घंटे से अधिक का दैनिक प्रसारण दो चैनलों के जोड़ने से हुआ है तथापि, एक कार्यक्रम जिनमें से अधिकांश प्रायोजित श्रेणी में है, की क्रमिक शुरूआत के फलस्वरूप इस चैनल पर प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों से वाणिज्यिक राजस्व भी उपार्जित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री सनत मेहता। क्या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं?

श्री सनत मेहता : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : तो, आप संतुष्ट हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, वह सरकार के कार्य न करने से संतुष्ट हैं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, प्रश्न चैनलों को इकट्ठा करने का है। चैनलों को एक साथ करने वाला सुझाव बहुत अच्छा है। प्रश्न यह है कि दूरदर्शन विभिन्न स्थानों से कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने छोटे-छोटे बहुत से प्रसारण केन्द्र स्थापित किये हैं। इस संबंध में पूर्ण व्यवस्था की गई है तथा इनके चालू होने की आशा है। मैं समझता हूं कि 600 से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं। प्रसारण केन्द्रों को कर्मचारी देने के लिए नये पद सृजित

किये जा रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण प्रसारण केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन केन्द्रों के लिए कर्मचारियों की मंजूरी देने तथा शीघ्रातिशीघ्र इन प्रसारण केन्द्रों को चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, इस प्रश्न से यह अनुपूरक प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मैं केरल के विषय में भी बात कर रहा हूं। थोडुपुजा, कोजीरापल्ली, देवीकुल्लम आदि स्थानों पर प्रसारण केन्द्र बनकर तैयार हो गये हैं। लेकिन कर्मचारियों के अभाव के कारण अभी तक चालू नहीं हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी-अभी उत्तर देना शुरू किया है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : जब मैंने मंत्रालय का प्रभार संभाला था तो मैंने वित्त मंत्रालय से लगभग 1200 से अधिक पदों के लिए स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। उन्होंने लगभग 50 प्रतिशत पदों के लिए स्वीकृति दे दी है, और हमने भर्ती शुरू कर दी है। कुछ पदों के संबंध में जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने है, हमने संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती शीघ्र करने का अनुरोध किया है।

महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी चाहे कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर हों या अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर हों उनमें कार्य पूरे कर लिये गये हैं, हम जितना जल्दी हो सकेगा उन्हें चालू करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे : अध्यक्ष महोदय, देश में अनेक रिले सैन्टर्स खोले गए हैं, लेकिन वहां पर पर्याप्त टैक्नीकल कर्मचारी नहीं है। जहां 22 कर्मचारी होने चाहिए, वहां दो कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि चुनाव के पहले जो पत्थर लगाए गए हैं, रिले सैन्टर्स का उद्घाटन किया हुआ है, वहां के लिए पर्याप्त कर्मचारी रिक्रूट करें? साथ ही नए रिले सैन्टर्स खोलने की भी कोई योजना सरकार के पास है?

श्री सी.एम. इब्राहीम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, स्टाफ कम है, ठीक बात है। रिक्रूटमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से एप्रूवल लेनी है। रिक्रूटमेंट का काम शुरू किए हैं। जैसे ही रिक्रूटमेंट का काम शुरू हो जाएगा, फिर स्टाफ की पोस्टिंग का काम शुरू करेंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय अन्नाजी मुडे : महोदय, जहां पत्थर लगे हुए हैं, उन सैन्टर्स का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से सैंग्शन आ चुका है। यू.पी.एस.सी. को आदेश दिया हुआ है और रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसैस शुरू हो गया है।

श्री विजय अन्नाजी मुडे : मैं पूछना चाहता हूं, तृतीत और चतुर्थ कर्मचारियों के लिए सरकार क्या कर रही है? यू.पी.एस.सी. का तो साईटिस्ट के बारे में हो सकता है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : स्टेट के हैडक्वार्टर पर डिप्टी डायरैक्टर दूरदर्शन और चीफ इंजीनियर को कहा है कि लोकल रिक्रूटमेंट वही करें। यह आदेश हमारी तरफ से गया हुआ है।

श्री विजय अन्नाजी मुडे : कब दिया है?

श्री सी.एम. इब्राहीम : एग्जैक्ट डेट तो मैं देख कर बता सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रदीप भट्टाचार्य को बोलने की अनुमति दी है। मैं जानता हूं कि यह एक बड़ी समस्या है। मैंने स्वयं इस समस्या का सामना किया है। प्रत्येक जगह समस्या है।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : महोदय, अभियंता स्टाफ के बहुत से लोग हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से कुछेक को दिहाड़ी स्टाफ के रूप में कलकत्ता दूरदर्शन में भेजा गया है लेकिन उन्हें अभी तक कोई स्थायी पद नहीं दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय उन्हें कोई स्थायी पद देने की सोच रहे हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : यह ठीक है कि दूरदर्शन स्टाफ की कमी है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे विभाग में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, जिसने तीन साल से ज्यादा काम किया है, उसको रिट्रैन्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको वही एबजार्ब करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है, आप उन्हें सूची दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माह पूर्व पटना में दूरदर्शन कन्या स्टूडियो लाखों रुपए खर्च करके निर्मित किया गया है। स्टुडियो चालू हुआ और चालू होने के तुरन्त बाद बन्द कर दिया गया। स्टूडियों बन्द पड़ा हुआ है, कर्मचारी बेकार हैं, इस वजह से उपकरण खराब हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जो स्टूडियो बन्द पड़ा हुआ है, उसको कब तक चालू करवायेंगे?

श्री सी.एम. इब्राहीम : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य यह बात ध्यान में लाए हैं, मैं इसको जरूर देखूंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मंत्री जी मेरे प्रश्न को टाल गए हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि कब तक इसकों करेंगे। समय निर्धारित नहीं किया है कि एक महीने में, दो महीने में या चार महीने में, कितने समय में करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि वे इसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं समय इसलिए निर्धारित नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कितना खराब हुआ है, कब तक ठीक होगा, यह तो देखने के बाद ही पता चलेगा।

श्री राम कृपाल यादव : खराब नहीं है, समूची बिल्डिंग बनी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करिए, मंत्री जी के पास जाइए और उनसे इनआगरेशन की डेट ले लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, प्रश्न के भाग ए और बी के उत्तर में मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि डीडी 3 चेनल और मूवी चेनल को इन्होंने क्लब कर दिया है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस विभाग के मंत्री रहे हैं आपको यह जानकारी है कि डीडी 3 चेनल की कल्पना ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पूछना है इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, डीडी 3 चेनल की कल्पना बिल्कुल एक भिन्न तरीके के चेनल के रूप में की गई। मूवी चेनल को इसमें क्लब करके इन्होंने उस कल्पना को बिल्कुल बदल दिया। दूरदर्शन पर पहले ही यह आरोप है कि वह फिल्म बेस्ड प्रोग्राम बहुत ज्यादा दिखाता है। डीडी 3 को भी उसी तरह का एक रूटीन चेनल फिल्म बेस्ड प्रोग्राम का इन्होंने बना दिया, बल्कि अपने 13 दिन के समय में हमने यह भी चाहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा होता है, डीडी 3 चेनल को एक माध्यम बनाकर हम उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रोपोगेंडा का भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकन उन सारी कल्पनाओं को दरकिनार करके इन्होंने फिल्म बेस्ड प्रोग्राम जैसी चीज बना दी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या इस पर पुनर्विचार करके मूवी क्लब चेनल को हटा कर डीडी-3 की कल्पना जिस तरीके से की गई थी, क्या उस चेनल की उस कल्पना को बहाल करने की कोशिश करेंगे?

श्री सी.एम. इब्राहीम : आपने यह जो प्रश्न उठाया है यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले इसकी कल्पना सिर्फ चार घंटे की थी, हमने इसकी कल्पना 12 घंटे की की है। यह 12 घंटे चलेगा। 12 घंटे के अंदर मूवी, सपोर्ट्स और एजुकेशन चलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को हमने कहा है कि हम इसको पांच घंटे देंगे, आप प्रोग्राम दीजिए हम इसको दिखाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल चेनल में जो लास था कि डीडी 3 से हमने अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि आप प्राइवेट में पार्टिसिपेशन दूरदर्शन के साथ कीजिए, क्योंकि अब यह सिर्फ चार महानगरों में, चार मेट्रोपोलिटन में इसको देख रहे हैं। अगर इसको दूसरे शहरों में दिखाना है, अगर एक एचपीटी बनाना है तो दस करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है और एक एलपीटी बनाना है तो एक करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो है वह दूरदर्शन के हाथ में रखकर एक माइनर पार्टनर को अपने साथ में रख लें और इंटरनेशनल चेनल की भी मान्यता को ज्यादा करें तथा डीडी 3 को इफेक्टिवली दिखाएं। मूवी क्लब जो चलेगा वह सिर्फ दो-तीन घंटे चलेगा, पूरे 12 घंटे हम मूवी नहीं दिखा रहे हैं उसमें सपोर्ट्स भी होगा। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, एक घंटे में कौन सी मूवी खत्म हो जाती है। आप यह क्यों कह रहे हैं कि एक घंटा चलेगा, एक फिल्म कम से कम तीन घंटे लेती है और आप कह रहे हैं कि एक-दो घंटे चलेगा। अध्यक्ष जी, यह कला और संस्कृति का चेनल था। इसे इन्होंने फिल्मी संस्कृति का चेनल बना दिया और यह जस्टीफाई कर रहे हैं कि एक-दो घंटे चलेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री सी.एम. इब्राहीम : अब एक-एक की अपनी रूचि है, कोई वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है। मैं कैसे कम्पलसरी कर सकता हूं।

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर को दो-तिहाई हिस्सा ऐसा है जहां सिर्फ पाकिस्तान का टी.वी. दिखाई देता है। हिन्दुस्तान का दूरदर्शन या हमारा जो टी.वी. है वह बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। मैं तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह खुद भी इस बात को देखकर आए हैं कि पूरा राजौरी, पुंछ का इलाका, पूरा डोडे का इलाका काश्मीर वैली का दो तिहाई हिस्सा ऐसा है कि यहां हमारा दूरदर्शन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए यह क्या प्रबन्ध कर रहे हैं? इन्होंने तीन बार एश्योरेंस दिया है कि हम बड़ा ट्रांसमीटर लगाएंगे उसके बावजूद भी नहीं लगाए गए।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य देश भी इस देश के बारे में जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं हम भी इसको इफेक्टिवली रोकना चाहते हैं। डीडी 3 को हम एक्टीवाइज करना चाहते हैं, इसमें कम से कम एचपीटी लगे जो इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा भी करे और उनके एंटी प्रोपोगेंडा को इफेक्टिवली रोके।

जैसा मैंने पहले कहा अगर हम एच.पी.टी. लगाकर रेंज बढ़ाते हैं तो इसके लिए 10 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है। आपको

सुनकर खुशी होगी कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में दूरदर्शन ने 80 करोड़ रुपया ज्यादा कमाया है और यह रुपया पिछले 6 महीनों में कमाया है। ...**(व्यवधान)** हम बार्डर एरियाज में, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, पंजाब, जहां पर भी पाकिस्तान के सिग्नल्स आते हैं वहां पर एच.पी.टी. लगाने की कोशिश करेंगे। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : राजस्थान के बार्डर पर भी लगाएं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं यह अति महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : अध्यक्ष जी, मीडिया में क्रांतिकारी परिवर्तन तो आया है लेकिन जितने भी सीरियल इस समय दिखाये जा रहे हैं उसमें उच्च वर्ग की तस्वीर ही दिखाई जाती है। चाहे हम जूनून देखें, चाहे स्वाभिमान, किसी भी सीरियल में गरीब आदमी का दर्द नहीं व्यक्त किया जाता है। दूसरे जितने भी सीरियल आ रहे हैं उनमें पाखंड, अंधविश्वास, जादू-टोना आदि को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न भी डाला था लेकिन वह लिखित उत्तर हेतु प्रश्न सूची में आया है और उसका जवाब मंत्री जी ने सही नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे सीरियलों को बढ़ावा दिया जाएगा जो गरीब तबके के दर्द को व्यक्त करने में सक्षम हों और जो सीरियलों में अंधविश्वास और पाखंड दिखाया जाता है उसे बंद किया जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप रिपीट क्यों कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात को आप क्यों दोहरा रहे हैं। आप एक सुझाव दे रहे हैं और आप एक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : कितना अच्छा सवाल था।

अध्यक्ष महोदय : सवाल कहां पूछा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सुझाव नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका आपके पास कोई जवाब है?

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : आपकी सूचना बड़ी अच्छी है, इसे मैं ध्यान में रखूंगा।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी दूरदर्शन चैनल 3 तथा मूवी चैनल को मिलाकर एक करने की बात कर रहे हैं। हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां हम दूरदर्शन चैनल एक भी नहीं देख सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में विशेषकर दार्जिलिंग, जलपाईगुडी तथा कूच बिहार में बंगलादेश के टी.वी. कार्यक्रम, नेपाली टी.वी. के कार्यक्रम तथा कभी-कभी चीनी टी.वी. के कार्यक्रम आते हैं। लेकिन भारतीय दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं आते हैं। मैं नहीं जानता कि जब सिलीगुडी स्थित दूरदर्शन केन्द्र, जहां निर्माण कार्य पूरा हो गया है, वहां से कार्यक्रम प्रसारण शुरू होने वाला है जिससे उत्तरी बंगाल के लोगों से सुविधा प्राप्त होगी तथा वे दूरदर्शन चैनल 1, अथवा दूरदर्शन चैनल 2 अच्छा दूरदर्शन चैनल 3, अथवा इन तीनों को देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको सिलीगुडी टी.वी. केन्द्र के बारे में कोई जानकारी है?

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का सवाल है, यह एक वास्तविक समस्या है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं उत्तरी बंगाल का जिक्र कर रहा हूं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक उस क्षेत्र विशेष, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, का संबंध है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी प्रदान कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम श्री राम नगीन मिश्र के प्रश्न 307 को लेते हैं। अब हमें रेल मंत्रालय संबंधी प्रश्न को लेना है।

[हिन्दी]

रेल पुल का निर्माण

***307. श्री राम नगीना मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पडरौना जिले के चितौनी स्थान पर रेल पुल का निर्माण कर लिया गया है जहां साथ ही साथ सड़क पुल का निर्माण भी किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क पुल का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रेल एवं सड़क पुल का नींव संबंधी कार्य एक ही साथ पूरा किया गया था और रेल पुल को चालू कर दिया गया है। सड़क पुल के सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें गर्डर और सड़क डेक शामिल हैं, का कार्य तब शुरू किया जाएगा जब सह-भागीदार अर्थात् जल

संसाधन मंत्रालय और बिहार सरकार अपने-अपने हिस्से की धनराशि के साथ इसके लिए प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद, इसे पूरा होने में दो वर्ष लगेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रोड पुल बनाने के लिए जो रुपया देना है, उसके अन्तर्गत जल संसाधन मंत्रालय के जिम्मे कितना रुपया है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का रुपया दिया है या वह बकाया है? बिहार में आपकी सरकार है, सैंटर में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। इस पुल के बनाने में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने प्रभाव का उपयोग करके बिहार सरकार और जल संसाधन मंत्रालय से राशि हासिल करके वहां अविलम्ब पुल बनाएंगे? क्या कारण है कि जल संसाधन मंत्रालय ने आज तक रुपया नहीं दिया?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जल संसाधन मंत्रालय का सवाल है, उसका मात्र 22.53 करोड़ रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश ने अपना हिस्सा दे दिया है। रेल मंत्रालय को 76.14 करोड़ रुपया देना था। हमने 76 करोड़ रुपए की बजाय 93.58 करोड़ रुपया दे दिए, मतलब साढ़े 17 करोड़ रुपए ज्यादा उस पर लगा दिए। बिहार सरकार के जिम्मे 4.73 करोड़ रुपया बकाया है। बिहार सरकार ने वायदा किया है कि वह 1996-97 में राशि दे देंगे। जहां तक जल संसाधन मंत्रालय का मामला है, मैंने पर्सनली तो उनसे बात की ही है, हमारे अधिकारी भी समय-समय पर इस सम्बन्ध में बात करते रहते हैं। जल संसाधन मंत्रालय के जो पहले मंत्री शुक्ला जी थे, उनसे मैंने अपनी तरफ से बातचीत की। मैंने जनेश्वर मिश्र जी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे। योजना आयोग से पैसा आने पर वह राशि आवंटित कर देंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बगहा-चितौनी रेल पुल बना। अब आप उसे बड़ी लाइन में परिवर्तित करने जा रहे हैं। वह कप्तानगंज और गोरखपुर को जाता हैं। वहां कप्तानगंज से सीवान वाली छोटी लाइन पड़ती है। यह एक छोटा सा पार्ट है और छोटी लाइन है। क्या आप इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित करेंगे? यदि हां, तो कब करेंगे? इसके अलावा पहले चितौनी तक रेल जाती थी। पांच किलोमीटर पहले ही पनियामा से मुड कर चितौनी-बगहा रेल पुल बना है। अब वहां से रेल जा रही है। वहां के लोगों की मांग है और वहां का डैपुटेशन आपसे मिल भी चुका है। आपने वायदा किया है कि चितौनी तक रेल बस चलायी जाएगी। क्या आप उनकी मांग पूरी करने जा रहे हैं और क्या कप्तानगंज से सीवान तक बड़ी लाइन बनाने जा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम उस पर विचार करेंगे।

देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विदेशी निवेश

***309. श्री नवल किशोर राय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1996 के "फाइनेंनशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित "गवर्नमेंट वुड नॉट लेट इंडस्ट्री ईट अप जोब्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में उदारीकरण की नीति शुरू किये जाने और विदेशी पूंजी निवेश के बाद, देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मार्च, 1996 तक देश में कुल विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप सृजित किए गए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के प्रतिशत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विदेशी पूंजी के भारी मात्रा में आने और विदेशों से नवीनतम प्रौद्योगिकी आने से रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रतिशत में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). एक विवरण पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) से (ङ). संगठित क्षेत्र में रोजगार जो 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार 26.7 मिलियन था 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार बढ़ कर 27.7 मिलियन हो गया। विदेशी विनियोग के रोजगार एवं बेरोजगार पर पड़े प्रभाव का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। 1991 में जब नई आर्थिक और उदारवादी नीति लागू हुई तब से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी सदन में तत्कालीन सरकार ने बताया था कि ऐसी टैक्नॉलोजी विकसित की जाएगी और ऐसी टैक्नॉलोजी भारत में आएगी जो लेबर ऑरियंटिड होगी। यह भी कहा गया था हम बेरोजगारी को हल करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

पिछले पांच साल में हम जितने बढ़े हैं, माननीय मंत्री के जवाब से स्पष्ट नहीं है। इसमें स्वीकार किया गया है कि 1.1 परसेंट रोजगार बढ़ा है। इस बात का सर्वे नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि गत पांच वर्षों में लेबर ऑरिएंटेड तकनीकी विदेशी निवेश के साथ कितने रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इस बारे में इस सदन को स्पष्ट रूप से बताया जाये कि क्या कोई योजना है जिससे बेरोजगारी कम हो सके?

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, 1981 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के पश्चात् भारत में प्रौद्योगिकी सहित हमारे लघु संसाधनों को बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी की अहम भूमिका के प्रति समन्वित प्रयास किए गए थे। 1991 से ही कतिपय उच्च प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों ने 51 प्रतिशत तक स्वतः विदेशी इक्विटी भागेदारी की अनुमति दे दी थी। आज ये उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिसमें 35 उद्योग शामिल हैं जो अधिकांशतः सेवा क्षेत्रों में सोफ्टवेयर, होटल तथा पर्यटन उद्योगों को छोड़कर निर्माण उद्योग हैं। इससे रोजगार के अवसर सृजित हुये हैं। यदि आप बेरोजगारी को देखें तो इसमें काफी गिरावट आई हैं। 1987-88 में समग्र बेरोजगारी दर 3.77 प्रतिशत थी। 1991-94 नई आर्थिक नीति के लागू होने के पश्चात इसमें 2.56 प्रतिशत तक की गिरावट आई। अतः इस नई आर्थिक नीति ने रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद की है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से विदेशी निवेश के जरिये रोजगार के अवसर बढ़ाने का अनुरोध किया है और उनके उत्तर में जो बढ़ोत्तरी का जिक्र किया गया है, वह असंतोषजनक है। मेरा अनुरोध है कि अपने देश में विदेशी निवेश को बढ़ाया जाये। लेकिन जो लेबर ऑरिएंटेड विदेशी निवेश हुआ, उससे बेरोजगारी को कम किया जाये, ऐसा सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी को कम करने के लिये कोई समयबद्ध, योजनाबद्ध कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : यह योजना आयोग की इच्छा पर निर्भर है। उसे कार्यक्रम बनाना है। ऐसे विभाग भी हैं जो रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। शहरी मामले और रोजगार विभाग शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करता रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है।

सीमेंट का परिवहन

+

*310. **श्री बसुदेव आचार्य :***
श्री अनिल बसु :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सीमेंट संयंत्रों तक कोयले के परिवहन तथा सीमेंट संयंत्रों से सीमेंट के परिवहन हेतु सीमेंट उद्योग को वैगन उपलब्ध नहीं करा सकती है तथा रेलवे द्वारा सीमेंट का भेजा जाना प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि कोयला और सीमेंट को रेल के बजाय सड़क से भेजने का अर्थ है विदेशी मुद्रा में प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपए मूल्य के तेल का अतिरिक्त आयात करना;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दो प्रमुख (बल्क) वस्तुओं के परिवहन को अपने हाथ में लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उसका 8495 करोड़ रुपए का राजस्व फिर से उसे प्राप्त हो सके और प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रु. के तेल के अतिरिक्त आयात से बचा जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो रेल परिवहन में वास्तविक कमी, राजस्व की वास्तविक हानि का ब्यौरा कया है तथा वास्तव में अतिरिक्त तेल की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा तथा इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय, सीमेंट की ढुलाई के लिए सीमेंट कारखानों द्वारा आफर किए जा रहे यातायात अथवा सीमेंट कारखानों को कोयले के संचलन में कोई कठिनाई नहीं है। विगत में कुछ ऐसे अवसर आए हैं जब माल डिब्बों के संबंध में कुछ कठिनाई अनुभव की गई। बहरहाल, 1992-93 तथा 1994-95 को छोड़कर पिछले वर्ष की तुलना में हर वर्ष रेल द्वारा सीमेंट के प्रेषण में वृद्धि हुई है।

(ख) संदर्भित सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कोयले और सीमेंट की ढुलाई के लिए इस समय रेलों के पास पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ). माल डिब्बों की आवश्यकता की बराबर समीक्षा की जाती है और जब कभी माल डिब्बों की कमी महसूस की जाती है, तब अतिरिक्त माल डिब्बे प्राप्त किए जाते हैं। थोक वस्तुओं के लदान में सुधार के लिए किए गए उपायों में सीमेंट की ढुलाई के लिए कंटेनर सेवा की शुरूआत, चालन क्षेत्र बढ़ाने के लिए गहन अनुरक्षण करके विनिर्दिष्ट सर्किटों पर वात-ब्रेक स्टाक वाले क्रैक रेकों की शुरूआत, माल डिब्बों की रूकौनी को कम करने के लिए टर्मिनलों पर माल के लदान तथ उतराई पर कड़ी निगरानी रखना आदि शामिल हैं। इन उपायों से माल डिब्बा फेरों में सुधार हुआ है और फलस्वरूप माल यातायात के लिए माल डिब्बों की समग्र उपलब्धता बढ़ गई है। अक्तूबर, 1996 तक कोयले का वास्तविक लदान, सीमेंट क्षेत्र सहित

अन्य के लिए कोयले और चालू वर्ष के लिए सीमेंट का लदान, चालू वित्त वर्ष के अनुपातीय लक्ष्य तथा 1995-96 की तदनुरूपी अवधि के वास्तविक लदान से अधिक हुआ है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कुछ डिब्बों की कमी थी। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी तो क्वश्चन ऑवर चल रहा है, कहां से फिर आ गये?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। ...**(व्यवधान)** उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि कुछ डिब्बों की कमी थी और उसके कारण उद्योग से उपभोक्ताओं तक सीमेंट की आपूर्ति प्रभावित हुई। सितम्बर माह में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि पर्याप्त संख्या में डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण सीमेंट निर्माताओं ने अपने कुछ संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेल द्वारा ढुलाई की जाने वाली वस्तुओं में से एक सीमेंट भी है। डिब्बों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वह कन्टेनर्स के अतिरिक्त डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठायेंगे ताकि भविष्य में सीमेंट अभाव प्रभावित न हो।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर चाहते हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, जो न्यूज आइटम है, वह पिछले साल के बारे में था। इस साल हमारे पास वैगन की कोई कमी नहीं है और हम चाहते हैं कि सीमेण्ट इंडस्ट्रीज हमसे वैगन की मांग करें और हम उनको सप्लाई करते रहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : अध्यक्ष जी, हम आपको धन्यवाद देंगे कि आज का प्रश्नकाल इस सत्र का सबसे सफल प्रश्नकाल रहा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बकाया राशि की वसूली

*303. **डा. राम लखन सिंह :**
श्री मोहन रावले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रलेवे ने माल ढुलाई शुल्क के अग्रिम भुगतान के आधार पर ही कोयला खानों से ताप-विद्युत संयंत्रों तक कोयले की ढुलाई करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) 30 सितंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, राज्य बिजली बोर्डों तथा गैर सरकारी विद्युत स्टेशनों पर रेलेव की पृथक-पृथक जोनवार कुल कितनी राशि बकाया है; और

(घ) रेलवे द्वारा इन बकाया राशियों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि पहली अक्तूबर, 1996 से बिजली घरों और राज्य बिजली बोर्डों को पारेषित किए जाने वाले कोयले के लिए भाड़े का अग्रिम भुगतान किया जाए। बहरहाल, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के बदरपुर ताप बिजली घर के संबंध में यह शर्त पहली जनवरी, 1997 से लागू होगी।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कोयले की ढुलाई के लिए माल भाड़े के अग्रिम भुगतान को अनिवार्य बनाने का निर्णय; ताकि भविष्य में बकाया राशि इकट्ठी न हो।

(2) जहां तक बकाया भाड़ा प्रभारों का संबंध है, सचिवों की एक समिति को उन उपायों पर विचार करने के लिए कहा गया है जिनसे कि बकाया राशियों की वसूली हो सके।

(3) जहां तक विलंब शुल्क, साइडिंग और अनुरक्षण प्रभारों और अन्य विविध प्रभारों के बकायों का संबंध है, उनकी वसूली एक सतत् प्रक्रिया है और बकायों की वसूली मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

विवरण

बिजली घरों/बिजली बोर्डों पर 30.09.1996 को रेल-वार बकाया राशि का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड/बिजली घर का नाम	30.09.96 को	म.रे.	पू.रे.	उ.रे.	पूर्वो.	पू.सी.	द.रे.	द.म.	द.पू.	प.रे
1.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम/बदरपुर ताप बिजली संयंत्र	711.12	0.06		711.06						
2.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	86.31			86.31						
3.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	71.00	11.32		59.68						
4.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम/अन्य	50.85		2.17	47.93				0.75		
5.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	47.58	13.89	32.54	1.14	0.01					
6.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	37.97			37.97						
7.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	31.35	22.94						0.14	8.27	
8.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	29.97							29.97		
9.	पं. बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	29.28		2.76						26.52	
10.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	10.86									10.86
11.	असम राज्य बिजली बोर्ड	6.91					6.91				
12.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	4.14	4.09							0.05	
13.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	3.94		3.75		0.19					
14.	निजी बिजली घर, साबरमती	2.54									2.54
15.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	1.29						1.29			
16.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	1.19									1.19
17.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.07							0.07		
18.	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	0.00									
	जोड़	1126.37	52.3	41.22	944.09	0.2	6.91	1.29	30.93	34.84	14.59

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक ऋण

*306. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने हेतु हाल ही में ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस ऋण से पूर्वी उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल के 42 जिलों के लगभग 31788 गांवों को प्रत्येक को एक-एक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किया जाएगा। जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह ऋण बैंक की मानक शर्तों के अध्यधीन लिया गया है। यह ऋण 24 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 4 वर्ष की ग्रेस अवधि भी शामिल है।

(ग) इस परियोजना के अधीन किया जाने वाला कार्य 1997 के उत्तरार्द्ध तक पूर्ण होने की संभावना है।

विवरण

एशियाई विकास बैंक ऋण की मदद से उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल जिलों को प्रदान किए जाने वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम
1	2
1.	अंबेडकर नगर
2.	इलाहाबाद
3.	आजमगढ़
4.	बलिया
5.	बांदा
6.	बाराबंकी
7.	बस्ती
8.	बहराइच
9.	भदोई
10.	देवरिया
11.	इटावा
12.	फिरोजाबाद
13.	फर्रूखाबाद
14.	फतेहपुर
15.	गाजीपुर
16.	गोंडा
17.	गोरखपुर
18.	हमीरपुर
19.	हरदोई
20.	जालौन
21.	जौनपुर
22.	झांसी
23.	कानपुर
24.	कानपुर देहात
25.	लखीमपुर
26.	ललितपुर
27.	लखनऊ
28.	महाराजगंज
29.	मैनपुरी
30.	मऊनाथ भंजन
31.	महोबा
32.	मिर्जापुर
33.	प्रतापगढ़
34.	पदरौना
35.	रायबरेली
36.	शाहजहांपुर
37.	सिद्धार्थनगर
38.	सीतापुर
39.	सोनभद्र
40.	सुल्तानपुर
41.	उन्नाव
42.	वाराणसी

केरल में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों हेतु अनुरक्षण केन्द्र

***308. श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों हेतु अनुरक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के अडूर स्थान पर इस केन्द्र को स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में स्थान-वार स्थापित किए जाने वाले नये ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वर्तमान में, केरल में दूरदर्शन के अतिरिक्त अनुरक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल में कोचीन, कन्नौर तथा त्रिचूर में एक-एक अर्थात तीन अनुरक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। हालांकि, केरल में अदूर में अनुरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है तथापि, इसके बारे में उपयुक्त समय पर विचार क्षेत्र में नए अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटरों की आवश्यकता एवं उनकी स्थापना पर निर्भर करते हुए उपयुक्त समय पर इस बारे में विचार किया जा सकता है।

(ङ) वर्तमान में, केरल राज्य के कालीकट में एक उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर (स्थायी संस्थापन) और थोडुपुज्जा, अदूर और अट्टापडी में एक-एक अर्थात तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, राज्य में कन्नानूर में एक उच्च शक्ति परियोजना और पाला, इरात्तुपेट्टा, मंडाकायम तथा कन्नानूर (डीडी-2) में चार अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाएं स्थापित करने की परिकल्पना है जौकि संसाधन, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

एयर इंडिया में विनिवेश

*311. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में इक्विटी पूंजी के विनिवेश का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इक्विटी पूंजी के कितने प्रतिशत का विनिवेश करने का विचार है;

(घ) क्या पूंजी के विनिवेश के परिप्रेक्ष्य में एयर इंडिया के बेड़े इत्यादि के संदर्भ में एयर इंडिया की क्षमता के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार कर ली गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). एयर इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उन 40 उपक्रमों में से एक हैं जो सरकार ने इनके लिए एक व्यापक और लम्बी अवधि का गैर-निवेश कार्यक्रम बनाने के लिए गैर-निवेश आयोग को भेजे हैं।

(घ) और (ङ). गैर निवेश के संबंध में होने वाले फैसले से कोई मतलब रखे बगैर एयर इंडिया की अपने विमान बेड़े के नवीकरण और विस्तार को जारी रखने की योजना है।

दिल्ली तथा बम्बई में दूरदर्शन संबंधी परियोजनाएं

*312. **श्री दिनशा पटेल :**

श्री कचरु भाऊ राउत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनाएं अर्थात् दूरदर्शन भवन, दिल्ली तथा मुम्बई में टी.वी. का प्रसार अपनी समय-सारणी से काफी पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा होने में हुए विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) इन परियोजनाओं को चालू करने हेतु कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में आकाशवाणी के केन्द्र स्थापित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन्हें कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). दिल्ली में दूरदर्शन भवन (स्टूडियो एवं कार्यालय परिसर) परियोजना और मुंबई में टेलीविजन केन्द्र के विस्तार हेतु परियोजना को पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :-

(1) दूरदर्शन भवन (स्टूडियों-एवं-कार्यालय परिसर) दिल्ली :-

परियोजना स्थल पर अनधिकृत कब्जों को हटाना और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के केन्द्रीय जिले में ऊंचे भवनों के निर्माण से संबंधित पालिका उप नियमों में संशोधन के फलस्वरूप परियोजना के अनुमोदित कार्यक्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन करना।

(2) टेलीविजन केन्द्र, मुम्बई का विस्तार :-

जिस ठेकेदार को प्रारंभ में परियोजना के सिविल कार्य सौंपे गए थे, उसके द्वारा धीमी गति से कार्य करना, बाद में जिसे रद्द करना पड़ा और शेष कार्य एक अन्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है; कुछ समय के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध न होना, तहखाने में पानी भरने/नियमित रूप से रिसाव होने समस्याएं होना; परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होना आदि।

(ग) जबकि दिल्ली में दूरदर्शन भवन (स्टूडियो-एवं-कार्यालय परिसर) परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि 4745.29 लाख रु. है तथापि मुम्बई में टेलीविजन केन्द्र परियोजना विस्तार के मामले में यह 1917.89 लाख रु. हैं।

(घ) दिल्ली में दूरदर्शन भवन (स्टूडियो-एवं-कार्यालय परिसर) और मुम्बई में टेलीविजन केन्द्र विस्तार संबंधी सिविल कार्य प्रगति पर हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, दिल्ली में दूरदर्शन भवन (स्टूडियो-एवं-कार्यालय परिसर) को वित्तीय वर्ष 1998-99 के अंत तक तथा मुम्बई में टेलीविजन केन्द्र विस्तार को वित्तीय वर्ष 1997-98 के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ङ) जी, हां।

(च) से (ज). वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में 20 रेडियों केन्द्र प्रचालन में हैं जो राज्य के लगभग 98 प्रतिशत क्षेत्र तथा 99 प्रतिशत जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहे हैं। सिंधुदुर्ग तथा उस्मानाबाद जिलों के कुछ थोड़े इलाकों को आकाशवाणी के किसी भी मीडियम वेव/एफ.एम. ट्रांसमीटर द्वारा कवर न किए जाने की सूचना है। तथापि, उस्मानाबाद में 9.12.96 को चालू किए गए एफ.एम. ट्रांसमीटर से उस्मानाबाद जिले के इन क्षेत्रों को आकाशवाणी कवरेज प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा, सिंधुदुर्ग में मालवा में एक नया रेडियो केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। जिसे नौंवी योजना के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

होटलों का पुनर्निर्माण

***313. श्री अशोक प्रधान :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम का होटलों के पुनर्निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या आधुनिकीकरण अभियान को पूरी तरह से आंतरिक संसाधनों से वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ होटलों को गिराए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या जिन होटलों को गिराया जाना है उनके निर्माण के समय उनकी मियाद के संबंध में कोई आकलन किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) पहले चरण में लोधी होटल, नई दिल्ली के पुनर्निर्माण पर 98.11 करोड़ रु. खर्च करने का अनुमान है, इसके पश्चात् जनपथ और रणजीत होटलों के पुनर्निर्माण को लिया जाएगा, जिनके लिए क्रमशः दूसरे और तीसरे चरणों में, योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) और (ग). जी, हां। चालू वर्ष (1996-97) के 40 करोड़ रुपयों के योजना व्यय, जिसमें होटलों की मरम्मत/सुधार हेतु 17.74 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी सम्मिलित है, को आर्तरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

(घ) और (ङ). लोधी, जनपथ और रणजीत होटलों के पुराने ढांचों को समाप्त करने का प्रस्ताव है क्योंकि इन्हें होटलों के सुचारू प्रचालन के लिए सहायक नहीं समझा गया है। उनके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं और जगह के बेहतर उपयोग के साथ होटलों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे।

(च) और (छ). केन्द्र सरकार द्वारा होटलों के रूप में प्रयोग करने के लिए, इन होटलों के भवनों का निर्माण 1955-56 में किया गया था। ये भवन आगे और कितने समय तक बने रहेंगे इसका मूल्यांकन करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

बीड़ी उद्योगों का दक्षिण राज्यों में स्थानांतरण

***314. श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से बीड़ी उद्योगों को दक्षिणी राज्यों में स्थानांतरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे प्रभावित होने वाले बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार, राज्य श्रम विभाग को अभी तक ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

प्रचार कार्य पर व्यय

***315. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**

डा. बलिराम :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रचार कार्य पर मनमाने ढंग से खर्च कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है;

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम में प्रतिवर्ष प्रचार कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इस व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ). पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचार पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन के प्रबोधन हेतु आवधिक समीक्षा बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के विभिन्न मदों की समीक्षा करना प्रथागत है और इन बैठकों के जरिए आवश्यकतानुसार व्यय कम करने के सुझाव दिए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रचार पर किया गया व्यय (लाख रुपये)		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	823.00	969.00	1767.00
2.	विशाखापत्तनम स्टील प्लांट	217.83	284.09	351.84
3.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.	54.04	26.13	57.67
4.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	4.23	2.66	16.22
5.	मेटलिंजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	27.21	28.87	54.82
6.	मैंगनीज ओर इंडिया लि.	15.38	12.72	16.18
7.	एम.एस.टी.सी. लि.	13.59	1.90	6.36
8.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	2.73	3.59	1.41
9.	स्पंज आइरन इंडिया लि.	0.20	1.07	0.22
10.	फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	शून्य	0.05	0.02
11.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड	4.00	4.00	8.00

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डाक नीति

***316. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डाक नीति तैयार किये जाने का कार्य जो वर्ष 1992 में आरम्भ किया गया था, पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). राष्ट्रीय डाक नीति को समाविष्ट करने वाले एक औपचारिक दस्तावेज को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, डाक विभाग देश में डाक सेवाओं के विकास व प्रचालन के मामले में सुसंगत नीति का अनुपालन कर रहा है। विभाग की नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क के विस्तार के मामले में विभाग की नीति में नए डाकघरों के संबंध में पर्याप्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुमानित लागत का 66 प्रतिशत और पहाड़ी जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में यह अनुमानित लागत का 85 प्रतिशत है। इसके अलावा, इसमें सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 2400 रुपये तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण शाखा डाकघर का विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के संबंध में 4800 रुपये की सीमा तक के अधिकतम अनुमेय वार्षिक घाटे का प्रावधान है। देश के उन 804। गांवों में, जिनमें ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, जहां जनसंख्या और दूरी के मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य बनता है और उनमें अभी भी डाक काउंटर सुविधाएं सुलभ नहीं है, विभाग की नीति अब मुख्य रूप से इन गांवों में नए डाकघर खोलने पर केंद्रित हैं। शहरी क्षेत्र में डाक सुविधाओं का विस्तार करते समय विभाग की नीति में आर्थिक व्यवहार्यता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे नए खोले गए किसी डाकघर को पहले वर्ष के अंत तक आत्मनिर्भर होना चाहिए। मौजूदा डाकघर से दूरी से संबंधित पैरामीटर भी उपयुक्त रूप से शहरी परिस्थितियों के अनुरूप है, जहां जनसंख्या घनत्व ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में वितरण सेवा का संबंध है, मानदंड यह है कि शाखा डाकघर से प्राप्त डाक वस्तुएं पारेषण व्यवस्था में रूकावट के मामलों को छोड़कर उसी दिन वितरित कर दी जाएं। शहरी क्षेत्र में सभी विभागीय वितरण डाकघर सामान्य और लेखायोग्य दोनों प्रकार की डाक वस्तुओं का दिन में कम से कम एक बार वितरण अवश्य करते हैं। इसके अलावा, डाक वस्तुओं की संख्या और उनकी

प्राप्ति के समय को ध्यान में रखते हुए अधिसंख्य शहरी डाकघरों में एक से अधिक बार वितरण किया जाता है।

सभी प्रकार के पारेषण के मामले में विभाग की नीति त्वरित और कुशल मेल प्रोसेसिंग के लिए बड़े नोडल केंद्रों में धीरे-धीरे ऑटोमेटिड प्रणालियां आरंभ करने की है। इस दिशा में मुंबई और चेन्नई में ऑटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना करके पहला कदम उठाया गया है।

विभाग सरकार की अल्प बचत योजनाएं चलाने, रेलवे पेंशनरों और कोयला खनिकों को पेंशन का भुगतान करने के साथ-साथ डाक जीवन बीमा संगठन के प्रचालन जैसे विविध एजेंसी कार्य निष्पादित करके सामाजिक वितरण प्रणाली के आउटलेट के रूप में डाकघर से अधिकतम लाभ उठाने की नीति पर भी कार्य कर रहा है।

डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की विभाग की नीति में काउंटर सेवाओं पर बल दिया गया है जहां कंप्यूटर-आधारित प्रौद्योगिकी की प्रयोज्यता का उद्देश्य अधिक कुशल और अनुक्रियाशील काउंटर सेवा के माध्यम से अधिकतम ग्राहक संतुष्टि प्रदान करना और बेहतर कार्य-वातावरण के माध्यम से कर्मचारियों की प्रेरणा को संवर्धित करना है। ग्राहकों के बिजनेस/प्रोफेशनल खण्ड के लिए नई मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रावधान भी आधुनिकीकृत डाक काउंटरों की उन्नत रिटेलिंग क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, फोकस में है। कंप्यूटर-आधारित प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, पीएलआई, इन्वेंटरी नियंत्रण तथा स्पीड पोस्ट सेवा जैसे अन्य कार्य-क्षेत्रों में भी लागू की जा रही है।

अभिनव प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन के माध्यम से आधुनिकीकरण की विभाग की नीति, विभाग के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

विभाग सेवा के स्तर में सुधार करने और राजस्व जुटाने के उद्देश्य से व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र को सेवा प्रदान करने और यूनीवर्सल सर्विस के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्य-क्षेत्रों का सेगमेन्टेशन भी करना चाह रहा है।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

***317. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
डा. सी. सिल्वेरा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जनवरी, 1995 से नवम्बर, 1996 की अवधि के दौरान विमान दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा दिए जाने संबंधी कितने दावों को निपटाया गया;

(ख) ऐसे लंबित मामलों की संख्या कितनी है तथा उनके संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मामले कब से लंबित पड़े हैं;

(घ) इन दावों को निपटाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं; और

(च) सरकार द्वारा हाल ही में 12 नवम्बर, 1996 को आकाश में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए विशेष कदमों के बारे में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (च). वायुयान वहन अधिनियम, 1972 के अनुसार संबंधित वाहक विमान कम्पनियों को विमान दुर्घटना के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति संबंधी दावों का निपटान करना होगा। तथापि, 12 नवम्बर, 1996 की हाल ही में हुई दुर्घटना के संबंध में, सरकार ने क्षतिपूर्ति दावों के सही और शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने की दृष्टि से दुर्घटना से पीड़ितों के निकटतम संबंधी को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक सैल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि

***318. श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या विद्युत शुल्क, पैट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि तथा इस्पात की चीजों पर सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती होने के कारण "सेल", "टिस्को" तथा अन्य इस्पात संयंत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में इस्पात उद्योग को समर्थ बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(छ) क्या आदानों की अधिक लागत के कारण अनेक लघु इस्पात संयंत्र बंद भी हो गये हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (च). इस्पात की उत्पादन लागत बुनियादी तौर पर आदानों, जैसे लौह अयस्क, कोयला, इस्पात स्क्रैप और ऊर्जा के मूल्य, भाड़े और श्रम की लागत और वित्तीय खर्चों पर निर्भर करती है। इस्पात की उत्पादन लागत के कुछ तत्व जैसे कोयला, विद्युत टैरिफ, पैट्रोलियम उत्पाद, रेलवे भाड़ा इत्यादि में 1.4.96 से वृद्धि हो गई है।

सेल के मामले में अपरिष्कृत इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत में (मूल्य ह्रास और ब्याज से पूर्व) स्वदेशी कोयला, पैट्रोलियम उत्पाद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सप्लाई की जा रही विद्युत के मूल्यों में वृद्धि होने और रेलवे और केन्द्रीय बजट के प्रभाव के कारण लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

टिस्को के मामले में, पैट्रोलियम उत्पादों और रेलवे भाड़े में हुई वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में 1995-96 की औसत उत्पादन लागत की तुलना में 2.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उत्पादन लागत के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्धात्मकता अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, भाड़ा लागत, रुपए की विनिमय दर, अन्य देशों में उत्पादन लागत जैसे घटकों द्वारा निर्धारित होगी। ये घटक सामान्यतः गतिशील हैं और निरन्तर बदलते रहते हैं।

विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सेल सतत आधार पर निम्नलिखित उपाय कर रहा है :—

- अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन
- क्षमता उपयोग में वृद्धि करना
- उत्पादकता में सुधार करना
- ऊर्जा संरक्षण के उपाय शुरू करना
- प्रभावी अनुरक्षण के जरिए उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना।
- उत्पाद-मिश्र में सुधार करना, मूल्य वर्धित मदों का उत्पादन करना और ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करना।
- कोक, ऊर्जा, स्टोर्स और अतिरिक्त कल पुर्जों इत्यादि की खपत में कमी करना।

(छ) से (झ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में इस समय लगभग 84.4 लाख टन कुल क्षमता वाली 183 लघु विद्युत चाप भट्टी इकाइयां हैं। 30.9.96 की स्थिति के अनुसार इनमें से लगभग 24 लाख टन क्षमता की 87 इकाइयों के विभिन्न घटकों, जैसे उच्च विद्युत टैरिफ, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अलाभकारी उत्पादन लागत इत्यादि के कारण बंद कर दिए जाने की सूचना दी गई है।

कार्बन इस्पात गलन स्क्रैप, जो विद्युत चाप भट्टी इकाइयों के लिए एक आदान सामग्री है, पर प्राथमिकता आयात शुल्क 1994-95 से निम्न स्तर पर 5 प्रतिशत बना हुआ है। इन इकाइयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों पर भी सीमा शुल्क 1996-97 के बजट में 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय ने इन इकाइयों को रियायती दर पर विद्युत की अबाधित आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है।

कोंकण रेल परियोजनाएं

*319. **डा. एम. जगन्नाथ :**

श्री अय्यन्ना पटरुधु :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि जारी किए जाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना की लागत पांच बार संशोधित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त परियोजना हेतु राशि जुटाने के स्रोत क्या-क्या हैं; और

(च) इसको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेल मंत्रालय और भागीदार राज्य सरकारों ने अब तक नीचे लिखे अनुसार धनराशि जारी की है :-

	करोड़ रु. में
रेल मंत्रालय	306.00
महाराष्ट्र सरकार	132.00
गोवा सरकार	34.00
कर्नाटक सरकार	90.00
केरल सरकार	36.00
जोड़	598.00

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा और धनराशि जारी किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) परियोजना की लागत में दो बार संशोधन किया गया है।

(घ) लागत में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं :-

1. समयांतर के कारण मुद्रास्फीति।
2. सुरंगों में किए जाने वाले कार्य की मात्रा में वृद्धि, बचाव संबंधी कार्यों और परियोजना के गोवा क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से में ओझा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के कारण अपेक्षित अतिरिक्त खर्च।
3. मूलतः किए गए प्रावधान की तुलना में, निर्माण के वर्तमान मानकों को अपनाना।
4. परियोजना के पूरा होने के कारण, वित्तपोषण की अतिरिक्त लागतें।

(ङ) कुल 2780 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र और चार राज्य सरकारों से इक्विटी के माध्यम से, 10.5 प्रतिशत कर-मुक्त बंधपत्रों से परिसंपत्तियों की बिक्री और उन्हें पट्टे पर देने से बाह्य वाणिज्यिक ऋणों एवं अन्य स्रोतों और उपस्कर की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा ऋणों के माध्यम से जुटाई गई हैं।

(च) नाजुक मिट्टी वाली सुरंगों में जल निकासी के लिए आयातित मशीनें लगाकर, मिट्टी की तह को सुदृढ़ करके तथा अन्य कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर बल देकर, निर्माण कार्य की शीघ्र प्रगति के लिए प्रभावी उपाय शुरू किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य

*320. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजनावधि के दौरान आज तक पर्यटन से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). योजना बनाते समय, आठवीं योजना के टर्मिनल वर्ष 1996-97 के लिए पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का निर्धारित लक्ष्य 7000 करोड़ रु. था। योजनावधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित की गई अनुमानित विदेशी मुद्रा नीचे दिए गए अनुसार है :-

वर्ष	विदेशी मुद्रा अर्जन (रु. करोडों में)
1992-93	6060.0
1993-94	6970.3
1994-95	7365.6*
1995-96	9185.9*

रेल लाइन के दोहरीकरण हेतु ठेका

2879. श्री पी.सी. थामस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर और शोरानौर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है;

(ख) क्या इन निविदाओं से संबंधित कार्य केरल की बजाय मद्रास में किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस कार्य से संबंधित वित्तीय मामले पर वरिष्ठ लेखाकारों का नियंत्रण नही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। इस कार्य के लिए कुछ निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) जी, नहीं। निविदाएं मद्रास, कालीकट और कन्ननोर से आमंत्रित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में रिक्त पद

2880. श्री सुव्रता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनल रेलवे और उत्पादन एककों में कितने स्थान रिक्त पड़े हैं, जोनवार, एकक-वार और डिवीजन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान जोनवार, एकक-वार और डिवीजन वार कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई; और

(ग) भारतीय रेल में विशेषतः श्रेणी "ख", "ग" और "घ" में सभी रिक्त पड़े स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

31.3.96 को विभिन्न क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की संख्या लगभग निम्नानुसार है :-

क्षेत्रीय रेल			उत्पादन इकाइयां		
म.रे.	-	14101	चि.रे.का.	-	810
पू.रे.	-	12572	डी.पु.का.	-	539
उ.रे.	-	19158	डी.रे.का	-	407
पूर्वोत्तर रे.	-	8330	स.डि.का.	-	1273
पू.सी.रे.	-	7352	रे.को.फै	-	1136
द.रे.	-	5579	प.एवं.धु.सं.	-	67
द.म.रे.	-	8448			
द.पू.रे	-	23354			
प.रे.	-	12637			

बहरहाल, मंडलवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

जहां तक राजपत्रित कर्मचारियों का प्रश्न है, सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

रेलवे भूमि

2881. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद में शहर की ओर उत्तर रेलवे मेन्स यूनियन के डिविजनल कार्यालय के साथ लगी रेलवे की भूमि दुकान चलाने के लिए 500/- रुपये माहवार किराए पर किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिवीजनल सचिव द्वारा प्राप्त किए जा रहे किराए को प्रतिमाह रेलवे के पास जमा करा दिया जाता है या उसका उपयोग कार्यालय पदाधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इलाहाबाद में सिविल लाइन्स के पास पड़ी अतिरिक्त भूमि के उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षुओं को रोजगार

2882. **श्री रूप चन्द मुर्मू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के के.जी.पी. कार्यशाला में प्रशिक्षित बहुत से प्रशिक्षु रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि बहुत से पद खाली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु देने वाले संगठन के उपर कोई बाध्यता नहीं है कि वह प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार दिलाए। ये प्रशिक्षित व्यक्ति कहीं भी रोजगार ले सकते हैं अतः रेल प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बाद उनके द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। अतः यह बता पाना संभव नहीं है कि दक्षिण पूर्व रेलव के खड़गपुर कारखाने में प्रशिक्षित बहुत सारे प्रशिक्षु रोजगार की तलाश में है।

जहां तक रिक्तियों का संबंध है रिक्तियों का खाली होना एवं उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा किसी भी विशेष समय पर सामान्यतः कुछ रिक्तियां भरी जानी होती है।

वर्ग "ग" तथा वर्ग "घ" में रिक्तियां सामान्यतः रेल भर्ती बोर्डों अथवा रेल प्रशासन द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। प्रत्येक मामले में रिक्तियों को विधिवत् अधिसूचित किया जाता है और पाठ्यक्रम पूर्ण किए हुए प्रशिक्षु भी अन्य पात्र अभ्यर्थियों के साथ इन रिक्तियों में अपनी नियुक्ति के विचार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

टिकियापाड़ा रेल कर्मचारियों को वर्दी और पहचान पत्र

2883. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी रेलवे के टिकियापाड़ा यार्ड के वातानुकूलित यान में कार्यरत कर्मचारी लेमिनेटिड पहचान पत्र और यार्ड की वर्दी प्राप्त किए बिना काफी समय से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय इन्हें वर्दी और पहचान पत्र के अभाव में सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2884. श्री अमर राय प्रधान : क्या **श्रम मंत्री** उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में 29 अगस्त, 1996 के अतार्राकित प्रश्न संख्या 3436 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबद्ध मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशें लागू करने के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को कोई समय सीमा दी है;

(ख) यदि हां, तो समय सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, मंत्रालयों/विभागों ने इस मामले में अपने विचार/टिप्पणियां नहीं भेजी हैं उनके नाम क्या हैं तथा जिन्होंने अपनी टिप्पणियां/विचार भेजे हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) संबद्ध मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के संबंध में क्या निर्णय लिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए और कार्रवाई पर निर्णय, सभी राज्य सरकारों/ और भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा।

विवरण

अ. निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी राय/टिप्पणियां भेजी हैं :-

1. पंजाब
2. महाराष्ट्र
3. लक्षद्वीप सरकार
4. चंडीगढ़ प्रशासन
5. केरल
6. मिजोरम
7. आन्ध्र प्रदेश
8. मेघालय
9. उड़ीसा
10. गुजरात
11. दमन और दीव
12. जम्मू एवं कश्मीर
13. हिमाचल प्रदेश
14. कर्नाटक
15. गोवा
16. मध्य प्रदेश
17. त्रिपुरा

ब. निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी टिप्पणियां/विचार नहीं भिजवाये हैं :-

1. बिहार
2. पश्चिम बंगाल
3. असम
4. तमिलनाडु
5. राजस्थान
6. नागालैण्ड
7. हरियाणा
8. मणिपुर
9. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
10. दादरा और नगर हवेली
11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
12. पाण्डिचेरी
13. उत्तर प्रदेश
14. अरूणाचल प्रदेश
15. सिक्किम

स. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने अपने विचार/टिप्पणियां भेजी हैं :-

1. खाद्य मंत्रालय
2. भारी उद्योग विभाग (उद्योग मंत्रालय)
3. रेल मंत्रालय

4. खान मंत्रालय
5. कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)
6. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय)
7. शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार एवं सार्वजनिक कार्य विभाग)
8. रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग (रक्षा मंत्रालय)
9. शहरी विकास विभाग
10. रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय)
11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12. इलैक्ट्रोनिक्स विभाग
13. जल संसाधन मंत्रालय
14. श्रम मंत्रालय (आई आर(पी एल)(अनुभाग)
15. कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग)
16. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
17. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
18. विदेश मंत्रालय
19. रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)
20. औद्योगिक विकास मंत्रालय
21. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग)
22. उद्योग मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ इन्डस्ट्रियल कॉस्ट एण्ड प्राइसेज
23. उद्योग मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग
24. वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति विभाग)
25. विधि एवं कानून मंत्रालय (विधायी विभाग)
26. विधि एवं कानून मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)
27. संसदीय कार्य विभाग
28. योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सांख्यिकीय विभाग)
29. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
30. सीमा सड़क विकास बोर्ड
31. राजस्व विभाग
32. गृह मंत्रालय (संघ शासित क्षेत्र प्रभाग)
33. केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड
34. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
35. विधि एवं कानून मंत्रालय
36. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग
37. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
38. गृह मंत्रालय
39. बायो टैक्नॉलाजी विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
40. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
41. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

द. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने अपना अंतरिम उत्तर भेजा है :—

1. वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग)
2. डाक विभाग
3. नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
4. महासागर विकास विभाग
5. इस्पात मंत्रालय
6. वाणिज्य मंत्रालय

य. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने अपनी टिप्पणियां/विचार नहीं भिजवाये हैं :—

1. परमाणु ऊर्जा मंत्रालय
2. नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्रालय
3. कोयला मंत्रालय
4. दूरसंचार विभाग
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
7. उर्वरक विभाग
8. पर्यटन विभाग
9. नागरिक आपूर्ति विभाग
10. वित्त मंत्रालय
11. व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)
12. वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)
13. खाद्यान्न खरीद एवं वितरण विभाग
14. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग)
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग)
17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)
18. युवा कार्य और खेल विभाग
19. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
20. लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग (उद्योग मंत्रालय)
21. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (उद्योग मंत्रालय)
22. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
23. विद्युत मंत्रालय
24. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
25. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
26. अंतरिक्ष मंत्रालय
27. भूतल परिवहन मंत्रालय
28. कपड़ा मंत्रालय
29. कल्याण मंत्रालय

ई.एम.यू. गाड़ियों की क्षमता

2885. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली-दिल्ली तथा अलीगढ़ के बीच चलने वाली ई.एम.यू. गाड़ियों की कितने यात्री ले जाने की क्षमता है;

(ख) इन ई.एम.यू. गाड़ियों द्वारा दिल्ली से अलीगढ़ तथा अलीगढ़ से दिल्ली पहुंचने में कितना अनुमानित समय लगता है;

(ग) क्या दिल्ली से अलीगढ़ तथा अलीगढ़ से दिल्ली के बीच चलने वाली ई.एम.यू. गाड़ियां पहले भी दिल्ली-अलीगढ़ उत्तर प्रदेश (उत्तरी रेलवे) के बीच चलने वाली परंपरागत गाड़ियों से कम समय लेती हैं;

(घ) यदि हां, तो इन गाड़ियों द्वारा प्रतिदिन उक्त स्टेशनों के बीच ले जाने वाले यात्रियों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या इन गाड़ियों में अलीगढ़ से दिल्ली के बीच लगने वाले तीन घंटे समय के मद्देनजर शौचालय सुविधा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार बंबई की तरह यहां भी ई.एम.यू. एक्सप्रेस (तेज रफ्तार) गाड़ी आरंभ कर समय को घटाकर दो घंटे करना चाहती है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नयी दिल्ली-दिल्ली और अलीगढ़ के बीच 12 कार वाले रेक चलाए जा रहे हैं। इन गाड़ियों में 1304 यात्रियों के बैठने की क्षमता हैं। अत्यधिक दबाव वाली परिस्थिति में इस गाड़ी की क्षमता 3912 यात्री हैं।

(ख) यह 2 घंटे 45 मिनट से लेकर 3 घंटे 30 मिनट का समय लेती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

न्यू जलपाईगुड़ी-हल्दीवारी पैसेंजर गाड़ी का देर से चलना

2886. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू जलपाईगुड़ी-हल्दीवारी पैंसेजर गाड़ी प्रतिदिन देर से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गाड़ियों के देर से चलने के कारण दैनिक यात्रियों के साथ-साथ विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो गाड़ियों के देर से चलने के क्या कारण हैं;

(घ) गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्य इस खंड में डी.एम.यू. सेवा चलाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इसके कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी, नहीं। गाड़ियों का चलना, दुर्घटनाओं आंदोलनों, उपस्कर विफलताओं के खतरे की जंजीर खींचने, शरारती तत्वों एवं खराब मौसम आदि कारणों से समय-समय पर प्रभावित होता है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से गहन जांच एवं दैनिक निगरानी सहित सारे प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकारी एवं पर्यवेक्षकीय दोनों स्तर पर समयपालन अभियान भी चलाए जाते हैं।

(ङ) से (छ). अपेक्षित सवारी डिब्बों की उपलब्धता होने पर न्यू जलपाईगुड़ी क्षेत्र में डीजल चालित गाडी/पशु पुल सेवाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

बोलपुर से नई दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करना

2887. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोलपुर से नई दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने के संबंध में बोलपुर (शांति निकेतन) के लोगों द्वारा की जा रही मांग से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ी कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगियों के साथ-साथ यातायात का औचित्य न होने के कारण बोलपुर से नई दिल्ली तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में खनन कार्य हेतु तकनीकी प्रशिक्षण योजना

2888. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खनन कार्य के लिए कोई तकनीकी प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कोई ऐसी योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टिकट निरीक्षक एवं खानपान (केटरिंग) कर्मचारियों की कमी

2889. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सभी डिवीजनों में टिकट निरीक्षक एवं खानपान कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की कमी का ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कर्मचारियों की कमी को दूर करने तथा और कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोचीन विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

2890. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया का कोचीन विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन विमानपत्तन से कोई अन्य एयरलाइन्स विदेशों के लिए उड़ान भरती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). इस समय, कोचीन हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने काई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई महानगर क्षेत्र का विस्तार

2891. श्री राम नाईक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई महानगर क्षेत्र के वृहत क्षेत्र में भिवाड़ी और कल्याण नगरों को शामिल करने की सार्वजनिक मांग है; और

(ख) यदि हां, उपर्युक्त मांग को कब तक पूरा किया जायेगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां, ग्रुप डायलिंग सुविधा के प्रयोजनार्थ भिवाडी को मुंबई टेलीफोन प्रणाली में शामिल करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कल्याण में ग्रुप डायलिंग सुविधा मुम्बई से 180 सेकंड की पल्स दर पर उपलब्ध है। भिवाडी इस सुविधा की व्यवस्था के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैवी हॉल मालगाड़ियां

2892. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले और अन्य भारी वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए उत्तर रेलवे के मुगलसराय-गाजियाबाद सेक्शन में 9000 टन हैवी हाल मालगाड़ियों के लिए उपयुक्त लम्बे लूप्स का निर्माण लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है तथा ये 9000 टन की मालगाड़ियां नहीं चलाई गई हैं और इन लम्बे लूप्स का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि लौह अयस्क की ढुलाई के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे के किरीबुरू-बोकारो सेक्शन में हाल 9000 टन गाड़ियों के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से रेडियो संवेदी संयंत्र उपस्करों को मंगाया गया था और यह कि इन गाड़ियों को बंद करना पड़ा क्योंकि इस लाइन पर 9000 टन गाड़ियों के लिए उपयुक्त लम्बे लुप्स नहीं निर्मित किए गए थे बल्कि पूर्वोत्तर रेलवे में निर्मित किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि लम्बे लूप्स उत्तर रेलवे में निर्मित किए गए, न कि दक्षिण पूर्व रेलवे में और दक्षिण पूर्व रेलवे में 9000 टन गाड़ियों को क्यों बंद करना पड़ा; और

(घ) यदि नहीं, तो वास्तविक लागत और हुई हानि तथा 9000 टन गाड़ी चलाने संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। गैपुरा, मालवां, कौरारा तथा दनकौर पर 9000 टन भार वाली कर्षण रेलगाडियां चलाने के लिए 3.05 करोड़ रु. की लागत पर लम्बे लूपों का निर्माण किया गया था, जिसे परीक्षण के तौर पर चला गया था, इन लूपों का उपयोग परीक्षण के दौरान हुआ था।

(ख) से (घ). 1,310,373 अमेरिकी डालर की लागत पर रेडियों दूरस्थ नियंत्रण उपस्करों के दो सेट खरीदे गए थे। दक्षिण-पूर्व रेल के किरिबुरू-बोकारो खंड के बीच परीक्षण किए गए थे। इस प्रकार की प्रणाली के उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित हो गई थी, परंतु परिचालन तथा अनुरक्षण कठिनाइयों के कारण और परीक्षण नहीं किए गए थे। यह सत्य नहीं है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में लम्बे लूपों की अनुपलब्धता के कारण 9000 टन भार वाली रेलगाड़ियो को बंद करना पड़ा था।

निजी कोरियर कंपनियां

2893. श्री उधव बर्मन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी कोरियर कंपनियों को कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनका कितना कारोबार रहा;

(ग) उक्त अवधि के दौरान डाक विभाग के ई.एम.एस. विंग का कारोबार कितना रहा; और

(घ) सरकार द्वारा ई.एम.एस. विंग के कार्यकरण में कुशलता लाने/सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक विभाग प्राइवेट कोरियर कंपनियों को लाइसेंस जारी नहीं करता है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट का कारोबार निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारोबार (करोड़ में)
1993-94	50.13
1994-95	54.18
1995-96	57.40

(घ) स्पीड पोस्ट सेवा की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) स्पीड पोस्ट वस्तुओं के पिक अप और वितरण के मामले में ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति बेहतर अनुक्रियाशीलता।

(2) स्पीड पोस्ट केन्द्रों को और अधिक ग्राहकोन्मुखी बनाने तथा स्पीड पोस्ट वस्तुओं का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए इन केन्द्रों में प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना।

(3) राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से कवर करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की शुरूआत।

(4) बड़े शहरों में स्पीड पोस्ट कार्यालयों के ट्रांजिट मेल आफिसों का कम्प्यूटरीकरण।

(5) स्पीड पोस्ट केन्द्रों में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा उनकी दक्षता में वृद्धि करना।

(6) ग्राहकों की बैठकों के आयोजन तथा प्रचार के माध्यम से स्पीड पोस्ट का बेहतर विपणन।

डाक का वितरण

2894. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितंबर, 1996 के "ट्रिब्यून" में "सार्टिंग देयर ओन मेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसमें क्या कार्यवाही की गई;

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें गत एक वर्ष में दिल्ली में डाक बिना वितरित किए हुए पाई गई; और

(ङ) डाक विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सितंबर 1996 में पटियाला हैड पोस्ट आफिस के चरण बाग में बीट संख्या 25 में डाक के अनियमित वितरण की एक घटना हुई थी। इस बीट का नियमित डाकिया चिकित्सा अवकाश पर चला गया और उसकी अनुपस्थिति में डाक वितरण के लिए तदर्थ प्रबंध किया गया।

चरण बाग के निवासियों ने डाक के वितरित न होने के संबंध में डाकिये से संपर्क किया और उसने हैड पोस्ट आफिस में डाक आगे वितरण के लिए, वितरण सहायक या सहायक पोस्टमास्टर (वितरण) के नोटिस में लाए बिना, निवासियों को ही सौंप दी।

(ग) पंजाब सर्किल के सी पी एम जी ने मामले की जांच कराई है। यह पाया कि पोस्टमैन स्टाफ के अनुपयुक्त प्रबंध तथा सहायक पोस्टमास्टर (वितरण) द्वारा अनकुशल पर्यवेक्षण के कारण यह घटना हुई।

अवकाश रिक्ति में स्थानापन्न व्यवस्था को पुनरीक्षित किया गया और इकट्ठी हुई डाक को 20 सितंबर, 1996 तक वितरित कर दिया गया। दोषी पाए गए दो डाक सहायकों और तीन डाकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गलती करने वाले चार कर्मचारियों को उनकी पोजीशन से शिफ्ट कर दिया गया है।

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली सर्किल द्वारा इकट्ठी हुई अवितरित डाक के तीन मामलों की सूचना दी गई।

(ङ) दोषी कर्मचारियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की गई :-

(1) करोल बाग डाकघर के पांच डाकियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई।

(2) एस आर टी नगर डाकघर के चार डाकियों और एक जनसंपर्क अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई।

(3) अशोक विहार डाकघर के एक अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और एक विभागीय पोस्टमेन को स्थानांतरित कर दिया गया है।

मुम्बई में कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता

2895. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में डाक विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार ने सभी कर्मचारियों को मुम्बई की दर पर आवास किराया भत्ता मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आवास किराया भत्ते की मांग डाक प्रशासन के पास लंबित पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं, डाक विभाग के कर्मचारी भी महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान ही मकान किराया भत्ता ले रहे हैं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी एक्सप्रेस

2896. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि नई दिल्ली और मुंबई के बीच एक सप्ताह में राजधानी एक्सप्रेस के 14 जोड़े हैं परन्तु कलकत्ता/हावड़ा और नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस के मात्र 8 जोड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि कलकत्ता और नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की अतिरिक्त मांग है और दोनों ओर छः दिनों के लिये एक दूसरी राजधानी एक्सप्रेस की मांग उचित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार एक सप्ताह में 6 दिन के लिए हावड़ा नई दिल्ली या सियालदाह नई दिल्ली के बीच एक राजधानी एक्सप्रेस आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). दिल्ली और मुंबई के बीच प्रति सप्ताह राजधानी सेवाओं की 12 जोड़ियां हैं।

(ग) इस मार्ग पर प्रतीक्षा सूची पर कुछ यात्री शेष रहते हैं जिनके लिए अतिरिक्त राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता साप्ताहिक से बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन किए जाने का प्रस्ताव है। यह नई दिल्ली-हावड़ा के यात्रियों को भी सेवित करेगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली तथा बरेली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाने संबंधी लम्बित योजना

2897. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा बरेली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने के संबंध में कोई योजना लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुस्तकों का प्रकाशन

2898. श्री मुख्तार अनीस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा 1995-96 के दौरान प्रकाशित की गयी पुस्तकों की संख्या क्या है;

(ख) हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में अलग-अलग पुस्तकों का शीर्षक क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में सामान्य आकार के संस्करण के साथ-साथ भाषा-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 1995-96 के दौरान प्रकाशन विभाग ने 122 पुस्तकें प्रकाशित की :-

हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	अन्य क्षेत्रीय भाषाएं
72	31	4	15

(ख) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग)	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू
पुस्तकों की संख्या	71	31	4
प्रत्येक संस्करण का औसत आकार	2000 प्रतियां	2600 प्रतियां	1100 प्रतियां

(औसत प्रिंट आदेश)

विवरण

प्रकाशन विभाग

वर्ष 1995-96 के दौरान प्रकाशित प्रकाशनों की सूची

हिन्दी

पुस्तक का शीर्षक

1. राजश्री पुरूषोत्तम दास टंडन (पुनः मुद्रण)
2. जे.एल. नेहरू के भाषण खण्ड-1 (पुनः मुद्रण)
3. भारतीय विज्ञापन में नैतिकता
4. बुद्ध गाथा
5. संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए
6. सुरों का साधक
7. दूरदर्शन : दशा और दिशा
8. भारत के समाचार पत्र 1994
9. चिड़ियों की दुनिया (पुनः मुद्रण)
10. ग्रामीण जीवन में विज्ञान (पुनः मुद्रण)
11. पौराणिक बाल कथाएं (पुनः मुद्रण)
12. राजकुमारी निहालदे (पुनः मुद्रण)
13. धरती का सपना (पुनः मुद्रण)
14. दस्त रोग (पुनः मुद्रण)
15. कलागुरू आनन्द कुमार स्वामी (पुनः मुद्रण)
16. दक्षिण भारत के मंदिर (पुनः मुद्रण)
17. सुनहरा कछुआ (पुनः मुद्रण)
18. हिन्दी और उसकी उपभाषाएं
19. भारतीय संस्कृति की झांकी (पुनः मुद्रण)
20. प्रेमचन्द्र की विचार यात्रा
21. सी.के नायडू
22. डा. राजेन्द्र प्रसाद सचित्र जीवनी (पुनः मुद्रण)
23. लघु उद्योग विकास के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं

24. जी.वी. मावलंकर (बी.एम.आई.)
25. मणिपुर की लोक कथाएं (पुनः मुद्रण)
26. केशव वी. सेन (बी.एम.आई.)
27. सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद (पुनः मुद्रण)
28. कस्तूरबा गांधी (पुनः मुद्रण)
29. भोजपुरी लोक कथाएं (पुनः मुद्रण)
30. भारत की मस्जिद (पुनः मुद्रण)
31. अपनी हिन्दी सुधारें (पुनः मुद्रण)
32. उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं (पुनः मुद्रण)
33. योगा सचित्र
34. सरोजिनी नायडू (पुनः मुद्रण)
35. संत गाडगे बाबा (पुनः मुद्रण)
36. रवीन्द्र नाथ ठाकुर की बाल कहानियां (पुनः मुद्रण)
37. मदन मोहन मालवीय (पुनः मुद्रण) बी.एम.आई.
38. हमारे बहादुर बच्चे (पुनः मुद्रण)
39. रोचक ऐतिहासिक कहानियां भाग-2 (पुनः मुद्रण)
40. प्राचीन भारत
41. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर (पुनः मुद्रण) बी.एम.आई.
42. मन जिसका मजबूत खण्ड-2
43. करतबी जानवर (पुनः मुद्रण)
44. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (पुनः मुद्रण)
45. बज्जिका की लोक कथाएं (पुनः मुद्रण)
46. बुंदेल खण्ड की लोक कथाएं (पुनः मुद्रण)
47. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 21
48. कलेक्टैड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 23 (पुनर्मुद्रण)
49. कोटेबल कोट्स -विनोबा भावे
50. कोटेबल कोट्स -सुब्रमण्यम भारती
51. कोटेबल कोट्स -जयशंकर प्रसाद
52. सी.डब्ल्यू.एम. जी. खंड 20 (पुनर्मुद्रण)
53. सी.डब्ल्यू.एम. जी. खंड 25 (पुनर्मुद्रण)
54. अवध की बेगम
55. बेताल कथायें (पुनर्मुद्रण)
56. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 24 (हिन्दी) पुनर्मद्रण
57. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 10 (पुनर्मुद्रण)
58. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 4 (पुनर्मुद्रण)
59. आजकल अनुग्रमणिका
60. प्रेमचन्द -कोटेबल कोट्स
61. लौह पुरूष सरदार पटेल (पुनर्मुद्रण)
62. बोध कथायें (पुनर्मुद्रण)
63. कुमाऊं की लोक कथाएं (पुनर्मुद्रण)
64. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 8 (पुनर्मुद्रण)
65. रिपोर्ट फॉर वोट ऑन एकाउंट 1996-97 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी.
66. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 7 (पुनर्मुद्रण)
67. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 5 (पुनर्मुद्रण)
68. डॉ. जाकिर हुसैन (बी एम आई)
69. भीमराव अम्बेडकर (बी एम आई) (पुनर्मुद्रण)
70. भारत 1995
71. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 6 (पुनर्मुद्रण)
72. सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 22 (पुनर्मुद्रण)

अंग्रेजी

पुस्तक का शीर्षक

1. पी.वी. नरसिंह राव : सेलेक्टेड स्पीचेज खंड III
2. फारगोटन मानुमेंट्स ऑफ उड़ीसा -खंड I
3. एनसिएंट इंडिया
4. गांधी : दि मैन एंड हिज थॉट (पुनर्मुद्रण)
5. नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया
6. इंडिया -1994
7. एम.ए. अंसारी (बी एम आई)
8. आंध्र केसरी टी. प्रकाशम (बीएमआई)
9. टुवार्ड्स फूड फार आल-आइडियाज फार ए न्यू पीडीएस
10. क्वेश्चनेयर ऑन मीडिया पालिसी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी
11. रिप्रिंटिंग ऑफ दि बुक "1857"
12. रिप्रिंटिंग ऑफ सी.डब्ल्यू.एम.जी. खंड 44
13. गांधी -ए पिक्चोरियल बायोग्राफी (रिप्रिंट)
14. सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 13 (रिप्रिंट)
15. सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-LXXXIV
16. गांधी -आर्डेण्ड इन साउथ अफ्रीका
17. एनसिएंट इंडिया (रिप्रिंट)
18. चैलेंज टु दि एमायर - ए स्टडी ऑफ नेताजी (रिप्रिंट)
19. सरदार पटेल मेमोरियल लैक्चर्स 1993-94

20. फोक टेल्स ऑफ केरल
21. सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 12 (रिप्रिंट)
22. मास मीडिया इन इंडिया 1994-95
23. दि इयर्स ऑफ एंडेवोर : सलेक्टेड स्पीचेज ऑफ इंदिरा गांधी (रिप्रिंट)
24. इंडियन ट्राइब्स थ्रू दि एजेस (रिप्रिंट)
25. पी.वी. नरसिंह राव्स सलेक्टेड स्पीचेज-वाल्यूम 4
26. एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल (रिप्रिंट)
27. इंडिया -1995
29. रिपोर्ट फॉर वोट ऑन एकाउंट 1996-97 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी
30. यूनाइटेड नेशंस इन दि सर्विस ऑफ कॉमन मैन
31. सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 13 (रिप्रिंट)

उर्दू

पुस्तक का शीर्षक

1. अबुल कलाम आजाद (बीएमआई)
2. हमारी तहजीबी विरासत
3. हिन्दुस्तानी तहजीब के मुसलमान पर असर
4. आईनी-ए-गालिब

पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थानांतरित करना

2899. श्री नारायण अठावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को मुंबई से अहमदाबाद परिवर्तित किए जाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भुवनेश्वर, इलाहाबाद, हाजीपुर, जयपुर, बंगलोर तथा जबलपुर में छः नए क्षेत्रीय कार्यालय और स्थापित करने और अहमदाबाद में मंडल कार्यालय सहित आठ नए मंडल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

इंदौर रेलवे स्टेशन का विकास

2900. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर रेलवे स्टेशन में उपलब्ध अपर्याप्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके विकास का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंदौर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी हां। इंदौर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 107.00 लाख रु. की लागत से यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने संबंधी कार्य पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं जिनमें लाइन सं. 4 पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था, अतिरिक्त ब.ला. के प्लेटफार्म की व्यवस्था, प्लेटफार्म सं. 4 के सायबान को विस्तारित करना तथा अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करना शामिल है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2901. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) से मुदखेड़ (महाराष्ट्र) के बीच की छझेटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) उपरोक्त बड़ी लाइन पर उत्तर से दक्षिण तक रेल सेवा कब तक शुरू हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 31.3.1998 तक।

(ग), इस खंड पर आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो जाने के बाद ब.ला. गाड़ी सेवाओं को चलाने की योजना बनाई जाएगी।

संयुक्त उद्यम योजना

2902. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.एच.टी. (सीधे घर को) सेवा आरंभ किए जाने हेतु मलेशिया की मिसार ब्राडकास्ट सिस्टम और दूरदर्शन

की संयुक्त उद्यम की कोई कम्पनी स्थापित करने पर पुनर्विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयुक्त उद्यम की कंपनी का भविष्य क्या होगा;

(ग) दूरदर्शन को इस उद्यम से क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस उद्यम की वित्तीय और प्रचालनात्मक दिक्कतें क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). इस प्रयोजनार्थ दूरदर्शन तथा मिसायटें प्रसारण नेटवर्क प्रणाली, मलेशिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 3 अगस्त, 1996 को समाप्त हो गया है। उक्त परियोजना के लिए तकनीकी पैरामीटरों, प्रचालन तथा वित्तीय विवक्षाओं को अभी तैयार नहीं किया गया है।

चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि

2903. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). बिना गेट मैन वाले समपारों पर 1993-94 से हुई दुर्घटनाएं निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1993-94	54
1994-95	54
1995-96	52

राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क के बारे में बैठक

2904. श्री संदीपान थोरात : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के दूरदर्शन निदेशकों और स्टेशन इंजीनियरों की राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क के बारे में हाल में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा की गई कार्यसूची का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उपरोक्त बैठक में महाराष्ट्र में दूरदर्शन नेटवर्क से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) नवम्बर, 96 में नई दिल्ली में दूरदर्शन के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें हार्डवेयर/साफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न विषयों तथा दूरदर्शन के अन्य पहलुओं और केन्द्रों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था। किन्तु इस बैठक में राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क की स्थापना संबंधी विषय पर चर्चा नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां इस बैठक में महाराष्ट्र में दूरदर्शन नेटवर्क से संबंधित किसी समस्या पर विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रिफ्रेक्टरी यूनिटों का अंतरण

2905. श्री तरित वरण तोपदार : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की रिफ्रेक्टरी यूनिटों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण को अंतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). फिलहाल बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की रिफ्रैक्ट्री इकाइयों का "सेल" को हस्तांतरण किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

2906. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इन एक्सचेंजों की कुल स्थापित क्षमता कितनी है और ये व्यक्ति कब से टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्तमान एक्सचेंजों की स्थापित क्षमता बढ़ाने और नए एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में कलकत्ता सहित 31.10.96 तक की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या तथा संस्थापित कुल क्षमता निम्नानुसार है :—

ओ वाई टी	विशेष	सामान्य	कुल
1339	2454	171978	175771

कुल संस्थापित क्षमता 777917 लाइनें हैं।

कलकत्ता टेलीफोन्स में टेलीफोन कनेक्शन के लिए सबसे पुराना आवेदक 28.2.93 से और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में 1.6.88 से प्रतीक्षा में है।

(ख) और (ग). जी, हां। पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल तथा कलकत्ता टेलीफोन्स का प्रस्ताव 1996-97 के दौरान मौजूदा संस्थापित एक्सचेंज की 135300 लाइनें और बढ़ाना है। 1996-97 के दौरान पश्चिम बंगाल सर्किल में 64 नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की और कलकत्ता टेलीफोन्स में 37 नए एक्सचेंजों की संस्थापना करने का प्रस्ताव है।

(घ) मौजूदा प्रतीक्षा सूची का मार्च, 1998 तक निपटान किए जाने की संभावना है।

टेलीफोन अदालतें

2907. श्री एन.जे. राठवा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात विशेषकर बड़ोदरा, भरूच तथा पंचमहल जनपदों में लगायी गयी टेलीफोन अदालतों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों में निपटाये गये मामलों की वर्षवार तथा जिलावार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भी ऐसी अदालतें आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों तथा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

जिला/सर्किल का नाम	आयोजित अदालतों की संख्या			निपटाए गए मामलों की संख्या		
	93-94	94-95	95-96	93-94	94-95	95-96
1. भरूच	-	-	-	-	-	-
2. पंचमहल	-	-	-	-	-	-
3. बड़ोदरा	2	4	4	42	65	21
4. गुजरात सर्किल	21	20	20	385	507	386

(ग) जी, हां।

(घ) दूरसंचार के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रत्येक दूरसंचार जिला/सर्किल द्वारा प्रत्येक तिमाही में टेलीफोन अदालतें आयोजित की जानी है।

(ङ) लागू नहीं होता।

रेल मार्ग का विद्युतीकरण

2908. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों के कितने भाग में कब तक विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत काम किया गया है;

(ख) सरकार की इस संबंध में वर्ष 2000 तक क्या योजनाएं हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में इन उद्देश्यों के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है तथा उत्तरवर्ती वर्षों में कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेलों पर 31.10.96 तक 13035 रूट किलोमीटर रेलपथ का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) वर्ष 2000 तक लगभग 2200 रूट किलोमीटर के विद्युतीकृत किए जाने की योजना है, बशर्ते कि पर्याप्त निधि समय पर उपलब्ध हो।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान 330.70 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं तथा 9वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1997-98 से 2001-2002 के लिए 1800 करोड़ रुपयों की अलग से व्यवस्था की गई है।

शोलापुर से बंगलौर तक नई रेलगाड़ी चलाया जाना

2909. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर से बंगलौर तक नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगियों के कारण।

हावड़ा और रामागुण्डम के बीच सीधी रेल सेवा

2910. श्री ए. सम्पथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रामागुण्डम आंध्र प्रदेश के लोगों की हावड़ा और रामागुण्डम के बीच सीधी रेल सेवा की मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू किए जाने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). इस संबंध में कुछ अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं।

(घ) इस समय हावड़ा और रामगुण्डम के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में रेल मार्ग का विद्युतीकरण

2911. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अब तक कितनी लम्बी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) तमिलनाडु में अभी कितनी लम्बी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाना शेष है तथा वर्ष 1996-97 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) शेष रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). तमिलनाडु में कुल 4005 मार्ग कि.मी. की रेल लाइन में से 31.3.1996 तक 832 मार्ग कि.मी. विद्युतीकृत हो गया है। तमिलनाडु राज्य में विद्युतीकरण का कोई कार्य लंबित नहीं है।

भोपाल में हवाई अड्डा भवन

2912. श्री सुशील चन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल हवाई अड्डा भवन का नवीकरण और विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितना प्रावधान किया गया है, अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और वर्ष 1996-97 के दौरान कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) अब तक कौन से निर्माण कार्य आरंभ किये गये हैं और ये निर्माण कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे;

(घ) भोपाल हवाई अड्डे की हवाई पट्टी की लम्बाई कितनी है;

(ङ) क्या किसी एयरबस के उतरने के लिए वर्तमान लम्बाई पर्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। भोपल में टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन 448 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है जिसमें से 138.71 लाख रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। 1996-97 के लिए निर्धारित राशि 150 लाख रुपए है।

(ग) वर्तमान भवन का सभी आधुनिक सुविधाओं सहित 975 वर्गमीटर के सार्वजनिक क्षेत्र तथा 290 वर्गमीटर के वातानुकूलित प्रस्थान होल्ड क्षेत्र प्रदान करने के लिए विस्तार किया जा रहा है ताकि 125 आने वाले तथा 125 जाने वाले यात्रियों को हैंडल किया जा सके। कार्य के दिसम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) से (च). भोपाल हवाई अड्डे में धावनपथ की लम्बाई 6700 फुट है और यह लोड पेनल्टी के साथ एयरबस एबी-320 के प्रचालन के लिए उपयुक्त है।

[हिन्दी]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

2913. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान स्थित कोटा-नीमच और कोटा-बीना खंडों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) राजस्थान में कोटा-नीमच और कोटा-बीना खंडों के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युतीकरण परियोजनाएं गहन पूंजी वाली परियोजनाएं हैं और केवल बड़ी लाइन मार्गों, जिन पर यातायात का उच्च घनत्व है और जिनसे निवेश का प्रतिफल न्यूनतम निर्धारण से कम नहीं है, के विद्युतीकरण पर विचार किया जाता है। फिलहाल कोटा-नीमच और कोटा-बीना खण्ड विद्युतीकरण के योग्य नहीं है।

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

2914. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रबंध एवं उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त योजना का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां। कर्मचारियों को उच्च उत्पादन/उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता और उन्नत तकनीकी-आर्थिक घटकों के प्रति प्रेरित करने के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं तैयार की गई और उन्हें कार्यान्वित किया गया।

(ख) **प्रोत्साहन योजना :**

यह योजना विभिन्न संस्थापित इकाइयों द्वारा निष्पादन तालिका (पी आई) में प्रदर्शित निष्पादन और गुणवत्ता/तकनीकी आर्थिक घटकों पर आधारित है। इस योजना के तहत सभी गैर-कार्यपालक और ई-5 ग्रेड तक के सभी कार्यकारी आते हैं। कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक महीने के दौरान उसकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाता है। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को न्यूनतम और अधिकतम स्तर पर अधिकतम भुगतान लगभग 430 रुपए से लेकर 1280 रुपए तक प्रति माह किया जाता है जो उनके निष्पादन पर निर्भर करता है।

पुरस्कार योजना :

यह पुरस्कार योजना पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को माह-दर माह प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अभिप्रेरणा देने वाली है। यह योजना मुख्य उत्पादन इकाइयों के लिए विनिर्दिष्ट पांच स्तरों पर पूर्व निर्धारित मासिक उत्पादन लक्ष्यों (प्रत्येक महीने निर्धारित) की प्राप्ति और इसके साथ-साथ गुणवत्ता/तकनीकी-आर्थिक निष्पादन पर भी आधारित है। इस योजना के तहत लक्ष्यों का निर्धारण वार्षिक उत्पादन योजना (ए पी पी) के अनुरूप किया जाता है। यह योजना उत्पादन और गुणवत्ता/तकनीकी-आर्थिक पर आधारित है और ई-5 स्तर तक के सभी गैर-कार्यपालकों और कार्यपालकों के लिए लागू है। पुरस्कार योजना के अन्तर्गत गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को न्यूनतम और अधिकतम स्तर पर अधिकतम भुगतान लगभग 250 रुपए से लेकर 600 रुपए तक किया जाता है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नागर विमानन नेटवर्क का विकास

2915. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में नागर विमानन नेटवर्क के विकास संबंधी प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). बिहार में नागर विमानन नेटवर्क के विकास के लिए नियत राशि 5107 लाख रुपए है। विकास की मुख्य योजनाओं में पटना हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण तथा धावनपथ पर पुनः सतहलेपन, रांची हवाई अड्डे के धापवनपथ पर पुनः सतहलेपन, गया हवाई अड्डे का विकास तथा स्तरोन्नयन और वैमानिकी तथा संचार उपस्करों का स्तरोन्नयन शामिल है।

पश्चिम बंगाल में नागर विमानन के विकास के लिए नियत राशि 5853 लाख रुपए है। विकास की मुख्य योजनाओं में कलकत्ता हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार, बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल कॉम्पलैक्स का विकास तथा वैमानिकी और संचार उपस्करों का स्तरोन्नयन शामिल हैं।

असम में नागर विमानन के विकास के लिए परिव्यय 14297 लाख रुपए है। विकास के लिए मुख्य योजनाओं में गुवाहाटी हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का परिवर्धन तथा धावनपथ का विस्तार, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का परिवर्धन तथा धावनपथ का सुदृढ़ीकरण, तेजपुर हवाई अड्डे पर सिविल हवाई टर्मिनल कॉम्पलैक्स का निर्माण, लीलाबाडी हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण तथा धावनपथ पेवमेंटों का विस्तार, सिल्चर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार तथा वैमानिकी संचार उपस्करों के विकास का उन्नयन शामिल है।

त्रिपुरा में नागर विमानन के विकास के लिए नियत राशि 3944 लाख रुपए है तथा मुख्य योजनाएं अगरतला में धावनपथ के सुदृढ़ीकरण और विकास तथा टर्मिनल भवन के विस्तार तथा वैमानिकी और संचार उप रों के आधुनिकीकरण के लिए हैं।

[अनुवाद]

देश में टेलीफोन एक्सचेंज

2916. श्री रामशकल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में राज्यवार कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी विकास खंडों को एक्सचेंजों के साथ जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो सोनभद्र जिले के सभी विकास खंड़ों में एक्सचेंज ान न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कितने समय में सभी विकास खंडों को एक्सचेंज से जोड़ने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 21328 है। इसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 15 (पन्द्रह)

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). पंजीकृत मांग के अनुसार उत्तरोत्तर रूप से एक्सचेंज प्रदान किये जा रहे हैं।

विवरण

30.9.96 की स्थिति के अनुसार, देश में टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार कुल संख्या

1.	आंध्र प्रदेश	2066
2.	असम	287
3.	बिहार	790
4.	दिल्ली	127
5.	गुजरात	1397
6.	हरियाणा	750
7.	हिमाचल प्रदेश	549
8.	जम्मू और कश्मीर	223
9.	कर्नाटक	2037
10.	केरल	768
11.	मध्य प्रदेश	2664
12.	महाराष्ट्र (मुम्बई और गोवा सम्मिलित)	2609
13.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर सम्मिलित है)	232
14.	उड़ीसा	713
15.	पंजाब	856
16.	राजस्थान	1453
17.	तमिलनाडु (चेन्नई समेत)	1414
8.	उत्तर प्रदेश	1734
19.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता, सिक्किम और अंडमान-निकोबार सम्मिलित है)	659
	कुल	21328

मजदूरी में वृद्धि

2917. श्री सौम्य रंजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के मानदेय/मजदूरी में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों और परिलब्धियों तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं की जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति चरनजीत तलवार की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है। अतिरिक्त विभागीय डाक प्रवाली पर न्यायमूर्ति तलवार समिति का कार्यकाल दिनांक 1.10.96 से 15.2.97 तक अथवा पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि तक, इनमें जो बाद में पड़े, के लिए बढ़ा दिया गया है।

खानपान/बिक्री ठेके

2918. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित ठेका अवधि से पूर्व ठेकेदार की मृत्यु के पश्चात् उसके वैध उत्तराधिकारी को खानपान बिक्री ठेके के हस्तांतरण/पुनर्-वीकरण के संबंध में सरकारी नीति क्या है; और

(ख) डिवीजन-वार प्रत्येक रेलवे में मृतक ठेकेदार के वैध उत्तराधिकारी द्वारा चलाए जा रहे खानपान/बिक्री का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नीति के अनुसार खान-पान/वैंडिंग यूनिट के लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर ठेकों की शेष अवधि के लिए लाइसेंसे उसके वैध उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरित कर दिया जाता है। साथ ही ठेके के नवीकरण की अनुमति आवेदक के संतोषप्रद कार्य निष्पादन पर निर्भर करती है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

2919. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अब तक किन-किन रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ख) राज्य में उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जिनका निकट भविष्य में विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) असम राज्य में अभी तक कोई रेल मार्ग विद्युतीकृत नहीं किया गया है।

(ख) असम राज्य में पड़ने वाले किसी रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सुविधाएं

2920. श्री अनिल कुमार यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को पिछले एक दशक से वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो कि देश के अन्य भागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को उपलब्ध है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की सुविधा प्रदान किए जाने का मामला अभी भी लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के विभिन्न हिस्सों में इसी श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवा शर्तें और सुविधाएं इन्हें भी उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। वास्तव में एमटीएनएल के कर्मचारी कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यह मामला केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नई दिल्ली स्थित मुख्य पीठ में विचाराधीन है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए आगे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली में रिंग रेल सेवा

2921. श्री छत्रपाल सिंह :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण में सुधार लाने और सड़कों पर भीड़-भाड को कम करने की दृष्टि से दिल्ली में रिंग रेल सेवा को और अधिक व्यवस्थित तथा सक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली में रिंग रेल सेवा के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(घ) दिल्ली में रिंग रेल सेवा से आज तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा रिंग रेल सेवा के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). पूर्व में शाहदरा और दक्षिण में तुगलकाबाद से यातायात

की भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से 1970 में रिंग रेल आरंभ की गई थी और इसे एशियाड से पहले पूरा कर कर लिया गया था। माल यातायात की लाइनों को बचाने के रूप में मूलतः इन लाइनों का नियोजन किया गया था तथा यात्रियों को ले जाने के लिए इनका नियोजन नहीं किया गया था। इस समय सुबह और सायं के यातायात के व्यस्त समय के दौरान रिंग रेल घड़ी की सुई की दिशा 7 गाडियां और घडी की सुई की वितरीत दिशा 4 गाड़ियों का परिचालन करती है। इन लाइनों पर मालगाड़ियों की संख्या इतनी अधिक है कि इस मार्ग पर अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) दिल्ली में रिंग रेल सेवा को गत 3 वर्षों के दौरान कोई भी राशि आबंटित नहीं की गई है।

(घ) दिल्ली में रिंग रेल सेवा द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	यात्रियों की संख्या
1994-95	14,27,000
1995-96	14,98,000
1996-97 (अक्तूबर 96)	8,47,000

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना बोर्ड की 24.9.96 को हुई बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना बोर्ड के सहयोग से दिल्ली में रिंग रेल के साथ अतिरिक्त रेलपथ बिछाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रा.रा.क्षे. दिल्ली, सरकार द्वारा किया जाए। संशोधित कार्य आबंटन नियम-1986 के अंतर्गत शहरी यातायात परियोजनाओं पर आधारित इस प्रकार की रेल के लिए प्रस्ताव पर अब शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिखा पढ़ी की जाएगी।

[अनुवाद]

दुर्गापुर में रिले केन्द्र

2922. श्री सुनील खान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किया जायेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

टी.वी. ट्रांसमीटर	आकाशवाणी केन्द्र
राज्य	**मौजूदा**
पश्चिम बंगाल	**कार्यक्रम निर्माण केन्द्र**
	कलकत्ता	कलकत्ता
	शांति निकेतन (अंतरिम)	कूर्सियांग
		सिलीगुड़ी
		मुर्शिदाबाद
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	
	आसनसोल	
	कलकत्ता	
	कलकत्ता (डीडी II)	
	कलकत्ता (डीडी III)	
	कूर्सियांग	
	मुर्शिदाबाद	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
	अलीपुरद्वार	
	बालूरघाट	
	बर्धमान	
	कोन्टाई	
	दार्जीलिंग	
	झारग्राम	
	कलिम्पोंग	
	कालना	
	खडगपुर	
	कृष्णानगर	
	माल्दाह	
	मेदिनीपुर	
	पुरूलिया	
	राणाघाट	
	शांति निकेतन	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
	एगरा	
	झालदा	

आमान परिवर्तन

2923. श्री विजय पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलोल-काटोशन-रानुज रेल लाइन को मीटर गेज से ब्राड ग्रेज में बदलने के लिए अलग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल प्राधिकारियों ने नियमित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस खंड को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, इस खंड में मीटर लाइन सेवायें चलाए रखी जाएंगी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी, नई दिल्ली के अधिकारी

2924. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, नई दिल्ली के अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए क्या मापदंड निर्धारित है;

(ख) एक ही स्टेशन पर 15-20 वर्षों से काम करने वाले अधिकारियों की स्टेशनवार संख्या कितनी है;

(ग) उनके एक ही स्टेशन पर लंबे समय तक काम करते रहने के क्या कारण हैं;

(घ) स्टेशन-वार कितने अधिकारियों को अल्पावधि में ही स्थानान्तरित किया गया;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ज). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सवारी रेलगाड़ी का शुरू किया जाना

2925. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसनसोल से सुरी, बोलपुर, अजीमगंज, साहिबगंज और उत्तर पश्चिम राज्यों तक सवारी रेलगाड़ी के शुरू किए जाने की मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस तरह की सेवाओं को शुरू करने में किन-किन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). श्री हाराधन राय, सांसद सहित कुछ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ). आसनसोल, पश्चिमोत्तर राज्यों जैसे राजस्थान और पंजाब से सीधी सेवाओं से जुडा हुआ है। आसनसोल से एक नई गाड़ी शुरू किए जाने की जांच की गयी थी, लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगियों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

ग्रामीण लोगों के लिए डाकघर

2926. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अनेक गावों में डाक सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है, ऐसे गांवों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन गांवों में डाक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गुजरात में बसे हुए कुल 18028 गांवों में से 9949 गांवों में डाकघर नहीं है।

(ख) जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंडों के आधार पर औचित्य बनता हो और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार गुजरात में डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों के संबंध में जिलावार जानकारी

क्र.सं.	जिले का नाम	बसे हुए गांवों की संख्या	डाकघर वाले गांवों की संख्या	बिना डाकघर घर वाले गांवों की संख्या
1.	अहमदाबाद	665	421	244
2.	गांधीनगर	73	59	14
3.	महेसाणा	1145	296	849
4.	बनासकांठा	1368	434	934
5.	साबरकांठा	1363	796	567
6.	भरूच	1065	477	588
7.	डांग	309	56	253
8.	खेड़ा	960	568	392
9.	पंचमहल	1885	510	1375
10.	सूरत	1196	553	643
11.	वडोदरा	1648	609	1039
12.	वलसाड	824	530	294
13.	अमरेली	584	305	279
14.	भावनगर	865	425	440
15.	जामनगर	707	342	365
16.	जूनागढ	1050	472	578
17.	कच्छ भुज	865	471	394
18.	राजकोट	808	446	362
19.	सुरेंद्र नगर	648	309	339
	कुल	18028	8079	9949

[अनुवाद]

आवासों का आबंटन

2927. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सम्पदा कार्यालय में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है जैसा कि रेलवे में कर्मचारियों को आवास तुच्छ आधार पर बिना पारी के आबंटित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने जो रेलवे बोर्ड में कार्यरत हैं, दिल्ली में अपने आवास अभी तक खाली नहीं किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में 1995 और 1996 के दौरान बिना पारी के कितने क्वार्टर आबंटित किए गए; और

(ङ) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) असुविधा से बचने के लिए उत्तर रेल से रेलवे बोर्ड को तथा इसके विपरीत स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों को अपना आवास आपसी अदला-बदली/पूल समायोजन के आधार पर रखने की अनुमति दी जा रही है। संपदा निदेशालय, शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय, जो कि ऐसे प्रयोजनों के लिए नोडल मंत्रालय है, के द्वारा भी एक ही स्टेशन पर केन्द्रीय आवासों को रेलवे बोर्ड/उत्तर रेलवे के आवासों से आपसी अदला बदली/ पूल समायोजन के आधार पर रखने की अनुमति दी जा रही है।

(घ) पिछले दो सालों में राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों को आबंटित आवासों की संख्या निम्नलिखित है :-

	1995	1996
अधिकारी	6	2
कर्मचारी	36	5
कुल	42	7

(ङ) रेलवे बोर्ड और उत्तर रेल द्वारा पुल संतुलन आवधिक रूप से किया जाता है। इस समय रेलवे बोर्ड की तरफ से 12 आवास अधिक हैं। इसको संतुलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड पूल में अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है।

बिना बारी के आधार पर आबंटित किए गए आवासों की संख्या पहले से ही बहुत कम है तथा केवल आपवादिक मामलों में ही दिए जाते हैं।

रेल कर्मचारियों को सुविधाएं

2928. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारी वही वेतनमान और अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं जो केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेल कर्मचारी एक वर्ष में भारत में कहीं भी और कई बार यात्रा करने के लिए रेलवे पास के हकदार हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त अन्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएं बंद कर दी गई हैं किन्तु निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए कम ही सही, यह सुविधा अभी भी जारी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त सभी कर्मचारियों को रियायती रेल यात्रा के, जिसके वे सेवाकाल के दौरान हकदार थे, इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). उत्तरवर्ती वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार द्वारा यथा स्वीकृत वेतनमान रेल कर्मचारियों को दिया जाता है। रेल कर्मचारियों को अनुमेय भत्ते भी नोडल मंत्रालयों यथा वित्त मंत्रालय और कार्मिक, जन-शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों पर आधारित होते हैं।

(ग) विश्व की रेल प्रणाली में विद्यमान परम्परानुसार भारतीय रेल पर कार्यरत कर्मचारी सुविधा पासों के पात्र हैं। इस समय वे निम्नलिखित के लिए पात्र हैं :-

श्रेणी	सुविधा पासों की संख्या	सुविधा टिकट आदेशों की संख्या
समूह "क" और "ख"	6 सेट प्रतिवर्ष	4 सेट प्रतिवर्ष
समूह "ग" और "घ"	(क) 5 वर्ष तक की रेल सेवा तक 11 सेट प्रतिवर्ष	वही
	(ख) 5 वर्ष की रेल सेवा के बाद 3 सेट प्रतिवर्ष	वही

(घ) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी रेलवे में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति के मानार्थ पासों के हकदार हैं।

(ङ) और (च). जहां तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का संबंध है, केवल सेवारत कार्मिकों को विशिष्ट वेतनमानों पर छुट्टी के दौरान ही रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध है। सेवा के दौरान कर्मचारी पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए अपने गृहनगर जा सकें, इसलिए यह सुविधा दी गई है। देश के अन्य क्षेत्रों को देखने तथा भ्रमण पर जाने हेतु सेवारत कर्मचारियों को अन्य स्थानों के भ्रमण के लिए भी कम दरों पर यात्रा सुविधा दी जाती है ताकि यह उनके जनसेवक के रूप में कर्त्तव्यों का निर्वाह करने तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो सकें। पेंशन भोगियों के मामले में यह विचार नहीं रखा जाता है तथा रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा मुहैया कराने के संबंध में उन्हें सेवारत कर्मचारियों के समकक्ष नहीं माना जा सकता है।

इस्पात संयंत्र में औद्योगिक विकास में कमी

2929. श्री रामसागर : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1996 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेल सिट्स ओवर मिलियन टन इन्वेंटरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इस्पात संयंत्र प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस्पात की मांग अनेक घटकों जैसे उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध निधि, साख की लागत, घरेलू स्रोतों और साथ ही साथ आयात से प्रतिस्पर्धा समग्र औद्योगिक विकास इत्यादि पर निर्भर करती है। इन घटकों का इकाई दर इकाई पर पड़ने वाला औसत प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है।

सी एस ओ द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम सूचकांक के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 1996-97 में औद्योगिक उत्पादन समग्र क्षेत्रीय विकास पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.3 प्रतिशत की तुलना में 9.3 प्रतिशत था। औद्योगिक विकास में मन्दी कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से अपरिष्कृत पैट्रोलियम, उवर्रक और विद्युत सृजन तक सीमित है। निम्न निष्पादन वाले क्षेत्रों की बाधाएं दूर करने के लिए विशिष्ट नीतियां शुरू की गई हैं। कम ब्याज दर सहित पर्याप्त साख हाल ही में घोषित व्यस्त मौसम क्रैडिट नीति विकास को और अधिक प्रेरित करेगी।

[हिन्दी]

इस्पात उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका द्वारा निवेश

2930. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार से इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निवेश की शर्तों तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) इस्पात मंत्रालय ने इस्पात के उत्पादन में निवेश करने के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सहायक प्रबन्धक से उप-प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति

2931. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स सहायक प्रबन्धक से उपप्रबन्धक अर्थात् 10/12 ग्रेड से 13/14 ग्रेड में पदोन्नति के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 6 वर्ष की अवधि है और आरक्षित श्रेणी के लिए 5 वर्ष है तथा दोनों श्रेणियों के लिए इस अवधि को घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी एक वर्ष की छूट के लिए जोर दे रहे हैं जैसा कि उन्हें पहले दी गई थी और इस मामले को सुलझाने के लिए आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन के साथ कई बैठकें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि अधिकारियों के सभी वर्गों के संबंध में एक रूप से अर्हक अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया है, इसलिए आगे कोई और छूट देना अनिवार्य नहीं समझा गया।

पंथल-उधमपुर में मैग्नेसाइट का भंडार

2932. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के पंथल-उधमपुर क्षेत्र में मैग्नेसाइट खनिज के विशाल भंडार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस खनिज पदार्थ के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त कार्य हैदराबाद की किसी कम्पनी को सौंपा गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य के संबंध में उक्त कम्पनी को शर्तें क्या हैं;

(च) क्या उक्त कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इस खनिज सम्पदा के दोहन हेतु नए सिरे से प्रयास शुरू किए गए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (झ). सूचना एकत्र की जा रही है और इस सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रेलवे स्टेशन की मांग

2933. श्री रूप चन्द पाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्व रेलवे के हावड़ा मण्डल में वैद्यावाती और भद्रेश्वर के बीच खुशी गाची पर काफी लम्बे समय से एक रेलवे स्टेशन की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). वैद्यावती और भद्रेश्वर स्टेशनों के बीच खुरीगाछी में यात्री हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक, इंजीनियरिंग और वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। इसके अलावा प्रस्ताव उस क्षेत्र के लोगों की दैनिक यात्रा के लिए परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध होने के कारण यात्री सुविधा के आधार पर भी औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

पर्यटन विकास के लिए अधिक धन की मांग

2934. श्री मुरलीधर जेना : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ विशेष पर्यटन स्थलों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से अधिक धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना-वार कितनी राशि जारी की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री एवं पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) प्रत्येक वर्ष, पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श करके परियोजनाओं को, केन्द्रीय सहायता के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं को, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता के आधार पर

अभिनिर्धारित किया जाता है। पर्यटन विभाग ने उड़ीसा को वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 250 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 8 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है।

(ख) और (ग). अनुमोदित परियोजना और गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा को प्रदान की गई राशि के ब्यौरे विवरण संलग्न में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत की गई राशि	प्रदान की गई राशि (रु. लाखों में)	अवस्थिति/पूरा होने की संभावित तारीख
	उड़ीसा			
1.	हीराकुण्ड में पर्यटक परिसर	40.39	14.62	कार्य अभी आरंभ होना है।
2.	रायगढ़ में पर्यटक कुटीर	25.20	1.00	वही
3.	नरसिंहनाथ में पर्यटक परिसर	41.23	1.00	वही
4.	कोरापुट में पर्यटक परिसर	42.43	7.00	वही
5.	पुरी में समुद्र तट का प्रदीप्तिकरण	5.46	3.00	वही
6.	समुद्र तट उत्सव, 1994	10.00	8.00	वही
7.	राजासेरी उत्सव, 1995	1.60	1.00	वही
	जोड़	166.31	35.62	

वर्ष 1995-96 हेतु स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत की गई राशि	प्रदान की गई राशि (रु. लाखों में)	अवस्थिति
	उड़ीसा			
1.	धौली में सुख सुविधा केन्द्र	20.26	10.00	
2.	बदरामा में पर्यटक कुटीर	36.41	18.00	
3.	बडखल में तैरने वाला रेस्तरां	42.89	21.00	
4.	पुरी, उड़ीसा में समुद्र तट साफ करने वाले उपकरण	9.30	5.00	
	जोड़	108.86	54.00	

आमान परिवर्तन

2935. श्री के. कंडासामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सलेम से रांचीपुरम होकर कश्मीर तक की रेलवे लाइन को तथा नमफल छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की शुरूआत कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सेलम से कश्मीर तक आमान परिवर्तन की कोई परियोजना नहीं है। बहरहाल, सेलम और जम्मू को जोड़ने वाली बड़ी लाइन का मार्ग पहले ही उपलब्ध है।

एम.टी.एन.एल. दिल्ली द्वारा वाहनों का परित्याग

2936. श्री जी.एम. कुंटूरकर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने अपनें अनेक वाहनों का परित्याग कर दिया है तथा उनके ड्राइवर बेकार बैठे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परित्यक्त वाहनों के स्थान पर गैर-सरकारी वाहनों को उपयोग में लाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो निगम द्वारा परित्यक्त किए गए वाहनों की संख्या क्या है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किराए पर लिए गए गैर-सरकारी वाहनों की संख्या क्या है और इन गैर-सरकारी वाहनों को किराए पर लेने में मासिक कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। अनेक वाहन अप्रयुक्त घोषित किए गए हैं परन्तु उनके ड्राइवर खाली नहीं है क्योंकि जब तक अप्रयुक्त वाहन बदल नहीं दिए जाते उन्हें चालू रखा जाता है।

(ख) उपयुक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अप्रैल, 95 से नवम्बर, 96 तक 69 वाहनों को बेकार घोषित किया गया है। वाहनों को औचित्य के अनुसार प्रचालन कार्यों संबंधी मांग को पूरा करने के लिए किराए पर लिया जाता है। इस समय, 167 वाहन किराए पर लिए गए हैं। इनका मासिक व्यय लगभग 17 लाख रुपए है।

(ङ) अप्रयुक्त घोषित सभी वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहन प्राप्त किए जा रहे हैं।

टेलीफोन बिलों का वितरण

2937. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून 1996 में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिलों के वितरण के लिए खुली निविदाएं आमत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग को सूची में दर्ज कुछ सीमित एवं चुनिंदा ठेकेदारों में से ही सीमित निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खुली निविदाएं और/तदुपरान्त सीमित निविदाएं आमंत्रित करने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण-I तथा दक्षिण-II क्षेत्रों में एक से तीन महीने की अवधि के लिए बिलों के वितरण हेतु महानगर टेलीफोन निगम लि. के दक्षिण क्षेत्रों में पहले से कार्यरत ठेकेदारों सहित, चुनिंदा ठेकेदारों से सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

(ग) दक्षिण-I क्षेत्र के लिए कुल 9 प्रस्ताव (ऑफर्स) तथा दक्षिण II के लिए 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सीमित निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया, क्योंकि यह मामला न्यायाधीन था। बिलों को डाकघरों के माध्यम से डाक द्वारा भेजा गया था।

(घ) चूंकि पहले ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः ग्राहकों के परिसरों पर बिलों के वितरण हेतु, नए ठेकेदारों के अनुमोदन के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। खुली निविदाओं को अंतिम रूप देने में कुछ विलंब होने का पूर्वानुमान करते हुए, जब तक कि खुली निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता । से 3 महीने की अवधि के लिए बिलों के वितरण हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

आई.टी.डी.सी. कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

2938. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया गया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत किस श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन योजना तैयार/आरंभ नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त एयर बसें

2939. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी एयर बसें कब से अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ख) इनकी कब तक मरम्मत कर ली जायेगी तथा इन्हें पुनः चलाया जायेगा;

(ग) क्या इनमें से किसी एयर बस की खरीद अनिवासी भारतीयों द्वारा की गयी है; और

(घ) उनके द्वारा की गई क्रय-विक्रय का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के पास कोई भी एयर बस विमान गैर-प्रचालनात्मक नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना

2940. श्री सोहन वीर :
श्री के. परसुरामन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अस्थायी/स्थायी रूप से रद्द की गई डाक गाड़ियों और यात्री गाड़ियों का जोन-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन गाड़ियों के रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रद्द की गई गाड़ियों को पुनः चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्वर्ण भंडार

2941. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के चित्रदुर्ग और सन्दूर जिलों में नए स्वर्ण भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो जिलों में और इनके आसपास अलग-अलग स्वर्ण भण्डारों की मात्रा का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिज अन्वेषण द्वारा चित्रदुर्ग में (4 ग्रा./टन) श्रेणी के (0.6 मि.टन) स्वर्ण निक्षेपों का पता लगाया है। स्वर्ण निक्षेप जीआर हल्ली, साउथ ब्लाक, चिक्कनाहल्ली, गोनूर-कोटीमराडी एम.एन. हल्ली, कांचीगानाहालू और होनीमराडी में प्रमाणित किए गए हैं। कर्नाटक के संदूर जिले में स्वर्ण की किसी संभावना का पता नहीं चला है।

(ग) आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग जिले में स्वर्ण का आकलन करना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का खनिज अन्वेषण संबंधी एक नियमित कार्यक्रम है।

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्र

2942. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उड़ीसा में कौन-कौन से आकाशवाणी केन्द्र क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण करते हैं;

(ख) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के समाचारों का कवरेज सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि उड़ीसा में विशेषरूप से दूरदर्शन केन्द्रों के द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिनों में क्षेत्रीय समाचार से संबंधित दृश्य चित्र अस्पष्ट और अपर्याप्त होते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या समाचारों में दृश्य चित्रों के प्रसारण में वृद्धि करने की लगातार मांग की जाती रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) उड़ीसा में आकाशवाणी कटक क्षेत्रीय समाचार एकक उड़िया में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन को प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी के सम्बलपुर तथा जैपोर केन्द्र इन समाचार बुलेटिनों को रिले करते हैं जब कि स्थानीय रेडियो केन्द्रों सहित उड़ीसा के अन्य केन्द्रों सम्पूर्ण में केवल श्रोताओं के हित के लिए सायंकालीन बुलेटिन को रिले करते हैं।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के समाचारों को कवरेज प्रदान करने के लिए आकाशवाणी ने उड़ीसा के विभिन्न भागों में स्टाफ संवाददाता तथा अंशकालिक संवाददाता तैनात किए हैं।

(ग) और (घ). दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों के दृश्य चित्र पर्याप्त संख्या में शामिल किए जाते हैं। औसतन 12 से 15 दृश्य समाचार मदों में से उड़ीसा से संबंधित 8-10 दृश्य चित्र समाचार मद दैनिक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में शामिल किए जाते हैं।

(ङ) तथा (च). जी, हां। दृश्य चित्रों में वृद्धि करने के लिए मांग की जाती रही है। समाचार बुलेटिनों में ज्यादा से ज्यादा दृश्य चित्र शामिल करने के लिए दूरदर्शन प्रयासरत है। दूरदर्शन उड़ीसा की अपनी कैमरा टीम फुट कर सम्वाददाताओं और उड़ीसा सरकार के सूचना तथा जनसम्पर्क विभाग के पास उपलब्ध ई.एन.जी. यूनिटों की सहायता से यथा सम्भव अधिक से अधिक दृश्य चित्रों को शामिल करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

कर्नाटक में लौह-अयस्क की खानें

2943. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में लौह अयस्क की कुछ खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी और एकक द्वारा चलाई जा रही उन खानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन खानों में लौह-अयस्क का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैसूर मिनरल लि., जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है, ने बेलारी जिले में स्थित तीन लौह अयस्क खानों को वर्ष 1985 में मैसर्स तंगाभद्र मिनरल लि. को स्थानान्तरित कर दिया था।

(ग) इन तीनों खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन निम्न प्रकार है :-

वर्ष	लौह अयस्क का उत्पादन (टन में)		
1993-94	19111	2053	20158
1994-95	10691	3258	24197
1995-96	24589	980	1179

(घ) इन तीनों खानों में हुए लोह अयस्क के संपूर्ण उत्पादन का निर्यात किया गया है।

आमान परिवर्तन

2944. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येलाहंका और बंगारपेट संकरी रेल लाइन को छोटी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) येलाहंका-चिकबालापुर का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो गया है। बंगारपेट-कोलार पर कार्य शुरू हो गया है और इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है। कोलार-चिकबालापुर का कार्य शुरू किया जाएगा और आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।

स्थानीय काल सुविधा

2945. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किये गये सभी शहरों/नगरों में स्थानीय काल सुविधा उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक ही एक्सचेंज प्रणाली (स्थानीय क्षेत्र) के भीतर एक उपभोक्ता की लाइन को की जाने वाली कॉल स्थानीय काल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न शहरों/कस्बों में टेलीफोन एक्सचेंजों के अपने अलग-अलग स्थानीय क्षेत्र होते हैं। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी शहरों/कस्बों को स्थानीय काल सुविधा प्रदान करना अनुमत्य नहीं है।

भुवनेश्वर से कोरापुट तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करना

2946. श्री भक्त चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोरापुट-रायगडा नई बड़ी लाइन रेल सम्पर्क मार्ग के चालू हो जाने के बाद भुवनेश्वर से कोरापुट वाया रायगडा एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यह रेलगाड़ी कब तक शुरू की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). कोरापुट-रायगडा लाइन पर यात्री गाड़ी चलाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर भुवनेश्वर और कोरापुट के बीच बरास्ता रायगडा एक एक्सप्रेस गाड़ी को चलाने की व्यवस्था की जाएगी।

नए निर्मित खण्ड पर सुरंगों में कतिपय तकनीकी कमियों के कारण रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी प्राप्त होने में विलंब हुआ।

[हिन्दी]

संकरी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों को बंद करना

2947. श्री अशोक अर्गल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्वालियर श्योपुर कलां के बीच चलने वाले रेलगाड़ियों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ग्वालियर-श्योपुर संकरी लाइन को बदलने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस कार्य को वर्ष 1997-98 के बजट में किए जाने की संभावना है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). जी नहीं। संसाधनों की तंगी के कारण।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देश में बेरोजगारों की संख्या

2948. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी;

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में क्या उपलब्धि रही;

(ग) क्या नवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा एक नई नीति अपनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) सातवीं योजना की समाप्ति पर बेरोजगारी 17 मिलियन थी।

(ख) से (घ). आठवीं योजनावधि के दौरान गहन श्रम वृद्धि को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हुए। तदनुरूप, बेरोजगारी की दर जो 1987-88 के दौरान 3.77 प्रतिशत थी, घटकर 1993-94 के दौरान 2.56 प्रतिशत रह गई। संभावना है कि गहन रोजगार वृद्धि की नीति नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी।

[हिन्दी]

सीरियल मेगा

2949. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु स्वीकृत भारतीय संस्कृति पर आधारित पौराणिक, ऐतिहासिक धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दूरदर्शन पर इन धारावाहिकों को प्रतिमाह कितना-कितना समय आबंटित किया गया है;

(ग) क्या दूरदर्शन के नए कार्ड से "सीरियल मेगा" को निकाल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खेल-कूद परिसर

2950. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के अंतर्गत वामनगाछी, हावड़ा में प्रस्तावित खेल-कूद परिसर के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(ग) स्टेडियम की क्षमता कितनी है; और

(घ) इसके पूरा होने की क्या अवधि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) परामर्श सेवाओं के लिये निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परामर्श के लिये आंशिक अनुमान तैयार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 8.95 करोड़ रु. है और चालू वर्ष 1996-97 में निधि का आबंटन 51.70 लाख रु. हुआ है।

(ग) स्टेडियम की प्रस्तावित क्षमता 20,000 है।

(घ) 3 वर्ष, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

2951. श्री बीर सिंह महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चांदिल-पुरी और मुरी-बोकारो रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खंड का चालू वर्ष के दौरान विद्युतीकरण हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(ख) मार्च, 98 तक इन खण्डों के विद्युतीकरण हो जाने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए चांदिल-मुरी-बरकाकाना विद्युतीकरण परियोजना तथा बोकारो-मुरी-बरसुआं/किरिबुरू विद्युतीकरण परियोजना जिसमें ये खण्ड शामिल हैं, के लिए क्रमशः 20 करोड़ रुपए तथा 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सतर्कता निरीक्षक

2952. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में संकाय-वार सतर्कता निरीक्षकों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने निरीक्षकों ने अपनी पूरी अवधि अर्थात् छः वर्ष की अवधि पूरी कर ली है;

(ख) इन्हें अपने मूल संवर्ग में वापस भेजने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस समय सतर्कता निदेशालय में 36 निरीक्षक हैं, जिनमें 21 यातायात, 6 इंजीनियरिंग 2 भण्डार से तथा शेष अन्य विभागों से हैं।

कुल 8 निरीक्षकों ने छह वर्ष का कार्य काल पूरा कर लिया है जिनमें से तीन निरीक्षकों के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासनिक हित में कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है।

मौजूदा रिक्तियों के साथ-साथ प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए सतर्कता निरीक्षकों के चयन की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

2953. श्री डी.पी. यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सम्भल में डाकघरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1996-97 के दौरान नये डाकघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सम्भल में 41 डाकघर हैं। औसतन एक डाकघर द्वारा 11628 की जनसंख्या तथा 16.08 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है। प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या और क्षेत्र की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत क्रमशः 5517 और 21.44 वर्ग किलोमीटर है।

(ख) डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंडों के आधार पर ये औचित्यपूर्ण हों तथा संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) ओबेरी ग्राम में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का केवल एक प्रस्ताव था जिसकी मंजूरी दे दी गई है।

दूरसंचार विभाग

(क) से (ग). सम्भल में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या पर्याप्त नहीं है। 512 पोर्ट सी-डॉट एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 1997 तक 1.4 के सी-डॉट तक विस्तार किया जाना है बशर्ते कि लाइनें उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

अनुशासन और अपील नियम, 1968

2954. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में 1 अप्रैल, 1987 तक संशोधन किया गया है और उसके बाद इन नियमों में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए हैं जिसकी वजह से प्राधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनकी जानकारी होना मुश्किल हो जाता है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त नियमों में संशोधन और इनकी एक प्रति सभा पटल पर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) कब तक उपर्युक्त नियमों को अद्यतन करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1.4.97 तक जारी हुए संशोधनों को अन्तर्निहित करके रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 पिछली बार संशोधित हुआ था। सुस्थापित कार्यवाही के अनुसार, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 में संशोधन भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इन नियमों में सभी पूर्ववर्ती संशोधनों के ब्यौरे प्रस्तावित संशोधन में एक चाद टिप्पणी के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। नियमों को संशोधित करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां रेलों पर सभी संबंधित प्राधिकारियों के अलावा लोक सभा सचिवालय तथा भारतीय रेल पर मान्यता प्राप्त फेडरशनों को भी पृष्ठांकित की जाती है। इस प्रकार संशोधनों से संबंधित जानकारी रखने में कोई कठिनाई नहीं होती।

(ख) और (ग). उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऑन लाइन बिलिंग इनफार्मेशन सर्विसेज

2955. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली में ऑन लाइन बिलिंग इनफार्मेशन सर्विसेज शुरू की है;

(ख) क्या मुम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में उपलब्ध ऑन लाइन टेलीफोन डायरेक्ट्री इन्क्वायरी सर्विस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली में भी शुरू की गई है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा वाक इन डायरेक्ट्री इन्क्वायरी सुविधा भी दिल्ली में शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग क्या औपचारिकताएं हैं;

(ङ) क्या महानगर टेलीफोन निगम का विचार दिल्ली में कोई ऑन लाइन टेलीफोन फॉल्ट रिपेयर कन्फर्मेशन सर्विस शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). जी ,हां। महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली ने ईस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली में एक "वाक-इन डायरेक्टरी पूछताछ सेवा" शुरू की है। डायरेक्टरी एंट्री संबंधी विशिष्ट ब्यौरे प्राप्त करने के लिए पूछताछ करने वाले व्यक्ति को निम्न सूचनाओं में से एक सूचना देनी होती है :-

1. टेलीफोन नंबर पता करने के लिए उपभोक्ता का नाम।
2. उपभोक्ता का नाम और पता प्राप्त करने के लिए उसका टेलीफोन नंबर।
3. उपभोक्ता का नया नंबर जानने के लिए उसका पुराना नंबर।

(ङ) और (च). जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लि. का इन्टरेक्टिव वाइस रिस्पोंस प्रणाली (ए वी आर एस) के जरिए प्रचालित होने वाली एक ऑन-लाइन टेलीफोन फाल्ट रिपेयर कनफरमेशन सर्विस शुरू करने का प्रस्ताव है। यह सेवा दिल्ली के जोरबाग एक्सचेंज में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है।

(छ) ऊपर भाग (ङ) और (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

"क्वेस्ट" कार्यक्रम का प्रसारण बन्द करना

2956. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "क्वेस्ट" कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितने धारावाहिक प्रसारित किये गये हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का प्रसारण बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

2957. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले छः महीनों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. का संयंत्र-वार वित्तीय निष्पादन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान "सेल" की लाभप्रदता में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) "सेल" के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) चालू वर्ष के प्रथम छः महीने अर्थात अप्रैल से सितंबर, 1996 के दौरान सेल ने कर-पूर्व (अनपरीक्षित) 414.98 करोड़ रुपए का लाभ कमाया

और न्यूनतम वैकल्पिक-कर (एम ए टी) हेतु 53.53 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के पश्चात का लाभ 361.45 करोड़ रुपए है। संयंत्रवार निवल लाभ/हानि निम्नानुसार है :-

	करोड़ रुपए
- भिलाई इस्पात संयंत्र	- 388
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	- 96
- राउरकेला इस्पात संयंत्र	- 127
- बोकारो इस्पात संयंत्र	- 237
- अलॉय स्टील्स प्लांट	- 10
- सेलम इस्पात संयंत्र	- 25
- कच्चा माल अनुभाग, अन्य केन्द्रीय इकाइयां इत्यादि	57
कर पूर्व निवल लाभ	415
न्यूनतम वैकल्पिक-कर (एम ए टी) हेतु प्रावधान	54
कर पश्चात निवल लाभ	361

(ख) जी, हां।

(ग) लाभ में गिरावट मुख्य रूप से कोयला, पैट्रोलियम उत्पाद, विद्युत, परिवहन जैसी आदानों में असामान्य उतार-चढ़ाव और उच्च ब्याज और मूल्य-ह्रास-लागत के कारण आई है।

(घ) सेल अपने निष्पादन में सुधार हेतु निरन्तर कदम उठा रहा है इनमें क्षमता उपयोग में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा संरक्षण के उपाय शुरू करना, प्रभावी अनुरक्षण के जरिए उपस्करों की उपलब्धत में सुधार करना, उत्पाद मिश्र में सुधार करना, मूल्य वर्धित मदों का उत्पादन करना और ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करना और कोक, ऊर्जा, भंडार और अतिरिक्त कल पुर्जो आदि की खपत में कमी करना इत्यादि शामिल हैं।

मालवाहक वायुयान

2958. श्री चार्ल्स फर्नान्डीज : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा भारत से विदेशी एवं भारतीय माल वाहक वायुयान सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये वायुयान किन-किन विमान दलों से उड़ान भरते हैं तथा उतरते हैं;

(ग) भारत से यूरोप के लिए माल की विभिन्न श्रेणियों की दरें क्या हैं;

(घ) क्या भारत से अफ्रीकी देशों के लिए माल भाड़ा दरें यूरोपीय देशों की तुलना में चार से पांच गुना अधिक हैं;

(ङ) क्या अफ्रीकी देशों के लिए माल भाड़े की अधिक दरों के कारण भारतीय माल अफ्रीकी देशों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्यस्थता के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के साथ इस मामले पर चर्चा की है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र

2959. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र कितने हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कलाकारों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्रीय धारावाहिकों को प्रसारित करने का है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) परिवार कल्याण तथा रक्षा प्रशिक्षण संबंधी फिल्मों के निर्माण के लिए नई दिल्ली में प्रभाग की एक यूनिट के अलावा फिल्म प्रभाग के दो क्षेत्रीय केन्द्र नामशः, दक्षिणी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र, बंगलौर तथा पूर्वी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र, कलकत्ता हैं।

(ख) इन केन्द्रों को 16 एम.एम. कैमरों, संपादन मशीनों तथा रिकार्डिंग जैसे आवश्यक उपस्कर संबंधी तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). दूरदर्शन के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य संगीत तथा अन्य सांस्कृतिक कला रूप विधानों के कार्य क्षेत्रों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्रचुर प्रतिभाओं को चैनलों के माध्यम से एक मंच उपलब्ध कराना है। फिल्म प्रभाग द्वारा अपनी फीचर फिल्मों के लिए स्थानीय कलाकारों को भी काम में लगाया जाता है।

[अनुवाद]

पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

2960. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न होने की वजह से विदेशों से पंजाब आने वाले लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो वहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पंजाब में हवाई अड्डे बनाए जाने का विचार है; और

(घ) उन पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). अमृतसर हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों की मांग को पूरा करने के लिए पहले ही सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ). इस समय पंजाब में किसी भी नये हवाई अड्डे की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गेज परिवर्तन

2961. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अजमेर-खंडवा तथा अजमेर-चित्तौड़-उदयपुर रेल लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है/कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नसीराबाद और विजयनगर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अजमेर-चित्तौड़-उदयपुर खंड का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। चित्तौड़गढ़-नीमच व.ला. वाला खण्ड है। नीमच-रतलाम खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है। रतलाम-खंडवा के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(घ) आने वाले वर्षों में आमान परिवर्तन के साथ-साथ इन स्टेशनों को, यातायात के स्तर को निपटाने हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।

[अनुवाद]

रियायती भाड़ों के लिए योजना

2962. श्री ए.सी. जोस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य यात्रियों के लिए इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया द्वारा रियायती यात्रा भाड़ा की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय चल रही कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं :-

(1) शिकागो के लिए एअर इंडिया के नए प्रचालनों पर विशेष इन्ट्रोडक्टरी किराए, किरायों की कतिपय श्रेणियों पर भारत और न्यूयार्क/शिकागों के बीच राउंड ट्रिप यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को एक अन्तर्देशीय राउंड ट्रिप टिकट का भी प्रस्ताव है।

(2) एअर इंडिया के नेटवर्क पर अन्तर्देशीय सैक्टरों पर लागू निवल किराये के अंश पर 16.10.96 से 31.3.97 तक 25 प्रतिशत का प्रोत्साहन भी शुरू किया गया है। इंडियन एयरलाइन्स वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, नेत्रहीन व्यक्तियों, कैन्सर के मरीजों, युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं, युद्ध में हुए अपंग व्यक्तियों, सशस्त्र सेना के सदस्यों और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मियों आदि को किरायों में 50 प्रतिशत की छूट देती है।

[हिन्दी]

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन

2963. श्री एन.एस.वी. चित्यन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान आज तक तमिलनाडु में दिये गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) प्रतीक्षा सूची में जिलावार और श्रेणीवार व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) 1996-97 की शेष अवधि के दौरान दिये जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या क्या है; और

(घ) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 1997-98 के दौरान शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक उपस्कर तथा सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।

विवरण

क्र. सं.	टेलीफोन जिले का नाम	शामिल किए गए राजस्व जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची 30.11.96 की स्थिति के अनुसार ओवाईटी	गैर-ओवाईटी	कुल	1996-97 की अवधि के लिए प्रस्तावित टेलीफोन कनेक्शन *
1.	चेंगलपट्टू	चेंगलपट्टू एमजीआर	102	13223	13325	4297
2.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	586	49724	50310	13245
3.	नीलगिरि	नीलगिरि	26	5071	5097	3199
4.	कुड्डालूर	विल्लूपुरम वेल्लालार	378	16803	17181	4406
5.	धर्मापुरी	धर्मापुरी	449	10175	10624	4112
6.	ईरोड	पेरियार	58	26669	26727	14643
7.	करैकुडी	पसुम्पन रामनाथापुरम	225	11216	11441	4940
8.	कुम्बाकोनम	नागापट्टनम क्वैमिलाड (पार्ट) तंजवार (पार्ट)	155	11409	11564	1374
9.	मदुरै	मदुरै डिंडिगुल अन्ना	109	31726	31835	13437
10.	नागरकोइल	कन्याकुमारी	164	14821	14985	6076
11.	सेलम	सेलम	281	38213	38494	8573
12.	तंजावर	तंजावर (पार्ट) नागापट्टनम क्वैमिलोड (पार्ट)	496	15119	15615	6250
13.	तिरूनेलवेलि	नेल्लई कोट्टाबोम्मन	15	10722	10737	5841
14.	त्रिची	करूर पुडुकोट्टई पेरमबालूर	1360	36596	37956	17653
15.	तूतीकोरीन	वी.ओ. चिदम्बरानगर	34	10545	10579	2931
16.	वेल्लूर	अम्बेडकर सम्बुवरयार	196	22387	22583	7110
17.	विरूधुनगर	कामाराजार	28	8838	8866	3660
18.	चेन्नई	चेन्नई	5809	97353	103162	50539

* टेलीफोन कनेक्शन ओवाईटी तथा गैर-ओवाईटी श्रेणियों के लिए क्रमशः 60:40 के अनुपात में श्रेणी-वार प्रदान किए जाएंगे।

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

2964. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजनाएं कार्यान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा जहां यह योजना शुरू की जा रही है उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना को उड़ीसा में भी लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पूरे राज्य को शामिल किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अब तक किन-किन जिलों को शामिल किया गया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर और अहमदाबाद के बीच रेल सेवा

2965. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-अहमदाबाद, बरास्ता हुबली कोई रेलगाड़ी चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त मार्ग पर कम से कम सप्ताह में एक बार एक रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों की कमी

2966. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि विमानों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स अपनी उड़ानों का पूर्णत: संचालन करने में असमर्थ है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण औद्योगिक स्टेशनों से गुजरने वाली कुछ उड़ानों को बंद कर दिया गया है अथवा बंद करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स को ऐसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में इन उड़ानों को चलाने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). कानपुर, गोरखपुर और इलाहाबाद को होने वाले इंडियन एयरलाइंस के प्रचालन 20.5.1992 से बंद कर दिए गए थे।

(घ) और (ङ). इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर को विमान सेवाएं पुन: शुरू करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(च) वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण फिलहाल इन स्टेशनों को प्रचालन पुन: शुरू करने की इंडियन एयरलाइंस की कोई योजना नहीं है। तथापि, गैर-सरकारी प्रचालकों को कानपुर, गोरखपुर और इलाहाबाद सहित नए स्टेशनों को प्रचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र के उत्पाद

2967. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के उत्पादों हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक तत्संबंधी उत्पादवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन उत्पादों की बिक्री को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे लोहे का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया तथा इसकी खपत कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां की गयी; और

(च) उक्त अवधि के दौरान कच्चे लोहे की बिक्री से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुरानी रेल लाइनों को बदलना

2968. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे का पुरानी रेल लाइनों को बदले जाने पर कितना व्यय हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इन रेलों पर सम्बद्ध वर्षों के दौरान रेल पथ नवीकरण योजनाशीर्ष के अंतर्गत खर्च की गई सकल राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	उत्तर	पूर्वोत्तर
1993-94	239.16	84.19
1994-95	194.01	53.41
1995-96	226.94	53.95

(ख) इन रेलों पर सम्बद्ध वर्षों के दौरान आमान परिवर्तन योजना शीर्ष के अंतर्गत उपगत सकल व्यय इस प्रकार है।

(करोड़ रुपयों में)

	उत्तर	पूर्वोत्तर
1993-94	189.55	41.20
1994-95	195.05	128.49
1995-96	38.59	162.46

फिरोजाबाद में टेलीफोन सेवा

2969. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग ने फिरोजाबाद जिले को दो भागों में बांटा है;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में उपप्रबन्धक, टेलीफोन का कार्यालय खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) फिरोजाबाद, आगरा/मैनपुरी गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) का एक भाग है। आगरा में महाप्रबंधक दूरसंचार (जीएमटी) का और मैनपुरी में टीडीई का एक कार्यालय पहले से ही है। अतः फिरोजाबाद में अलग से डी एम टी के कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश में मछुआरों को रेत खनन का पट्टे पर आबंटन

2970. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेत खनन संबंधी निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेत तथा लाल रेत का खनन कार्य मछुआरा समुदाय को आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में इस समुदाय को गत तीन वर्षों के दौरान रेत खनन हेतु कितनी बार पट्टे दिए गए;

(ङ) क्या सरकार को खनन पट्टों के आबंटन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (छ). खान पट्टे, खनन पट्टे की मंजूरी और साधारण बालू और भवन निर्माण पत्थर जैसे गौण खनिजों के संबंध में अन्य खनिज रियायतें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए गौण खनिज रियायत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दी जाती हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में ही केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन को बिना कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता। चूंकि बालू की खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है इसलिए इसके लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इसीलिए केन्द्र सरकार गौण खनिजों के लिए खनिज रियायत देने हेतु लंबित पड़े आवेदनों की निगरानी नहीं करती।

आमान परिवर्तन

2971. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-भंडा-नैनपुर बरास्ता गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो आमान परिवर्तन के इस कार्य के कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) कार्य को कार्य योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है और आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

इस्पात उद्योग

2972. श्रीमती सुषमा स्वराज :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यासरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्टूबर, 1996 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "स्टील इण्डस्ट्री टु स्टेज रिकवरी इन सेकण्ड हॉफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस्पात का घरेलू खपत स्तर कम होने के बावजूद वर्ष 1996-97 के प्रथम छह माह में इस्पात की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कीमत वृद्धि के कारण आयातित इस्पात देश में उत्पादित इस्पात की तुलना में सस्ता हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस्पात उद्योग ने सरकार से यह शिकायत की है कि विदेशी कम्पनियां देश में इस्पात का भारी ढेर लगा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 की प्रथम छमाही के लिए परिसज्जित इस्पात की प्रत्यक्ष खपत 103.75 लाख टन रही है इस प्रकार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें लगभग 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). घरेलू बाजार में भारतीय इस्पात की तुलना में आयातित इस्पात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता विभिन्न घटकों जैसे कि गुणता, पत्तन पर उतराई लागत, ग्राहकों के गंतव्य स्थान तक भाड़ा आदि पर निर्भर करेगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्तूबर, 1996 माह हेतु पत्तन पर उतराई लागत, जिसे टिन प्लेटों (ऑयल केन-साइज) बिलेट (आई एस 2830.80/100 एम एम), कच्चा लोहा (एल.एम.ग्रेड-IV) तथा एच.आर. क्वायल (टी.एम.क्यू. 2 एम एम) के औसत आयात मूल्य के आधार पर आंको गयो लागत सेल के स्टाकयार्ड मूल्य से कम थी।

(ङ) और (च). मौजूदा नीति के अनुसार इस्पात का आयात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। तथापि, यदि यह प्रमाणिक हो जाता है कि इस प्रकार की डम्पिंग से घरेलू उद्योग को वस्तुपरक क्षति होती है तो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में डम्पिंग के मामलों की जांच करने और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान है। इस्पात के किसी भी उत्पाद पर डम्पिंग-रोधी शुल्क लगाने के लिए उपरोक्त अधिनियम के तहत नामजद प्राधिकारी को, 5.12.1996 की स्थिति के अनुसार, कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी केन्द्र, लेह

2973. श्री पी. नामग्याल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से लद्दाखी संस्कृति तथा भाषा के विरूपण के साथ-साथ ट्रांसमीटरों में बार-बार खराबी आने और प्रसारण प्रणाली के निम्न स्तर होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां। विगत में, आकाशवाणी, लेह से रिले की गुणवत्ता ह्रास और ट्रांसमीटर प्रचालन में व्यवधान सहित कार्यक्रमों के गिरते स्तर के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा अप्रैल, 1996 से जून, 1996 के दौरान आकाशवाणी लेह के प्रचालन में व्यवधान के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) प्रसारण की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आकाशवाणी, लेह में स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर के बीच वी.एच.एफ. लिंक तथा माइक्रोवेव लिंक की व्यवस्था कर दी गई है। आकाशवाणी केन्द्र, लेह के कार्यकरण में सुधार करने हेतु सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र को कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन्हें इस प्रकार तैयार किया जाए कि वे श्रोताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

विवरण

1994-95, 1995-96, और अप्रैल, 1996 से जून, 1996 के दौरान आकाशवाणी, लेह के प्रचालन में व्यवधानों का ब्यौरा

वर्ष	कार्यक्रम प्रसारित करने के घंटे	गियर व्यवधान	गियर का % गियर व्यवधान	बिजली आपूर्ति व्यवधान	प्रतिशतता	व्यवधान के अन्य कारण	प्रतिशतता	योग	प्रतिशतता (समग्र)
	एच.एम.	एच.एम.		एच.एम.		एच.एम.		एच.एम.	
1994-95	7049.41	0.39	0.009	3.49	0.056	3.26	0.048	7.54	0.112
1995-96	7788.00	1.20	0.017	0.05	0.013	4.43	0.06	7.08	0.091
अप्रैल, 96 से जून, 96 तक	1980.00	05.18	0.252	0.20	0.016	0.04	-	5.42	0.30

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

2974. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 नवम्बर, 1996 की शाम को आगरा से झांसी जा रही 1348 अप यात्री गाड़ी मध्य रेलवे जोन में स्थित साक स्टेशन के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप इसका इंजन पलट गया और पांच डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। 3.11.96 को, 07.30 बजे, मध्य रेल के झांसी मंडल के मुरैना तथा सांक स्टेशनों के बीच 1348 आगरा कैंट-झांसी पैसेंजर गाड़ी के दो एस एल आर तथा चार सवारी डिब्बों के साथ-साथ एक निष्क्रिय इंजन पटरी से उतर गए थे।

(ग) और (घ). अधिकारियों की समिति की जांच से यह निष्कर्ष निकला कि पटरी में पुरानी खराबी के कारण गाड़ी पटरी से उतर गई थी।

(ङ) दो रेलपथ निरीक्षकों के विरूद्ध रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

इस्पात उत्पादों की सूची में वृद्धि

2975. श्री अमर पाल सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विभिन्न स्टाकयार्डों में इस्पात उत्पादों की सूची में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इसके किन्हीं कारणों का पता लगा है, तो वे क्या हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के विभिन्न स्टॉक यार्डों में इस्पात के उत्पादों की माल-सूची में वृद्धि हुई है। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

स्टॉकयार्डों में स्टॉक	हजार टनों में
01-4-1996 को	404.4
01-12-1996 को	840.7

(ग) माल सूची में वृद्धि का मुख्य कारण मांग में मन्दी की स्थिति है जो अनेक घटकों, जैसे उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध निधि, साख लागत, घरेलू, स्रोतों और साथ ही साथ आयात से प्रतिस्पर्धा, समग्र औद्योगिक विकास आदि की अन्योन्य क्रिया इत्यादि पर निर्भर करती है।

आमान परिवर्तन

2976. श्री के. परसुरामन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में रेल की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कानेहीपुरम के रास्ते चेंगलपटटू जंक्शन भराकोनम को परिवर्तित करने के बारे में कोई योजना हैं;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक परिवर्तित कर लिए जाने की संभावना हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) अभी ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) नौवीं योजना के दौरान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिलासपुर डिवीजन में हुई रेल दुर्घटनाएं

2977. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1996 से 30 अक्टूबर, 1996 के बीच बिलासपुर डिवीजन में हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को कुल कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी यात्री गाड़ियों/मालगाड़ियों का चलना लंबे समय तक रुका रहा;

(घ) क्या बिलासपुर मंडल द्वारा यात्री गाड़ी की तुलना में माल गाड़ी को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बिलासपुर मंडल में 1.7.96 से 30.10.96 तक की अवधि के दौरान तीन परिणामी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) रेल सम्पत्ति का अनुमानित 77 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है।

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप, चार यात्री गाड़ियां रद्द की गई, तीन गाड़ियों को गंतव्य पूर्व ही समाप्त कर दिया गया, एक एक्सप्रेस गाड़ी को दूसरे मार्ग से चलाया गया तथा 70 माल गाड़ियों की रूकौनी हुई।

(घ) निर्धारित परिचालन प्रक्रिया के अनुसार यात्री गाड़ियों को मालगाड़ियों से अग्रता दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मीडिया का प्रवेश

2978. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी प्रिंट इलेक्ट्रानिक मीडिया को भारत में प्रवेश देने का है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भारत से निजी टी.वी. आपरेटरों द्वारा विदेशी उपग्रहों को "अपलिंकिंग सिग्नल्स" की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी निजी आपरेटर ने भारत से हाल ही में "सिग्नल अपलिंकिंग" किया है;

(ङ) क्या विदेशी मीडिया को देश में प्रवेश देने की अनुमति देने हेतु सितम्बर, 1996 में एक बैठक हुई थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इलेक्ट्रानिक मीडिया के मामले में सरकार प्रसारण के संबंध में विधान अधिनियमित करने संबंधी कार्यवाही कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसारण कम्पनियों में विदेशी निवेश संबंधी मामले पर भी विचार किया जाएगा।

जहां तक प्रिन्ट मीडिया का संबंध है, देश में विदेशी प्रिन्ट मीडिया के प्रवेश को मंत्रिमण्डल के 1955 के एक संकल्प द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित का निषेध किया गया है :-

(1) देश में विदेशी स्वामित्व वाले समाचारपत्रों का प्रकाशन

(2) मुख्य रूप से समाचारों और सामयिक घटनाओं पर आधारित विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन।

सरकार इस नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही है जिसे न बदला गया है और न ही रद्द किया गया है।

(ख) और (ग). इस मंत्रालय ने किसी निजी टेलीविजन आपरेटर को भारतीय भूमि से विदेशी उपग्रह को सिग्नल अपलिंक करने की अनुमति नहीं दी है।

(घ) इस मंत्रालय को इस प्रकार की किसी अपलिंकिंग की जानकारी नहीं है।

(ङ) से (छ). सितम्बर, 1996 में हुई बैठक, प्रसार भारती तथा प्रसारण कानून से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ किए जा रहे परामर्श संबंधी प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को एक प्रश्नावली भी भेजी गई थी जिनमें से अब तक केवल कुछ ने ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन अभिव्यक्तियों पर विचार करने के बाद एक प्रसारण विधेयक शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सेवाएं

2979. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सेवाओं के संबंध में बरौनी को अब तक कलकत्ता से जोड़ा नहीं गया है; और

(ख) यदि हां, तो बरौनी की कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सेवाओं का संपर्क कब तक पूरे देश के साथ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) बरौनी को दिल्ली की मुख्य कम्प्यूटर प्रणाली से जोड़ा गया है। इस समय इसे किसी अन्य प्रणाली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जस्ता व्यापार समझौता

2980. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने फ्रांस और अन्य दो आस्ट्रेलियाई कंपनियों के साथ खनन के संबंध में कोई व्यापार समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में विविधता [illegible] हिन्दुस्तान जिंक लि. (एचजैडएल) की दीर्घावधि नीति के एक हिस्से के रूप में, भारत और विदेश में आधार और बहुमूल्य धातुओं के गवेषण और यदि व्यवहार्य पाया गया, विदोहन के लिए प्रमुख विदेशी पार्टियों अर्थात् बी एच पी मिनरल्स, आस्ट्रेलिया, न्यूगिनी माइनिंग लि. (एनएमएल), आस्ट्रेलिया और बी आर जी एम, फ्रांस/ वी.एम.सी., वियतनाम के साथ तीन समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) बी.एच.पी. मिनरल्स के साथ समझौता ज्ञापन राजस्थान में सीसा, जस्ता, तांबा और स्वर्ण तथा उससे जुड़े हुए खनिजों के आधारिक तथ्यपरक गवेषण के लिये हैं।

एन एम एल के साथ समझौता ज्ञापन भारत में पता लगाई गई स्वर्ण की संभावनाओं के गवेषण और यदि व्यवहार्य पाया गया, विदोहन के लिये है।

बीआरजीएम (फ्रांस) और वी.एम.सी. जिसे अब वियतनाम जैम, और गोल्ड कारपोरेशन (वीआईजीईजीओ) कहा जाता है, के साथ समझौता ज्ञापन वियतनाम में पैक-लांग स्वर्ण संभावनाओं के गवेषण और आदि व्यवहार्य पाया गया, विदोहन के लिये हैं।

[हिन्दी]

अनुकम्पा आधार पर रोजगार

2981. डा. जी.आर. सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुकम्पा आधार पर रोजगार प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य रेलवे के अंतर्गत भुसावल मंडल में इस प्रकार के कितने रोजगार प्रदान किये गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भुसावल मंडल में इस प्रकार लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक इन मामलों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार क्षेत्रीय रेलों द्वारा यह अपेक्षित होता है कि सभी पात्र व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन यथाशीघ्र नियुक्तियां देने का हर संभव प्रयास करें। बहरहाल, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए कोई समय सीमा

निर्धारित करना मुश्किल होता है क्योंकि यह उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता, पात्रों को वयस्क होना आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

2982. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे दूरसंचार जिले कौन-कौन से हैं, जिनकी प्रतीक्षा सूची में 10,000 से अधिक टेलीफोन कनेक्शन दर्ज हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक जिले को स्थायी और अस्थायी आधार पर कितना स्टॉफ आवंटित किया गया है;

(ग) क्या कल्याण दूरसंचार जिले में देश के अन्य दूरसंचार जिलों की तुलना में स्टॉफ कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). फील्ड इकाइयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर यथा-समय रख दी जाएगी।

दूरदर्शन के मुख्य चैनल पर "न्यूज टुनाइट" कार्यक्रम का प्रसारण बंद किया जाना

2983. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री तारीक अनवर :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के मुख्य चैनल से समाचार बुलेटिन "न्यूज टुनाइट" कार्यक्रम का प्रसारण बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। "स्टार प्लस" विदेशी चैनल पर प्रसारण करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार कार्यक्रमों के निर्माण के लिए कार्यक्रम निर्माताओं द्वारा समझौता के किए जाने के बाद दूरदर्शन ने "न्यूज टुनाइट" कार्यक्रम के प्रसारण को बन्द करने का निर्णय लिया।

(ग) वर्तमान में इसे पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी का निर्माण

2984. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के जिला पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के निर्माण के संबंध में किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हवाई पट्टी के निर्माण की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). जी, नहीं। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ में 50 सीटों वाले विमानों के लिए 6000 फुट × 150 फुट वाली हवाई पट्टी का निर्माण किया है।

[अनुवाद]

प्रतीक्षा सूची के टिकट की अनुपलब्धता

2985. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 4 नवम्बर, 1996 से 15 नवम्बर, 1996 के दौरान और इसके बाद नई दिल्ली से पटना, धनबाद, हावड़ा आदि के लिए चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची के टिकट उपलब्ध नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने और आवश्यकता के अनुसार यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सही है कि केवल 8, 15, और 18 नवम्बर, 1996 को विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी; और

(घ) अक्टूबर, 1996 से नवम्बर, 1996 के दौरान कितने आरक्षण दलालों को पकड़ा गया और दंडित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कुछ गाड़ियों में यथा 2382 पूर्वा एक्सप्रेस, 2312 कालका मेल, 2392 मगध एक्सप्रेस, 2554 वैशाली एक्सप्रेस, 2802 पुरूषोत्तम एक्सप्रेस तथा 5622 नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस कुछ दिन और कुछेक श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची वाले टिकट उपलब्ध नहीं थे।

(ख) और (ग). 8, 13, 14, 15 और 18 नवंबर, 1996 को नई दिल्ली से पटना के लिए 5 विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान पूर्वा एक्सप्रेस, कालका मेल, राजधानी एक्सप्रेस तथा श्रमजीवी एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाया गया था।

(घ) अक्टूबर तथा नवंबर, 1996 के दौरान उत्तर रेलवे पर 20 दलालों को पकड़ा गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था।

डिवीजनल रेल कार्यालय

2986. श्री सुरेश आर. जादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत नान्देड में डिवीजन रेल कार्यालय स्थापित करने के संबंध में, जहां इस बारे में संसाधनों का जुटाया जाना कठिन है, अपने पहले लिए गए निर्णय को बदलने का है;

(ख) क्या डिवीजनल कार्यालय को पूर्णा में स्थापित करने का निर्णय लिया जा रहा है, जहां अपेक्षित संसाधन उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार ने नांदेड में मण्डल कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

माइक्रोवेव टावर

2987. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में स्थापित किये जाने वाले लक्षित माइक्रोवेव टावरों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उपरोक्त लक्ष्य की तुलना में अक्तूबर, 1996 तक प्राप्त की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को कथित लक्ष्य प्राप्त करने में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डाक जीवन बीमा योजना

2988. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1995 में शुरू की गई डाक जीवन बीमा योजना केवल ग्रामीण लोगों के लिए ही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की तुलना में इसकी प्रीमियम दरें कम हैं और बोनस अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक को देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रीमियम दरें अपेक्षाकृत कम हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बोनस ग्रामीण डाकघर बीमा निधि के मूल्यांकन के बाद घोषित किए जाएंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) जैसाकि इस स्कीम का नाम ग्रामीण डाक जीवन बीमा इंगित करता है, यह केवल ग्रामीण जनता के लिए है। अतः नीतिगत तौर पर इसे प्रत्येक नागरिक के लिए शुरू नहीं किया जा सकता है।

नई दिल्ली से मनमाड तक नई रेलगाड़ी शुरू करना

2989. श्री तारीक अनवर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिरडी के तीर्थ यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुविधाएं प्रदान करने हेतु नई दिल्ली से मनमाड तक नई रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों के कारण।

[हिन्दी]

गंगा नदी पर पुल का निर्माण

2990. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खगरिया और मुंगेर कस्बों को जोड़ने की दृष्टि से गंगा नदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने और पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विरार और दहानू के बीच रेल पटरियां

2991. श्री सुरेश प्रभु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विरार और दहानू के बीच चार पटरियों वाली रेल लाइन के सम्बन्ध में कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : विरार और दहानू रोड के बीच लाइनों के चौहरीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2992. श्री अनंत कुमार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितंबर, 1996 तक कर्नाटक में त्वरित स्वचालित एक्सचेंजों की जिला-वार, स्थानवार और श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) 1996-97 के दौरान कर्नाटक में स्थापित किये जाने वाले नए स्वचालित एक्सचेंजों की संख्या क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कर्नाटक में सितंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार 2036 स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) कर्नाटक में 1996-97 के दौरान 69 नए स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 96-97 के लिए 323.92 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

विवरण

1.10.96 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों की सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
जिले का नाम : बेलगांव		
1.	अईगली	56
2.	आइनापुरा	96
3.	अकोल	176
4.	अलगवाड़ी	56
5.	अंबाडगट्टी	56
6.	अनकलगी	184
7.	अनकली	200
8.	असुंडी	56
9.	अथानी	792
10.	बडकुंडरी	56
11.	बैलहोंगल	1088
12.	बटकुरकी	56
13.	बेडकीहल	176
14.	बीडी	88
15.	बेलामुंडी	96
16.	बेलावाड़ी	88
17.	बेलगांव	23608
18.	बेलाडबयेवाड़ी	152
19.	बेनाडी	96
20.	बेटागेरी	56
21.	भेंडवाड़	56
22.	बैंवाडी	56
23.	चपगांव	56
24.	चिकलगुड	96
25.	चिकोडी	672
26.	चिंगली	56
27.	डाड्डी	56
28.	देबलपुरा	56
29.	डोड्डावाड़	88
30.	इकसंबा	144

1	2	3
31.	गुरलागुंजी	56
32.	घटपरांबा	376
33.	घोडगेरी	56
34.	गोकक	1824
35.	गुडास	56
36.	गुंजी (एम)	25
37.	हलगा	88
38.	हनचिनाल	5[illegible]
39.	हरूगेरी	280
40.	हिडकलडाम	152
41.	हिरेबेगेवाडी	160
42.	हिरेकुंबी	88
43.	हुली	56
44.	होसकोटी	56
45.	होसुरू	96
46.	हुडली	56
47.	हुक्केरी	376
48.	हुलकुंड	56
49.	हुनशिकट्टी	56
50.	इनामहोंगल	56
51.	इंचल	56
52.	इनामलगी	56
53.	इटागी	152
54.	के. चन्दरगी	56
55.	के.के. कोप्पा	56
56.	कोडाली	56
57.	कडोली	88
58.	कमडल	56
59.	[illegible]	184
60.	[illegible]	424
61.	[illegible]	56
62.	कल्लोली	88
63.	कनमने	56
64.	कंकणवाडी	56
65.	करगांव	56
66.	करोशी	88
67.	कटकोल	152
68.	केरूर	56
69.	खडेलकट	176
70.	खनगांव	56
71.	खानापुर	480
72.	किट्टूर	368
73.	कोगनोली	56
74.	कोकटनूर	56
75.	कोन्नूर	96
76.	कौजलगी	56
77.	कुडाची	88
78.	कुलगोड	56
79.	लोंडा	184
80.	एम.के. हुबली	272
81.	मच्छी	416
82.	मदभवी	56
83.	मधुकवि	56
84.	मदिगुंजी	56
85.	मालाबाद	56
86.	ममादापुर	56
87.	मनदोल्ली	160
88.	मनगासुली	56
89.	मनगुर	152
90.	मनोली	192
91.	मसगुप्पी	88
92.	मेलवंकी	56
93.	मुचंडी	56
94.	मुडालगी	504
95.	मुगलखोड़	56
96.	मुरगोड	152
97.	नागनूर	56
98.	नागनूर (बीएलएल)	56
99.	नंदगढ़	184
100.	नंदगांव	88

1	2	3
101.	नंदीकुरली	56
102.	नेगिनहाल	56
103.	नेरली	56
104.	नेसरगी	184
105.	निदासोशी	56
106.	निप्पानी	1424
107.	पी.के. नागानूर	56
108.	पाचापुर	88
109.	परमानंदवाड़ी	56
110.	परिशवाड	56
111.	रायबाग	376
112.	रामदुर्ग	656
113.	सदलगा	144
114.	सलहल्ली	88
115.	सांबरा	160
116.	संपागांव	96
117.	सनगाल्ली	56
118.	संकेश्वर	568
119.	सांतीबस्तवाड़	88
120.	साट्टी	56
121.	सौंदत्ती	768
122.	संकरट्टी	96
123.	सेगुनसी	56
124.	शिरागुप्पी	264
125.	शिराहट्टी	56
126.	शिरगांव	56
127.	शिरसंगी	56
128.	सौंदालगा	56
129.	सुलेभवी	176
130.	सुल्तानपुर	56
131.	सुरेबान	56
132.	ताल्लूर	56
133.	तोरगल	56
134.	ऊचागांव	184
135.	उगरखुर्द	176
136.	वंतामुरी	88
137.	यादूर	80
138.	यादवाड़	88
139.	याकुंडी	56
140.	याल्लूर	88
141.	यमेकनमोरडी	184
142.	येरागठी	184

जिले का नाम : बेल्लारी

1.	अरसीकेर	88
2.	बच्चीगोंडानहल्ली	56
3.	बागेवाडी	56
4.	बनविकल	56
5.	बानदरी	56
6.	बेल्लारी	9912
7.	बेविनहल्ली	56
8.	सी.जे. हल्ली	56
9.	चेल्लागुरकी	88
10.	चिगाटेरी	88
11.	चोरनपुर	56
12.	दाम्मूर	56
13.	द्वरोजी	56
14.	देवगिरी	88
15.	देवसमुद्र	56
16.	दोनीमलई	280
17.	इम्मीर्यनूर	88
18.	गुंडागट्टी	56
19.	हगारी	56
20.	हगारीबोमनहल्ली	448
21.	हलक्कगुलू	56
22.	हंपासगारा	56
23.	हांसी	24
24.	हरपनहल्ली	512
25.	हटचोली	56
26.	हीरेहडगल्ली	56
27.	हीरेमगलगेरी	56

1	2	3
28.	होलालू	88
29.	होस्पेट	3704
30.	हविनहडगल्ली	344
31.	इट्टांगी	56
32.	जल्लीहल	56
33.	के. बेलागल्लू	56
34.	के. होसाहल्लू	56
35.	के. [illegible]	56
36.	के. वीरापुरा	56
37.	कमलापुर	240
38.	कंबाथहली	56
39.	कंबरचेड्डू	56
40.	कांपली	576
41.	करूर	56
42.	कैंचकेरी	56
43.	कोगाली	56
44.	कोलागल्लू	56
45.	कोंबली	40
46.	कोप्पागल	88
47.	कोरल्लगुंडी	56
48.	कोट्टूर	360
49.	कुडीथिनी	56
50.	कुडलिगि	240
51.	कुडुधरहल	56
52.	कुरूगोड्डू	152
53.	एम.एम. हल्ली	144
54.	मागाला	56
55.	मथिहल्ली	56
56.	मेतरी	56
57.	मोका	88
58.	मोरीगेरी	56
59.	नरीहल्ली	56
60.	नेलमुंड	56
61.	नेगातिबसापुर	32
62.	निंबलगेरी	32

1	2	3
63.	निनचेरी	56
64.	नोरीगेरे	56
65.	पापीनायकनहल्ली	56
66.	रामसागर	56
67.	रारावी	56
68.	सन्दूर	576
69.	सन्नापुर	56
70.	सिद्दम्मनहल्ली	56
71.	सिद्दिगेरे	56
72.	सिरेगेरी	56
73.	सिरुगुप्पा	544
74.	सोगी	56
75.	श्रीधरगड्डा	56
76.	तालूर	56
77.	तांबाहल्ली	56
78.	तारानगर	32
79.	टेक्कलकोटा	88
80.	तेलिगी	56
81.	थिम्मल्लापुरा	56
82.	तूलाहल्ली	56
83.	तारनगल्लू	184
84.	उज्जोनी	56
85.	उलबठी	56
86.	उप्पीनायकनहल्ली	56
87.	उट्टांगी	56
88.	वड्डाट्टी	56
89.	वन्नेनूर	56
90.	वाई बुडीहल	56
91.	येरांगली	56
92.	यशवंतनगर	56

जिला : बंगलौर ग्रामीण

1.	अनेकल	152
2.	अट्टीबल	400
3.	अवालाहली	88

1	2	3
4.	बी.वी. हल्ली	56
5.	बंगलूर	80
6.	बन्नेरघाट्टा	0
7.	[illegible]	6
14.	[illegible]	80
15.	चन्नापटना	580
16.	चन्नारायपट ..	80
17.	चिकजाला	160
18.	चुनचुनकुपे	80
19.	दशवारा	56
20.	देवनाहल्ली	384
21.	देवनगुंडो	80
22.	डोबसपेट	80
23.	डोड्डाबालापुर	768
24.	डोडाबेलबंगला	80
25.	डोडलाहाली	80
26.	डोमासन्द्रा	80
27.	इलेक्ट्रॉनिक सिटि	0
28.	गुंडेमारनहल्ली	56
29.	हनबे	80
30.	हरोहल्ली	80
31.	हेबागोडो	1500
32.	हेसारघाटा	160
33.	होसकोटे	380
34.	हुसनहल्ली	56
35.	आई जी हल्ली	80
36.	जदीगेनाहली	80
37.	जिगनी	300
38.	कगलीपुरा	160
39.	कनकपुरा	384
40.	कनसबाडो	80
41.	कराहल्ली	80
42.	केंगरी	300
		80
49.	[illegible]	80
50.	मगडी	192
51.	मलूरपटना	80
52.	मरालवाडो	80
53.	मरसंद्रा	80
54.	मरसुर	80
55.	मायगनहल्ली	80
56.	मुडुगेरे	80
57.	मथसंद्रा	80
58.	नंदगुडी	80
59.	नेलमगला	384
60.	पडुवेंगेरे	56
61.	राजनकुंटे	80
62.	रामनाग्राम	500
63.	रेड्डीहल्ली	80
64.	एस एस घाटी	80
65.	सथनूर	80
66.	सोनडेकोप्पा	56
67.	सुलेबेले	80
68.	टी बेगुर	80
69.	थलाघाटपुरा	160
70.	थावरेकेरे	80
71.	थावरेकेरे II	80
72.	थिमासंद्रा	80
73.	थिपासंद्रा	56

1	2	3
74.	टुबेगेरे	80
75.	टुबराहल्ली	0
76.	टिमागुंडलू	88
77.	वी आर डीडी	56
78.	विजयपुर	384
79.	विश्वनाथपुर	80
80.	वाइटफील्ड	1000
81.	येलहंका	1000
जिला : बंगलूर शहरी		
1.	बंगलूर सेन्ट्रल-II	12500
2.	बंगलूर सेन्ट्रल-I	6850
3.	बंगलूर सिटि-I	11000
4.	बीजी सिटि-II	15000
5.	बी जी जयनगर	10000
6.	बी जी जयनगर (आरएलयू)	4700
7.	बीजी कोरमंगला	4000
8.	बीजी मालेस्वरम-I	11100
9.	मालेस्वरम-II	7150
10.	बीजी आरटी नगर	7000
11.	बीजी राजारी नगर	7000
12.	बीजी शंकरपुरम-II	10000
13.	शंकरपुरम-III	1600
14.	शकरपु-I	10000
15.	बीजी उलसूर-I	9900
16.	बीजी उलसूर-II	10000
17.	बीजी उलसूर-III	10000
18.	बीजी उलसूर-I\	2000
19.	बीजी विजयनगर	10000
20.	बीजी विजयनगर (आरएलयू)	2864
21.	कृष्णराजापुरम	2000
22.	पिनया	4000

1	2	3
जिला : बिदर		
1.	अनडुरा	88
2.	औराड (बी)	184
3.	बगदल	88
4.	बलार	88
5.	बसवाकल्याण	1000
6.	बेताम्बरा	56
7.	बेलूर	56
8.	भाल्की	536
9.	भीमलखेड	88
10.	भोपालगढ़ बेलकानी	56
11.	बीदर	3000
12.	चिलारगी	56
13.	चिटागुप्पा	272
14.	धनूरा	56
15.	डोंगापुर	56
16.	डुबलगुंडी	88
17.	घाटबोरल	56
18.	गोटा (बी)	88
19.	हलबरगा	56
20.	हल्लीखेड (बी)	240
21.	हल्लीखेड (के)	56
22.	हरकुड	56
23.	हुडगी	88
24.	हुलसूर	56
25.	हुलसूरखेड	56
26.	हमनाबाद	1000
27.	हुपला	56
28.	जनवाड	56
29.	जोलडुपका	56
30.	के. चिनचोली	88
31.	कमलानगर	184
32.	कमथाना	56
33.	कानाजी	56
34.	कानाकट्टा	88

1	2	3
35.	खेरडा (बी)	88
36.	किट्टा	88
37.	कोडमबट	88
38.	कोहिनूर	88
39.	कुंरबखेलगी	56
40.	लकनगांव	56
41.	माडकट्टी	56
42.	मंगलगी	88
43.	मानहल्ली	88
44.	मन्ना-ई-खेल्ली	152
45.	मथाला	152
46.	मेकहार	56
47.	मोरकंडी	56
48.	मछलाम्बा	56
49.	मुडबी	56
50.	मुडवी(बी)	56
51.	नवबाद	568
52.	निरगुडी	88
53.	निरना	88
54.	निट्टुर	56
55.	राजेश्वर	152
56.	रजोला	88
57.	संतपुर	56
58.	श्रीमंडल	56
59.	तलमडगी	88
60.	थानाकुशनूर	56
61.	तोरण	56

जिले का नाम : बीजापुर

1.	अगरखेड़	56
2.	अक्कीमरादी	88
3.	अलमट्टी	336
4.	अलमेल	144
5.	अमीनगढ़	88
6.	अनागाबाड़ी	56
7.	अरीकेरी	56
8.	अथहरगा	56
9.	बबलेश्वर	152
10.	बादामी	344
11.	बागलकोट	2688
12.	बागेबाड़ी बी	384
13.	बल्लोली	56
14.	बंतनूर	88
15.	बारादोल	56
16.	बासरकोड़	56
17.	बाटागुनाकी	56
18.	बेलूर	88
19.	बेनाकट्टी	56
20.	बीजापुर	7000
21.	बिज्जारगी	88
22.	बिल्गी	336
23.	चाड़चन	184
24.	चिक्कलगुंडी	88
25.	चिकपाडलसागी	88
26.	चिंचाखंडी	96
27.	देवनगांव	56
28.	देवरा निम्बारगी	56
29.	देवरा हिप्पारगी	152
30.	धानूर	56
31.	धावलेश्वर	88
32.	टोनूर	56
33.	गड्डानकेरी क्रॉस	176
34.	गलगली	184
35.	गनीहार	25
36.	गिरी सागर	56
37.	गोल्गेरी	56
38.	गोटे	88
39.	गोडूर	88
40.	गुलेड़गुड	536
41.	गुनादल	88

1	2	3
42.	गडाकानल	56
43.	हिप्पारगी	144
44.	हल्लागल्ली	56
45.	हल्लूर	96
46.	हल्सांगी	56
47.	हंगारगी	56
48.	हिबबल्ली	56
49.	हिष्पारगी	88
50.	हिरेदीवनूर	56
51.	हिरेरूगी	56
52.	होंगनहल्ली	56
53.	होननल्ली	56
54.	होन्नूटगी	56
55.	होनवाड़	88
56.	हूलागेरी	56
57.	होरति	112
58.	हुलयाल	56
59.	हुनागुंड	240
60.	इलकल	648
61.	इनामहनचिनाल	56
62.	इचागेरी	88
63.	इंडी	536
64.	इंगलागरी	56
65.	इंगलेश्वर	56
66.	जामाखंडी	1400
67.	जुमनाल	56
68.	के. सलावाडागी	56
69.	काडलीमत्ती	56
70.	काकानूर	56
71.	कालदगी	144
72.	कलकावातगी	56
73.	कलकेरी	56
74.	कामनगी	88
75.	कनकांवाड़ी	184
76.	कनामड़ी	56

1	2	3
77.	कंडागल	56
78.	कन्नूर	56
79.	करादी	88
80.	कटागेरी	56
81.	केरूर	192
82.	खखानडकी	56
83.	खेडगी	56
84.	कोल्हार	144
85.	कोन्नूर	96
86.	कोरबार	56
87.	गुडासालासानमगम	56
88.	कुलगेरी क्रास	56
89.	कुंचानूर	56
90.	कुंडारगी	56
91.	लछयान	56
92.	लिंगानूर	56
93.	लोहागांव	56
94.	लोकापुर	144
95.	लोनी	88
96.	मादीकेश्वर	88
97.	महालिंगापुर	512
98.	मेसुर	88
99.	ममादापुर	56
100.	मंगोली	56
101.	मंतूर	88
102.	मसाली बी.के.	56
103.	ममूती	88
104.	मेटागुड्डा	56
105.	गोरातागों	56
106.	गुड्डेबिहाल	536
107.	मुदहाल	792
108.	मुगलखोड़	88
109.	गुगललोली	56
110.	मुकानूर	56
111.	मुलवाड़	88

1	2	3
112.	मुट्टागी-गोलसांगी	56
113.	नागाथन	88
114.	नलावतवाड़	144
115.	नंदावदगी	56
116.	नंदीकेश्वर	88
117.	नरसालगी	56
118.	नवालगी	56
119.	नीलगुंड	56
120.	निधनी	56
121.	निंगापुर	25
122.	ओंतोहाल	56
123.	रचकावी	1000
124.	रड्डेर टिम्मापुर	56
125.	रामपुर (यो क टो)	88
126.	रामपुर (एसडीजैड)	56
127.	रेवतगांव	56
128.	रोनोहल	56
129.	सालोतगी	56
130.	समीरवाड़ी	192
131.	सरवाड़	56
132.	सासनूर	56
133.	सवालगी	56
134.	शिरोल	56
135.	शिरूर	56
136.	शिवानगी	88
137.	सिद्धापुर	56
138.	सिंदगी	536
139.	सोन्ना	56
140.	टडावलगा	88
141.	टक्कोड़	56
142.	तालीकोटी	536
143.	ठम्बा	152
144.	टंगादगी	56
145.	तेलगी	152
146.	तेरदल	384
147.	टिडागुंडी	56
148.	टिकोटा	88
149.	टोडलबागी	56
150.	टोरवी	56
151.	तुलसीगेरे	56
152.	टुंगल	56
153.	उक्कली	56
154.	उतनाल	56
155.	उत्तर	88
156.	वज्रमट्टी	88
157.	वाडवाडगी	56
158.	वंडाल	56
159.	याक्कंडी	56
160.	यलवार	56

जिले का नाम : चिकमगलूर

1.	अड्डागड्डे	96
2.	अज्जामपुरा	184
3.	अलदर	288
4.	अमरूथापुरा	56
5.	अनर	176
6.	अथारागट्टा	56
7.	अरासिनागुप्पे	152
8.	अट्टागुंडी	56
9.	अवथी	152
10.	बालोहाल	96
11.	बालोहान्नूर	700
12.	बंकल	176
13.	बसारीकट्टे	96
14.	बोगर	56
15.	बेट्टागेरी	56
16.	चिडारे	88
17.	चिरूर	384
18.	चक्कमक्की	152
19.	चिकमगलूर एक्सचार	5092

1	2	3
20.	चोलाहिरीयूर	56
21.	दरदाहल्ली	56
22.	दारेकोप्पा	56
23.	देवानूर	56
24.	गडीगेश्वरा	56
25.	गोनीबीद	160
26.	गोडाहल्ली	96
27.	गुबगल	88
28.	गुल्लनपेट	96
29.	गुथी	56
30.	हनथूर	96
31.	हरीहरापुर	152
32.	हिरूर	56
33.	हिरेबाइल	88
34.	हिरेकोडीगे	88
35.	हिरेनल्लूर	56
36.	हीरानाड	56
37.	हुन्सेघट्टा	56
38.	हुबीनाहाकलु	56
39.	जावली	90
40.	जयापुरा	272
41.	जोलदाल	88
42.	के.नी.हल	56
43.	कम्बीनाहल्ली	96
44.	काचीगे	88
45.	काडूर	744
46.	कलासा	192
47.	कलासापुरा	112
48.	कम्मारदी	96
49.	कनाथी	56
50.	केलाशुर	88
51.	केममानागुंडी	56
52.	के सुविनामने	56
53.	किंग्गा	56
54.	कोप्पा	480
55.	कोरानाहतली	56
56.	कुडलर	56
57.	कुदुरेगंडी	88
58.	कुडुर	56
59.	कुकानाडु	56
60.	लक्कावल्ली	144
61.	लकया	56
62.	लिंगाडाहल्ली	56
63.	एम.सी. हतली	56
64.	मागुंडी	56
65.	मकोनाहतली	88
66.	मालनदूर	96
67.	मतलेश्वरा	896
68.	माथीगट्टा	56
69.	मेलपाल	56
70.	मुडीगेरे	864
71.	मुगुलुवतली	56
72.	मुथीनाकोप्पा	56
73.	एन.आर. पुरा	264
74.	नार्वे	96
75.	नेम्मर	88
76.	निडागट्टा	56
77.	पंचनाहतली	88
78.	पंडारावल्ली	56
79.	रामेनाहल्ली	56
80.	रंगेनाहल्ली	56
81.	एच.सी. पेट	96
82.	साकरेपटना	184
83.	सामपिगेहट्टी	56
84.	शान्तिग्राम	88
85.	शानूवल्ली	144
86.	शिवानी आर.एस.	88
87.	सिन्दारामत्ता	56
88.	सिंगाटागेरे	56
89.	शिरीवासे	96

1	2	3
90.	श्रीनगेरी	568
91.	सुंकासाले	56
92.	तारीकेरी	792
93.	टोगाहीहंकल	96
94.	उत्तमेश्वर	88
95.	यगाती	88
96.	येल्लमबालेस	56

जिले का नाम : दक्षिण कन्नड

1.	अचालड़ी	88
2.	अद्यनडाका	192
3.	अदयारापाडवू	88
4.	अजेकर	184
5.	अज्जावरा	88
6.	अलंकार	88
7.	अलडनगड़ी	88
8.	अलीपाड़े	88
9.	अमावसेबेल	88
10.	आमपर	88
11.	अरनथोडू	88
12.	अरासिनामक्की	88
13.	अददी	88
14.	अवरसे	88
15.	बदागनूवेल्लूर	96
16.	बादागनूर	136
17.	बेलूर	344
18.	बाजागोली	152
19.	बाजेय	1400
20.	बंगड़ी	88
21.	बनवाल	1808
22.	बारकुर	264
23.	बासरूर	416
24.	बेल्लरे	384
25.	बेलथानगड़ी	648
26.	बेलवई	368
27.	बेलवे	96
28.	ब्रह्मावर	1500
29.	बिकमपाडी	2690
30.	बिंदूर	480
31.	चेरकड़ी	200
32.	चित्तूर	96
33.	धरमस्थला	192
34.	दिदूपे	88
35.	दोदाथोटा	224
36.	करिंगीपेट	416
37.	गांगुली	480
38.	गेरूकट्टे	56
39.	गोलाथमाजल	192
40.	गुड्डेनागड़ी	88
41.	गुरपुर	184
42.	गुर्थोगर	192
43.	एच.एच. पालथाडका	88
44.	हलीनगड़ी	344
45.	हल्लीहोले	88
46.	हमपनकट्टा	1400
47.	हगरकट्टे	160
48.	हरीहरापल्ला	88
49.	हटियानगड़ी	56
50.	हेबरी	342
51.	हेम्मड़ी	96
52.	हेरगा	416
53.	हिरगना	88
54.	हिरियादका	238
55.	होसनगड़ी	88
56.	होसमार	184
57.	हुनसेमक्की	200
58.	इन्नागुड्डा	88
59.	इरडे	136
60.	ईश्वरामंगला	176
61.	ईवरानाडु	88

1	2	3
62.	जाकाट्टे	352
63.	जालसूर	184
64.	जन्नाडी	88
65.	के. वाजाथुर	88
66.	काब्बीनाले	56
67.	काडाबा	168
68.	काकिनजे	96
69.	कालमाडका	88
70.	कालयानपुरा	1000
71.	काम्बाडाकोने	192
72.	कानियूर	88
73.	कांकानाडी	5000
74.	कन्नूर	384
75.	कानयाना	192
76.	कारकाला	2160
77.	कारकुंजे	192
78.	कारनीरे	88
79.	काटपाडी	416
80.	काउप	1,000
81.	काबूर	1512
82.	कंडिला	88
83.	कंडिन्जे	160
84.	कंम्पान्नु	504
85.	कंरावासे	56
86.	किन्नीगोली	648
87.	किन्नीकांबला	840
88.	कोडियाम्बाडी	56
89.	कोइला	88
90.	कोक्कारने	88
91.	कोलालागिरी	192
92.	कोलचार	88
93.	कोल्लूर	144
94.	कोलनाड	96
95.	कोनाजे	512
96.	कोन्नोपाडाव	96

1	2	3
97.	कोटेश्वरा	576
98.	कृष्णापुरा	688
99.	कुक्केहल्ली	88
100.	कुक्कुजे	88
101.	कुला	176
102.	कुंडापुरा	2500
103.	कुंदुर	88
104.	कुप्पेपाडाव	192
105.	कुरनाद	176
106.	कुरनादका	56
107.	माडापाडी	56
108.	मादाबयु	56
109.	माला	88
110.	माल्लूर	160
111.	मांचो	192
112.	मांदार्थी	196
113.	मांडकोलु	88
114.	मंगलौर	5700
115.	मानी	416
116.	मानीपाल	2808
117.	मानीपुरा	96
118.	मारावांथे	192
119.	मारकानाजा	88
120.	मिजार	96
121.	मूडबैली	288
122.	मूड बिदरी	1400
123.	मुल्की	1000
124.	मुनियाल	88
125.	नाकरे	88
126.	नानथुर	5856
127.	नेल्लीयाड़ी	160
128.	नेट्टाना	56
129.	निट्टे	96
130.	नाइडल	88

1	2	3
131.	निट्टे	184
132.	नूजीबालथीला	88
133.	पाडांगडी	88
134.	पाडुबिडरी	1040
135.	पालादका	96
136.	पाल्ली	88
137.	पानाजे	160
138.	पांडेश्वर	12356
139.	पानेनांगलांर	440
140.	पानियूर	88
141.	पांजा	144
142.	पेरड्डूर	184
143.	पेरिन्जे	96
144.	परलामपाडी	88
145.	पेरने	88
146.	पेरूबई	152
147.	पिलार	192
148.	पोलाली	192
149.	पुन्चा	96
150.	पुंजालकट्टा	256
151.	पुथिला	88
152.	पुत्तुर	3300
153.	रेनजाला	56
154.	साचारीपेट	184
155.	साज्जीपानाडु	96
156.	सालिग्रामा	808
157.	साम्पाजे	160
158.	सांथेकाट्टे	88
159.	सांतियार	152
160.	सावानूर	88
161.	साम्बूर	56
162.	शंकरनारायना	120
163.	शंकरपुरा	416
164.	शांतिगोड	88
165.	शिरीयारा	96
166.	शिरूर	576
167.	शिरथाडो	186
168.	शिरवा	1000
169.	शिशीला	56
170.	शिवपुरा	88
171.	सिड्डापुरा	96
172.	सिड्डेकाट्टे	96
173.	सोरनाड	88
174.	बुबरामानया	96
175.	सुल्लिया	1400
176.	सुराथकाल	1928
177.	टाक्कोडे	96
178.	टेक्काट्टे	200
179.	टेल्लार	56
180.	थिंगालाडी	176
181.	थोडिकाना	56
182.	उडाने	56
183.	उडुपी	9008
184.	उजीरे	344
185.	उली	88
186.	उल्लाल	2560
187.	उप्पीनानगाडी	5500
188.	उप्पुनडा	160
189.	उरूवालु	88
190.	उरवा	5000
191.	वामान्जुर	256
192.	वेन्नूर	96
193.	विट्टल	928
194.	बोग्गा	96
195.	बोलथाडका	88
196.	बोमादापाडाव	96
196.	येदामंगला	88
198.	येडथाडी	88

1	2	3
जिला : दावणगिरि		
1.	अलूर	56
2.	अनागोडु	88
3.	अनाजी	56
4.	असागोडु	56
5.	अट्टीगेरे	88
6.	आवारागोल्ला	56
7.	वी.जे. केरे	96
8.	वाल्लालोसमुद्रा	32
9.	बान्नीकोडु	25
10.	बेलाघाट्टा	56
11.	बेलागुर	96
12.	बेल्लुडी	56
13.	बेनाकानाहल्ली	56
14.	भानुवल्ली	88
15.	भारमासागरा	176
16.	भीमासमुद्रा	168
17.	बिदारेकेरे	56
18.	बिलिचोडु	88
19.	बुदिहाल	88
20.	सी.एम. हल्ली	32
21.	चाल्लाकेरे	1528
22.	चिक्काबेन्नुर	56
23.	चिक्काजाजुर	96
24.	चित्रादुर्गा	3000
25.	चित्राहल्ली	56
26.	डी.एस.हल्ली	56
27.	दावणगिरी	4600
28.	दावणगिरी	728
29.	दावणगिरी	1112
30.	दावणगिरी	6000
31.	देवीकेरे	56
32.	धर्मापुरा	32
33.	ईश्वरागेरे	32
34.	घाटापार्थी	56
35.	गोडाबानाहाल	56
36.	गोपानाहल्ली	56
37.	गौरासमुद्रा	56
38.	गुल्लादाहल्ली	25
39.	एच.डी. पुरा	56
40.	हादादी	88
41.	हालेबाथी	88
42.	हरिहारा	1512
43.	हरिहारा	1064
44.	हेब्बाल	88
45.	हिरेहल्ली	56
46.	हिरेथम्मीगानुर	32
47.	हिरीयुर	176
48.	हिरीयुर	768
49.	होलालकेरे	184
50.	होलालकेरे	152
51.	होसादुर्गा	400
52.	होसादुर्गा रोड	88
53.	झगूर	56
54.	जे.जी. हल्ली	56
55.	जगलुर	192
56.	जानकाल	32
57.	के.एन. हल्ली	88
58.	कमण्डलागुंडी	32
59.	कानागावल्ली	32
60.	कांडागाल	56
61.	किट्टाडाल	88
62.	कोडागानुर	56
63.	कोगुण्डी	56
64.	कोण्डाज्जी	56
65.	कुरकी	56
66.	लक्ष्मीसागरा	56
67.	लोकीकेरे	56
68.	माटादाकेरे	32
69.	माधुरे	56

1	2	3
70.	मालेवेन्नुर	264
71.	माल्लादिहल्ली	96
72.	माल्लादिहल्ली	56
73.	मारादिहल्ली	56
74.	माथी	56
75.	माथोडु	56
76.	मायाकोंडा	56
77.	मेतीकुरके	56
78.	मोलाकालमुरू	176
79.	मुद्दापुरा	56
80.	मुस्तुर	56
81.	एन.जी. हल्ली	56
82.	नारागानाहल्ली	25
83.	नायकानाहाट्टी	96
84.	नेरालागुंटे	56
85.	ओबलापुरा	56
86.	परसुरामपुरा	96
87.	रामागिरी	56
88.	रामाजोगीहल्ली	56
89.	रामपुरा	88
90.	रंगावानाहल्ली	56
91.	रंगेनाहल्ली	32
92.	रेनुकापुरा	56
93.	सानेहल्ली	32
94.	साराथी	56
95.	सिरीगेरे	88
96.	सोक्के	56
97.	श्रीरामपुरा	176
98.	टी.बी. सर्किल	88
99.	टी.एन.कोटे	56
100.	ताल्लाक	56
101.	तालया	32
102.	तुप्पादाहल्ली	88
103.	तुरूवान्नुर	88
104.	तुरवानुर	56
105.	वी.वी. पुरा	32
106.	यालाडाकेरे	25
107.	यालानाडु	32
108.	यारावल्ली	32
जिला : धारवाड़		
1.	अब्बीगेरे	88
2.	अदारागुंची	96
3.	अड्डूर	56
4.	अगाडी	56
5.	आक्किकयालुर	96
6.	अलागवाडी	56
7.	अलनावार	240
8.	अमरगोल	976
9.	अप्पीनभावी	88
10.	अन्नीगेरी	192
11.	अरालिकट्टी	88
12.	अराबाटगी	88
13.	अरेकुरहाट्टी	96
14.	असुनदी	56
15.	असुति	56
16.	वालागानुर	56
17.	बांकापुर	160
18.	बेलादाहाडी	56
19.	बेलाबांकी	56
20.	बेलादिगी	56
21.	बेलगालपेट	56
22.	बेल्ललाट्टी	88
23.	बेल्लाटी	144
24.	बेलूर	184
25.	बोम्मानाहल्ली	88
26.	बयाडागी	768
27.	बयाहट्टी	56
28.	चिक्काहांडीगोल	9
29.	चिक्कामान्नुर	96

1	2	3
30.	चिक्कानारगुंड	56
31.	चिक्कौन्शी	56
32.	चिक्केरूर	56
33.	दामवाल	56
34.	देवागिरि	56
35.	धारवाड़	7000
36.	धारवाड़	1600
37.	धुमाड	88
38.	धुम्मावाड़	25
39.	धुन्दाशी	56
40.	दोनी	56
41.	दागाड	4096
42.	गजेन्द्रगढ़	472
43.	गालगिहुलिकोप्पा	88
44.	गारग	88
45.	गुडगेरी	88
46.	गुट्टाल	88
47.	हादली	56
48.	हालगेरी	88
49.	हाल्लीहाल	56
50.	हाम्मीगी	56
51.	हनगाल	424
52.	हनुमानहट्टी	88
53.	हारागिरि	56
54.	हारटी	56
55.	हाउनसभावी	88
56.	हावानूर	56
57.	हवेरी	1528
58.	एचबीई-10 बी	1960
59.	एचबी गोकुल आरडी	1920
60.	एचबी मैक्स -1	3600
61.	एचबी-सीबी	4000
62.	एचबी-जे सी नगर	7896
63.	हेब्बल	56
64.	हैब्बल (एस)	56
65.	हेब्बल-1	56
66.	हेबसुर	88
67.	हिरेबिदरी	56
68.	हिरेगंजल	56
69.	हिरेहल	56
70.	हिरेकेरूर	336
71.	हिरेबाद्दाती	56
72.	होलियालुर	192
73.	होम्बल	56
74.	होन्नाती	56
75.	होसारित्ती	88
76.	हुबली	6320
77.	हुबली	4088
78.	हुलाकोत्ती	152
79.	हुलगुर	56
80.	हुल्लर	56
81.	इब्राहिमपुर	56
82.	इगाल्गी	56
83.	इटागी	56
84.	जल्लापुर	56
85.	जोइसर हरालिहल्ली	56
86.	कलाघटगी	328
87.	कालकेरी	56
88.	कामधाली	88
89.	कराजगी	56
90.	करूर-चलागेरी	56
91.	कोड	56
92.	कोन्नूर	25
93.	कुंडगोल	240
94.	कुप्पेलर	56
95.	कुरलागेरी	56
96.	कुर्थकोटी	56
97.	कुरूबगौंडा	56
98.	लक्कुंडी	56
99.	लक्ष्मेश्वर	336
100.	मैदुर	56

1	2	3
101.	मकानूर	56
102.	मैसूर	176
103.	मेदलेरी	56
104.	मिश्रीकोटी	184
105.	मोराब	56
106.	मुदीगेरे	56
107.	मुगाद	56
108.	मुलगुंड	96
109.	मुदर्गी	192
110.	नगेरमल (एच)	56
111.	नलवाडी	88
112.	नरगला (जी)	240
113.	नारगुंद	384
114.	नवलगुंद	304
115.	नेगालूर	88
116.	निडगुडी	56
117.	निगादी	56
118.	पेट्टालूर	56
119.	रनेबेन्नूर	2500
120.	रत्तीहल्ली	152
121.	रोन	290
122.	संगूर	88
123.	सौंशी	88
124.	सवनूर	384
125.	सेलवाडी	56
126.	शिगगांव	160
127.	शिगली	88
128.	शिरहत्ती	224
129.	शिरोल	184
130.	शिरोल	35
131.	शिरूगुप्पी	88
132.	सुदी	96
133.	तादस	88
134.	तरिहल	272
135.	तेवरमेल्लिहल्ली	56
136.	तिलावल्ली	88
137.	तिरलापुर	56
138.	तुम्मिनकट्टी	56
139.	उप्पिनबेटागेरी	96
140.	विद्यानगर	2952

जिले का नाम : गुलबर्गा

1.	आदित्यनगर	88
2.	अदकी	56
3.	अफजलपुर	336
4.	आयनोली	56
5.	अलाहल्ली	56
6.	अलंद	368
7.	अलंद	88
8.	अंबलगा	56
9.	अदोला	56
10.	अटनर	88
11.	औराद (बी)	56
12.	बी. गुडी	152
13.	बडादल	56
14.	बगोडी	56
15.	बालिचक्र	56
16.	बालरागी	88
17.	बंदरबाड	56
18.	भीमाहल्ली	56
19.	भुसनूर	56
20.	चमनाल	56
21.	चंदनकेरा	56
22.	चिम्मनचांड	56
23.	चिनचोली	184
24.	चितपुर	152
25.	चितपुर	176
26.	चौदपुर	88
27.	दंडोती	56

1	2	3
28.	देवापुर	56
29.	दोरनल्ली	56
30.	फरथाबाद	56
31.	गडीकेश्वर	56
32.	गनवार	56
33.	घनगापुए आरएस	56
34.	घनगापुर टी	152
35.	गोन्बूर	56
36.	गोगा	88
37.	गुलबर्गा	13000
38.	गुजानूर	56
39.	गुरूमितकाम	184
40.	हरसूर	56
41.	हरवाल	56
42.	हत्तीगुदर	56
43.	हत्तीकुनी	56
44.	हवानूर	56
45.	हय्यल	88
46.	हब्बाल	56
47.	हेब्बर्गा (बां)	88
48.	हिरेन्दुर	56
49.	हिरोली	56
50.	होनागुंटा	56
51.	हुनसागी	184
52.	इजेरी	88
53.	जससुल्तानपुर	56
54.	जवारगी	352
55.	जवारगी (बां)	56
56.	कदागांछा	56
57.	कक्कंडा	25
58.	कलगी	88
59.	कल्लाहनगर्गा	56
60.	कल्लुर-डी	56
61.	कमलापुर	88
62.	कारजगी	56

1	2	3
63.	कैंभवी	56
64.	खजूरी	56
65.	खानाडल	56
66.	खानापुर	56
67.	किरंगी	56
68.	कोडेकल	56
79.	कोडला	88
70.	कोडली	56
71.	कोल्लुर	56
72.	कोंचर	56
73.	कोंकल	88
74.	कृष्णापुर	56
75.	कुंकुडा	56
76.	कुरकुंटा	88
77.	एच. हिप्पर्गा	56
78.	मद्दाकी	56
79.	मदियाल	56
80.	महागांव	88
81.	मलगट्टी	88
82.	मालखेड	88
83.	मंडेवल	88
84.	मन्नूर	56
85.	मरगुटटी	56
86.	मरतर	56
87.	मशाल	88
88.	मिरियान	56
89.	मुडबल	56
90.	मुधनर	56
91.	मडोल	56
92.	मुगालगांव	56
93.	नगनूर	56
94.	नलवार	56
95.	नारायणपुर	56
96.	नारीबोल	56
97.	नरोना	56

1	2	3
98.	नलोगी	56
99.	निदगंडा	56
100.	निम्बल	56
101.	निम्बर्गा	56
102.	पेट्सीरूर	56
103.	आर.कोल्लूर	56
104.	रामसमुद्रा	56
105.	रानजोला	56
106.	रतकल	56
107.	रेवलर बी	56
108.	रूद्रवादी	56
109.	एस. सरदार्गा	56
110.	सागर	56
111.	सइंदापुर	184
112.	सरसंबा	88
113.	सवलगी	56
114.	सेदाम	424
115.	सेदाम	88
116.	शाहबाद	704
117.	शाहबाद	184
118.	शाहपुर	384
119.	शाहपुर	184
120.	शिरवाल	88
121.	शीरापुर	384
122.	शोरापुर	88
123.	सोंठ	56
124.	सुलेपेठ	56
125.	टाडाकल	56
126.	ताजसुल्तानपुर	56
127.	तेंगली	56
128.	उडचन	56
129.	वीके सलगर	56
130.	वडागेरा	56
131.	वादी	424
132.	वादी	88
133.	वानदुर्गा	88
134.	यदागिरी	1000
135.	यद्रामी	88
136.	यलगी	56
137.	येलहेरी	88
138.	येरगोल	56

जिले का नाम : हासन

1.	अदागुर	56
2.	अल्लुर	240
3.	अरेहल्ली	184
4.	अरकलगुड	184
5.	अरसीकेरे	1512
6.	अट्टिहल्ली	56
7.	बागेशपुर	56
8.	बागुर	56
9.	बल्लूपेट	184
10.	बनवारा	264
11.	बसवापटना	88
12.	बलगुंवा	56
13.	बेलूर	680
14.	बेक्कोडु	88
15.	बायरापुरा	56
16.	चगचगेरे	176
17.	चंगादहल्ली	56
18.	चन्नारायापटना	1112
19.	चीकाम्मनहल्ली	144
20.	चीकाम्मनहल्ली	56
21.	देवलडकेरे	88
22.	डिडिगा	144
23.	डोड्डाभग्गे	88
24.	डोड्डामेटिकुर्के	264
25.	डोड्डा	88
26.	डुम्मेनहल्ली	56
27.	गंडसी	88

1	2	3
28.	गेंडेहल्ली	88
29.	गोडिल	88
30.	गोरूर	160
31.	हगारे	88
32.	हलेबीडु	88
33.	हलेकोटे	56
34.	हल्लीमैसूर	88
35.	हनबल	176
36.	हरनाहल्ली	56
37.	हासन	7000
38.	हेब्बाल	56
39.	हेग्गाडे	56
40.	हेरग	56
41.	हेतर	88
42.	हिरिसवे	272
43.	हिरीयर	56
44.	होले नरसीपुरा	680
45.	होसद	56
46.	हुल्लुकेरे	56
47.	जवांगल	264
48.	ज्योतिनगर	56
49.	के. अब्बूर	56
50.	के. एच. कोटे	88
51.	कटमने	56
52.	कलागुंडी	56
53.	कलकरे	56
54.	कामसमुद्रा	25
55.	कानाकाट्टे	56
56.	केरलपुरा	88
57.	केसगोडू	88
58.	कोलगुंडा	56
59.	कोन्नूर	176
60.	कौशिका	56
61.	एम.सी.एफ	152
62.	मद्दारहल्ली	56
63.	मल्लीपटना	56
64.	मट्टानविल्ले	56
65.	मोसलहोसनहल्ली	88
66.	नेरलिगे	96
67.	नोरवे	56
68.	नग्गेहल्ली	184
69.	पलया	96
70.	रामनाथपुरा	88
71.	रायरकोप्पल	144
72.	सकलेशपुर	1200
73.	सलगमे	184
74.	शांतिग्राम	160
75.	शुक्रवारसांठे	56
76.	श्रवणबेलगोला	352
77.	थोलालु	56
78.	उदयपुरा	25
79.	उदेवरा	56
80.	उडीगनालू	25
81.	येसलूर	88

जिले का नाम : कोडागू

1.	अलूर सिद्दापुर	88
2.	अमेठी	312
3.	अरेकाड	80
4.	बलेली	384
5.	बट्आगिरी	152
6.	भागामंडल	88
7.	बिलीगिरी	88
8.	बिरूनैनी	80
9.	बोइकेरी	96
10.	बैरामबाड़ा	88
11.	चेन्नयनकोटे	56
12.	चेरमबाने	144
13.	चेट्टल्ली	152
14.	चेट्टीमणी	88
15.	चेट्यदाने	88

1	2	3
16.	गढवाले	25
17.	गोनीकोप्पल	688
18.	गोउदाहल्ली	88
19.	डाकाटूर	152
20.	हट्टीहोली	56
21.	हेब्बाली	56
22.	होसकोटी 7वीं	88
23.	हडीकेरी	96
24.	कादेगां	160
25.	कजूर	88
26.	कक्काचे	96
27.	कालथमाड़	80
28.	कम्बोवाने	88
29.	कन्नूर	184
30.	कारेक	88
31.	किरगूर	88
32.	कोडलापेट	152
33.	कोइनाड़	88
34.	कोकटपुरम्बू	88
35.	कोणनकट्ट	88
36.	कोट्टहोड़ बिगोड़	88
37.	कुंडा	80
38.	कुशलनगर	1000
39.	कुट्टा	240
40.	मादापुरा	152
41.	गडेनाड	88
42.	मडीकेरी एसबीएम	1400
43.	मडीकेरी एमबीएम	2000
44.	मक्कनदूर	56
45.	मालदरी	56
46.	मारगोड़	96
47.	मायामुड़ी	88
48.	मूरनाड़	272
49.	नलकेरी	88
50.	नपोकलू	272
51.	नेलजी	96
52.	पारामी	88
53.	पेराजी	96
54.	पोल्लीबेट्टा	184
55.	पोन्नमपेट	272
56.	रूद्रागुप्पी	88
57.	शानेवारसथी	256
58.	शांथहल्ली	88
59.	शेट्टीगिरि बी	88
60.	सिद्दापुर	520
61.	सोमवारपेट	1000
62.	श्रीमंगला	272
63.	संती-कोप्पा	344
64.	थिथीमाढी	96
65.	थोलूरशेथली	88
66.	बलनूर	88
67.	बिराजपेट	1000
68.	यादवनड़	56

जिले का नाम : कोलार

1.	अबलूड़	56
2.	अल्याट्टा	56
3.	अलीपुरा	88
4.	अनूर	88
5.	आरालेरी	56
6.	अरीकुंटे	88
7.	बागेपल्ली	480
8.	बंगारपेट	1512
9.	बशेट्टी हल्ली	56
10.	बाटलाहल्ली	56
11.	बोचागनाहल्ली	56
12.	बेमल	1000
13.	बेथामंगला	182
14.	बिल्लूर	56
15.	बडीकोटे	56

1	2	3
16.	बिराकूर	88
17.	चकवेल	56
18.	चौमांगला	88
19.	चेलूर	176
20.	चिकबल्लापुर	2000
21.	चिक्काबोरूपाथी	88
22.	चिलकलपेरपु	56
23.	चिंतामणी	1936
24.	डी.एन. पाल्या	56
25.	दलसनूर	88
26.	देवरयासमुद्रा	56
27.	दिब्बुर	56
28.	दिब्बूरहल्ली	88
29.	गौरीबिदनूर	944
30.	गौअर्नापल्ली	144
31.	गुडीबांदा	88
32.	गुलूर	56
33.	हमपासंद्रा	56
34.	होलूर	56
35.	होसूर	144
36.	हुडकुला	88
37.	इदागुर	56
38.	इरगामपल्ली	56
39.	जेगमकोटे	96
40.	जठवाड़ा	88
41.	के.जी.एफ	2500
42.	कैवारा	144
43.	कोमासमुद्रम	144
44.	कॅचरलाहल्ली	56
45.	कोलर	3000
46.	कोलावनाहल्ली	88
47.	कोटगल	56
48.	कुंदलाकुरकी	56
49.	कयेलानूर	160
50.	क्यासम्बल्ली	56

1	2	3
51.	लक्ष्मीपुरा	56
52.	लक्ष्मीदेवीकोटे	96
53.	मलनायकनहल्लि	56
54.	मलूर	1172
55.	मन्चेनाहल्ली	96
56.	मंडीकल (सीबीएल)	56
57.	मंडीकल (एमयूएल)	56
58.	मस्थी	96
59.	मेलूर	400
60.	मेल्या	56
61.	मिट्टेमरी	56
62.	मुड़वाड़ी	56
63.	मुलबागल	748
64.	मुरूगमलई	88
65.	नागरागिरी	56
66.	नंदी हिल्स	56
67.	नंदी विल्लेज	112
68.	नांगली	176
69.	नरसापुरा	182
70.	ऊरी कुंटे मित्तुर	56
71.	पल्याकोरे	88
72.	पाथापल्या	56
73.	पटना	56
74.	पेरिसन्द्रा	56
75.	रागीमानंदिनी	56
76.	राजूपेट रोड	88
77.	रायलपाड	56
78.	रोनूर	88
79.	एस. गोल्लाहल्लि	88
80.	सिदलाघट्टा	1000
81.	सोमयाजलापल्लि	88
82.	सोमनाहल्लि	56
83.	श्री निवासपुर	516
84.	संगाथूर	96
85.	सुंदरापिल्या	56

1	2	3
86.	त्यालूर	144
87.	टेकल	184
88.	थोंडीभवी	56
89.	उथानूर	56
90.	वटाडाहोसाह	56
91.	वेलागलावुर्टे	144
92.	वेमगाल	96
93.	विदुरासवाठा	56
94.	वोडागूर	160
95.	वोक्कलेरी	96
96.	वाई. हुसेनाहल्लि	56
97.	यागुवाकोटे	144
98.	येलदूर	144
99	येल्लमपल्लि	96

जिल का नाम : मांडया

1.	अघालया	96
2.	अक्कीहेबल	56
3.	अराकेरी	56
4.	बन्नागड़ी	56
5.	बसरालू	56
6.	बेक्कालले	56
7.	बेतागोला	184
8.	बेलीकबाड़ी	56
9.	बेल्लूर	272
10.	बेसागराहल्लि	96
11.	बिंदीगणाविले	56
12.	बोगाड़ी	56
13.	ब्रहमादेवरहल्लि	56
14.	बुक्किनेकेरी	56
15.	चंदूपुरा	56
16.	चिक्कमुलगोड	56
17.	चिनकुरली	56
18.	चिन्या	56
19.	देवलापुरा	56
20.	एच. मल्लिगिरि	56
21.	हाडली	88
22.	हालागुर	272
23.	हलुवडी	88
24.	हनाकेरी	88
25.	के.एस. डुडी	232
26.	कडाबल्लि	272
26.	कडकोयाहल्लि	56
28.	कीलारा	88
29.	केरागोडु	144
30.	केसटूर	56
31.	किक्केरी	56
32.	किरूगावलू	88
33.	कोडियाला	88
34.	कोप्पा	88
35.	कुठाडी	88
36.	कृष्णाराजापेट	472
37.	क्याथनाहल्लि	88
38.	मद्दूर	800
39.	मालावल्लि	768
40.	माडागिरि	56
41.	मांडया	5664
42.	मेलकोटे	88
43.	मुद्रागनदूर	56
44.	नागमंगला	344
45.	नारेगनहल्लि	56
46.	पांडवपुरा	768
47.	पंडियाहल्लि	56
48.	पूरीगली	88
49.	संथीबाचहल्लि	56
50.	शिवाहल्लि	144
51.	शिवनासमुद्रा	56
52.	सिंधागट्ठा	56
53.	सोमनाहल्लि	56
54.	श्रीरंगापटना	768

1	2	3
55.	सुनकाठान्नूर	56
56.	वी.सी. फार्म	56
57.	विट्ठालापुरा	56
58.	येलियूर	88

जिले का नाम : मैसूर

1.	आज्जीपुरा	56
2.	आलनाहल्ली	56
3.	अलूर	96
4.	अन्नूर	56
5.	अंतरासांथि	56
6.	अरकालवडी	56
7.	अयाराहल्ली	88
8.	बी.आर. हिल्स	56
9.	बच्छीगोडनाहल्ली	56
10.	बाडानागुप्पी	56
11.	बांदाहल्ली	25
12.	बन्नूर	376
13.	बार्गी	56
14.	बेगूर	56
15.	बेलाबड़ी	1256
16.	बेटादपुरा	176
17.	भूरिया	88
18.	भोगबी	280
19.	बिल्लीकेरी	88
20.	बिसालबडी	56
21.	चमराजनगर	1200
22.	चन्द्रावाड़ी	56
23.	चनुंदी हिल्स	184
24.	छपराडाहल्ली	56
25.	चिलकुंडा	144
26.	युंचनाकट्ठे	88
27.	चौडाहल्ली	56
28.	डाडामलमांडू	56
29.	गादिज	56
30.	गरमनाहल्ली	56

1	2	3
31.	गुंडलुपेट	768
32.	गंगराल छतरा	56
33.	हम्पापुरा	56
34.	हनागोंडू	56
35.	हांगला	56
36.	हन्नूर	200
37.	हरोहल्ली	56
38.	हब्बलागुप्पी	56
39.	हेब्बासूर	56
40.	हेडियाला	88
41.	हेगादादेवनकोटे	328
42.	हीरीकट्ठी	56
43.	हुल्लाहल्ली	152
44.	हंडोपुरा	56
45.	हंसुरा	1144
46.	हुरा	56
47.	जंगपुरा	88
48.	के.आर. नगर	1000
49.	कब्बाहल्ली	88
50.	काबिनी कालोनी	56
51.	कड़ाकोला	184
52.	कग्गालीपुरा	88
53.	कारापुरा	56
54.	कसुविनाहल्ली	56
55.	कविलदी	56
56.	केब्बेकाप्पालू	56
57.	किट्टूर	56
58.	कोल्लेगल	1584
59.	कोमलापुरा	56
60.	कोठलवाडी	56
61.	कोठापुर	56
62.	कुदेरू	56
63.	कुण्टुर	56
64.	कुराहटटी	56
65.	लोक्कानाहल्ली	56

1	2	3
66.	एम.एम. हिल्स	88
67.	मादापुरा	56
68.	मंगला बांदीपुरा	56
69.	मटाकरी बी	56
70.	मेघलापुरा	56
71.	मिरले	88
72.	मुगुर	88
73.	मुलुर गवाडागेरे	56
74.	एम वाई गोकुलम	8000
75.	एम वाई कुवेम्पुनगर	3144
76.	एम वाई आर टी टी सी	5000
77.	एम वाई उदयगिरि	1400
78.	एम वाई मेन आर एल यू	5000
79.	मैसूर	15000
80.	नजनाहल्ली	96
81.	नंदीनाथापुरा	56
82.	नांजादेवनापुरा	88
83.	नांजनगुड	1582
84.	ओडेयारपालया	88
85.	पालया	56
86.	पंचाबल्लो	56
87.	देरियापटना	496
88.	शर पी कालोनी	88
89.	आर पी घाट	56
90.	रावन्दुर	56
91.	रायनकेरे	88
92.	सालिग्राम	296
93.	सरगुर	192
94.	साठेगाला	88
95.	सिंगानल्लूर	88
96.	सुरापुरा	56
97.	सुत्तूर	96
98.	टी. नरसीपुरा	664
99.	तालाकाड	96
100.	तेराकनांबी	88
101.	ठगादुर	56
102.	थाटटेकेरे	56
103.	उडिगला	56
104.	वट्टालू	56
105.	वेंकटाइनाचातरा	182
106.	चेंचागोंडला	56
107.	येलांदुर	200
108.	यरीयुर	56

जिले का नाम : रायचूर

1.	सेवेंथ माइल कैंप	56
2.	अगलकेरा	88
3.	अलावांडी	88
4.	अनेगुंडी	90
5.	अनवारी	56
6.	अप्पाराव कैंप	56
7.	अरागिसामारा	56
8.	कराकेरा	56
9.	बाडालीं	56
10.	बागलवाड	56
11.	बालागानूर	56
12.	बल्लाटगी	88
13.	बन्नी कोप्पा	56
14.	बिनाकल	56
15.	बिटागेरा	56
16.	बेवूर	56
17.	बिटचाल	56
18.	बुडुगुम्पा	56
19.	बयागावट	56
20.	चेल्लूर	88
21.	डाडेसागुर	56
22.	डियोडुर्गा	184
23.	डोथिहाल	56
24.	गाब्बूर	88
25.	गड्डी	56

1	2	3
26.	गंगावठी	2200
27.	गेंजलागाटटा	56
28.	गुंजहल्ली	56
29.	गुरूगुंटा	88
30.	हलागेरा	56
31.	हलाहल्ली	56
32.	हांचीनल कैंप	152
33.	हनुमानाहल	56
34.	हनुमानसागर	152
35.	हेडीगिबल	56
36.	हीरेबागानल	56
37.	हीरेकोटनावल	56
38.	हीरेसिंदागी	56
39.	हिटनाल	88
40.	होनवाल	56
41.	हुट्टी	88
42.	हरकालगुडा	56
43.	इटागी	56
44.	जगारकल	56
45.	जलहल्ली	56
46.	जलीहल	184
47.	जवालगेरा	56
48.	काल्लूर	56
49.	कलमाला	56
50.	कनकागिरी	96
51.	करातागी	536
52.	कटारकी	56
53.	कटारकी (के पी एल)	56
54.	कवातूर	56
55.	किन्हाल	96
56.	कोप्पल	1472
57.	कोठाल	56
58.	कुकनूर	152
59.	कुर्दो	56
60.	कुरकण्डा	88

1	2	3
61.	कुश्तागी	336
62.	लिंगासुगुर	312
63.	मल्लाट	88
64.	मंगलोर	56
65.	मानवी	568
66.	मसारकाल	56
67.	मास्की	192
68.	मटमारी	88
69.	मुड्डेबाल्ली	56
70.	मुढोल	56
71.	मुड्डगल	88
72.	मुण्डारगी	56
73.	मुनीराबाद	344
74.	मायलापुर	56
75.	मायनल्ली	56
76.	नागलापुर	56
77.	निर्माणवी	88
78.	पागडाडिन्नी	56
79.	पोत-नाल	56
80.	रायचूर	5500
81.	रामदुर्ग	56
82.	सांथेकाल्लुर	56
83.	शक्तिनगर	680
84.	सिंधनूर	1456
85.	सिरवार	176
86.	सोमालापुर	56
87.	श्रीपुरम जंक्शन	152
88.	श्रीरामनगर	192
89.	टाडकल	56
90.	टावरेगेरे	152
91.	थुंगभद्रा	56
92.	तुरवीहाल	88
93.	यराकेरा	56
94.	येलबर्गा	152
95.	येरामार्श	56

1	2	3
जिले का नाम : शिमोगा		
1.	अब्बलागेरे	88
2.	अगरडाहल्ली	192
3.	अगुम्बे	56
4.	अलागेरोमान्द्री	56
5.	अंबलीगोला	56
6.	आनंदापुरम	184
7.	अनावट्टी	56
8.	अनावेरी	96
9.	अरालागाड्डु	56
10.	अरालासुरली	88
11.	अरेबिलची	96
12.	अरेलेहल्ली	56
13.	आरगा	88
14.	अविनाहल्ली	56
15.	आयनूर	96
16.	बलिया मरूनाहल्ली	88
17.	बसर	88
18.	बसावनी	96
19.	बसवापटना	184
20.	बोरनकेरे	56
21.	बेज्जावल्ली	184
22.	बेलागुट्टी	56
23.	बेनाकलहल्ली	56
24.	भद्रवथी	2592
25.	भरंगी	56
26.	बिल्की	56
27.	चक्रनगर	56
28.	चंद्रागुट्टी	56
29.	चन्नागिरी	384
30.	चिल्लूर	88
31.	गजानूर	56
32.	गौतमपुरा	56
33.	गोप्पेनहल्ली	96
34.	गुडावी	56
35.	गुडडेकेरे	88
36.	हल्लीकेरे	88
37.	हरनाहल्ली	96
38.	हरीशे	88
39.	हेग्गोड्डु	272
40.	हीरेकेगलूर	56
41.	हीरेकीगलूर	56
42.	हीथला	56
43.	होडीगेरे	88
44.	होडला	56
45.	होलालूर	56
46.	होलेहोन्नूर	184
47.	होन्नाली	391
48.	होसाबेले	96
49.	होसानगर	360
50.	होसूर	56
51.	हुमषा	88
52.	हंदुवल्ली	56
53.	जाडे	88
54.	जोगफाल्लस	184
55.	कन्नांगी	56
56.	कारगल	176
57.	कट्टालेगेरे	88
58.	कट्टेहाकलू	88
59.	केरेबिलची	88
60.	कोडुर	56
61.	कोनांदुर	88
62.	कोटेगांगुर	88
63.	कुमसी	88
64.	कुंदुर	88
65.	कुप्पागाड़डे	56
66.	एम.एल. हल्ली	56
67.	माचेनाहल्ली	176
68.	मंडागाड़डे	184
69.	मस्तीकट्टे	56
70.	मासूर	96
71.	मठीमानी	56
72.	मट्टूर	200
73.	मावल्ली	56

1	2	3
74.	माविनाकट्टे	56
75.	मेडागोंडानाहल्ली	88
76.	मेगारवल्ली	88
77.	नागरा	56
78.	नालकुदरे	88
79.	नाल्लूर	280
80.	निट्टूर	88
81.	न्यामाथी	176
82.	पिल्लानगरे	176
83.	रिपोनपेट	184
84.	सागर	1936
85.	सालूर	56
86.	सांपेकाट्टे	56
87.	सांथेबेन्नूर	88
88.	सांसवेहल्ली	56
89.	शंकरघाटा	184
90.	शिकारीपुरा	808
91.	शिमोगा	10196
92.	शिरालकोप्पा	184
93.	शिरावांथे	88
94.	शिरीगेरे	56
95.	सोनाले	56
96.	सोराब	384
97.	सोवलांगा	56
98.	सुन्नाडाकोप्पा	56
99.	टलागुप्पा	184
100.	टावारेकेरे	56
101.	ठागाराथी	184
102.	थिरथाहल्ली	1000
103.	तांगारसी	56
104.	तांरावांडा	56
105.	टुंडुर	184
106.	टूमरी	88
107.	उलावी	88
108.	उल्लूर	88
109.	उंबलब्यालू	56
110.	उंटूरकाट्टे	88
111.	येंडूर कुलुगांडु	56

जिले का नाम : तुमकुर

1.	अम्मा सन्दरा	280
2.	अमरूथूर	184
3.	ए.पी.एम.सी.ई. सतावाडी तुम्क	1728
4.	अरालागप्पे	56
5.	बडपनहल्ली	88
6.	धनसान्दरा	56
7.	बडागुर	56
8.	बेलापारा	56
9.	बेलागुली	56
10.	बेल्लावी	56
11.	बोडारे	56
12.	बिलीगेरे	192
13.	ब्रम्मासांद्रा	88
14.	बुक्कापटना	88
15.	बाइला	56
16.	सी.के पुरा	56
17.	सी.एन. हल्ली	368
18.	सी.एस. पुरा	88
19.	चेलूर	184
20.	डब्बेघाटा	56
21.	दसारीघाटा	96
22.	डोड्डागुनी	56
23.	गनाडलू	56
24.	गोडकेरे	56
25.	गुब्बी	512
26.	गुलूर	88
27.	गुंगुरमाले	88
28.	गुरूगडहाहल्ली	88
29.	हगलावाड़ी	56
30.	हलकुर्के	56
31.	हंडनकेरे	88
32.	हेब्बूर	184
33.	हिरेहल्ली	354

1	2	3
34.	होलावनाहल्ली	88
35.	होन्नावली	56
36.	होन्नूडके	88
37.	होसाकेरे (एम.जी.आई.)	56
38.	होसाकेरे (जी.बी.आई)	88
39.	हूलियार	384
40.	हूलियूरदुर्ग	88
41.	हुल्लेकेरे	56
42.	आईडीहल्ली	88
43.	इर्कसान्द्रा कोलोनी	56
44.	कडाबा	56
45.	कल्लम्बेला	56
46.	कल्लूर	56
47.	कनातूर	88
48.	काण्डीकेरे	56
49.	कराडी	56
50.	केम्पेनहल्ली	56
51.	कोडिगिनाहल्ली	56
52.	कोलाला	88
53.	कोन्नेहल्ली	56
54.	कोरा	376
55.	कोराटागेरे	86
56.	कूनीगल	568
57.	एन.एन. कोटे	56
58.	मिचेसाहल्ली	56
59.	मधुगिरि	752
60.	मल्लासान्द्रा	272
61.	मल्लेकावू	56
62.	माविनाकेरे	56
63.	मायासान्द्रा	88
64.	मेडिगेसी	56
65.	नगासान्द्रा	56
66.	नगावल्ली	56
67.	नित्तूर	88
68.	नोनाविनाकेरे	184
69.	पट्टानायकनाहल्ली	88
70.	पवागडा	696
71.	पोन्नासमुद्रा	56
72.	पुरावारा	56
73.	आर एस क्वारी अम्मासंद्र	88
74.	रन्तावलालू	56
75.	सॉपिगे	88
76.	सेट्टीकेरे	56
77.	शैलापुरा	56
78.	सिरा	936
79.	सुगूर	176
80.	तवारेकेरे	56
81.	थंडागा	56
82.	थिम्मानाहल्ली	88
83.	तिप्तूर	2000
84.	तोबिनाकेरे	56
85.	तुमकुर	6500
86.	तुरूवेकेरे	384
87.	उडीगिरे	96
88.	वेंकटपुरा	56
89.	वाई.एन. होसकोटे	144
90.	येडीयूर	56

जिले का नाम : उत्तर कन्नड़

1.	अगादी	88
2.	अगसूर	56
3.	अमाडाल्ली	88
4.	अंबिकानगर	184
5.	अंकोला	920
6.	ऐरियनगड्डी	88
7.	बाड	184
8.	बक्कल	88
9.	बलकूर	88
10.	बनांवासी	176
11.	बेलेकेरी	160
12.	बेलके	56
13.	बेलसे	88
14.	भैरूम्बे	152

1	2	3
15.	भटकल	2700
16.	बिडारकान	56
17.	बिसनोड	56
18.	कैशल रॉक	56
19.	चेन्दिया	88
20.	डण्डेली	1500
21.	दासनकोप्पा	56
22.	डोड्डामाने	56
23.	एड्डांबी	88
24.	गणेशगुडी	88
25.	गेरसोप्पा	96
26.	गोकरणा	472
27.	गोली	56
28.	गुल्लापुर	56
29.	गुणावंते	88
30.	गुंडाबला	88
31.	गुंजगोड	56
32.	हल्दीपुर	152
33.	हल्गा	152
34.	हालियाल	480
35.	हरसीकाटा	88
36.	हंगडेकाटा	56
37.	हेग्गारनी	56
38.	हेरूर	96
39.	होन्नावार	1300
40.	इडागुंडी	56
41.	इटागी	88
42.	जनमाने	88
43.	जोएडा	88
44.	जुगलपेट	56
45.	काद्रा	448
46.	काडवाड	144
47.	काइगा	152
48.	कास्कीनी	88
49.	कक्काल्ली	56
50.	कलाचे	56
51.	कांगोड	88
52.	कांसूर	88
53.	कारवाड	2950
54.	कटगल	144
55.	काठगिरकोप्पा	32
56.	काटूर	56
57.	कवलक्की	152
58.	किरवाट्टी	56
59.	कोडकानी	152
60.	कुमटा	1600
61.	कुंतावानी	88
62.	मदानगिरी	152
63.	मागोड एच	88
64.	मागोड (वाई)	56
65.	मजाली	176
66.	मालगी	88
67.	मल्लापुर	152
68.	मांचीकेरे	96
69.	मानकी	280
70.	माविलकुर्वे	96
71.	मुडकानी	88
72.	मुंडगोड	576
73.	मुर्कवाड	56
74.	मुरूर	96
75.	मुरूडेश्वर	608
76.	नीरानाहल्ली	56
77.	रामनगर	88
78.	सदाशिवगाड	344
79.	सलकानी	56
80.	सांबरानी	56
81.	संतेगुल्ली	56
82.	सिद्दापुर	576
83.	सिद्दार	88
84.	सिरसी	3000
85.	सुगावी	88
86.	स्वर्णगड्डे	56
87.	उमाचागी	88
88.	येल्लापुर	576

[हिन्दी]

विज्ञापनों का प्रकाशन

2993. श्री दत्ता मेघे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार पत्रों को प्रकाशन हेतु कितने विज्ञापन दिये गये हैं और इसके लिए उन्हें वर्षवार कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या अन्य भाषाओं की तुलना में महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन देने में कोई भेदभाव किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	दिए गए विज्ञापनों की कुल संख्या	दी गई कुल राशि
1993-94	20055	31565247.00 रु.
1994-95	16718	28386112.00 रु.
1995-96	16052	44245084.00 रु.

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"पुशपुल" रेलगाड़ी का चलाया जाना

2994. श्री एस. अजय कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शोरनूर और नीलाम्बर के बीच नई "पुशपुल रेलगाड़ी" को जैसा कि रेलवे बजट में घोषणा की गई थी, चलाने की तारीख के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गाड़ी को कब तक चलाए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). उत्पादन इकाइयों/कारखानों से रेक उपलब्ध होने पर शोरूवण्णूर-नीलाम्बर खंड में डी.एम.यू./पुशपुल सेवाएं शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाना

2995. श्री गंगा राम कोली : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ख) क्या पूर्वी राजस्थान के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में तकनीकी खराबी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। देश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार वार्षिक योजनाओं के अनुरूप किया जाता है। ये योजनाएं प्रत्येक वर्ष बजट आबंटनों के अनुरूप तैयार की जाती है।

(ख) जी नहीं। जब कभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और लापरवाही

2996. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री काशीराम राणा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण टेलीफोन को ठीक कराने में कई दिन लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या टेलीफोन को ठीक करवाने के संबंध में किसी अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं को अपने टेलीफोन स्वयं ही पैसे खर्च कर ठीक करवाने पड़ते हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जब भी उपभोक्ताओं से, भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें प्राप्त होती हैं तब जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा दोषी कर्मचारियों को दंड देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। कुछ ऐसे नामोनिर्दिष्ट (डैजिगनेटिड) अधिकारी हैं, जो टेलीफोनों को ठीक करवाने के लिए जिम्मेदार हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

2997. श्री टी. गोविन्दन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कोई ऐसी सांविधिक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत सभी खादी उत्पादन एककों तथा अन्य संस्थानों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन से छूट देने तथा केरल में राजस्व वसूली कार्यवाही को पूरी तरह वापस लेने तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गयी कानूनी कार्यवाही को छोड़ देने का आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, हां। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी खादी उत्पादक इकाईयों को क.रा.बी. अधिनियम से छूट प्रदान करने के लिए सांविधिक अधिसूचना जारी करने के लिए केरल सरकार से जुलाई, 1996 में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। खादी ग्रामोद्योग आयोग की इकाईयों को क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने के मामले की जांच की जा चुकी है। यह विचार व्यक्त किया गया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की इकाईयों में निर्धन वर्ग के सदस्य होते हैं और इसलिए उन्हें क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण की आवश्यकता हैं। अतः खादी ग्रामोद्योग इकाईयों को क.रा.बी. अधिनियम के प्रचालन से छूट प्रदान करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

हवाई अड्डों के नाम बदलना

2998. श्री काशीराम राणा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से संबंधित राज्यों के कुछ हवाई अड्डों के नाम बदलने हेतु प्राप्त कुछ अनुरोध पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखे जाने हेतु हाल ही में कोई आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब की जायेगी और यदि नहीं, तो इसकी घोषणा किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). इस समय सरकार के पास ऐसे कोई अनुरोध लम्बित नहीं हैं।

(ग) और (घ). अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम 7.12.96 को पहले ही बदल कर सरदार बल्लभभाई पटेल अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन रख दिया गया है।

शरद ऋतु के लिये अतिरिक्त स्थान

2999. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का आगामी शरद ऋतु के लिये यात्रियों को 14 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस से इसी प्रकार प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में भी यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्थान दिये जाने को कहने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) मार्ग-वार वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइंस की ग्रीष्मकालीन अनुसूची में प्रचालित की जाने वाली सेवाओं का विवरण यातायात मांग, विमानों और प्रचालन करने वाले कर्मीदल की उपलब्धता के संदर्भ में तय किया जाएगा।

विवरण

शीतकालीन अनुसूची, 1996-97 की मुख्य-मुख्य बातें
(28 अक्तूबर, 1996 से प्रभावी)

नई श्रृंखलाएं	आवृति/साप्ताहिक
1	2
अंतर्देशीय	
मुम्बई/पटना/रांची/कलकत्ता और वापसी	3 ए320
मुम्बई/अहमदाबाद/जयपुर/कलकत्ता और वापसी	3 ए320
मद्रास/तिरुपति/हैदराबाद और वापसी	2 बी 737
अंतर्राष्ट्रीय	
त्रिची/शारजाह	2 ए320 3 दिसम्बर, 96 से
क्षमता में वृद्धि (अंतर्देशीय)	
मुम्बई/दिल्ली	28ए300 के बदले 28 ए 300+7 ए 320
मुम्बई/बंगलौर	11 ए300 + 12 ए320 के बदले 11 ए 300 + 10 ए320
मुम्बई/गोवा	7 ए300 के बदले 7 ए300 + 3 ए320
मुम्बई/मद्रास	7 ए300 + 10 ए320 के बदले 10 ए320 + 7 ए320
मुम्बई/कोयम्बटूर	4 ए320 (बीओएम:सीजेबी:आईएक्सएम: बीओएम: के बदले 3 ए320 टर्मिनेटर +3 ए320 बीओएम+सीजेबी: आईएक्सएम: बीओएम)
मुम्बई/वाराणसी/लखनऊ/मुम्बई	3 ए320 के बदले 4 ए320
कलकत्ता/बंगलौर	7 ए320 के बदले 10 ए320
कलकत्ता/मद्रास	7 ए320 के बदले 12 ए320+2 बी737
कलकत्ता/जोरहट/दिमापुर/कलकत्ता	2बी737 के बदले 4बी737
कलकत्ता/इम्फाल/गुवाहटी/कलकत्ता	2 ए320
दिल्ली/बंगलौर	14 ए320 के बदले 7 ए300+7 ए320
दिल्ली/हैदराबाद	14 ए320 के बदले 7 ए300+7 ए320
दिल्ली/वाराणसी	3 ए320टर्मिनेटर 4 ए320 (डीईएल: वीएनएस:बीबीआई:डीईएल) के बदले 7 ए320
दिल्ली/मद्रास	7 ए320+7 ए320 के बदले 7 ए300' +14 ए320
दिल्ली/भुवनेश्वर	4 ए320 वाया वीएनएस+7 ए320 टर्मिनेटर के बदले 7 ए320
गुवाहटी/अगरतला	2 ए320 के बदले 3 ए320
हैदराबाद/विजाग	2 बी737 के बदले 3 बी737
मद्रास/बंगलौर/अहमदाबाद/पुणे और वापसी	4 ए320 के बदले 5 ए320

1	2
मद्रास/बंगलौर/अहमदाबाद और वापसी	3 ए320 के बदले 4 ए320
मद्रास/बंगलौर/गोवा और वापसी	3 ए320 के बदले 5 ए320
मद्रास/हैदराबाद	10 ए320+4बी737 के बदले 11 ए320+ 6 बी737
मद्रास/त्रिवेन्द्रम	7 ए320 टर्मिनेटर आईएसओ 3 ए320 (एमएए: 4 ए320 टर्मिनेटर टीआरवी टर्मिनेटर+4 ए320 एमएए:बीएलआर: टीआरवी और वापसी)
क्षमता में वृद्धि (अंतर्राष्ट्रीय)	
मुम्बई/करांची	2 ए320 के बदले 3 ए320
कलकत्ता/काठमांडू	3 बी737+1 ए320 के बदले 5 ए320
कलकत्ता/चटगांव	1 बी737 के बदले 2 बी737
हैदराबाद/मस्कट	2 ए320 टर्मिनेटर आईएसओ 2 ए300 एचवाईडी
हैदराबाद/शारजाह	2 ए300 टर्मिनेटर एमसीटी:एसएचजे और वापसी
मद्रास/कुवालालमपुर	2 ए320 टर्मिनेटर आईएसओ 2 ए300 एमएए:
मद्रास/सिंगापुर	2 ए300 टर्मिनेटर एसआईएन:केयूएल:एमएए और एमएए:केयूएल: एसआईएन: एमएए:
त्रिवेंद्रम/कोलम्बो	3 ए320 के बदले 4 ए320
वाराणसी/काठमांडू	7 बी737 के बदले 7 ए320

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

3000. श्री टी. गोविन्दन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में उत्पादन एककों/प्राथमिक समितियों के वित्तीय भार का परिधर करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के छूट प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). हथकरघा क्षेत्र उत्पादन इकाइयों/प्राथमिक सोसाईटियों को क.रा.बी. अधिनियम से छूट प्रदान करने के लिए केरल सरकार से 27 जुलाई, 1996 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। क.रा.बी. निगम द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है और इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है क्योंकि ऐसी इकाइयों में कर्मकारों को क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल पाएंगे।

अति विशिष्ट व्यक्तियों का कार लाकर स्वागत

3001. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों की पक्की सड़क पर कार लाकर अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत करने संबंधी कोई स्थायी आदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त और कौन से अति विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी है;

(ग) क्या संसद सदस्य भी ऐसा विशेष सम्मान प्राप्त करने के हकदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). प्रोटोकॉल/सुरक्षा की वजह से राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेशी सरकारों के प्रमुखों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एस पी जी प्रोटेक्टीज आदि सहित कुछ बड़े लोगों को विमान से आते/जाते समय अपने वाहन विमानपत्तन तक ले जाने दिए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्लेटफार्मों पर स्टालों/दुकानों का आबंटन

3002. कर्नल राव राम सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर स्टालों/दुकानों आदि का आवंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मार्ग-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों, अ.ज./अ.ज.जा. और कमजोर वर्गों के लोगों को कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रतिवर्ष विभिन्न स्टेशनों पर युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों, अ.ज./अ.ज.जा. और कमजोर वर्गों के लोगों को कितनी रेलवे स्टाल/दुकान आवंटित की गई हैं;

(छ) हरियाणा के गुड़गांव, रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों के रेलवे स्टेशनों के लिए कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ लम्बित पड़े हैं;

(ज) इन आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(झ) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रेस अधिसूचना के माध्यम से अनुभवी तथा प्रतिष्ठित खान-पान प्रबंधकों से आवेदन आंमत्रित करके खान-पान वेंडिंग स्टालों का आबंटन किया जाता है।

(ग) और (घ). छोटे स्टेशनों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों को तरजीह दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) से (झ). पटौदी रोड स्टेशन पर एक चाय स्टॉल के लिए 24 तथा गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर एक नाई की दुकान के लिए 6 आवेदन पत्र रेलों को प्राप्त हुए हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है तथा कोई विलंब नहीं हुआ है।

स्वर्ण खानें

3003. श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सोने के भंडार दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कंपनियों द्वारा सोने की समुचित खोज के लिए कोई अध्ययन कार्य किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्पादन लागत कम करने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खुली खुदाई हेतु बड़े पैमाने पर सेम्पलिंग बड़ी तादाद में राक सैम्पलों का विश्लेषण तथा भू-रासायनिक मानचित्रों को तैयार करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). खनिज ऐसे संसाधन हैं जिनका नवीकरण नहीं हो सकता और विदोहन के कारण विशिष्ट निक्षेप समाप्त हो जाते हैं। तथापि, नए निक्षेपों का पता लगाने के लिए गवेषण कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). हट्टी गोल्ड माइंस लि. (एचजीएमएल) ने अपने पट्टाधारी क्षेत्रों का भी गवेषण किया है और 4.04 ग्रा/टन ग्रेड कट-ऑफ पर लगभग 24.2 मिलियन टन का पता लगाया है। उन्होंने अजानहल्ली स्वर्ण परियोजना क्षेत्र में 2.5 ग्रा/टन ग्रेड के लगभग 3.3 मिलियन टन खनन योग्य संसाधन का भी पता लगाया है।

(ङ) और (च). स्वर्ण के विस्तृत गवेषण में एक ओपन कास्ट माइनिंग योजना के विकास के लिए भूरासायनिक मानचित्र तैयार करने के अलावा बहुत से शैल नमूनों का सामूहिक नमूना विश्लेषण करना शामिल है। देश में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संवाददाताओं का देश विदेश का दौरा

3004. श्रीमती छविला अरविन्द नेताम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना-ब्यूरो हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों के बीच भेदभाव करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1995 के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ देश तथा विदेश के दौरे पर गए संवाददाताओं के बारे में सम्बन्ध समाचारपत्र का विवरण सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ विशेष समाचार पत्रों को ही उक्त दौरों के मौकों र विशिष्ट लोगों के साथ दौरे पर जाने का अवसर दिया जाता है; गैर

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के अन्तर्गत उर्वरक उद्योग

3005. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा कितने उर्वरक उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उर्वरक उद्योगों द्वारा कितने उर्वरक का उत्पादन किया गया है; और

(ग) ऐसे उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य-वार कितने डीलरों को नियुक्त किया गया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा देश में स्थापित किए गए उर्वरक संयंत्र निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	उत्पाद
1.	राउरकेला फर्टीलाइजर संयंत्र (उड़ीसा राज्य)	कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (25 प्रतिशत "एन")
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र (उड़ीसा राज्य)	अमोनियम सल्फेट (20.6 प्रतिशत "एन")
3.	भिलाई इस्पात संयंत्र (मध्य प्रदेश राज्य)	अमोनियम सल्फेट (20.6 प्रतिशत "एन")
4.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल राज्य)	अमोनियम सल्फेट (20.6 प्रतिशत "एन")
5.	बोकारो इस्पात संयंत्र (बिहार राज्य)	अमोनियम सल्फेट (20.6 प्रतिशत "एन")
6.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, बर्नपुर (सेल की सहायक कंपनी) (पश्चिम बंगाल राज्य)	अमोनियम सल्फेट

उपर्युक्त सभी इस्पात संयंत्रों में उत्पादित अमोनियम सल्फेट एक उपोत्पाद है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान संयंत्र-वार उत्पादन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(मात्रा-टन)

संयंत्र का नाम	उत्पाद	1993-94	1994-95 के दौरान उत्पादन	1995-96
आर.एस.पी.	*सी.ए.एस. (25% "एन")	239541	221393	148284
आर.एम.पी.	**ए/एस (20.6% "एन")	10329	10567	5794
बी.एस.पी.	ए/एस (20.6% "एन")	43939	44425	45324
डी.एस.पी.	ए/एस (20.6% "एन")	7773	9697	7361
बी.एस.एल.	ए/एस (20.6% "एन")	23584	22700	26390
इस्को	ए/एस	7898	9503	11062

* कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (सी.ए.एन.)

** अमोनियम सल्फेट (ए/एस)

(ग) कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को बिक्री के लिये नियुक्त डीलरों की संख्या (राज्य-वार) नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	डीलरों की संख्या
सेल	
आन्ध्र प्रदेश	190
बिहार	91
उड़ीसा	77
पश्चिम बंगाल	86
मध्य प्रदेश	12
उत्तर प्रदेश	38
महाराष्ट्र	8
तमिलनाडु	27
कर्नाटक	23
असम	2
कुल :	551
इस्को	
पश्चिम बंगाल	47

गंगा-यमुना एक्सप्रेस में वातानुकूलित यान का न होना

3006. डा. राम विलास वेदान्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-यमुना एक्सप्रेस में वातानुकूलित यान नहीं होता है और कई बार रेलगाड़ी में वातानुकूलित यान के स्थान पर प्रथम श्रेणी का यात्री डिब्बा जोड़ दिया जाता है जिसके कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी, नहीं। 3413/3414 तथा 3483/3484 भिवानी-मालदा टाउन फरक्का (पूर्ववर्ती गंगा यमुना एक्सप्रेस) में एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का सवारी डिब्बा लगाया जाता है। यदा-कदा, कभी कभी कांच को "सिक" मार्किंग के कारण तथा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण प्रथम श्रेणी का सवारी डिब्बा गाड़ी में लगा दिया जाता है।

[अनुवाद]

देश में सेल्यूलर सेवाएं

3007. प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंटर-कनेक्टेड आल इंडिया सेल्यूलर सेवाएं शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल्यूलर प्रणाली को अखिल भारतीय दूरसंचार प्रणाली से जोड़ने में निजी प्रचालक शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). इस समय, सेल्यूलर सेवा चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में चालू हैं। राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रदान करने के लिए, सेल्यूलर नेटवर्कों को दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ा गया है। जैसे ही दूरसंचार सर्किलों में सेल्यूलर नेटवर्क का प्रचालन शुरू होगा, उन्हें भी सार्वजनिक नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

(ग) सेल्यूलर नेटवर्कों को दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट संपर्कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। इंटरकनेक्ट संपर्कों की व्यवस्था करना सेल्यूलर प्रचालकों की जिम्मेदारी है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट रन एयरलाइन्स डाइंग स्पेशीज

3008. श्री संतोष मोहन देव :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर, 1996 के "इकॉनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "स्टेट-रन एयर लाईंस, ए डाइंग स्पेशीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारी ऋण, भारी घाटा राज्य संचालित विमान कम्पनियों के घाटे के चलने के कुछ प्रमुख कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). समाचार में बताया गया है कि पिछले बड़े-बड़े कर्ज, बड़े-बड़े घाटे मजबूत यूनियनें, अति राजनीतिकरण आदि दुनियाभर की घाटे में चल रही सरकारी विमान कम्पनियों के लक्षण हैं।

नए विमानों पर मूल्यह्रास और ब्याज के कारण व्यय में वृद्धि होने, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कमाई कम होने, अवतरण, हैण्डलिंग और दिक्चालनात्मक प्रभारों में वृद्धि होने, इंजीनियरों की हड़तालों आदि के कारण एअर इंडिया को वर्ष 1995-96 में पहली बार 271.84 करोड़ रुपए की हानि हुई। ए-320 के विमान बेड़े को ग्राउण्ड करने, ट्रंक मार्गों पर गैर-सरकारी विमानकम्पनियों के आ जाने, विमान-चालकों के नौकरी छोड़ जाने आदि के कारण इंडियन एयरलाइंस 1989-90 से घाटा उठा रही है।

(घ) अपने वित्तीय निष्पादन को सुधारने हेतु एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपने मार्केटिंग प्रयासों को तीव्र करने, क्षमता संवर्धन, गैर-प्रचालन लागत कम करने और अपने उत्पाद छवि और समयबद्ध कार्य निष्पादन को सुधारने हेतु कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

आई.टी.सी. मुंगेर के कामगारों के वेतन

3009. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.टी.सी. लिमिटेड, मुंगेर में लगभग 250 पार्क कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान

3010. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान के पाठ्यक्रम की अवधि को तीन वर्षों से कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संस्थान में धन का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की पूर्व अकादमी परिषद ने सिफारिश की थी कि तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों की अवधि को घटाकर दो वर्ष किया जा सकता है। फलस्वरूप, जनवरी, 1996 के शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र से पाठ्यक्रमों की अवधि को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध विद्यार्थियों द्वारा की गई मांग पर, इस मामले को अकादमिक परिषद द्वारा गठित पुनरीक्षा समिति को भेजा गया। पुनरीक्षा समिति एवं अकादमिक परिषद की सिफारिशों के आधार पर संस्थान की शासी परिषद आगामी शैक्षिक सत्र से फिर से पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष करने के लिए सहमत हो गयी है।

(ग) और (घ). भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान लगभग पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान है। इस तरह, इसे अन्य सरकारी संस्थाओं की तरह धनराशि की आम कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तथापि, इस संस्था के काम-काज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे अपेक्षित सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

"पैलेस ऑन व्हील्स" रेलगाड़ी

3011. श्री बी.एल. शंकर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी "पैलेस ऑन व्हील्स" रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में ऐसी रेलगाड़ी चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). सार्वजनिक क्षेत्र की भागेदारी के साथ निम्नलिखित पर्यटक गाड़ियां पहले से ही परिचालन में हैं :—

1. राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से चलने वाली "पैलेस ऑन व्हील्स"

2. गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के सहयोग से चलने वाली "रायल औरियन्ट" मई, 1994 में विश्व व्यापी निविदा के आमंत्रण के प्रति उत्तर में, रेल मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को पांच पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन तथा प्रबंधन के ठेके दे दिए हैं। कर्नाटक राज्य को निम्नलिखित गाड़ियां संवित करेगी :—

सर्किट

1. गोवा (मडगांव) - मंगलौर-मैसूर (बेलूर/हलिविड)-होसपेट (हम्पी)-बेंगलरू-गोवा (मडगांव)
2. बेंगलूरू-मैसूर-मद्रास-कोडैकानाल रोड-कन्याकुमारी-तिरुवन्तपुरम-कोचीन-मेट्टापालायम (ऊटी)-बेंगलुरु (2 गाड़ियां)

सफल निविदादाताओं को आशयपत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

तांबे का अवैध व्यापार

3012. श्री विजय गोयल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तांबे का उचित विक्रय दस्तावेजों और मान्य बिलों के बिना ही हिन्दुस्तान कापर लि. द्वारा निर्धारित प्रतिटन मूल्य से 15,000 से 20,000 रुपये कम बिक्री पर खुले रूप से अवैध व्यापार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में एसटीडी/आईएसडी/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3013. श्री अनिल बसु : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यरत एसटीडी/आईएसडी/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की जिला वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में ऐसे और सार्वजनिक केन्द्र प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में ऐसे केन्द्रों के लिए चयनित स्थानों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). एसटीडी/पीसीओ/सार्वजनिक स्थानों पर प्रदान किए गए हैं। एसटीडी पीसीओ के लिए स्थानों का चयन पहले से नहीं किया जाता है। तथापि, एसटीडी पीसीओ आवंटन समिति द्वारा उन पात्र आवेदकों को सार्वजनिक स्थानों पर और अधिक एसटीडी पीसीओ आवंटित किए जाएंगे जिनके पास उपयुक्त स्थान हों।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	एसटीडी/आईएसडी पीसीओ की सं.
1	2	3
1.	बर्धवान	549
2.	बांकुरा	43
3.	पुरुलिया	20
4.	मिडनापुर	88
5.	24 परगना (उत्तर)	39
6.	24 परगना (दक्षिण)	13
7.	हावड़ा	6
8.	हुगली	37
9.	मुर्शिदाबाद	64
10.	बिरभूम	55
11.	दार्जलिंग	605
12.	मालदा	50
13.	दिनाजपुर (उत्तर)	20
14.	दिनाजपुर (दक्षिण)	8
15.	नादिया	64
16.	जलपाईगुड़ी	62
17.	कूचबिहार	67
18.	कलकत्ता टेलीफोन जिला	5585

तिकियापाड़ा यार्ड पर वातानुकूलित यान में कर्मचारियों की कमी

3014. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बे समय से पूर्वी रेलवे के तिकियापाड़ा यार्ड में वातानुकूलित यान में काम करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों को लगातार दोहरा कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है;

(ग) क्या इस खंड में और अधिक कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। बहरहाल, मौजूदा नियमों के अनुसार केवल आपवादिक परिस्थितियों में कर्मचारी डबल ड्यूटी करने के लिए तैनात किए जाते हैं।

(ग) और (घ). जी हां। पदों का सृजन एक सतत् प्रक्रिया है। अतिरिक्त वातानुकूल सेवाओं के लिए नवम्बर, 96 में विभिन्न कोटियों में 50 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय श्रम सम्मेलन

3015. श्री अशोक प्रधान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने अक्तूबर, 1996 में तैंतीसवां भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सम्मेलन में सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गए;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्र के "फेडरेशन ऑफ नेशनल सेंटर फॉर लेबर" (एन.सी.एल.) के प्रतिनिधियों ने उनसे इस संबंध में मुलाकात की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). 24-25 अक्तूबर, 1996 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन का 33वां सत्र आयोजित किया गया था। इस त्रिपक्षीय बैठक में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों, नियोजक संगठनों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया था :—

(1) रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन;

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धतियों का आधुनिकीकरण;

(3) असंगठित नियोजन में फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी;

(4) गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की मान्यता;

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन; और

(6) प्रबंधन में श्रमिक सहभागिता विधेयक।

जबकि सम्मेलन के निर्णयों का सम्मेलन द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा प्रारूप तैयार किया जा रहा है, व्यापक रूप से यह सिफारिश की गयी थी कि :—

(1) एक व्यापक औद्योगिक संबंध विधान तैयार करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन करने और इसकी सिफारिश प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक द्विपक्षीय समिति गठित की जानी चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपदान की अदायगी किए जाने के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा में असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए।

(3) राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय परामर्श किए जाने, यदि पहले हो न किया गया हो, की पद्धतियों को पुनरूज्जीवित किए जाने के लिए राज्य सरकारों को पुनः लिखा जाना चाहिए।

(4) अद्यतन गरीबी रेखा आधार को ध्यान में रखते हुए असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय फ्लोर स्तर को न्यूनतम मजदूरी अंगीकार की जानी चाहिए।

(5) रो. एवं प्रशि.म.नि. के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यावसायिक प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने तथा कौशलों में वृद्धि करने की ओर पुनः केन्द्रित किया जाना चाहिए।

(6) प्रभावी रोजगार केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए रोजगार कार्यालयों को आधुनिकीकृत और पुनर्गठित किया जाना चाहिए; और

(7) कर्मकारों के ग्रुप ने सुझाव दिया कि बोनस/उत्पादकता से संबद्ध बोनस की अदायगी के लिए निर्धारित मजदूरी की अधिकतम सीमा समाप्त की जानी चाहिए। तथापि, नियोजक ग्रुप ने बोनस अधिनियम की संपूर्ण पुनरीक्षा किए जाने पर जोर दिया।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय श्रम संस्थान के प्रतिनिधियों ने भारतीय श्रम सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिए जाने की इच्छा व्यक्त की। यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय श्रम सम्मेलन में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों को मुख्य श्रमायुक्त (के.) द्वारा विभिन्न संघों की सत्यापित सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय श्रम संस्थान के दो प्रतिनिधियों को सम्मेलन के उक्त सत्र में प्रेक्षक के रूप में शामिल होने की अनुमति दी गयी थी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एस.टी.डी. सुविधा

3016. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बीरभूम के दूर संचार जिले के अंतर्गत एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 27 स्थानों में से 13 स्थानों में एसटीडी सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है। 1996-97 के दौरान, 7 और स्थानों में एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीरभूम जिले के शेष सभी स्थानों में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एसटीडी सुविधा प्रदान की जाएगी बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

नादिया, पश्चिम बंगाल में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा-सूची

3017. डा. असीम बाला : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चकदाह टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन लेने की प्रतीक्षा-सूची में कितने लोग हैं;

(ख) इस टेलीफोन एक्सचेंज की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) सरकार का चकदाह के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन देने का विचार है;

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि चकदाह के लोग कल्याणी से स्थानीय डायलिंग सुविधा लेने की मांग कर रहे हैं जो कि चकदाह से अधिक निकट है;

(च) क्या इस मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चकदाह टेलीफोन एक्सचेंज के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 614 है।

(ख) इस एक्सचेंज (सी-डॉट एमवीएम) की कुल संस्थापित क्षमता 1250 लाइनें हैं।

(ग) 1997-98 के दौरान चकदाह की प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) 1997-98 के दौरान, चकदाह में एक्सचेंज की क्षमता में 750 लाइनों द्वारा विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) यह विभाग की जानकारी में नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) राष्ट्रीय प्रसारण योजना के अनुसार और कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र की परिकल्पना के आधार पर, रानाघाट एसडीसीए के अंतर्गत आने वाले चकदाह से कलकत्ता एसडीसीए के अंतर्गत आने वाले कल्याणी के लिए स्थानीय काल सुविधा नहीं दी जा सकती।

अंधे फेरी वालों को लाइसेंस देना

3018. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य तथा पश्चिम रेलवे में स्टेशन पर तथा रेल के डिब्बों में अंधे फेरी वालों को बिक्री के लिए लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन लाइसेंसों को जारी करने की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन लाइसेंसों को जारी करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बहरहाल वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे लाइसेंस जारी नहीं किये जाते हैं।

रेल परिवहन की हिस्सेदारी

3019. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने रेल यातायात का हिस्सा 72 प्रतिशत निर्धारित किया था और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था;

(ख) क्या रेल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में 7 गुना अधिक ऊर्जा सक्षम है और 72 प्रतिशत से कम रेल परिवहन का तात्पर्य है तेल का परिहार्य आयात और विदेशी मुद्रा का परिहार्य व्यय;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान नियत 72 प्रतिशत के अनुपात में वास्तविक रेल माल यातायात कितना रहा तथा दोनों में कितना अन्तर रहा और इसके कारण विदेशी मुद्रा को कितनी हानि हुई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में 7 गुना से भी अधिक ऊर्जा कुशल है। रेल द्वारा इष्टतम माल यातायात ढुलाई बिंदु

से कम ढुलाई करने का अर्थ होता है कि सड़क परिवहन द्वारा माल यातायात की अधिक ढुलाई करना जिसके परिणामस्वरूप अधिक ऊर्जा की खपत होगी और तेल के लिए आयात बिल अधिक होगा।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा ढोया गया माल यातायात इस प्रकार है :—

1992-93	350.05 मिलियन टन
1993-94	358.72 मिलियन टन
1994-95	364.96 मिलियन टन

सड़क परिवहन द्वारा ढोये गए माल यातायात की मात्रा के कोई विश्वनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार इसके कारण विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कटवा और बंदेल के बीच ई.एम.यू. गाड़ी का देर से चलना

3020. श्री महबूब जहेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कटवा और बंदेल के बीच ई.एम.यू. सेवाओं के देरी से चलने के कारण यात्रियों में रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कटवा और बंदेल के बीच के रेल-पथ को सुधारा नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई.एम.यू. गाड़ियों के तीव्र गति से चलने के लिए समूचे रेल पथ को सुधारने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (ङ). रेलपथ के सुधार के कार्यों को पहले ही शुरू कर दिया गया है। रेलपथ का पहले ही सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है और 0.00 कि.मी. (बंडेल) से 60.00 कि.मी. तक के बीच फास्ट ई.एम.यू. गाड़ियों को चलाने के लिए तैयार कर दिया गया है। 60 कि.मी. से आगे 90.00 कि.मी. तक के बीच 30 कि.मी. की लम्बाई के लिए रेलपथ नवीकरण के कार्य को पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। जहां रेलपथ के सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है और चालू वर्ष में 10 कि.मी. लम्बे रेलपथ का नवीकरण किया जाएगा। 90 कि.मी. के आगे 105 कि.मी. (कटवा) तक 15 कि.मी. लम्बे रेलपथ को वर्ष 1997-98 में स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। इससे समस्त बंदेल-कटवा खण्ड कवर हो जाएगा।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को वर्दी की सप्लाई

3021. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को पिछले लगभग छः वर्षों से वर्दी (कपड़े) की सप्लाई नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को वर्दी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के प्रत्येक कर्मी को कितनी धनराशि दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दक्षिण-पूर्व रेलवे में विशेष रूप से और भारतीय रेलवे में सामान्य रूप से रेलवे सुरक्षा बल के कितने कर्मियों को अनुपयुक्त वर्दी पहनने के लिए आरोप पत्र दिए गए हैं और दण्ड दिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। एक आपूर्तिकर्ता द्वारा सप्लाई की जा रही है कम माप की घटिया एवं अवमानक वर्दी को वर्दी निरीक्षण समिति द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण द.पू.रेल के रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों को केवल 1994 से वर्दी सप्लाई नहीं की जा रही है।

(ग) से (ङ). रेलवे प्रशासन द्वारा वर्दी के बदले रे.सु.ब. कार्मिकों को किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(च) गत छः वर्षों के दौरान अनुचित वर्दी पहनने पर दक्षिण-पूर्व रेलवे और अन्य क्षेत्रीय रेलों पर जिन रे.सु.ब. कार्मिकों को आरोप पत्र दिए गए/दंडित किए गए उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

द.पू. रेलवे	-	8
अन्य रेलें	-	184

औद्योगिक मजदूरों के लिए नीति

3022. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक मजदूरों के लिए व्यापक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या उसके किसी भाग के निर्गमन या उसकी बन्दी और कर्मकारों की छंटनी से संबंधित नीति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में निहित की गई है। अधिनियम में काम बन्दी, छंटनी और बन्दी की स्थिति में कर्मकारों का संरक्षण देने के लिए कतिपय उपायों की व्यवस्था की गई है।

मासिक टिकटों की बिक्री

3023. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के पानागढ़ स्टेशन पर मुख्य लाइन मार्ग से पानागढ़ से हावड़ा के बीच आने वाले स्टेशनों के लिए यात्रियों को मासिक टिकटों की बिक्री नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पानगढ़ स्टेशन पर मासिक टिकट की बिक्री से प्राप्त राजस्व में भारी कमी आयी है क्योंकि मुख्य लाइन मार्ग से चलने वाले यात्रियों को मासिक टिकटें नहीं दी जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे टिकटों की बिक्री नहीं किए जाने के कारण इस अवधि में पूर्वी रेलवे को कितनी धनराशि की हानि हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान मासिक टिकटों की कितनी बिक्री हुई है तथा इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). पानागढ़-हावड़ा खंड पर मुख्य लाइन के रास्ते 150 कि.मी. की दूरी तक पानागढ़ से विभिन्न स्टेशनों के लिए सीजन टिकट जारी किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पानागढ़-हावड़ा खंड पर मुख्य लाइन के रास्ते विभिन्न स्टेशनों के लिए 1994-95 के दौरान 1.49 लाख की आमदनी देते हुए 1095 सीजन टिकट तथा 1995-96 के दौरान 1.69 लाख की आमदनी देते हुए 1095 सीजन टिकट पानागढ़ स्टेशन से जारी हुए थे।

लाइसेंसधारी कुली

3024. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1994 की स्थिति के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे के इटवारी, कनहन, कम्पटे, बांदरा रोड, तुमसर रोड और तिरोरा स्टेशनों में स्टेशनवार लाइसेंसधारी कुलियों की सरकारी संख्या क्या है;

(ख) 1 सितम्बर, 1994 के पार्सल यातायात का हस्तन करने के लिए उपर्युक्त भाग (क) में बताए गए प्रत्येक स्टेशन में कितने और लाइसेंसधारी कुलियों को भर्ती की गई है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने पार्सल के हस्तन संबंधी कार्य के लिए रेलवे ने ठेकेदारों द्वारा श्रमदरों में वृद्धि के कारण दरों में संशोधन की मांग करने पर पार्सल हस्तन कार्य के लिए संविदा प्रणाली को खत्म करने की हिदायतें जारी कर दी थी और लाइसेंसधारी कुली भर्ती करने का कार्य करवाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे के इस नई कार्यप्रणाली को कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 15.8.94 को लाइसेंसशुदा भारिकों की सरकारी संख्या निम्नानुसार है :—

इतवारी	–	7
कान्हन	–	कोई नहीं
काम्पटी	–	8
भण्डारा रोड	–	5
तुमसर रोड	–	8
तिरोरा	–	कोई नहीं

(ख) इन स्टेशनों पर 1 सितम्बर 1994 से लगाए गए लाइसेंसशुदा भारिकों की अतिरिक्त संख्या निम्नानुसार है :—

इतवारी	–	33
कान्हन	–	4
काम्पटी	–	16
भण्डारा रोड	–	16
तुमसर रोड	–	16
तिरोरा	–	8

(ग) और (घ). पार्सल सम्हलाई कार्यों हेतु ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों पर लाइसेंसशुदा भारिकों का उपयोग, यात्रियों के सामान की ढुलाई करने संबंधी उनके सामान्य क्रियाकलापों के अलावा, पार्सल यातायात की सम्हलाई के लिए किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता के लिए पैकेज

3025. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर, 1995 से पूर्व संचार मंत्री द्वारा घोषित किये गये पैकेज का विवरण क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) विलंब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). ग्रामीण पैकेज की अधिकांश विशेषताएं (फीचर्स) देश के लगभग सभी भागों में क्रियान्वित कर दी गई हैं।

विवरण

नवम्बर, 1995 में घोषित ग्रामीण पैकेज की मुख्य विशेषताएं

1. ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति बिलिंग चक्र निःशुल्क मौजूदा 150 कालों को बढ़ाकर 250 काल कर दिया गया है।

2. 10,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियों से जुड़े ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन के पंजीकरण शुल्क की राशि मौजूदा 2000/-रु. से घटाकर 1000/-रु. कर दी है।

3. 100 लाइनों से 1000 लाइनों से कम की एक्सचंज प्रणालियों से जुड़े ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए द्विमासिक टेलीफोन किराए की राशि मौजूदा 150/-रु. से घटा कर 100/-रु. कर दी गई है।

4. 500 लाइनों से कम के टेलीफोन एक्सचेंजों से जुड़े सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए संस्थापना प्रभारों को 31.3.1998 तक 300/-रु. बरकरार रखा जाएगा।

5. ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क 250 कालों के बाद 200 कालों के काल प्रभारों में 25 प्रतिशत तक की कमी की गई है।

6. पंचायतों में स्थानीय तथा एसटीडी पीसीओ और पंचायत संचार सेवा योजना के तहत प्रदत्त पीसीओ के फ्रेंचाईजियों को सकल बिक्री (टर्नओवर) पर देय कमीशन को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में एसटीडी/आईएसडी पीसीओ के फ्रेंचाइजियों को प्रतिमाह सकल बिक्री पर 25 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाएगा।

8. मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश (गढ़वाल एवं कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र), सिक्किम राज्यों और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचलम प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों तथा देश के बाकी पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों के गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंचाईजियों को प्रतिमाह 50,000/- रु. तक की सकल बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से तथा 50,000/- रु. के बाद सकल बिक्री की दर पर 15 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाएगा।

9. देश के बाकी भागों में फ्रेंचाईजियों को प्रतिमाह 20,000/- रु. तक की सकल बिक्री पर 16 प्रतिशत तथा प्रतिमाह 20,000/- रु. से 50,000/- रु. तक की सकल बिक्रीपर 15 प्रतिशत तथा प्रतिमाह 50,000/- रु. से अधिक की सकल बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाएगा।

10. देश के ग्रामीण, पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 30 किलोमीटर तक ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे

3026. श्री मुख्तार अनीस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है तथा सम्बन्धित मंडलों के मुख्यालय कहां-कहां हैं और उनके अंतर्गत कितनी किलोमीटर रेल लाइनें हैं;

(ख) वर्तमान में रेल सेवा आयोग की संख्या कितनी है तथा उनके क्षेत्राधिकार, उनके मुख्यालय एवं आयोग के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक आयोग द्वारा श्रेणी वार कितने रेल कर्मियों की नियुक्ति की गयी है; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्प संख्यक समुदाय के कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) विवरण-I में संलग्न है।

(ख) विवरण-II और III संलग्न है।

(ग) और (घ). यद्यपि रेलों द्वारा अल्पसंख्यकों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तथापि भर्ती किए गए कार्मिकों से संबंधित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

भारतीय रेलों पर मंडलों की सूची

इस समय भारतीय रेलों पर 59 मण्डल हैं जो उनके रेलपथ के मार्ग किलोमीटर (31.3.96 को) तथा मुख्यालयों सहित नीचे दर्शाए गए हैं :—

मण्डल मुख्यालय	रेलपथ का मार्ग किलोमीटर
1	2
भोपाल	917
भुसावल	976
बंबई (म.रे.)	540
जबलपुर	1177
झांसी	1564
सोलापुर	1018
नागपुर	856

1	2
आसनसोल	682
दानापुर	697
धनबाद	852
हावड़ा	874
खियान्तदाह	713
मुगलसराय	346
मालदा	437
आद्रा	990
बिलासपुर	1128
चक्रधरपुर	859
खड़गपुर	666
खुरदा	701
वाल्तेर	1108
संबलपुर	551
नागपुर (द.पू.रे.)	1348
अजमेर	1483
भावनगर	1310
बंबई (प.रे.)	637
जयपुर	1435
कोटा	959
राजकोट	1257
रतलाम	1263
लमडिंग	958
बेंगलूरू	904
मद्रास	704
मदुरै	1448
मैसूर	1100
पालघाट	1140
त्रिची	1125
तिरूवनंतपुरम	628
गुन्तकल	1578
हुबली	1457
हैदराबाद	1573
सिंकदराबाद	1338
विजयवाड़ा	1258
इलाहाबाद	1076
अंबाला	1009
बीकानेर	1779
दिल्ली	1193
फिरोजपुर	1476
जोधपुर	1609
लखनऊ	1453
मुरादाबाद	1398
इज्जतनगर	1060
लखनऊ (पूर्वो.)	1168
समस्तीपुर	1040
सोनपुर	583
वाराणसी	1257
बडोदरा	1675
अलीपुरद्वार	1498
कटिहार	851
तिनसुखिया	509

नांदेड़ मंडल स्थापित किया जा रहा है।

विवरण-II

जहां रेल भर्ती बोर्ड स्थिति हैं, उनके अधिकार क्षेत्र सहित स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

बोर्ड का स्थान	रेलवे/अधिकार क्षेत्र
1	2
1. अहमदाबाद (गुजरात)	**पश्चिम रेलवे** बडोदरा, राजकोट और भावनगर मंडल
2. अजमेर (राजस्थान)	**पश्चिम रेलवे** रतलाम, कोटा, जयपुर और अजमेर मंडल **उत्तर रेलवे** जोधपुर और बीकानेर मंडल
3. इलाहाबाद (उ.प्र.)	**डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी** **उत्तर रेलवे** इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद मंडल

1	2
4. बेंगलूरू (कर्नाटक)	**दक्षिण रेलवे**
	बेंगलूरू एवं मैसूर मंडल
	दक्षिण मध्य रेलवे
	हुबली मंडल
	पहिया एवं धुरा संयंत्र बंगलूरू
5. भोपाल (म.प्र.)	**मध्य रेलवे**
	जबलपुर और झांसी मंडल
6. भुवनेश्वर (उड़ीसा)	**दक्षिण-पूर्व रेलवे**
	विलासपुर और नागपुर मंडल
	द.पू.रे.
	खोरधा रोड, संबलपुर और चक्रधरपुर मंडल
7. मुबंई (महाराष्ट्र)	**मध्य रेलवे**
	मुख्यालय, मुबंई, भुसावल, नागपुर तथा सोलापुर मंडल
	पश्चिम रेलवे
	मुख्यालय, मुंबई मंडल
8. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	**पूर्व रेलवे**
	मुख्यालय, हावड़ा, आसनसोल और सियालदाह मंडल
	दक्षिण पूर्व रेलवे
	मुख्यालय, आद्रा और खड़गपुर मंडल
	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन
9. चंडीगढ़ (संघशासित क्षेत्र)	**उत्तर रेलवे**
	मुख्यालय, दिल्ली मंडल, रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला
10. गुवाहाटी (असम)	**पूर्वोत्तर सीमा रेलवे**
	मुख्यालय, अलीपुरद्वार, लमडिंग, और तिनसुखिया मंडल
11. गोरखपुर (उ.प्र.)	**पूर्वोत्तर रेलवे**
	मुख्यालय, वाराणसी, इज्जतनगर, और लखनऊ मंडल

1	2
12. जम्मू और कश्मीर (जे.ए.के.)	**उत्तर रेलवे**
	फिरोजपुर मंडल, डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला और रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला
13. चेन्नई (तमिलनाडु)	**दक्षिण रेलवे**
	मुख्यालय, चेन्नई, तिरूच्चिरापल्ली और मंदुरै मंडल
	सवारी डिब्बा कारखाना, पेराम्बूर
14. मालदा (पश्चिम बंगाल)	**पूर्व रेलवे**
	मालदा मंडल
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
	दार्जिलिंग हिल रेलवे खंड
15. मुजफ्फरपुर (बिहार)	**पूर्वोत्तर रेलवे**
	समस्तीपुर और सोनपुर मंडल
16. पटना (बिहार)	**पूर्व रेलवे**
	मुगलसराय, धनबाद और दानापुर मंडल
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
	कटिहार (दार्जिलिंग हिल रेल खंड को छोड़कर) मंडल
17. रांची (बिहार) केवल अनु.जन. जाति के अभ्यार्थियों के लिए	**पूर्वोत्तर सीमा रेलवे**
	कटिहार मंडल
	पूर्व रेलवे
	धनबाद, दानापुर और मुगलसराय मंडल
	दक्षिण-पूर्व रेलवे
	चक्रधरपुर मंडल
18. सिकंदराबाद (आ.प्र.)	**दक्षिण-मध्य रेलवे**
	मुख्यालय, सिकंदराबाद ब.ला., हैदराबाद मी.ला., विजयवाड़ा और गुंतकल मंडल
	दक्षिण-पूर्व रेलवे
	वाल्तेरू मंडल
19. तिरूवनन्तपुरम (केरल)	**दक्षिण रेलवे**
	पालाघाट और तिरूवनन्तपुरम मंडल

विवरण-III

रेल भर्ती बोर्डों की संरचना

	रेल भर्ती बोर्ड का नाम	कर्मचारी				
		ग्रुप "क"		ग्रुप "ख"	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"
		अध्यक्ष	सदस्य सचिव	सहायक सचिव		
1.	रे.भ.बो./अहमदाबाद	1	1	1	10	6
2.	रे.भ.बो./अजमेर	1	1	1	9	3
3.	रे.भ.बो./इलाहाबाद	1	1	1	30	14
4.	रे.भ.बो./बेंगलूरू	1	1	1	12	5
5.	रे.भ.बो./भोपाल	1	1	1	9	3
6.	रे.भ.बो./भुवनेश्वर	1	1	1	13	12
7.	रे.भ.बो./मुंबई	1	1	1	32	11
8.	रे.भ.बो./कलकत्ता	1	1	1	34	14
9.	रे.भ.बो./चंडीगढ़	1	1	1	7	4
10.	रे.भ.बो./गुवाहटी	1	1	1	17	7
11.	रे.भ.बो./गोरखपुर	1	1	1	10	7
12.	रे.भ.बो./जम्मू और श्रीनगर	1	1	1	6	3
13.	रे.भ.बो./चेन्नई	1	1	1	20	8
14.	रे.भ.बो./मालदा	1	-	1	6	3
15.	रे.भ.बो./मुज्जफरपुर	1	1	-	13	5
16.	रे.भ.बो./पटना	1	1	-	10	15
17.	रे.भ.बो./रांची	-	1	-	5	1
18.	रे.भ.बो./सिंकदराबाद	1	1	1	17	6
19.	रे.भ.बो./तिरूवनंतपुरम	1	1	1	8	3

आधारभूत सुविधाओं का विकास

3027. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने किसी स्तर पर इस बात की जांच की है कि भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची में काफी ऊपर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस क्षेत्र में किया गया व्यापार इस क्षेत्र में कुछ छोटे देशों में किए गए काम की तुलना में महत्वहीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत के पर्यटन क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं यथा आवास का अभाव असंतोषजनक परिवहन तथा संचार अपर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आधारभूत ढांचे संबंधी कमियों को दूर करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). विश्व पर्यटन आगमनों में भारत का हिस्सा और वर्ष 1995-96 में पर्यटक आगमन क्रमशः 0.37 प्रतिशत और 0.74 प्रतिशत थे।

(ङ) से (छ). अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं देश में पर्यटन के विकास में प्रमुख बाधा है। सरकार का, राज्य सरकारों के समन्वय से

और पर्यटन को आधारभूत सुविधाओं में निवेश करने के लिए निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करके, आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने का प्रयास है। सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन संबंधी नीति पेपर तैयार किया है जिसमें अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करते हुए पर्यटन के विकास के लिए सहक्रियात्मक पहुंच पर विचार किया है।

दम-दम और बारासार के बीच शटल सेवा शुरू करना

3028. श्री तरित वरण तोफ्दार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दम दम और बारासार के बीच शटल सेवा शुरू करने संबंधी मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या 4.55 पी.एम.डी. विराटी स्थानीय रेलगाड़ी को बारासार तक चलाया जाना संभव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) दम-दम तथा बरासार पहले से ही 55 जोड़ी गाड़ी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। दम-दम/बरासार से एक नई गाड़ी चलाए जाने की जांच की गयी थी, लेकिन फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि इस समय दमदम में टर्मिनल सुविधायें नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नये डाकघर

3029. श्री पी.सी. थामस : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1996-97 दौरान अब तक केरल में कितने नये डाकघर मंजूर किए गए हैं/कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : वर्ष 1996-97 के दौरान 3 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा 2 विभागीय उप डाकघरों को मंजूरी दी गई तथा 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का विभागीय उप-डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाया गया।

पश्चिम बंगाल के लिए स्पीड पोस्ट सुविधा

3030. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों में स्पीड पोस्ट सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) स्पीड पोस्ट सुविधा इस समय पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित शहरों/कस्बों में सुलभ कराई जाती है :—

राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा

कलकत्ता

हावड़ा

सिलीगुड़ी

प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा

बेरहामपुर

हल्दिया

शांति निकेतन

रानीगंज

इस समय पश्चिम बंगाल के किसी भी प्रमुख शहर में स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी भी शहर को स्पीड पोस्ट राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत केवल तभी लाया जाता है जब उसे आर्थिक रूप से सक्षम और प्रचालन परक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त ट्रैफिक होता है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देना

3031. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को 1 जनवरी, 1993 से आज तक मृतक कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों से **नौकरी दिए जाने** हेतु कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने अभ्यावेदन के संबंध में संसद सदस्यों ने अनुशंसा की है;

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) नियुक्तियां कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि क्षेत्रीय रेलें सभी पात्र व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर इस उद्देश्य

के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अंतर्गत यथा शीघ्र नियुक्तियां देने का हर संभव प्रयास करें।

बहरहाल, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए समय सीमा निश्चित करना कठिन है क्योंकि यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे उपर्युक्त रिक्तियों की उपलब्धता, आश्रित का वयस्क होना आदि।

धनराशि जुटाना

3032. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विशाल अनुपयुक्त संपत्ति का वाणिज्यिक उपयोग करके लगभग 30,000 करोड़ की धनराशि जुटाने की योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों में राजधानी क्षेत्र की किसी ऐसी सम्पत्ति को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). जी नहीं। बहरहाल, रेलों ने विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से रेलवे भूमि/इमारतों के ऊपर आकाशीय स्थान का वाणिज्यिक उपयोग करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव पर निर्णय को भारत सरकार ने आस्थगित कर दिया है।

तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

3033. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी राशि संस्वीकृत की गई; और

(घ) रेल प्रशासन द्वारा तमिलनाडु में निकट भविष्य में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). स्टेशनों पर सुविधाएं, सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा पर आधारित मानदण्डों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं। तमिलनाडु राज्य में स्टेशनों पर यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधायें मुहैया कराई गई हैं, जहां कहीं पर यातायात में वृद्धि की दृष्टि से अपेक्षित होता है वहां पर इन सुविधाओं में वृद्धि/अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिये क्षेत्रीय रेलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आबंटनर मुहैया कराया जाता है और धनराशि का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर यात्री सुविधा कार्यों के लिये 15.74 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान निधियों की समग्र उपलब्धता के आधार पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिये भावी कार्यक्रम तय किये जाते हैं।

[हिन्दी]

नई ई.एम.यू. रेलगाड़ी चलाना

3034. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया और मुगलसराय के बीच कोई ई.एम.यू. रेलगाड़ी नहीं चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गया और मुगलसराय तथा गया और धनबाद के बीच नई ई.एम.यू. रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). एम.ई.एम.यू. रेकों की उपलब्धता होने पर मुगलसराय-गया-धनबाद खण्ड पर चरणबद्ध आधार पर एम.ई.एम.यू. सेवायें मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

मंडलीय अभियंताओं के कार्यालय

3035. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार, स्थल-वार दूरसंचार विभाग के मंडलीय अभियंताओं (दूरसंचार) के कुल कितने कार्यालय हैं;

(ख) इन कार्यालयों की स्थापना का मानदण्ड क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार, स्थल-वार कितने नए कार्यालयों को स्थापित करने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का बिहार में डालटेनगंज में इस कार्यालय को स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मंडल इंजीनियरों (दूरसंचार) के अधीन दूरसंचार जिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) मौजूदा मानदण्ड के अनुसार, एक से अधिक गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के किसी भी दूरसंचार जिले को मंडल इंजीनियर (दूरसंचार) के अधीन अलग दूरसंचार जिलों में तभी विभाजित किया जा सकता है जब अपेक्षित विभाजन के पश्चात प्रत्येक दूरसंचार जिले का कार्यभार 4550 सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) से कम न हो।

(ग) यह किसी जिले में नेटवर्क के विकास पर निर्भर करता है। इस समय, दूरसंचार जिला इंजीनियरों अर्थात बिहार में मुंगेर, पश्चिम बंगाल में रायगंज तथा उत्तर प्रदेश (पूर्व) में और की मंजूरी हेतु तीन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कार्यभार पर्याप्त नहीं है।

विवरण

देश में डी.ई.टी. (टीडीई) के अधीन दूरसंचार जिलों की सूची

सर्किल का नाम	एसएसए का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	अदिलाबाद
	श्री काकुलम
	विजयनगरम
असम	नागांव
बिहार	आरा
	भागलपुर
	छपरा
	देवगढ़ (दुमका)
	कटिहार
	मोतीहारी
	सहरसा
	सासाराम
गुजरात	अमरेली
हरियाणा	जिंद
	नारनौल (रेवाड़ी)
	सोनीपत
जम्मू व कश्मीर	लेह
	राजौरी
	उधमपुर
कर्नाटक	बिडार
	चिकमंलौर
	मण्डया
महाराष्ट्र	भीड़ (बीड)
	जालना
	कुडाल (सिंधुदुर्ग)
	ओस्मानाबाद
	परभनी
	वर्धा
	यवतमाल
मध्य प्रदेश	बालाघाट (महाकोशल)
	बैतूल
	छतरपुर
	छिंदवाड़ा
	देवास
	गुना
	नरसिंहपुर
	रायगढ़
	रेवा
	सागर
	सतना
	शहडोल
	शाजापुर
	शिवपुरी
	विदिशा
	जगदलपुर (बस्तर)
	राजगढ़

1	2
उड़ीसा	बालासोर
	बोलांनगीर
	कोरापुट
	फूलबनी (मयूरभंज)
पंजाब	रोपड़
राजस्थान	बाड़मेर
	बूंदी
	चित्तौड़गढ़
	चुरू
	जालौर
	सवाई माधोपुर
	टोंक
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बहराइच
	बलिया
	बान्दा
	बाराबंकी
	बस्ती
	इटावा
	फैजाबाद
	फर्रूखाबाद
	गोंडा
	जौनपुर
	लखीमपुर
	मैनपुरी
	मिर्जापुर
	रायबरेली
	शाहजहांपुर
	सीतापुर
	सुल्तानपुर
	उन्नाव
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	अलमोड़ा
	बिजनौर
	एटा
पश्चिम बंगाल	बांकुरा
	बेरहामपुर
	कलकत्ता (हावड़ा)
	जलपाईगुड़ी
	कृष्णनगर
	मालदा
	सूरी (बिरभूम)

[हिन्दी]

बड़ी परियोजनाओं के साथ रेल सम्पर्क

3036. श्री रामशकल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेल सुविधाओं के साथ बड़ी परियोजना को जोडने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में संघ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही परियोजना को रेल सुविधाओं से कब तक जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि रेल सुविधाओं के अभाव के कारण लाखों श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). प्रमुख परियोजनाओं को रेल संपर्क से जोड़ने की आवश्यकता पर सर्वेक्षण द्वारा विचार किया जाता है और तत्पश्चात निवेश के निर्णय लिए जाते हैं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में एक्सचेंजों का विस्तार/आधुनिकीकरण

3037. श्री सौम्य रंजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में विशेषरूप से भुवनेश्वर में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष में उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों का, (इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने के रूप में) प्रस्तावित विस्तार/आधुनिकीकरण, का जिलावार ब्यौरा, विशेषकर भुवनेश्वर में, बड़े एक्सचेंजों के संबंध में संलग्न विवरण-I तथा छोटे एक्सचेंजों के संबंध में संलग्न विवरण-II में दिया है।

विवरण-I

एक्सचेंजों के प्रस्तावित विस्तार/प्रतिस्थापन की सूची

	जिला	केन्द्रों के नाम	क्षमता (प्रकार)
1.	खुर्दा	(क) भुवनेश्वर	6 हजार (एनईसी मुख्य)
		(ख) मंचेश्वर (भुवनेश्वर)	4 हजार (एनईसी आरएसयू)
		(ग) भुवनेश्वर टेक्स	0.5 हजार (ई-10 बी)
		(घ) भुवनेश्वर	1 हजार (ई-10बी) विस्तार
		(ङ) चांडका	1 हजार (ई-10बी) विस्तार
		(च) जटनी	1 हजार (ई-10बी) विस्तार
2.	धेनकनाल	धेनकनाल टेक्स	1.5 हजार (ई-10बी) (नया)
3.	गंजम	बेरहामपुर	2 हजार (ई-10बी) विस्तार
4.	सुंदरगढ़	रूरकेला	1 हजार (ई-10बी) विस्तार
5.	कटक	कटक मेहताब रोड	2 हजार (ई-10बी) विस्तार
		कटक टेक्स	5 हजार ओसीबी (नया)
6.	जगतसिंहपुर	(क) जगतसिंहपुर	512 पी आइएलटी विस्तार
		(ख) पारादीप	512 पी सी-डाट विस्तार
7.	जाजपुर	धनमंडल	0.6 हजार सी-डाट विस्तार
8.	संबलपुर	(क) संबलपुर	1.5 हजार (ई-10बी) विस्तार
		(ख) हीराकुड	1 हजार (ई-10बी) विस्तार
		(ग) संबलपुर डी-टेक्स	1 हजार (ई-10बी) विस्तार
		(घ) ब्रजराजनगर	0.4 हजार सी-डाट विस्तार
		(ङ) रेंगाली	512 पी आईएलटी विस्तार
		(च) बरला	1.0 हजार (ई-10बी) विस्तार
9.	क्योंझर	(क) पलासपंगे	0.4 हजार नीक्स (नया)
		(ख) बारबिल	0.4 हजार सी-डाट विस्तार
		(ग) आनंदपुर	1.0 हजार सी-डाट (नया)
10.	मयूरभंज	केरीपाड़ा	1.0 हजार सी-डाट विस्तार
11.	अंगुल	दक्षिण बलांडा	0.4 हजार सी-डाट विस्तार
12.	भद्रक	भद्रक	512 पी सी-डाट विस्तार
13.	फूलबनी	फूलबनी	512 पी सी-डाट विस्तार
14.	मलकनगिरी	मलकनगिरी	512 पी सी-डाट विस्तार
15.	सुंदरगढ़	रायगंजपुर	0.4 हजार सी-डाट विस्तार

विवरण–II

उड़ीसा दूरसंचार सर्किल

छोटे एक्सचेंजों का 64 पी से 256 पी तक विस्तार करने/चालू करने का कार्यक्रम

क्र.सं.	राजस्व जिला	नए एक्सचेंजों के लिए बढ़ाई गई क्षमता	विस्तार	प्रतिस्थापन
1.	बालासोर	56	736	352
2.	भद्रक	–	368	176
3.	मयूरभंज	–	688	176
4.	गंजम	176	528	176
5.	गजपती	–	184	88
6.	फूलबनी	–	368	176
7.	बौद्ध	56	–	–
8.	खुर्द	176	712	254
9.	नयागढ़	112	80	–
10.	पुरी	–	312	88
11.	बोलनगीर	–	64	–
12.	सोनोपुर	56	160	176
13.	कालाहांडी	144	264	88
14.	नावापाड़ा	–	–	–
15.	कटक	88	700	–
16.	जगतसिंहपुर	–	168	–
17.	केन्द्रपाड़ा	56	1060	440
18.	जाजपुर	88	80	–
19.	क्योंझर		184	88
20.	अंगुल	256	440	176
21.	धेनकनाल	–	520	176
22.	कोरापुट	–	440	176
23.	मलकनगिरी	–	184	88
24.	नवरंगपुर	56	184	88
25.	रायगडा	56	360	176
26.	संबलपुर	88	540	264
27.	झारसुगुडा	56	184	88
28.	बारगढ़	88	–	–
29.	देवगढ़	–	184	88
30.	सुंदरगढ़	144	520	176
	जोड़	1752	10212	3776

एक्सप्रेस गाड़ी को पारसनाथ स्टेशन पर ठहरना

-3038. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के पारसनाथ स्टशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और कालका मेल को ठहरने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) पारसनाथ स्टेशन पर अन्य गाड़ियों की सेवाओं की उपलब्धता और यातायात की कमी के औचित्य की दृष्टि से यहां इन गाड़ियों के ठहराव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभागेतर कर्मचारी

3039. श्री उधव बर्मन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के विभिन्न अंचलों में कार्यरत विभागेतर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विभागेतर कर्मचारियों को नियमित किया गया है; और

(ग) सभी विभागेतर कर्मचारियों को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक विभाग में 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 3,09,823 अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। सर्किलवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जानकारी फील्ड यूनिटों से एकत्र की जा रही है तथा इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) डाक विभाग के नियमित विभागीय समूह "घ" और पोस्टमैन संवर्गों में भर्ती के लिए अतिरिक्त विभागीय श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। समूह "घ" में भर्ती वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पात्र अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों में से की जाती है। पोस्टमैन के संवर्ग में 50 प्रतिशत रिक्त पद विभागीय समूह "घ" कर्मचारियों द्वारा भरे जाते हैं जो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के क्रम से होते हैं। पोस्टमैन के संवर्ग में शेष 50 प्रतिशत रिक्त पद निम्न प्रकार से भरे जाते हैं :—

(1) कम से कम 15 वर्षों की सेवा करने वाले अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों में से उनकी वरिष्ठता के आधार पर 25 प्रतिशत पद; और

(2) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों में से विभागीय परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत पद।

उपर्युक्त से यह पता चलता है कि समूह "घ" और पोस्टमैन संवर्गों में रिक्त पद पूरी तरह अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से भरे जाते हैं। इस प्रकार विभागीय समूह "घ" और पोस्टमैन संवर्गों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की भर्ती रिक्त पदों की उपलब्धता, पात्रता मानदंड आदि की पूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के नियमित होने की कोई संभावित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या
1.	असम	9,043
2.	आंध्र प्रदेश	30,076
3.	बिहार	20,119
4.	दिल्ली	527
5.	गुजरात	17,673
6.	हरियाणा	4,384
7.	हिमाचल प्रदेश	6,670
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2,945
9.	कर्नाटक	17,391
10.	केरल	12,713
11.	मध्य प्रदेश	23,306
12.	महाराष्ट्र	25,417
13.	उत्तर-पूर्व	6,820
14.	उड़ीसा	18,408
15.	पंजाब	6,443
16.	राजस्थान	16,480
17.	तमिलनाडु	25,375
18.	उत्तर प्रदेश	43,799
19.	पश्चिम बंगाल	22,236
		3,09,825

रेल पुल का निर्माण

3040. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोगिबिल में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-सड़क पुल बनाने के संबंध में तकनीकी-आर्थिक और डिजाइन संबंधी सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

नागपुर टेलीफोन्स द्वारा खरीदे गए उपकरण

3041. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर टेलीफोन्स ने गत तीन वर्षों के दौरान मशीनरी तथा अन्य उपकरण खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दान के रूप में दी गई राशि

3042. श्री हरिन पाठक : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्गीय इंदिरा गांधी/राजीव गांधी से जुड़े किसी फाउंडेशन/संस्था को उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई धनराशि दान में दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किया गया निजी/व्यक्तिक संस्थानों को दिए गए दान का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने वर्ष 1995-96 के दौरान राजीव गांधी फाउण्डेशन को 1.00 करोड़ रुपए दान किए थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी/राजीव गांधी से जुड़े किसी फाउण्डेशन को अभी तक कोई धनराशि दान में नहीं दी है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (सितम्बर, 1996 तक) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (सित., 96 तक)
सेल	166.00	230.27	299.32	शून्य
आर.आई.एन.एल.	10.00	शून्य	6.50*	5.00
के.आई.ओ.सी.एल.	48.00	22.44	54.57	0.42
एन.एम.डी.सी.	17.10	5.20	32.86	0.01
एम.एस.टी.सी.	1.17	शून्य	शून्य	शून्य
मॉयल	1.85	**	शून्य	0.02
मेकन	2.23	2.18	1.42	0.61
एफ.एस.एन.एल.	1.36	शून्य	शून्य	शून्य
बी.आर.एल.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच.एस.सी.एल.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सिल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* 60 टन इस्पात भी दान में दिया गया था।

** 5017- रुपए मात्र

[हिन्दी]

बीड़ी और सीमेंट श्रमिकों के लिए अस्पताल

3043. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी और सीमेंट उद्योग में काम कर रहे अधिकांश श्रमिक तपेदिक, रक्त की कमी, कुपोषण और कैंसर के शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है और उपचार के अभाव में कितने श्रमिकों की अकाल मृत्यु हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस क्षेत्र में बीमारियों को रोकने के लिए नए अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटिश एयरवेज में यात्रा

3044. श्री पंकज चौधरी :
श्री गंगा चरण राजपूत :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री दिलीप संघानी :
श्री आई.डी. स्वामी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विद्यमान सभी सुरक्षा कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंककर दो व्यक्ति ब्रिटिश एयरवेज के कार्गो विमान के केबिन में बैठकर लंदन पहुंच गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

एम.ए.आर.आर. प्रणाली

3045. डा. राम लखन सिंह :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में एम.ए.आर.आर. प्रणाली द्वारा कितनी ग्राम पंचायतों की पीसीओ सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उन पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या रखरखाव के अभाव में भिण्ड और मुरैना में अधिकांश टेलीफोन खराब पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) एम.ए.आर.आर. प्रणाली द्वारा 1993-94 में 4798, 1994-95 में 3050 और 1995-96 में 918 ग्राम पंचायतों को पी.सी.ओ. प्रदान किए गए।

(ख) तीन वर्षों में खर्च की गई धनराशि वर्षवार, 1993-94 में रु. 5997.5 लाख, 1994-95 में रु. 3812.5 लाख और 1995-96 में रु. 1147.0 लाख है।

(ग) केवल कुछ ही टेलीफोन खराब हैं।

(घ) खराबियां ठीक करने के प्रयासों में वृद्धि की गई है। खराबियों की मरम्मत करने के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए फील्ड यूनिटों को मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं। एमएआरआर प्रणालियों के रखरखाव तथा परीक्षण के लिए कार्यविधि निर्धारित कर दी गई है।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

3046. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मल्लापुरम जिले में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार/आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है;

(ख) विस्तार, संकल्पित अतिरिक्त क्षमता, अनुमानित लागत, अनुमानित वास्तविक क्षमता वृद्धि तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब आरंभ हुआ था और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विवरण-I में दिए गए अनुसार।

(ख) विवरण-II में दिए गए अनुसार।

(ग) अप्रैल, 1996 में कार्य प्रारंभ हुआ और मार्च, 1997 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

केरल के मल्लापुरम जिले में विस्तार/आधुनिकीकरण के अधीन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	मंजेरी
2.	कोट्टाक्काल
3.	मल्लापुरम
4.	तिरूर
5.	पराप्पननगाड़ी
6.	तिरूरनगाड़ी
7.	पेरिन्थालमन्ना
8.	कोंडोट्टी
9.	चेलारी
10.	तानूर
11.	मरीनचेरी
12.	मकरापारम्बा
13.	मनकाडा
14.	एडपाल
15.	चानगरमकुलम
16.	मेलाट्टूर
17.	करुमपुजहा
18.	पुलामानथोले
19.	पोन्नी
20.	थवान्नूर

विवरण-II

(1) संस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित कुल अतिरिक्त क्षमता - (सकल लाइनें = 32380 लाइनें)

(2) जोड़ी जाने वाली कुल वास्तविक अतिरिक्त क्षमता - (निवल लाइनें = 20868 लाइनें)

(3) कुल प्राक्कलित लागत = रु. 51.72 करोड़

(4) चालू वित्त वर्ष में किया गया वित्तीय आबंटन = केरल सर्किल के लिए रु. 474 करोड़। केवल मलाप्पुरम जिले के लिए अलग से किसी धनराशि का आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण फलक

3047. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण फलक पर्याप्त नहीं है तथा उनमें से कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो टिकट खरीद के लिए घंटों, प्रतीक्षा करने के समय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आमान परिवर्तन

3048. श्री सनत मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "बोल्ट" (बी.ओ.एल.टी.) योजना के अंतर्गत बीकानेर से नवलखी तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। बड़ोदरा से नवलखी तक शाखा लाइन सहित बीकानेर-मलियामियागा खंड के आमान परिवर्तन के लिए बोल्ट योजना के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

(ख) से (घ). प्राप्त हुए प्रस्तावों की पश्चिम रेलवे की विधिवत रूप से गठित निविदा समिति द्वारा जांच की गई थी, जिसकी सिफारिशें अब रेल मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

डाक सेवाओं के संबंध में शिकायतें

3049. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवा के संबंध में शिकायतों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) दोषी पाए गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, प्राप्त शिकायतों की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई है जो परियात में वृद्धि को देखते हुए बिल्कुल नगण्य है। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्राप्त शिकायतों और निपटाए गए परियात का तुलनात्मक ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाया गया कुल परियात (मिलियन में)	प्रतिशत
1994-95	7,69,205	13,705	0.00561
1995-96	7,91,875	14,063	0.00563

(ग) इस संबंध में पहले से जारी कार्रवाई के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) शिकायत की आशंका वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्राप्त शिकायतों का आवधिक विश्लेषण किया जाता है ताकि इसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(2) शिकायतों वाले ऐसे विशेष क्षेत्र, जहां से बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां आवधिक अभियान चलाना।

(3) परिवहन प्राधिकरणों जैसे ईंडियन एयरलाइन्स, रेलवे तथा राज्य परिवहन से निरंतर संपर्क रखा जाता है।

(4) डाक के शीघ्र वितरण हेतु मुम्बई और दिल्ली में तीव्र परिवहन के साधन प्रदान किए गए हैं।

(5) शिकायतों का आन-द-स्पॉट निपटान करने के लिए डाक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

(6) शिकायतों की प्राप्ति और उनके निपटान के कार्य को सावधानीपूर्वक मॉनीटर किया जाता है।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 580 कर्मचारियों को दंडित किया गया था।

(ङ) शिकायतों का निपटान और अधिक शीघ्रता से करने के लिए निम्नलिखित प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं :—

(1) सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में चरणबद्ध रूप से पीसी आधारित बहुउद्देशीय काउंटरों की व्यवस्था करना।

(2) शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटान निश्चित करना।

(3) शिकायतों के निपटान हेतु प्रमुख शहरों में चरणबद्ध रूप से केंद्रीयकृत व्यवस्था शुरू करना।

(4) स्थानीय डाक के शीघ्र वितरण हेतु हरे रंग के लेटर बाक्सों की संस्थापना करना।

(5) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल सेवा, हाइब्रिड मेल, सेटेलाइट मनीआर्डर आदि जैसी द्रुतगामी सेवाओं का शुरूआत करना।

हिन्दी/अंग्रेजी पत्रिकाएं

3050. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** हिन्दी और अंग्रेजी पत्रिकाओं के बारे में दिनांक 12 सितम्बर, 96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5549 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय प्रेस से संबंधित सूचना के एकत्रण का कार्य करता है। यह कार्यालय देश में पंजीकृत सभी समाचारपत्रों के आवश्यक विवरण का रख-रखाव करता है। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, विभिन्न आवधिकता के 146 अंग्रेजी तथा 78 हिन्दी प्रकाशन, दिल्ली में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के नाम में उपर्युक्त कार्यालय के पास पंजीकृत हैं। तथापि, प्रकाशनों द्वारा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय को फार्म-2 में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी में नियुक्त स्टाफ, विभिन्न अंकों हेतु प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं आदि जैसे ब्यौरे नहीं होते। इसलिए दिनांक 12.9.96 के अतारांकित प्रश्न सं. 5549 के भाग (ख) से (ङ) में अपेक्षित सूचना का सरकार द्वारा केन्द्रीकृत रूप से संकलन/रख-रखाव नहीं किया जाता है।

उपरोक्त सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दिनांक 12.9.96 के उक्त अतारांकित प्रश्न सं. 5549 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में पहले ही दे दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल सेवायें पुनः शुरू करना

3051. श्री राम नगीना मिश्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले छितौनी तक चलने वाली रेलगाड़ी बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो छितौनी तक चलने वाली रेलगाड़ी को बंद किए जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त रेल सेवा फिर कब तक पुनः शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या छितौनी से पांच किलोमीटर की दूरी पर एक नये रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया है और वहां तक के लिए कोई सड़क अथवा यातायात की दूसरी सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सड़क संपर्क की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) छितौनी और बगहा के मध्य रेल पुल के निर्माण के पश्चात्, छितौनी के बजाय पानीयहवा के रास्ते गोरखपुर और नरकटियागंज के बीच सीधी रेलगाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। छितौनी अब रेल संपर्क से जुड़ा हुआ नहीं है।

(ग) पानीयहवा स्टेशन छितौनी से 2.75 कि.मी. की दूरी पर है तथा समानान्तर सड़क सुविधा उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चितरंजन इंजन का कारखाना

3052. श्री नवल किशोर राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन इंजन के कारखाने में बिजली के इंजनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त उपक्रम में निर्मित किए जाने वाले बिजली के इंजनों की क्षमता और दक्षता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपक्रम द्वारा अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक निर्यात किए गए उत्पादों की क्षमता वार और दक्षता वार संख्या कितनी है;

(ङ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(च) इस उपक्रम की वार्षिक औसतन उत्पादन क्षमता क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख)

रेल इंजनों का विवरण	क्षमता	60/70 कि.मी. प्रति घं. की रफ्तार पर अनुमानित क्षमता का प्रतिशत
डब्ल्यूएजी5	3900 अश्व शक्ति	78
डब्ल्यूएजी7	5000 अश्व शक्ति	80
डब्ल्यूएपी4	5000 अश्व शक्ति	उपलब्ध नहीं।

(ग) से (ङ). चितरंजन में निर्मित रेल इंजन 1960 की पुरानी प्रौद्योगिकी के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रचलित हैं। थाइरिस्टर रेल इंजनों पर आधारित 3-फेज जीटीओ के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण किया जा रहा है। इन रेल इंजनों को निर्मित किये जाने तथा इनके पूर्णतया सफल सिद्ध होने के बाद यदि ये भारतीय रेलों की आवश्यकता से फालतू हुए तो उनके निर्यात पर विचार किया जा सकता है।

(च) उपरोक्त किस्म के रेल इंजनों सहित औसत वार्षिक उत्पादन क्षमता 130 रेल इंजन की है और इसे बढ़ाकर 150 रेल इंजन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नमकल का दूरभाष केन्द्र

3053. श्री के. कंडासामी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नमकल दूरभाष केन्द्र को इलैक्ट्रॉनिक केन्द्र में बदलने तथा वहां की प्रतीक्षा सूची के भारी संख्या में व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। इस समय क्रॉसबार एक्सचेंज को बदला नहीं जा रहा है। तथापि, एक नये एक्सचेंज की संस्थापना करके प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग). 3500 लाइनों वाले सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की संस्थापना की जा रही है और वर्तमान प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए 1000 लाइनों तक इसका और विस्तार कर दिया जाएगा।

दूरदर्शन/आकाशवाणी, गुजरात

3054. श्री दिनशा पटेल :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में आज तक स्थापित किए गए आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी केन्द्रों के काम करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त केन्द्रों में से प्रत्येक के विकास पर अब तक अलग-अलग कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को विविध भारती कार्यक्रमों के प्रसारण और दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

	दूरदर्शन		आकाशवाणी	
राज्य	मौजूदा	व्यय (लाख रु. में)	केन्द्र	व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
गुजरात				
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र				
	अहमदाबाद	737.10	अहमदाबाद	
	राजकोट	548.98	बडोदरा	
उ.श.ट्रा.			भुज	
	अहमदाबाद	174.67	राजकोट	
	भुज (अंतरिम)	25.57	गोरड़ा	227.00
	द्वाराका	283.70	सूरत	292.00
	राजकोट	320.88	आवा	220.00
	अहमदाबाद (डोडी-2)	86.19		
अ.श.ट्रा.				
×	आवा	24.44		
×	अम्बाजी	42.75		
×	अमरेली	23.14		
×	भावर	44.33		
×	भड़ौल	18.50		
×	भावनगर	14.73		
×	छोटा उदयपुर	40.07		
×	डांडी	18.06		
×	डांडियापारा	39.96		
×	देवगढ़-दारिया	51.70		
×	दरंगधारा	76.73		
×	धौराजी	38.29		
×	दोहद	36.67		
×	गौदरा	33.77		
×	इंदर	60.00		
×	जामनगर	28.50		
×	जूनागढ़	33.13		

1	2	3	4	5
×	केवडिया कालोनी	32.01		
×	खमबात	52.64		
×	कोसम्बा	41.00		
×	महुआ	78.29		
×	मंगरोल (जूनागढ़)	85.00		
×	मेहसाना	37.96		
×	नवसारी	46.42		
×	पालनपुर	24.96		
×	पार्लीताना	66.05		
×	घाटन	17.50		
×	पोरबंदर	30.14		
×	रापड़	79.07		
×	संजेली	69.05		
×	श्यामलाजी	44.25		
×	सोनगढ़	38.15		
×	सूरत	18.36		
×	सुरेन्द्र नगर	24.32		
×	बराड़	38.70		
×	बडोदरा	14.64		
×	वाल्सड़	29.16		
×	बेरावल	22.28		
×	गांधीनगर (डी.डी.-2)	31.12		
अ.अ.श.ट्रा.				
×	काकरापार	30.69		
×	नेतरंग	40.38		

× जनजातीय क्षेत्रों में स्थित

(क) व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट :— उपर्युक्त सभी केन्द्र प्रचालन में हैं।

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने का लक्ष्य

3055. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). आठवीं योजना अवधि के दौरान उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमोअर (उ.श.ट्रा.) की स्थापना संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ कमी रही है। तथापि, यह कमी मुख्य रूप से देश में अभी तक कवर न किए क्षेत्रों में टी.वी. सेवा का विस्तार करने की दृष्टि से अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों (अ.श.ट्रा.) तथा अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों (अ.अ.श.ट्रा.) को स्थापित करने हेतु दी गई प्राथमिकता और धनराशि की कमी के कारण रही है। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन की नौवीं योजना प्रस्तावों के भाग के रूप में कई उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है।

इस्पात का आयात

3056. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस्पात के विदेशी उत्पादक इस्पात की आपूर्ति बहुत ही सस्ते दरों पर कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान आयातित इस्पात का ब्यौरा क्या है और किस दर पर उक्त इस्पात का आयात किया गया था;

(ग) क्या इस्पात के विदेशी व्यापारियों ने इस्पात की आपूर्ति हाल ही में दी गई सीमा शुल्क में छूट के कारण की है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). मौजूदा नीति के अनुसार इस्पात का आयात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। तथापि, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि इस प्रकार की डम्पिंग से घरेलू उद्योग को वस्तुपरक क्षति होती है तो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में डम्पिंग के मामलों की जांच करने और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान है। इस्पात के किसी भी उत्पाद पर डम्पिंग-रोधी शुल्क लगाने के लिए उपरोक्त अधिनियम के तहत नामजद प्राधिकारी को, 5.12.1996 की स्थिति के अनुसार, कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल-अगस्त, 1996 के दौरान 5.85 लाख टन विक्रेय इस्पात का आयात किया गया था। अगस्त, 1996 के दौरान इस्पात की कुछ श्रेणियों के औसत

आयात मूल्य (सी एंड एफ) निम्नानुसार थे :—

1.	बिलैट (आईएस-3830: 80/100 एम एम)	:	255 अमरीकी डालर/टन
2.	वॉयर रॉड (आई एस-2062: 6 एम एम)		355 अमरीकी डालर/टन
3.	एच आर क्वायलें (3.15 एम एम डी डी)		370 अमरीकी डालर/टन
4.	सी आर क्वायलें (0.63 एम एम डी डी)		520 अमरीकी डालर/टन
5.	टिन प्लेट प्राइम (ओ सी-साइज)	:	740 अमरीकी डालर/टन

[हिन्दी]

आकाश में विमानों की भिड़न्त

3057. कुमारी उमा भारती :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1996 को आकाश में विमानों की भिड़न्त में मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्धियों को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर उन्हें अपेक्षित जानकारी देने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं थी;

(ख) क्या उक्त विमानपत्तन पर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी मामलों की जानकारी भी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) आकाश में विमानों की भिड़न्त के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल भातरीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया था और दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्तियों, बैठने की व्यवस्था, जलपान का प्रबन्ध और दुर्घटनाग्रस्त स्थल/अस्पताल तक दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों को ले जाने के बारे में सूचना देने जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आरक्षित पद

3058. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन मंत्रालय में जनवरी 1996 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कितने पद बकाया हैं;

(ख) किस सीमा तक उक्त बकाया पदों को अभी तक भरा गया है; और

(ग) बाकी पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के 330, अनुसूचित जनजाति के 490 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 400 आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) अभी तक अनुसूचित जाति के 114, अनुसूचित जनजाति के 82 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 89 पद भरे गए हैं।

(ग) पिछली रिक्तियों को भरने के लिए मांग-पत्र पहले ही संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/रोजगार कार्यालयों आदि को भेजे जा चुके हैं। पिछली रिक्तियों को क्लीयर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं परन्तु निश्चित तौर पर वह तारीख बता पाना संभव नहीं है जिस तारीख तक इन पिछली रिक्तियों को भरा जा सकेगा चूंकि भर्ती कार्यवाही तथा कार्यविधिक अपेक्षाओं को विभिन्न उपक्रमों द्वारा पूरा किया जाना होता है।

धारावाहिकों से लाभ/हानि

3059. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान दूरदर्शन पर सप्ताह में एक बार, दो बार अथवा उनके अधिक बार प्रसारित किए जाने वाले लोकप्रिय धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक धारावाहिक कितने समय तक प्रसारित किया गया था अथवा किस समय से प्रसारित किया जा रहा है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक से कितना लाभ/हानि हुई?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसूर और वाराणसी के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करना

3060. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर और वाराणसी के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में तीर्थयात्रियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेल सेवा कब तक चालू हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

हुबली हवाई अड्डे का उपयोग

3061. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हुबली हवाई अड्डे के उपयोग को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) हुबली हवाई अड्डे पर 50 सीटों वाले विमानों के लिए प्रचालन सुविधाएं उपलबध हैं। एनईपीसी एयरलाइन्स, जो 17.4.1994 से 20.8.1995 तक अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन कर रही थी, ने संभवतः पर्याप्त यातायात की कमी के कारण, अपनी उड़ानें बन्द कर दीं। यह संबंधित विमानकम्पनियों पर निर्भर करता है कि वे यह निर्णय लें कि उड़ान भरी जाएं अथवा नहीं, जो यातायात की मात्रा तथा प्रचालनों के आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करता है।

टेलीफोन सलाहकार समिति

3062. डा. बलिराम :

श्री राम नाईक :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व समितियां, जिनमें दिल्ली और मुम्बई की एम.टी.एन.एल. समितियां भी सम्मिलित हैं की अवधि समाप्त होने के पश्चात राज्यवार अथवा सर्किलवार टेलीफोन सलाहकार समितियों (टी.ए.सी.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सांसद और राज्य विधान सभा सदस्यों तथा उनके द्वारा प्रायोजित नामों को नीतिगत मामले के अनुसार टी. एस.सी. में प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो मुम्बई के एम.टी.एन.एल. में सांसदों तथा राज्य विधानसभा सदस्यों को सम्मिलित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। आज की तारीख तक, अवधि समाप्त हो जाने के बाद, एक सौ फील्ड यूनिटों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। मुम्बई और दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समितियों की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, हां। यदि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाए, तो माननीय सांसदों और राज्य विधान सभा के सदस्यों को टीएसी में शामिल किया जाता है। सांसदों और राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रायोजित नामों पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई के लिए एक विधायक को पहले ही टीएसी में नामांकित किया जा चुका है। टीएसी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई के लिए सांसदों के नामांकन संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुए थे।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र हेतु लाइसेंस

3063. श्री भक्त चरण दास : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कालाहांडी जिले में लांगीगढ़ स्थित एल्यूमिनियम संयंत्रों हेतु किसी कंपनी को लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ख). एल्यूमिनियम क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एल्यूमिनियम धातु और इससे संबद्ध उत्पादों को लाइसेंस की

अनिवार्यता के प्रावधान से छूट दी गई है। तथापि, लांगीगढ़ निक्षेप 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एल्यूमिना उत्पादन करने वाली इकाई के लिए प्रस्तावित बाक्साइट संपर्क है। जिसके लिए सरकार ने मैसर्स कर्नाटक टेलीकेबल को आशय-पत्र दिया है। इस परियोजना को कंपनी द्वारा इस समय आस्थागित रखा गया है क्योंकि कंपनी ने यह महसूस किया कि लांगीगढ़ में पाए जाने वाले बाक्साइट निक्षेप इस एल्यूमिना परियोजना के संपूर्ण जीवन काल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू उड़ानों में निजी एयरलाइनों का योगदान

3064. श्री संदीपान थोरात : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी एयरलाइनों की भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए घरेलू क्षेत्र में निजी एयरलाइनों के योगदान की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हवाई सेवाओं की दक्षता तथा लाभप्रदता एवं देश में उपलब्ध क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विमान सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु बुनियादी ढाचे/संचालन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). गैर-सरकारी विमानकम्पनियों के कार्य-निष्पादन की कोई संवीक्षा नहीं की गई है। तथापि अंतर्देशीय सैक्टर में नियमित तथा विश्वसनीय विमान परिवहन सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से नीति रचना पर संवीक्षा विचाराधीन है।

(घ) अतिरिक्त क्षमता का लगाया जाना तथा विमानकंपनियों के प्रचालनों के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार सतत् प्रक्रियाएं हैं।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करना

3065. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के पहचान पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रावधान को देश में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्यवार अन्य क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) 1.3.1996 से प्रवृत्त हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन, पूर्ववर्ती 12 माहों के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए निर्माण कार्य में नियोजित 18 और 60 वर्षों के बीच की आयु का प्रत्येक भवन कर्मकार इसके लाभानुभोगी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह होगा। उक्त अधिनियम की धारा 13 में उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक लाभानुभोगी को पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना किया जाना अनिवार्य किया गया है।

(घ) अधिनियम में कार्य के घंटों, समयोपरि मजदूरी, स्वास्थ्यकर पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति, शौचालय और मूत्रालय, कार्य स्थल पर या उसके पास अस्थायी आवास ग्रह, शिशुसदन, कैंटीन और प्रथमोपचार सुविधा के रख-रखाव की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कल्याण निधि बोर्ड दुर्घटना की दशा में तत्काल सहायता प्रदान करने, वृद्धावस्था पेंशन, गृह ऋण, समूह बीमा, बच्चों की शिक्षा, बीमारी और प्रसूति प्रसुविधा आदि के लिए व्यवस्था कर सकता है।

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

3066. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है तथा उन्हें स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने हेतु कितने समय की आवश्यकता है; और

(ग) देश में स्वदेशी टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास तथा स्थापना की क्षमता कितनी है तथा इसका वार्षिक उत्पादन कितना है और इसमें अब तक कितना निवेश किया गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कुछ मैनुअल ट्रंक एक्सचेंजों को छोड़कर देश के सभी एक्सचेंज स्वचालित हैं।

(ग) अपने स्वचालित एक्सचेंज विकसित और स्थापित करने की क्षमता भारत में है। उत्पादन और निवेश संबंधी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण–I

30.9.96 की स्थिति के अनुसार देश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या

1.	आन्ध्र प्रदेश	2066
2.	असम	287
3.	बिहार	790
4.	दिल्ली	127
5.	गुजरात	1397
6.	हरियाणा	750
7.	हिमाचल प्रदेश	549
8.	जम्मू व कश्मीर	223
9.	कर्नाटक	2037
10.	केरल	768
11.	मध्य प्रदेश	2664
12.	महाराष्ट्र (मुंबई एवं गोवा सहित)	2609
13.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सहित)	232
14.	उड़ीसा	713
15.	पंजाब	856
16.	राजस्थान	1453
17.	तमिलनाडु (चैन्नई सहित)	1414
18.	उत्तर प्रदेश	1734
19.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता, सिक्किम, और अंडमान निकोबार सहित)	659
	योग	21328

विवरण–II

उत्पादन/निवेश

वर्ष	सी-डॉट डिजाइन		आई.टी.आई. डिजाइन	
	उत्पादन	निवेश	उत्पादन	निवेश
1993-94	11.54 लाख लाइनें	54.34 करोड़	1.454 लाख लाइन	5 करोड़
1994-95	12.50 लाख लाइनें	46.70 करोड	0.158 लाख लाइनें	4 करोड़
1995-96	7.34 लाख लाइनें	47.49 करोड़	0.106 लाख लाइनें	2 करोड़
जोड़	31.38 लाख लाइनें	148.49 करोड़	1.718 लाख लाइनें	11 करोड़

पिछले दशक में सी-डॉट स्विचन उपस्कर विनिर्माताओं ने विनिर्माण अवसंरचना में 120 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

उपर्युक्त सारणी में दर्शाये गए निवेश से संबंधित आंकड़ों में स्वदेशी स्विचों और उनसे संबंधित पारेषण उपस्कर तथा टर्मिनलों की परियोजनाओं के विकास का व्यय शामिल है।

खनन क्षेत्र में विदेशी भागीदारी

3067. श्री विजय पटेल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन क्षेत्र में 50 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी भागीदारी का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 (गैर-परमाणु और गैर-ईंधन खनिजों के लिए) में, अन्य बातों के साथ-साथ खनिज क्षेत्र में स्वदेशी और विदेशी निजी निवेश की बात कही गई है। यद्यपि, विदेशी इक्विटी भागीदारी आमतौर से 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। तथापि, यह सीमा किसी भी खनिज शोधन उद्योग की कैप्टिव खानों पर लागू नहीं होगी। प्रत्येक मामले के आधार पर बढ़ी हुई विदेशी इक्विटी भागीदारी पर भी विचार किया जा सकता है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अनुसार भारत में पंजीकृत कोई भी कम्पनी पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टे की मंजूरी के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन दे सकती है।

उपमण्डल मुख्यालयों को एस.टी.डी. सुविधा

3068. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997 के अंत तक देश के प्रत्येक उपमंडल मुख्यालय और महत्वपूर्ण केन्द्रों के लिए एस.टी.डी. सम्पर्क सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में उन मुख्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां एस.टी.डी. सम्पर्क सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉकों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में सभी 54 उप मण्डल मुख्यालयों में एसटीडी सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ग) और (घ). अलग से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल में 322 ब्लॉक मुख्यालयों में से, 219 ब्लॉक मुख्यालयों में पहले से ही एसटीडी सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष ब्लॉक मुख्यालयों में यह सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जाएगी बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

डाकघर खोलने संबंधी निर्धारित लक्ष्य

3069. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में शाखा डाकघरों और उप-डाकघरों को खोलने के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालयों में शाखा डाकघरों और उप-डाकघरों को खोलने को प्राथमिकता देने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए दिल्ली के चयनित गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है और इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली में अब तक शाखा डाकघर और उप डाकघर खोलने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए लक्ष्यों का कोई अलग से निर्धारण नहीं किया जाता है क्योंकि डाकघर मानदंडों के आधार पर औचित्यपूर्ण होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों तथा प्रत्येक मामले की मेरिट हो।

(ख) डाकघर खोलने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्रामों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे होते हों तथा संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 204 ग्रामों में से 111 ग्रामों में, जिनमें मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलना औचित्यपूर्ण है, पहले से ही डाकघर काम कर रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक दिल्ली में डाकघर खोलने के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के ब्यौरे

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य		मंजूर किए गए डाकघर	
	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर
1993-94	-	6	-	8
1994-95	-	10	-	1
1995-96	-	10	-	2
1996-97	1	10	-	3
योग	1	36	-	14

देश में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

3070. श्री डी.पी. यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में जिलावार ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें टेलीफोन सुविधा अभी तक नहीं दी गई है; और

(ग) ग्राम प्रचायतों को बेहतर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश में 45840 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा अभी तक नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उत्तर प्रदेश (पूर्व) के लिए राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) बेहतर प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की योजना बना ली गई है और अनुरक्षण संबंधी प्रयासों में वृद्धि की गई है।

विवरण-I

टेलीफोन रहित पंचायतों की जिलेवार सूची

उत्तर प्रदेश (पश्चिम)		सूची
1.	आगरा	123
2.	फिरोजाबाद	84
3.	सहारनपुर	376
4.	हरिद्वार	172
5.	मथुरा	157
6.	एटा	492
7.	अल्मोड़ा	1042
8.	पिथौरागढ़	494
9.	रामपुर	402
10.	पीलीभीत	481
11.	बदायूं	705
12.	गाजियाबाद	222
13.	बुलंदशहर	656
14.	पौड़ी	1003
15.	उत्तरकाशी	326
16.	टिहरी	758
17.	चमोली	553
18.	बिजनौर	579
19.	मुरादाबाद	964
20.	बरेली	804
21.	देहरादून	214
22.	मुजफ्फरनगर	152
23.	नैनीताल	300
24.	मेरठ	0
25.	अलीगढ़	502
	जोड़	11521

विवरण-II

टेलीफोन रहित ग्राम पंचायतों की जिलेवार सूची

उत्तर प्रदेश (पूर्व)		सूची	
1.	इलाहाबाद	1439	
2.	आजमगढ़	1795	
3.	[illegible]या	471	
4.	बस्ती	1842	
5.	बांदा	319	
6.	बहराइच	1165	
7.	बाराबंकी	1039	
8.	देवरिया	2153	
9.	पडरौना		नया सृजित जिला
10.	इटावा	629	
11.	फैजाबाद	1256	
12.	अम्बेडकरनगर		नया सृजित जिला
13.	फर्रुखाबाद	609	
14.	फतेहपुर	773	
15.	गोरखपुर	1449	
16.	गोंडा	1630	
17.	गाजीपुर	946	
18.	हरदोई	1185	
19.	हमीरपुर	381	नया सृजित जिला
20.	महोबा	1435	
21.	जौनपुर	245	
22.	झांसी	347	
23.	जालौन	347	
24.	कानपुर सिटी	35	
25.	कानपुर देहात	36	
26.	लखनऊ	41	
27.	लखीमपुर	747	
28.	ललितपुर	293	
29.	मैनपुरी	336	
30.	मिर्जापुर	647	
31.	मऊ	221	
32.	महाराजगंज	1180	
33.	प्रतापगढ़	1276	
34.	रायबरेली	904	
35.	सुल्तानपुर	1084	
36.	सीतापुर	1060	
37.	शाहजहांपुर	1052	
38.	सिद्धार्थनगर	1275	
39.	सोनभद्र	399	
40.	उन्नाव	791	
41.	वाराणसी	1339	
42.	भदोही		नया सृजित जिला
43.	फिरोजाबाद	296	
	जोड़	34319	

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली का आधुनिकीकरण/विस्तार

3071. **डा. सी. सिल्वेरा :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली आधुनिकीकरण और विस्तार की गति को तेज करने पर ध्यान दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो 20 नवम्बर, 1996 तक प्रत्येक सेवा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड विकास को मजबूती प्रदान करने, उपभोक्ता पहुंच को बढ़ाने, उपभोक्ता सुविधाओं में वृद्धि करने और उपभोक्ता संतोष को बढ़ाने के बारे में जोर दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्षेत्रवार क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली के सभी एक्सचेजों में दोष दूर करने संबंधी सेवा एवं वॉयस मेल फाल्ट रिपेयर सेवा को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इन सेवाओं को प्राप्त करने के मानदण्ड क्या हैं;

(छ) क्या सरकार का देश के अन्य नगरों में उपरोक्त प्रणाली को आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) एमटीएनएल, दिल्ली के सभी बड़े एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवाएं कंप्यूटरीकृत की जा चुकी हैं और दिल्ली के सभी एक्सचेंजों में वॉयस मेल दोष मरम्मत सेवा शुरू की जा चुकी है।

(च) सभी उपभोक्ताओं के लिए ये सेवाएं उपलब्ध हैं।

(छ) और (ज). जी हां। स्थानीय आवश्यकतानुसार तकनीकी व्यवहार्यता और उपस्कर के उपलब्ध होने पर सभी बड़े केन्द्रों में ये प्रणालियां उत्तरोत्तर रूप से प्रारंभ की जा रही हैं।

विवरण-I

दूरसंचार सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के ब्यौरे

(1) **प्रौद्योगिकी का उन्नयन**

सभी इलेक्ट्रो-मैकेनिकल स्ट्रोजर टाइप और पेंटा-कोंटा क्रासबार टाइप एक्सचेंज के स्थान पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं।

इस समय 91.65 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज क्षमता है।

आप्टीकल फाइबर केबल सहित एक्सचेजों के बीच 98 प्रतिशत जंक्शन डिजिटल किस्म के हैं।

25000 लाइनों के एक आधुनिक "स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट" डिजिटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज चालू किए जा चुके हैं।

डायरेक्ट्री पूछताछ कंप्यूटरीकृत है।

सभी बड़े एक्सचेंजों की दोष मरम्मत प्रणालियां कंप्यूटरीकृत हैं।

(2) **विकास**

टेलीफोन एक्सचेजों की सज्जित क्षमता 3.36 लाख लाइनों (1.4.86 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर लगभग 14.37 लाख लाइनें (31.10.96) हो गई है।

(3) **नई सेवाएं**

डॉटा, वीडियो कान्फ्रेंसिंग आदि जैसी कई नान वॉयस सेवाएं इनंटीग्रेटेड सेवा डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी हैं। इंटरनेट कनेक्टीविटि भी उपलब्ध है। आई-नेट नामक डेडीकेटेड डॉटा कम्यूनिकेशन नेटवर्क पहले से ही चालू किया जा चुका है तथा इसका और आगे विस्तार किया जा रहा है (फेस-II)।

विवरण-II

उपभोक्ता के हित संबंधी उपाय

वाणिज्यिक

1. वाणिज्यिक कार्यकलाप पूर्णतः विकेन्द्रीकृत किए जा चुके हैं। सभी क्षेत्रों के ग्राहक सेवा केन्द्रों (सी एस सी) सहित (यमुना पार छोड़कर) नए टेलीफोनों के पंजीकरण के लिए आन लाइन बुकिंग लक्ष्मीनगर, दिलशाद गार्डन, मयूर विहार, यमुना विहार, शाहदरा, शक्ति नगर और ओखला में उपलब्ध है।
2. फैक्स पर फार्मों के वितरण के लिए ऑटो-कॉम सेवा का प्रचालन शुरू हो गया है।
3. 25 पार्टियों द्वारा डायरेक्ट-इनडायलिंग ग्रुप ई प्री ए बी एक्स का प्रचालन शुरू कर दिया है।

4. नए टेलीफोन कनेक्शन की बुकिंग के लिए पंजीकरण शुल्क अब चैक द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

बिलिंग

1. बिल वसूली (कलेक्शन) केन्द्रों की संख्या 111 से बढ़ाकर 161 कर दी गई है।

2. किसी भी टेलीफोन नम्बर का डुप्लीकेट बिल सभी केन्द्रों सी एस सी और जोरबाग, लक्ष्मीनगर, शक्तिनगर, हौजखास और जनकपुरी के ग्राहक सेवा केन्द्रों में उपलब्ध है।

3. बिलिंग सूचना सेवा टेलीफोन नं. 6226600 पर उपलब्ध है।

4. एस टी डी/आई एस डी के ब्यौरे मुख्य बिल में अनुबंध के रूप में शुरू किए गए हैं। इस प्रकार बिल का आकार कम कर दिया है।

5. डाक द्वारा भेजे गए टेलीफोन बिलों का भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र को अलग पोस्ट-बाक्स नम्बर आबंटित किए गए हैं।

6. स्वैच्छिक जमाराशियों पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर 12 प्रतिशत बढ़ाकर रिवाल्विंग एकाउंट के लिए नया प्रोत्साहन दिया गया है।

7. दूर-दराज के क्षेत्रों में 87 इलाकों को कवर करते हुए बिलों की वसूली (कलेक्शन) और विभिन्न फार्मों के वितरण के लिए सचल वाहन (मोबाइल वैन) चलाए गए हैं।

ग्राहक सुविधा

1. भीकाजी कामा प्लेस, नेहरू प्लेस, शक्तिनगर और खुशीदलाल भवन के ग्राहक सेवा केन्द्रों का पुनर्निर्माण किया गया है।

2. साउथ-I और साउथ-II में एकल खिड़की संकल्पना (सिंगल विंडो कन्सेप्ट) शुरू की गई है।

3. रात्रि आपातकालीन सेवा (नाइट इमरजेंसी हेल्प सेवा) प्रारंभ की गई है।

4. जेनेरिक नम्बरिंग स्कीम प्रारंभ की गई है।

विशेष सेवाएं

1. डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा 197 का नए कंप्यूटर से उन्नयन किया गया है और बेहतर कार्य-निष्पादन प्रदान करने के लिए यह सेवा विकेन्द्रीकृत की गई है।

2. इंटरएक्टिव वायस रेसपोंस प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए आटोमैटिक चेंजड नम्बर एनाउंसमैंट सेवा अगस्त, 1995 में प्रारंभ की गई है।

3. बम्बई, कलकत्ता, मद्रास (चेन्नई), बंगलूर और हैदराबाद के लिए ऑन लाइन डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा शुरू की गई है।

4. उन टेलीफोन प्रयो[illegible] के लिए, जिनके पास संचार साफ्टवेयर सहित एक मोडेम के जरिए पीएसटीएन से जुड़ा एक पी सी है, ऑन लाइन डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा उपलब्ध कराई गई है।

5. नई एस टी डी/आई एस डी सूचना सेवा (182) शुरू की गई है इसकी सहायता से कोड, मॉनिटरिंग पल्स रेट तथा एस टी डी/आई एस डी की स्थिति/असफलता के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती है।

दोष मरम्मत सेवा

1. सभी बड़े एक्सचेंजों की दोष मरम्मत सेवा का कंप्यूटरीकरण कर दिया है और इसके अतिरिक्त किदवई भवन, सेना भवन, दिल्ली गेट, ईदगाह, ओखला, करोल बाग, राजौरी गार्डन और हरिनगर में स्वचालित लाइन परीक्षण शुरू किया गया है।

2. वॉयस मेल दोष मरम्मत सेवा नम्बरिंग स्कीम को युक्ति संगत बना दिया है ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके।

अन्य उपाय

1. कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा फोनों की शिफ्टिंग और मरम्मत के कार्य पर निकट से निगरानी रखी जा रही है।

2. कॉर्डलेस फोन और उसके साथ लगे दो लाइन टेलीफोन का लाइसेंस शुल्क हटा दिया है।

3. फैक्स का लाइसेंस शुल्क कम कर दिया है।

बिहार में रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना

3072. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक विशेष रेलवे सेक्शन में थोड़े ही समय के अंतराल में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की लगातार तीन घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि रेलगाड़ियों के पटरी पर से उतरने की ये घटनाएं तोड़-फोड़ के कारण हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने तोड़-फोड़ की ऐसी घटनाओं की जांच हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या किन्हीं संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की इन घटनाओं में रेलवे को कितनी वित्तीय क्षति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). वर्ष 1996-97 के दौरान पूर्व रेल के मुगलसराय-पटना

खंड पर गाड़ियों के पटरियों से उतरने की तीन घटना हुई थीं जिनमें बिहार राज्य में दो तथा उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, इन गाड़ियों के पटरी से उतरने का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. 23.4.96 को उत्तर प्रदेश राज्य में, दानापुर मंडल के जमानियां तथा दारौली स्टेशनों के बीच 5622 नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दस सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे;
2. 19.8.96 को, बिहार राज्य में, दानापुर मंडल के डुमरांव तथा बरुणा स्टेशनों के बीच 2302 पूर्वा एक्सप्रेस के 12 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे; और
3. 14.11.96 को बिहार राज्य में, दानापुर मंडल के बनही तथा बिहिया स्टेशनों के बीच 3050 अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस के 12 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

(ग) उपर्युक्त गाड़ियों के पटरियों से उतरने में तोड़-फोड़ का संदेह है तथा मामलों को पुलिस के साथ मिलकर अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) से (च). बिहार में गाड़ियों के पटरियों से उतरने के दोनों मामले क्रमशः राज्य रेल पुलिस/बक्सर तथा राज्य रेल पुलिस/आरा, द्वारा दर्ज किए गए हैं। इन मामलों पर अभी तक अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(छ) इन गाड़ियों के पटरियों से उतरने के कारण रेलवे को लगभग 1.43 करोड़ रु. का वित्तीय नुकसान हुआ है।

टेक एण्ड वायरलैस प्लानिंग एण्ड कोआर्डिनेशन विंग में भ्रष्टाचार

3073. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1996 के "द पायनियर" में "टेलीकाम मनी-स्पीकर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कुछ रोकथाम उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने समाचार की मदों को नोट किया है और इनका विश्लेषण किया है। विभिन्न मुद्दों के बारे में निर्णय करते समय विभागीय नियमों तथा विनियमों का पालन किया गया है।

(ग) और (घ). निविदा प्रक्रिया की समीक्षा की गई है तथा निविदाकर्ताओं में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। निविदाओं का कलैण्डर पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। विक्रेताओं की संख्या तथा उन्हें दिए जाने वाले आर्डरों की मात्रा निविदा आमंत्रित करते समय अधिसूचित कर दी जाती है। हाल ही में विभाग ने प्रायोगिक आधार पर विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने के कार्य को अंतिम रूप दिया है।

(ङ) उक्त भाग (ग) तथा (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

3074. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के अजमेर जिले के टी.डी.एम. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोगों के टेलीफोन कनेक्शनों हेतु आवेदन पत्र काफी समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 10-15 से भी अधिक व्यक्तियों ने प्रपत्र और आवश्यक शुल्क जमा करा दिया है, टेलीफोन सेवाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी;

(ङ) क्या अजमेर जिले के समूचे पुराने और नए तहसील मुख्यालयों अथवा प्रमुख शहरों को एस.टी.डी. सेवाओं से जोड़ दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इन स्थानों और उन स्थानों, जहां से इस संबंध में आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं, को एस.टी.डी. सेवाओं से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). जी, हां। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में लंबित आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

एक्सचेंज	लंबित आवेदन
प्रानदेडा	2
घूगरा	6
काडेल	2

ये कनेक्शन घूगरा के मामले में 9 किमी और काडेल के मामले में 11 किमी की लंबी दूरी के कनेक्शन हैं। ये कनेक्शन 1997-98 के दौरान प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। लाइन और वायर सामग्री प्राप्त की जा रही है।

(घ) ऐसे 11 स्थान हैं, जहां 10-15 व्यक्तियों ने पहले ही फार्म जमा करा दिए हैं। 1997-98 के दौरान टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारी

3075. श्री ए.सी. जोस : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों के कार्य की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों और परिलब्धियों तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं की जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति चरनजीत तलवार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की गई है। न्यायमूर्ति तलवार समिति के कार्यकाल को मौजूदा निबंधन और शर्तों पर दिनांक 1.10.96 से 15.2.97 तक अथवा पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि तक, इनमें जो बाद में पड़े, के लिए बढ़ा दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का पंजीकरण

3076. श्री एन.एस.वी. चित्थन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1996 तक तमिलनाडु के रोजगार कार्यालयों में कितने विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग पंजीकृत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त वर्गों के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या इन वर्गों के लिए निर्धारित कोटे को भर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) तमिलनाडु के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर, विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, नीचे दी गई हैं :—

	श्रेणी	चालू रजिस्टर पर संख्या
		(हजार में)
1.	विकलांग (31 दिसम्बर, 1995 के अनुसार) (नवीनतम उपलब्ध)	47.2
2.	अनुसूचित जाति (30 जून, 1995 के अनुसार) (नवीनतम उपलब्ध)	738.5
3.	अनुसूचित जनजाति (30 जून, 1995 के अनुसार) (नवीनतम उपलब्ध)	11.8

अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित सूचना रखी नहीं गई है।

(ख) वर्ष 1993-94 एवं 1995 के दौरान तमिलनाडु के रोजगार कार्यालय द्वारा विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की, की गई भर्ती की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	रोजगार पर लगाये जाने वालों की संख्या (हजार में)		
	विकलांग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1993	1.1	5.2	0.2
1994	0.9	2.6	0.1
1995	0.9	1.3*	0.1*

* जनवरी-जून, 95 से संबंधित

(ग) और (घ). नियोक्ताओं की मांग के अनुसार, रोजगार कार्यालय विकलांग, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों की सूची उनके लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु प्रस्तुत करते हैं।

खाड़ी देशों में श्रमिकों की कमी

3077. श्री एन. डेनिस : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से खाड़ी देशों में काम की खोज में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान, उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों (पी ओ ई) से अनुमति/पृष्ठांकन प्राप्त करने के पश्चात खाड़ी देशों सहित विदेश में कार्य करने के लिए उत्प्रवास के लिए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :—

1993	4,38,338
1994	4,25,385
1995	4,15,334

यह देखा जा सकता है कि उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों से अनुमति/पृष्ठांकन प्राप्त करने के पश्चात कार्य के लिए उत्प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में मामूली गिरावट आयी है। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुल मिलाकर कार्य के लिए उत्प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वास्तविक गिरावट आई है। व्यावसायिक और कुशल कर्मकारों की श्रेणी में शामिल व्यक्तियों को उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि उसके पासपोर्ट पर उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं की स्टाम्प लगी है। संभव है कि इस श्रेणी से संबंधित अनेक व्यक्तियों ने भी कार्य के लिए उत्प्रवास किया हो। ऐसे उत्प्रवासों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

कम्प्यूटर प्रणाली की असफलता

3078. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के एयर कार्गो टर्मिनल पर स्थापित कम्प्यूटर प्रणाली इसके चालू किए जाने के कुछ ही सप्ताह बाद फेल हो गई है जिससे निर्यातकों को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). जी, नहीं। शुल्क मुक्त सामान से संबंधित निर्यात दस्तावेजों तथा दिल्ली सीमा शुल्क के अधीन, इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयर कारगो यूनिट पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को क्रमशः 3.6.1996 तथा 1.1.1996 से आरंभ किया गया है। जन-संचालित प्रणाली से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में परिवर्तन के कारण, पहले कुछ दिनों में क्लीयर किए गए दस्तावेजों की संख्या सामान्य कार्य-निष्पादन की तुलना में कम थी। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातकों से प्राप्त दस्तावेजों को लौटाना पड़ा था। तथापि, प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है और यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

मुख्य आरक्षण निरीक्षण

3079. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर तथा पश्चिम रेलवे अपनी महिला कर्मचारियों को मुख्य आरक्षण निरीक्षक का पद लेने से हतोत्साहित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कर्मचारियों ने इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाएं

3080. प्रो. रीता वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बोकारो इस्पात संयंत्र में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने कर्मचारी मारे गए तथा गम्भीर रूप से तथा मामूली रूप से घायल हुए;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे, दुर्घटनाओं की जांच के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी, ये समितियां कब-कब गठित की गई.

(घ) कितनी समितियों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है;

(ङ) अब तक प्राप्त हुई समिति की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रिपोर्टों की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(छ) इन दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत डाकघर

3081. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलावार तथा स्थानवार कितने डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है; और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कितने डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में 58 डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान 12 डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थान
1	2	3
1.	लखनऊ जी.पी.ओ.	1. लखनऊ
		2. अमीनाबाद पार्क डाकघर
		3. लखनऊ चौक एचओ
		4. आलमबाग डाकघर
		5. न्यू हैदराबाद
		6. निराला नगर
		7. महानगर
		8. दिलकुशा
		9. राजेन्द्र नगर
		10. यू.पी. सेक्रेटेरिएट
2.	बाराबंकी	11. बाराबंकी एचओ
3.	फैजाबाद	12. फैजाबाद एचओ
4.	गोरखपुर	13. गोरखपुर एचओ
		14. खुराब्बाट एचओ
		15. गीता प्रेस
		16. रेलवे कालोनी
5.	गोंडा	17. गोंडा एचओ
6.	बहराइच	18. बहराइच एचओ
7.	मऊ	19. मऊ एचओ
8.	आजमगढ़	20. आजमगढ़ एचओ
9.	बलिया	21. बलिया एचओ
10.	देवरिया	22. देवरिया एचओ
11.	कानपुर सिटी	23. कानपुर एचओ
		24. नवाबगंज एचओ
		25. एचएनएस नगर
		26. नयागंज
		27. आई.आई.टी. कानपुर
		28. उडंगनगर
		29. कानपुर कैंट एचओ
12.	मेरठ	30. मेरठ एचओ
		31. मेरठ केंटीवाई एचओ
		32. मेरठ सिटी एचओ
13.	गाजियाबाद	33. गाजियाबाद एचओ
		34. नोएडा काम्प्लेक्स एसओ
14.	देहरादून	35. देहरादून कैंट
		36. देहरादून एचओ
		37. देहरादून केंटीवाई
15.	सहारनपुर	38. सहारनपुर एचओ
		39. सहारनपुर केंटीवाई एचओ
16.	मुजफ्फरनगर	40. मुजफ्फरनगर एचओ
		41. मुजफ्फरनगर सिटी एसओ
17.	बरेली	42. बरेल एचओ
		43. बरेली सिटी एसओ
18.	खेरी	44. खेरी एचओ
19.	मुरादाबाद	45. मुरादाबाद एचओ
20.	नैनीताल	46. नैनीताल एचओ
21.	रामपुर	47. रामपुर एचओ
22.	वाराणसी	48. वाराणसी एचओ
		49. वाराणसी कैंट
		50. बंगाली टोला एसओ
23.	इलाहाबाद	51. इलाहाबाद एचओ
		52. इलाहाबाद केंटीवाई एचओ
		53. सी डी ए पेंशन एसओ
24.	प्रतापगढ़	54. प्रतापगढ़ एचओ
25.	गाजीपुर	55. गाजीपुर एचओ
26.	जौनपुर	56. जौनपुर एचओ.
27.	आगरा	57. आगरा एचओ
		58. हरिपर्वत एसओ
	कुल	58

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू से डोगरी समाचार

3082. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू दूरदर्शन केन्द्र से डोगरी में समाचार बुलेटिन शुरू किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन का विकास

3083. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों तथा अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा बहुत खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में अच्छी सड़कों, चिकित्सा सुविधाओं तथा होटलों, पर्यटन परिसरों और धर्मशालाओं की कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र का विकास करने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ङ). पर्यटक सुविधाओं का सृजन करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की है :—

(1) कोरबेट और चिल्ला में मिनी बसें।

(2) गढ़वाल हिल्स के लिए फाइबर ग्लास कुटीरें।

(3) धनगढ़ी में वन-गृह।

(4) गढ़वाल क्षेत्र के लिए ट्रेकिंग उपकरण।

(5) दोहारीघाट पर मार्गस्थ सुविधाएं।

(6) धोलादेवी में मोटेल का निर्माण।

(7) गढ़वाल के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण।

(8) नन्दप्रयाग में तम्बुओं में आवास।

(9) ऋषिकेश में त्रिवेनीघाट।

[हिन्दी]

एच.ए.आर.आर. टेलीफोन प्रणाली

3084. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम.ए.आर.आर. टेलीफोन प्रणाली उत्तर प्रदेश में जिलेवार कब तक कार्य करना आरम्भ करेगी;

(ख) 15 नवम्बर, 1996 तक आगरा मंडल के कितने गांवों में टेलीफोन खराब थे तथा यह आगरा मंडल के गांवों के कुल टेलीफोनों की तुलना में कितने प्रतिशत था; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण उपभोक्तांओं को शहरी जनता को प्रदान सुविधाओं के समान सुविधायें मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एम.ए.आर.आर. प्रणालियां कार्य कर रही हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का शतप्रतिशत कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) कुल 802 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों में से आगरा मंडल में 158 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन दोषमुक्त हैं जो कुल ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों का 20 प्रतिशत है।

(ग) एम.ए.आर.आर. प्रणालियों के परीक्षण संबंधी अनुदेश/मार्गनिदेश जारी कर दिए गए हैं। निष्पादन में सुधार करने और दोष-दर कम करने के प्रयास जारी हैं। ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों की दैनिक जांच के अलावा, दोषयुक्त टेलीफोनों की मरम्मत हेतु, सभी दूरसंचार सर्किल वार्षिक अनुरक्षण का काम ठेके पर देने के प्रयास कर रहे हैं।

बिलासपुर-जबलपुर रेल लाइन

3085. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, बिलासपुर से जबलपुर बरास्ता मुंगाली, भूगोलन से मंडला रेल लाइन बिछाने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एक सर्वेक्षण कराने के लिए धन की स्वीकृति दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे में कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने तथा पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) फिलहाल कार्य की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी स्टूडियो, कारगिल

3086. श्री पी. नामग्याल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में कारगिल में आकाशवाणी स्टूडियो तथा भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ये चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है और इनको आगामी ग्रीष्म काल में चालू कर दिया जाएगा बशर्ते प्रचालन और अनुरक्षण के लिए स्टाफ उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

हावड़ा-मुम्बई गीतांजली एक्सप्रेस के डिब्बों का पटरी से उतरना

3087. श्री दादा बाबूराव परांजपे :
श्री मनहरण लाल पांडेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर, 1996 को मध्य प्रदेश के बिलासपुर स्टेशन के निकट हावड़ा-मुम्बई गीतांजली एक्सप्रेस गाड़ी के सात डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटना की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे को हुए नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पहले भी इसी स्थान पर ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) क्या सरकार, रेलवे पुलिस और रेलवे प्रशासन ने इस बारे में अलग-अलग वक्तव्य दिए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 02.11.96 को दक्षिण पूर्व रेल के बिलासपुर मंडल के जयराम नगर तथा गतौरा स्टेशनों के बीच 2860 अप हावड़ा-मुंबई गीतांजली एक्सप्रेस का गाड़ी इंजन एवं आठ सवारी डिब्बे पटरियों से उतर गए, पटरियों से उतरने के परिणामस्वरूप, चार यात्री गंभीर रूप से तथा छः यात्री मामूली तौर पर जख्मी हुए।

(ग) और (घ). दुर्घटना के कारणों की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र द्वारा की जा रही हैं जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। रेल संपत्ति को लगभग 63 लाख रु. का नुकसान होने का अनुमान है।

(ङ) और (च). 01.10.92 को दक्षिण पूर्व रेल के बिलासपुर मंडल के जयरामनगर तथा गतौरा स्टेशनों के बीच शरारती तत्वों द्वारा फिश-प्लेटों तथा पैंड्रोल क्लिपों को हटाए जाने के कारण 2860 अप हावड़ा-मुंबई गीताजंली एक्सप्रेस का गाड़ी इंजन एवं 13 सवारी-डिब्बे पटरियों से उतर गए, यह तोड़-फोड़ का मामला था। बहरहाल, यात्रियों में कोई हताहत नहीं हुआ।

(छ) और (ज). जी नहीं।

[अनुवाद]

विमान उड़ान स्तरों का उल्लंघन

3088. श्री अमर पाल सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्र राष्ट्र कुलों (सी.आई.एस.) के विमान चालकों द्वारा भारतीय हवाई यातायात नियंत्रण द्वारा निर्धारित उड़ान-स्तरों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं अथवा करने का विचार किया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). स्वतंत्र राष्ट्र कुलों (सी.आई.एस.) के विमान-चालकों ने कुछ अवसरों पर, उन्हें सौंपे गए उड़ान स्तरों का उल्लंघन किया। वर्ष 1995 में 6 बार तथा 1996 में 3 बार इस प्रकार के उल्लंघन हुए।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने 17.10.1995 को एक बैठक आयोजित की जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उजबेकिस्तान एयरलाइन्स भारत के लिए उड़ानों का प्रचालन कर रहे

विमानचालकों को प्रशिक्षित करेगी और अंग्रेजी भाषा में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाया जाएगा। अन्य स्वतंत्र राष्ट्र कुल की विमान-कम्पनियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है।

[हिन्दी]

टेलीफोनों का अंतरण

3089. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में एक्सचेंजवार टेलीफोन के अंतरण/स्थानान्तरण के लिये कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ख) इन आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मुम्बई में टेलीफोनों को शिफ्ट करने के लिए लम्बित पड़े आवेदनों की एक्सचेंज-वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) जहां आवश्यक होता है वहां पर क्षेत्र को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए नए केबल बिछाकर इन सभी लम्बित पड़े मामले का यथाशीघ्र निपटान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

मुम्बई में टेलीफोनों को स्थानांतरण/शिफ्ट करने के लिए लम्बित पड़े आवेदनों की सं.
(एक्सचेंज-वार)

एक्सचेंज क्षेत्र	लंबित पड़े आवेदनों की सं.
1	2
दक्षिण	
शहर	56
फाउन्टेन	68
कूपरेज	87
कुफ्फे पैरेड	10
उत्तरी	
बाडला	206
सायम	293
प्रभादेवी	152
शिवाजी पार्क	98
बर्ली	52
वाईकुल्ला	33
पश्चिम-II	
गोकुलधाम	41
मरोल	123
सकीनाका	41
गोरेगांव	61
पूर्व-I	
मानखुर्द	72
चैम्बूर	65
घटकोपार	80
बांद्रा	22
पुबई	33
पूर्व-II	
चराई	140
वागले एस्टेट	12
मुम्बरा	12
मुलुंद	243
नई मुंबई	
तुरभी	123
वशी	89
बेलापुर	63
रवेली	61
कलमबोली	47
पाहवेल	77
न्हावा	9
शवे	4
उरान	5
तलोजा	3
केन्द्रीय	
गामदेवी	43
मालाबार हिल्स	80
माजगांव	56
मांडवी	8
पश्चिम-I	
अन्धेरी	15
बांद्रा	59
खार	28

1	2
विलपार्ले	32
वरसोवा	33
पश्चिम-II	
मालाड	107
समता नगर	74
कंडीवली	264
बोरीवली	111
मीरा रोड	49
भामंदुर	63

[अनुवाद]

होम टी.वी. के साथ बी.बी.सी. नेटवर्क

3090. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.बी.सी. ने होम टी.वी. के साथ मिलकर पुनः काम करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या दूरदर्शन को दिल्ली दूरदर्शन द्वारा बी.बी.सी. लर्निंग युनाइटेड किंगडम से "कस्टमउसिंग" शैक्षिक साफ्टवेयर के लिए भुगतान किए जाने की संभावनाओं के बारे में पुनः अध्ययन कराने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या ब्रिटिश पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टर भी भारत में 100 प्रतिशत छूट के लिए आवेदन करने वाला है;

(घ) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन ने बी.बी.सी. के साथ शैक्षिक साफ्टवेयर के लिए समझौता ज्ञापन को पुनर्जीवित किया है;

(ङ) यदि हां, तो कौन-कौन सा मुख्य निर्णय लिया गया; और

(च) क्या दूरदर्शन द्वारा बी.बी.सी. को प्रति आधे घंटे लगभग 30 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इस मंत्रालय में इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि समाचार कार्यक्रमों के निर्माण हेतु बी.बी.सी. और होम टी.वी. के बीच एक अनुबंध का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दूरदर्शन ने विगत में रायल्टी आधार पर बी.बी.सी. से डी.डी.-3 चैनल के लिए प्रति आधा घंटा 1250 अमेरिकन डालर की औसतन लागत पर कार्यक्रम प्राप्त किए थे।

सुपरफास्ट रेलगाड़ी

3091. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी लाइनों के पूरे मार्ग पर 55 किलोमीटर प्रतिघंटा और छोटी लाइनों पर 45 किलोमीटर प्रतिघंटा की औसत गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को अनुपूरक प्रभार सामने के उद्देश्य से सुपरफास्ट गाड़ियां घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मेल, एक्सप्रेस और यात्री गाड़ी के निर्धारण हेतु पूरे मार्ग पर अलग-अलग से कितनी औसत गति निश्चित की गई है;

(ग) क्या रेलवे की उपर्युक्त नीति को सभी जोनल रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) मेल, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के लिए इस तरह का कोई मानदण्ड नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पालम विमानपत्तन पर 25.10.96 को इण्डियन एयरलाइन्स के ए-320 विमान की दुर्घटना

3092. श्री मोहन रावले :
श्री संतोष मोहन देव :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अक्टूबर, 1996 को दिल्ली के पालम विमानपत्तन पर उतरते समय बंगलौर से आने वाली इण्डियन एयरलाइन्स की ए-320 आई.सी.-804 विमान खड़ी आई.एल.-76 विमान से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) विमानों को कितनी तथा क्या क्षति पहुंची; और

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स के मार्सलरों के विरूद्ध विमान को खड़ी करने हेतु उसके द्वारा संकेत देने में विफलता के लिए कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

सी.आर. क्वाइल्स/शीट्स के वितरण में कथित अनियमितताएं

3093. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ग्राहकों और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के शाखा विक्रय कार्यालय, नई दिल्ली में सी.आर. क्वाइल्स/शीट्स (पहले की गई बुकिंग को लंबित रखकर बाद में की गई बुकिंग के मामले में उक्त मदों की सप्लाई करना) के विवरण में की गई अत्यधिक अनियमितताओं को बार-बार उनकी जानकारी में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1.4.1995 से 31.12.1995 की अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से प्रत्येक अनियमितता के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के ऐसे अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए जो पहले कराई गई सभी बुकिंग को लंबित रखकर अपने स्वविवेक से निर्धारित किए गए कोटे की आढ़ में मनमाने पूर्ण तरीके से अपनी पसन्द के ग्राहकों को प्रीमियम वाली सामग्री की बुकिंग/उसके आबंटन में कदाचार अपना रहे हैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में पर्यटन विकास

3094. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में पर्यटन विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग ने, केरल की राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श से, 1996-97 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु, 80 लाख रुपयों की अनुमानित लागत की चार परियोजनाओं/योजनाओं की पहचान की है। यह परियोजनाएं हैं :—

(1) बोलघाटी पैलेस कोच्चि की मरम्मत

(2) वाड़ा, खुमुनाथन मन्दिर की प्रकाश-पुंज व्यवस्था

(3) हिल रिसार्ट मुनार

(4) राइसबोटों की खरीद

पर्यटन विभाग ने बोलघाटी पैलेस कोच्चि की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत की है।

तथापि, केरल राज्य सरकार ने अन्य तीन परियोजनाओं के लिए पूरे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

दूरदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू करना

3095. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय चैनल परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह चैनल किस सीमा तक सफल सिद्ध हुआ है;

(ग) इस चैनल को शुरू करने पर राष्ट्रीय राजकोष पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा;

(घ) भारत विरोधी दुष्प्रचार का मुकाबला करने और देश की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शन के प्रभावी उपयोग किए जाने के संबंध में क्या नीति तैयार की गई है;

(ङ) क्या धनराशि की कमी के कारण इस चैनल को बंद किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन ने आरंभ में जी चैनल पर 3 घंटे का उपयोग करके एशियासेट-2 ट्रांसपोंडर पर 3 घंटे की सेवा के रूप में डी.डी.-इंडिया को शुरू किया था। इसके बाद, इस सेवा को स्वयं ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेकर जारी रखने का निर्णय किया गया।

दक्षिण-एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप के भागों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमरीका तथा कनाडा में अन्तर्राष्ट्रीय चैनल का प्रसारण करने के लिए अगस्त, 1995 में पी.ए.एस.-4 तथा पी.ए.एस.-1 पर दो ट्रांसपोंडर किराए पर लिए गए थे। अब प्रसारण घंटों को बढ़ाकर लगभग 18 घंटे अर्थात् 6.30 बजे से 2400 बजे तक कर दिया गया है। इस नए चैनल के प्रभाव को आंकने में अभी कुछ समय लगेगा।

(ग) जहां तक साफ्टवेयर का संबंध है, वर्तमान स्थिति के अनुसार कोई वित्तीय विवक्षा विद्यमान नहीं है क्योंकि पुराने और मौजूदा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। तथापि, पी.ए.एस.-4/पी.ए.एस.-1 पर लीज पर लिए गए ट्रांसपोंडरों पर दूरदर्शन-इंडिया (विदेश सेवा) सितम्बर, 1995 से चालू कर दी गई है। पैनमसेट को देय लीज प्रभार प्रारंभिक 36 महीनों के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष तथा उसके बाद 15 वर्षों तक 4.875 मिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष हैं।

(घ) अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ इस चैनल पर स्वस्थ मनोरंजन तथा सूचनाप्रद मनोरंजक कार्यक्रमों सहित देश की छवि को प्रस्तुत करने और भारत-विरोधी प्रचार का मुकाबला करने हेतु देश और विदेशों में घटित होने वाली घटनाओं और नई स्थितियों के संबंध में सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते।

सी.आर. क्वाइल्स/सीट्स का वितरण

3096. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 (1.1.1995 से 31.12.1995 तक) में सी.आर. क्वाइल्स/सीट्स के थोक बुकिंग का कार्य मनमाने ढंग से और चुनिंदा आधार पर दो-तीन फर्मों को ही नई दिल्ली स्थित "सेल" की बिक्री शाखा कार्यालय द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त दो तीन फर्मों को छोड़कर जो दिल्ली स्थित सेल की बिक्री शाखा से सम्बद्ध थे, अन्य सभी फर्मों/ग्राहकों को सी.आर. क्वाइल्स/सीट्स की बुकिंग उपरोक्त अवधि में नहीं की गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 29 जुलाई 1991 को "सेल" द्वारा इस्पात सामग्री के निष्पक्ष वितरण के संबंध में न्यायिक फैसला दिया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) नई दिल्ली स्थित "सेल" के बिक्री शाखा कार्यालय के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजकोट में संवाददाता रिपोर्टर का पद

3097. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, राजकोट में संवाददाता/रिपोर्टर का एक पद समाप्त कर दिया गया है तथा इसे कच्छ में हस्तांतरण कर दिया है जहां उक्त एक पद पहले ही हैं :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। मार्च, 1995 में 10 प्रतिशत मितव्ययिता कटौती के अन्तर्गत आकाशवाणी, राजकोट में संवाददाता के एक पद को समाप्त कर दिया गया है तथा अतिरेक हुए पदधारी को कच्छ (भुज) में तैनात कर दिया गया था जहां उसी श्रेणी में एक रिक्त विद्यमान थी।

(ग) से (ङ). जी, हां। समाचार संवाददाता के पद को आकाशवाणी, भुज से आकाशवाणी, राजकोट में अन्तरण करने के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। चूंकि आकाशवाणी, भुज के पास एक पूर्ण सुसज्जित क्षेत्रीय समाचार एकक (आर.एन.यू.) है जो समाचार बुलेटिनों को और समाचार आधारित कार्यक्रमों को कवर करता है और तैयार करता है तथा राजकोट के पास क्षेत्रीय समाचार एकक नहीं है, अतः उक्त सुझाव उपयुक्त नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

राजस्थान में मैग्नेसाइट

3098. श्री भेरुलाल मीणा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान ने केन्द्र सरकार को राजस्थान के उदयपुर जिले में सराधा तहसील के परसाद गांव में मैग्नेसाइट के खनन हेतु सर्वेक्षण कराने संबंधी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह धातु इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में इस धातु की खोज हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त खान से सरकार को कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(च) आदिवासी क्षेत्र के कितने व्यक्तियों को इसमें रोजगार प्राप्त होगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान सरकार ने सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण करके परसाद गांव में 1.66 मिलियन टन मैग्नेसाइट का पता लगाया है।

(घ) मैग्नेसाइट हमेशा आरक्षित खनिज समूह रहा है और उद्योग की स्थापना के लिए कोई भी व्यक्ति इन खनिजों का उपयोग कर सकता है।

(ङ) और (च). प्राप्त होने वाले सम्भावित लाभ और रोजगार की संभावना इस निक्षेप की आर्थिक व्यवहार्यता और इसके विदोहन की सीमा पर निर्भर करता है।

दिल्ली फ्लाईंग क्लब को बंद करना

3099. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थित दिल्ली फ्लाईंग क्लब 1982 से बंद पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे पुनः खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सी.पी.एल., पी.पी.एल. और गैर-व्यवसायी प्रशिक्षणार्थियों को पायलट प्रशिक्षण बंद कर दिया गया है;

(घ) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे का उद्देश्य पायलटों को प्रशिक्षण देना और विशिष्ट कर्मियों को लाने-ले जाने का था;

(ङ) यदि हां, तो क्या हवाई अड्डे द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) ये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सफदजंग हवाई अड्डे का उद्देश्य दिल्ली उड़ान क्लब की उड़ानों का प्रचालन, विमानचालकों को प्रशिक्षण तथा कभी-कभार अति विशिष्ट आवाजाही को हैंडल करना है।

(ङ) जी, हां।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बाक्साइट पर आधारित एल्यूमिनियम उद्योग

3100. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार के पलामू और चतरा जिलों में बाक्साइट के भारी भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां बाक्साइट पर आधारित एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण विभाग राज्य में बाक्साइट के भारी भण्डार सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) बिहार में प्राप्त किए जा सकने वाले बाक्साइट के जिलावार भंडार निम्नवत है :—

जिला	इकाई ह. टन
मुंगेर	813.00
पलामू	3323.20
रोहतास	1300.00
गुमला	37132.50
लोहारडागा	12120.50
दुमका	6415.00
कुल	61104.20

(ख) और (ग). भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. को एल्यूमिना शोधनशाला इस राज्य के मूरी में पहले से ही स्थित है। ऐसे किसी संयंत्र की स्थापना का औचित्य सिद्ध करने के लिये राज्य में अतिरिक्त भंडारों के प्रमाणित होने पर किसी नई क्षमता का सृजन किया जा सकता है।

(घ) और (ङ). सरकार बिहार में खनिज सर्वेक्षण सतत आधार पर कर रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस राज्य में विभिन्न खनिजों के लिये, जिसमें बाक्साइट शामिल है, बहुत से अन्वेषण किये हैं।

[अनुवाद]

नाल्को की बॉक्साइट की खानों और एल्युमिनियम रिफाइनरियों का विस्तार

3101. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नाल्को की बाक्साइट की खानों और एल्युमिनियम रिफाइनरियों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा की दामनजोड़ी स्थित एल्युमिनियम/एल्युमिनियम परियोजना के विस्तार की स्वीकृति पहले ही दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ). दामनजोड़ी स्थित बाक्साइट खानों और एल्यूमिना शोधनशाला का 1664.60 करोड़ रु. (जून, 1996, मूल्य स्तर) के निवेश पर 2.4 मिलियन टन वार्षिक और 0.8 मिलियन टन वार्षिक से क्रमशः 4.8 मिलियन टन वार्षिक और 1.575 मिलियन टन वार्षिक तक विस्तार करने संबंधी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नाल्को) के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। इस विस्तार योजना को 51 महीनों में पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बैलाडिला हीरे की खानें

3102. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मध्य प्रदेश में बैलाडिला हीरा खानों के ठेके के संबंध में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ठेके से मध्य प्रदेश सरकार को कितना लाभ प्राप्त होगा और कितनी आय अर्जित होगी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस खान का प्रबंधन अपने हाथ में लेने और राज्य सरकार को लाभांश में उसका हिस्सा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश की सरकार ने यह सूचित किया है कि बैलाडिला में हीरे की कोई खान नहीं है। तथापि, हीरे वाले किम्बरलाइटों और इसके खनन, शोधन तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित विक्रय प्रक्रिया की जांच और उनका मूल्यांकन करने हेतु उस देश में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका गया था।

स्वतंत्र रेडियो/दूरदर्शन प्राधिकरण

3103. श्रीमती सुषमा स्वराज :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो तथा दूरदर्शन नेटवर्क के लिए जल्दी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किए जाने का है जैसा कि 30 अगस्त 1996 के "फाइनान्सियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्राधिकरण कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). इस मामले पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ परामर्श कर रही है और इस संबंध में 13 सितम्बर, 1996 को सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक बैठक की थी। एक प्रश्नावली भी उन्हें भेजी गई थी और अभी तक उनमें से कुछ ने ही उत्तर दिए हैं। इन दृष्टिकोणों पर विचार करने के पश्चात्, एक वृहद प्रसारण अधिनियम संसद में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

मध्यम क्षमता वाले लम्बी दूरी के विमान

3104. श्री प्रमोद महाजन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की 2 बिलियन डालर वाले समझौते को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उक्त विमानों की खरीद में कमी करके मध्यम क्षमता वाले लम्बी दूरी (एम.सी.एल.आर.) के विमानों के उपयोग को कम करने की योजना है जैसा कि

7 अगस्त, 1996 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). इस समय एअर इंडिया द्वारा मध्यम क्षमता वाले लंबी दूरी (एम.सी.एल.आर.) के विमान प्राप्त करने से संबंधित प्रस्ताव एअर-इंडिया लि. के बोर्ड की उप समिति के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

वायुदूत और "एलायंस एयर" में अन्तर

3105. श्री सत महाजन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत और हाल ही में गठित "एलायंस एयर" में क्या अंतर है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि एलायंस एयर निकट भविष्य में वायुदूत की तरह भारी घाटा नहीं उठाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वायुदूत को एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा समान रूप से स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एयर लाइन एलाईड सर्विसेज लि. (ए.ए.एस. एल.) इंडियन एयरलाइन्स की एक पूर्णतया स्वामित्व की सहायक कंपनी है जो अपनी सेवाएं बढ़ाने के प्रति उत्प्रेरित रही। "एलायंस एयर" एयरलाइन एलाईड सर्विसेज लि. द्वारा प्रचालित विमान कंपनी का ब्रांड नाम है।

(ख) और (ग). एलायंस एयर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है चूंकि यह बी-737 विमान प्रचालित कर रही है जो कि वायुदूत द्वारा प्रयुक्त विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम हैं और इसके द्वारा प्रचालित मार्गों पर पर्याप्त यात्री यातायात है।

चीनी उद्योग कामगारों के लिए समिति का गठन

3106. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग कामगारों की मांग पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त समिति का गठन इसके सदस्यों की संख्या, इसकी कार्य प्रणाली, इसका कार्यकाल, क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) चीनी उद्योग के कर्मकारों के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में जाने वाले मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय

3107. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े शहरों में कतिपय ट्रेवल एजेन्सियां बहुत से लोगों को खाड़ी देशों में लाभप्रद नौकरियां दिलाने के बहाने उनसे रुपया ठगने में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले, सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ग) जिन एजेन्सियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेश जाने वाले मजदूरों को नियमित किये जाने, उनकी भर्ती करने तथा इन मजदूरों के कल्याण हेतु उपायों के लिए कोई विधेयक लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरूद्ध 187 शिकायतें प्राप्त हुई थी। पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरूद्ध शिकायतों की पुलिस प्राधिकारियों और विदेश स्थित सम्बन्धित भारतीय मिशनों की सहायता से जांच की जाती है और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मामले में यथोचित कार्रवाई की जाती है। गैर-पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरूद्ध शिकायतों की जांच के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर दी जाती हैं। विदेशी नियोजकों के विरूद्ध शिकायतें विदेश स्थित भारतीय मिशन के साथ उठायी जाती है। इसके अलावा, लाइसेंसों के निलम्बन और निरसन के रूप में चूककर्ता एजेन्टों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की

जाती है। उन एजेन्टों की एक सूची जिनके पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित/निरसित किए गए, संलग्न विवरण है।

(घ) जी, नहीं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय में पंजीकृत उन भर्ती एजेन्टों की सूची जिनके पंजीकरण प्रमाण पत्र वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान निलम्बित/निरसित किए गए।

क्र.सं.	भर्ती एजेन्ट का नाम
1.	मै. एक्सपो इन्डिया, मुम्बई
2.	मै. आर.के. एन्टरप्राइजेज, मुम्बई
3.	मै. अलविन ट्रेवल्स, मुम्बई
4.	मै. बिजनेस एड्स, मुम्बई
5.	मै. सुल्तान ट्रेवल एण्ड रिक्रूटिंग एजेन्ट, मुम्बई
6.	मै. एस.के. एन्टरप्राइजेज, मुम्बई
7.	मै. जसपेर इन्टरनेशनल, मुम्बई
8.	मै. समरीन ट्रेवल, मुम्बई
9.	मै. पाशा एन्टरप्राइजेज, मुम्बई
10.	मै. अल-समित इन्टरनेशनल, मुम्बई
11.	मै. अल-करीम आयरसीज कन्स. ट्रेडिंग कं., प्रा. लि., मुम्बई
12.	मै. रिलासन्स स्टाफिंग सर्विसेज, मुम्बई
13.	मै. आर.के. एन्टरप्राइजेज, दिल्ली
14.	मै. ए.जे. इन्टरनेशनल, दिल्ली
15.	मै. प्राईड ट्रेवल्स, मांगा
16.	मै. हन्स एजेन्सीज, जालन्धर
17.	मै. अल रहमान एसोसिएट्स, दिल्ली
18.	मै. शामब्रोस, दिल्ली
19.	मै. एलाइड एन्टरप्राइजेज, कोचीन
20.	मै. एथेन ट्रेवल्स, कोचीन
21.	मै. के.वी. एक्सपोर्ट्स, कोल्लम
22.	मै. पालाक्कल एसोसिएट्स, कोचीन

हीरे की खानों का राष्ट्रीयकरण

3108. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" के "सी एमस् अबाइट टर्न ऑन डायमंड माइनिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से हीरे की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही केन्द्र सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"मैसर्स जोसोप" कम्पनी के कर्मचारियों को उपदान

3109. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स जोसोप कम्पनी के करीब 2000 कर्मचारियों को 1992 से उपदान (ग्रेचुटी) नहीं मिला है;

(ख) क्या उपदान भुगतान अधिनियम के अनुसार उपदान के भुगतान जैसी सांविधिक देनदारी भुगतान को इसके अंतिम रूप से दिए जाने अथवा योजना को पुनः चालू किए जाने तक रोका जा सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रालय द्वारा मैसर्स जोसोप कम्पनी का अब सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उपदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपदान भुगतान अधिनियम जैसी सांविधिक अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। 1990-91 से आगे नकद घाटों के कारण कम्पनी जून, 1993 से मैसर्स जोसो एण्ड कंपनी लि. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपदान देयों की अदायगी कर पाने में समर्थ नहीं रही है।

(ख) से (घ). उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत, उपदान संदाय का दायित्व नियोजक का है। कोई भी कर्मचारी उपदान

का विलम्ब से भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। नियंत्रक प्राधिकारी, आवश्यक जांच-पड़ताल करने के पश्चात, कर्मचारी को संदेय उपदान की वसूली के लिए उस कलक्टर के लिए प्रमाण-पत्र जारी करता है जिसके द्वारा उपदान को भू-राजस्व के बकाया के रूप में एकत्र किया जाना अपेक्षित है। उपदान की अदायगी न किया जाना एक दण्डनीय अपराध है।

तथापि, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में रूग्ण कंपनी की कार्यवाहियां चालू रहने के दौरान, सरकार द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सहमति के बिना चूककर्ता इकाईयों के विरूद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। मैसर्स जोसो एण्ड कंपनी, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत एक रूग्ण कंपनी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन परियोजनाएं

3110. श्री अशोक प्रधान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक निर्माणाधीन/पूरी की गई दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास अब तक कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं और इस संबंध में की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की राज्य में सभी दूरदर्शन केन्द्रों के भवनों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन/पूरी की गई दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी वर्तमान स्थिति सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए लखीमपुर एवं जालौन में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा पोखरी और नन्दप्रयाग में अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

उत्तर प्रदेश में मौजूदा और कार्यान्वयनाधीन दोनों टी.वी. परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा

मौजूदा	कार्यान्वयनाधीन
1	2
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (का.नि.के.) :	
लखनऊ	मऊ×
गोरखपुर	इलाहाबाद=
बरेली	मथुरा=
	वाराणसी=
उ.श.ट्रां.	**उ.श.ट्रां.**
आगरा	बान्दा (संशोधित लागत अनुमान समिति के अनुमोदन के बाद लगभग 3 वर्ष के समय में पूरा हो जाने की आशा है।)
इलाहाबाद	
बरेली	
गोरखपुर	
कानपुर	
लखनऊ	
मऊ	
मसूरी	
वाराणसी	
अ.श.ट्रां	**अ.श.ट्रां**
अकबरपुर	अल्मोड़ा=
अलीगढ़	औरिया×
आजमगढ़ (डी.डी.-2)	गंज डुंडवाड़ा×
बहराइच	हल्द्वानी=
बलिया	महोबा×
बलरामपुर	नौगढ़×
बान्दा	न्यू टेहरी×
बस्ती	रूदौली=
चम्पावत	कासगंज××
देवरिया	कर्ण प्रयाग=
एटा	नान पाड़ा××

1	2
इटावा	अथदामा×
फैजाबाद	नैनी दान्डा×
फर्रूखाबाद	बाराकोट=
फतेहपुर	धूनाघाट=
गौरीगंज	नरौरा=
मऊ रानीपुर	रूधौली=
गोंडा	रथ=
हरदोई	तालबेहट=
हरिद्वार	महरोनी=
जगदीशपुर	छिबरामऊ=
झांसी	अमरोहा=
काशीपुर	कारवी=
कोटद्वार	दुधीनगर=
लखीमपुर	कोसी=
लालगंज (प्रतापगढ़)	खेतीखान=
लालगंज (राय बरेली)	
ललितपुर	
मैनपुरी	**अ.अ.श.द्रा.**
मथुरा	
मुरादाबाद	चमौली=
मुहमदाबाद	चौखटिया*
नैनीताल	लैंसडाउन=
ओबरा	प्रतापनगर*
ओरई	बिन्सर=
पौड़ी	बसोट/भिकियासेन=
पीलीभीत	फतेह पर्बत=
पिथौरागढ़	खेत पर्बत=
पूरनपुर	राजगढ़ी=
रायबरेली	सिराकोटा बैकुण्ठधाम=
रामपुर	साहिया=
रासरा	थराली=
सम्बल	रुद्रप्रयाग=
शाहजहांपुर	नौगांवखाल=

1	2
सिकंदरपुर	केदारनाथ=
सीतापुर	बदरीनाथ=
सुल्तानपुर	गौरीकुण्ड=
उनकपुर	मानेश्वर=
थिरवा	मानिकपुर=
लखनऊ (डी.डी.II)	धौंसी=
कानपुर (डी.डी.-II)	मनोला=
अ.अ.श.द्रां.	
नोशीमठ	
अल्मोड़ा	
बागेश्वर	
भटियारी	
धारचुला	
डीडीहाट	
गोपेश्वर	
घांडयाल	
हल्द्वानी	
कल्जीखाल	
कौसानी	
मनकापुर	
मुंसियारी	
रानीखेत	
उत्तरकाशी	
देवप्रयाग	
गज्जा	
ट्रांसपोंडर :	
चुर्क	
मसूरी	
न्यू टेहरी	
श्रीनगर	

टिप्पणी : × तैयार है परंतु प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्टाफ स्वीकृत किया जाना है।

×× तैयार परंतु आंशिक स्टाफ की स्वीकृति उपलब्ध है।

= 1997-98 तक पूरा हो जाने की आशा है।

* 1996-97 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में मंडल और उपमंडल दूरसंचार कार्यालय

3111. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार विभाग के इस समय कार्यरत मंडल और उपमंडल कार्यालयों के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक द्वारा कवर किए जा रहे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कुमांऊ और गढ़वाल मंडल में और उपमंडल कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा वे स्थान कौन-कौन से हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। भविष्य में औचित्य सिद्ध होने पर नए उप-मंडल यथासमय खोले जाएंगे।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मंडलीय, उप-मंडलीय कार्यालय

क्र. सं.	मंडलीय	उप-मंडलीय	कवर किया गया क्षेत्र
1	2	3	4
1.	श्रीनगर गढ़वाल	पौड़ी	तहसील पौड़ी
		चमोली	जिला क्षेत्र
		टिहरी	जिला क्षेत्र
2.	देहरादून	देहरादून	टाउन और तहसील
		ऋषिकेश	टाउन क्षेत्र
3.	नैनीताल	नैनीताल	तहसील क्षेत्र
		हलद्वानी	तहसील क्षेत्र
		काशीपुर*	तहसील क्षेत्र
4.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा और बागेश्वर तहसील क्षेत्र
		पिथौरागढ़	राजस्व जिला

टिप्पणी * 1. काशीपुर मैदानी (प्लेन) क्षेत्र में आता है।

2. इन उप मंडल पदों के अतिरिक्त, सहायक इंजीनियर (एई) (समूह एक्सचेंज) कोटद्वारा, उत्तरकाशी, श्रीनगर गढ़वाल (श्रीनगर गढ़वाल मंडल) और चकराता, मसूरी (देहरादून जिले) और रूद्रपुर, सितारगंज, रामनगर, पंतनगर (नैनीताल जिले के मैदानी क्षेत्र) और रानीखेत (अल्मोड़ा) जिले में काम कर रहे हैं।

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधायें

3112. डा. बलिराम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1996 के दौरान आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण सुविधायें प्रदान करने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). वाराणासी तथा इलाहाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों में आजमगढ़ स्टेशन पर आरक्षण कोटे के आबंटन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) मामले की जांच की गई थी तथा पाया गया था कि 4649 सरयू-यमुना एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी में 2 शायिकाओं तथा शयनयान श्रेणी में 4 शायिकाओं के मौजूदा कोटे का उपयोग केवल 65 प्रतिशत था। इस दृष्टिकोण से, मौजूदा कोटा, आजमगढ़ स्टेशन से दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यातायात के स्तर के अनुसार पर्याप्त है।

उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

3113. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई;

(ख) क्या वर्ष 1995-96, 1996-97 के लिए इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) इनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं; और

(ङ) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में आज तक पुराने कितने एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में परिवर्तित किया गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में 178 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोले गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग)

वर्ष	खोले जाने वाले इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1995-96	132	141
1996-97	110	34 (30.11.96 तक)

(घ) इलाहाबाद का ईडब्ल्यूएसडी एक्सचेंज, जो हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया था, के अलावा सभी एक्सचेंज संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं। हालांकि सेवाएं फिर से तत्काल चालू कर दी गई थीं।

(ङ) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1994-95	73
1995-96	33
1.4.96 से 30.11.96	8

[अनुवाद]

युवकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण

3114. श्री डी.पी. यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकाधिक युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या अपर्याप्त है और इस राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले श्रेणी-ख के कस्बों में ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होती है।

राज्य सरकारों से क्षेत्रीय संतुलन को बनाये रखने तथा उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के साथ-साथ छात्र समुदायों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनसे स्थिति की समीक्षा करने तथा नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिये कहा गया है।

वर्तमान में 57520 सीटों की क्षमता वाली 307 आईटीआई उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत हैं जिसमें 156 सरकारी क्षेत्र में तथा 151 निजी क्षेत्र में हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले क्लास "बी" शहरों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्यान्ह 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 1996 तथा इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय के बीच 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन की एक प्रति

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

(1) केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल दूरदर्शन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 1996 जो 8 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 459(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 879/96]

(2) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 880/96]

कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1996 तथा कर्मकार प्रतिकर (कार्यवाही का स्थान) नियम, 1996 इत्यादि

श्रम मंत्री (श्री एम.अरुणाचलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की

उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1996 जो 16 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 881/96]

(2) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मकार प्रतिहार (कार्यवाही का स्थान) नियम, 1996 जो 1 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 882/96]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1996 जो 2 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 283 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 883/96]

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 884/96]

(ख) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 885/96]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 886/96]

(घ) (एक) मेटालार्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटालार्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 887/96]

(ङ) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 888/96]

(2) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[गंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 889/96]

टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष

1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 890/96]

अपरान्ह 12.03 बजे

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

समिति की विभिन्न रिपोर्टों पर कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) क्रय और भंडार संबंधी 92वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(2) पहिया और धुरी संयंत्र संबंधी 93वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(3) मध्य रेलवे-आयातित इनवर्टर्स के बेकार पड़े रहने और रेलवे के संबंध में निक्षेप कार्य संबंध 126वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(4) पश्चिम रेलवे-'दि बर्निंग ट्रेन' की शूटिंग के दौरान आग लगने के कारण रेलवे के सवारी डिब्बे का निश्चलीकरण और पूर्व रेलवे-एक इस्पात संयंत्र को दिये गये माल डिब्बों को हुए नुकसान और उनमें खराबी संबंधी 192वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(5) रेलवे में माल डिब्बों की उपलब्धता संबंधी 199वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(6) मैट्रो रेलवे, कलकत्ता संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(7) कोचिंग सेवाएं संबंधी दसवां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(8) पश्चिम रेलवे-डाबला से सिंघाना तक एक मीटर गेज लाइन का निर्माण संबंधी 66वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(9) मानिकगढ़-चंदूर नई बड़ी लाइन और चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नई मीटर गेज लाइन संबंधी दसवां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(10) रेल विद्युतीकरण संबंधी 12वां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(11) महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता संबंधी 13वां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(12) पहिया और धुरी संयंत्र यलहंका संबंधी 16वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(13) मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना संबंधी 22वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(14) शक्तिमान वाहनों के लिए इंजनों की अमितव्ययता खराब संबंधी 67वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

अपरान्ह 12.03 $^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपरान्ह 12.04 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

बांग्लादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे पर हुई संधि पर हस्ताक्षर

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बंगलादेश तथा हमारे देश के बीच गंगा जल के बंटवारे के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

बंगलादेश गणराज्य की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना हमारे निमंत्रण पर 10 से 12 दिसम्बर 1996 के बीच भारत के राजकीय दौरे पर आईं। प्रधान मंत्री शेख हसीना हमारे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोक

सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उप सभापति तथा सदन में विपक्ष के नेता से मिलीं। मेरी उनके साथ विस्तार से बात-चीत हुई। वे राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिलीं। ये वार्ताएं बहुत गर्मजोशी तथा दोस्ताना माहौल में हुई। बंगलादेश को प्रधानमंत्री ने अपने भारत प्रवास के दौरान अजमेर तथा जयपुर का भी दौरा किया।

इस वर्ष जून में सत्तासीन होने के बाद बंगलादेश की प्रधान मंत्री की यह प्रथम भारत यात्रा थी। हालांकि यह दौरा हमारी सरकार द्वारा सत्ता संभालने के साथ ही शुरू किए गए अनेक विचार विनियम का परिणाम था। इसके पहले सितंबर माह में विदेश मंत्री ढाका के दौरे पर गए और नवंबर माह में बंगलादेश के विदेश मंत्री ने यहां का दौरा किया। सघन आदान प्रदान की इस अवधि में हमारे संबंधों में एक बिल्कुल नया आयाम आया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों के संबंध में प्रगति हो रही है। इसमें अहम मुद्दा हमारी द्विपक्षीय संधि का है, गत दो दशकों के दौरान मुख्य मुद्दा फरक्का में गंगा जल बंटवारे का रहा है। मुझे यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे तथा बंगलादेश के प्रधान मंत्री के बीच गंगा जल बंटवारे के संबंध में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं। हमें विश्वास है कि यह संधि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस संधि से भारत के हितों की सुरक्षा होगी और साथ ही बंगलादेश को गंगा जल के बंटवारे से मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : ज्यादा पानी दे दिया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं संधि के मूल पाठ की एक प्रति अनुबंध के रूप में सभा पटल पर रखूंगा। संधि के अनुसार भारत तथा बंगलादेश के बीच फरक्का में गंगा जल का बंटवारा अनुबंध I में दर्शाए गए फार्मूले के आधार पर दिया जाएगा। इस फार्मूले की मुख्य बात यह है कि उपलब्ध जल का बंटवारा बराबरी के आधार पर समुचित ढंग से किया जाएगा। इस फार्मूले में दोनों देशों की आधारभूत तथा न्यूनतम आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखने की बात कही गई है। अतः 1 मार्च से 10 मई के बीच जल की कम आवश्यकता वाली अवधि के दौरान भारत तथा बंगलादेश को एक-एक करके 10-10 दिनों की अवधि के लिए वैकल्पिक रूप से तीन बार 35,000 क्यूसेक जल मिलने की गारंटी दी गई है। इसका लक्ष्य दोनों देशों की मौलिक आवश्यकता को न्यायोचित ढंग से पूर्ति करना तथा जल की कमी के बोझ को बांटना है। इस संधि में एक दीर्घावधि व्यवस्था की गई है जिसमें थोड़ी-थोड़ी अवधि के बाद जल बंटवारे के फार्मूले की समीक्षा करने तथा आवश्यकतानुसार समायोजन करने की बात है। यह संधि 30 वर्षों के लिए मान्य होगी तथा दोनों देशों की रजामंदी से ही इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा, इसमें प्रत्येक 5 वर्षों के बाद संधि को आवश्यक रूप से समीक्षा किये जाने की बात कही गई है और आवश्यकता पड़ने पर दो वर्षों के पश्चात इसकी उक्त अवधि के पहले भी समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। समीक्षा किये जाने के बाद बंगलादेश को नये फार्मूले के अनुसार जल का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा। इस तरह से हम ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जहां भारत तथा बंगलादेश के बीच गंगा जल के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता नहीं है।

भारत तथा बंगलादेश के बीच संधि पर हस्ताक्षर होना हमारे संबंधों की विशिष्टता को दर्शाता है। भारत-बंगलादेश सहयोग 1971 के दौरान दोनों देशों के शहीदों के खून एवं बलिदान के इतिहास पर आधारित है। यह और भी उपयुक्त बात है कि यह संधि बंगलादेश की स्वतंत्रता के 25वें वर्षगांठ पर हो रही है जो कि हमारे उप महाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत-बंगलादेश संबंधों के एक नये युग की शुरूआत होगी। यह नया संबंध सुरक्षा, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से बहुत फायदेमन्द साबित होगा। द्विपक्षीय संधियों के बीच हमेशा से चली आ रही अड़चनों को दूर करके, हम सहयोग के बिल्कुल एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सदन इस बात से अवगत होगी कि हमने बंगलादेश को अनेक निर्यात उत्पादों पर पहले ही टैरिफ रियायत देकर वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग की पहल कर दी है। हमारा विचार व्यापार संबंधों में और वृद्धि करने के लिए 100 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने का है। समूचे पूर्वी क्षेत्र में उचित विकास एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम बंगलादेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

महोदय, यहां मैं यह भी बता रहा हूं कि पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों का प्रयास बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने का रहा है।

यहां यह भी बताना उचित होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उनके कैबिनेट सहयोगियों ने एक ऐसी स्थिति के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है जिससे भारत-बंगलादेश के बीच वर्तमान संधि का होना संभव हो पाया है। मैं विदेश मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अपने सहयोगियों के अमूल्य सहयोग एवं प्रयास के लिए भी उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।

'सार्क' जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भारत तथा बंगलादेश दोनों देशों का काफी सहयोग रहा है और हमारा इस सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा ताकि इस उपमहाद्वीप में सभी देशों के बीच रचनात्मक संबंध का निर्माण हो सके।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री की यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। गत रात उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज के भाषण में

उन्होंने स्वयं ही 1971 की भावना में पुनः विश्वास व्यक्त किया है। हम उस समय की भी याद करते हैं जब हमने कंधे से कंधा मिला कर कार्य किया था तथा भ्रातृत्व की यही भावना भविष्य में हमें एक नए युग की ओर प्रेरित करेगी। मुझे विश्वास है कि सदन इन भावनाओं से सहमत होगा तथा इस दिशा में प्रगति के हमारे संकल्प को समर्थन देगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रधान मंत्री तथा बंगलादेश की प्रधान मंत्री को भी इस संधि में उनके द्वारा निभायी गयी रचनात्मक भूमिका के लिये बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे तथा हमारे निकटतम पड़ोसी के बीच मैत्री एवं सहयोग का एक नया युग प्रारंभ होगा। इस अवसर का हमें तहेदिल से स्वागत करना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री तथा बंगलादेश के प्रधान मंत्री को पुनः बधाई देता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं उनके लिए जगह खाली करने को तैयार हूं...**(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है और हम उसकी गहराई में जाना चाहेंगे, उसका अध्ययन करना चाहिये। बंगलादेश और भारत के संबंधों में सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, वे स्वागत-योग्य हैं और उन कदमों को मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए। बंगलादेश में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है, 21 साल बाद वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई पूरी घूम गई है। वह तसवीर मेरे सामने आ रही है जब स्वतंत्र बंगलादेश का दायित्व सम्भालने के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान दिल्ली आए थे और छावनी में हमने उनका स्वागत किया था। उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। शेख हसीना को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने भारत की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया है तो स्वाभाविक है कि भारत उस मैत्री के हाथ को ग्रहण करे ताकि दोनों देशों के हितों की रक्षा हो, दोनों देशों के मित्रता के संबंधों को एक नया आयाम दिया जाए, नई मजबूती दी जाए।

गंगा जल के वितरण के बारे में विवरण क्या है, उस पर तो मैं वक्तव्य पढ़ने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दे सकूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जब सदन में विदेश नीति पर चर्चा हो रही है, शायद आज शाम को होने वाली है, मेरा सुझाव है कि कीमतों में वृद्धि पर होने वाली चर्चा आज पूरी कर ली जाए।

अध्यक्ष महोदय : आज पूरी कर लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसके बीच में विदेश नीति न लाई जाए। विदेश नीति पर आगे चर्चा हो जाएगी और उसमें इसका भी समावेश किया जा सकता है क्योंकि यह विदेश नीति से संबंधित मामला है। कीमतों का प्रश्न हमारे घर का मामला है और सभी मैम्बरों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों के कई पहलू हैं। कल जब मैं शेख हसीना से मिला था तो मैंने उनसे पूछा कि चकमाओं का क्या होगा, क्या वे चकमाओं को वापस लेने के लिए तैयार हैं-इसके उत्तर में उनकी ओर से सदाशयता का प्रकटीकरण हुआ है। वे सारी बातें इस वक्त स्पष्टीकरण के दौरान नहीं आ सकतीं, चर्चा में आ सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप विदेश नीति पर होने वाली चर्चा को टाल दें तो उसमें इस संधि का भी समावेश किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी दल से दो-तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। वास्तव में स्वतः दिए गए वक्तव्यों पर टिप्पणी करने के संबंध में कोई नियम नहीं है। लेकिन यह एक विशेष मामला है अतः मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : मैंने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना है। इस वक्तव्य से न सिर्फ भारत तथा बंगलादेश के बीच संबंधों में सुधार होगा बल्कि यह हमारे द्विपक्षीय सहयोग के इतिहास में एक कीर्तिस्तंभ साबित होगा।

बंगलादेश मुक्ति संघर्ष आंदोलन के दौरान 1971 में इस सदन में क्या हुआ था वह मुझे याद है। आपको याद होगा कि मुक्ति आंदोलन से लेकर मुजीब सरकार तक मैंने एक अहम भूमिका निभाई थी। 9 अगस्त, 1971 को जब भारत-सोवियत संधि पर समझौता किया गया था, मैं जानता हूं कि किस दल ने क्या रूख अपनाया था। मैं आज उस घटना को पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं। इस बात का इतिहास साक्षी है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि जो संधि हमने की है उस संधि को मूल भावना के अनुरूप तथा राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर ही इसको क्रियान्वित किया जाये।

अब, उपरि जल धारा जो उत्तर प्रदेश से बिहार होकर बहती है और अंततः फरक्का बैरेज के जल ग्रहण क्षेत्र में पहुंचती है। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले पर भी समग्र रूप से विचार किया गया है या नहीं, ताकि यह सुनिश्चित ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, अब आप बैठ जाईए।

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देगें तब मैं नहीं बोलूंगा। मैं एक मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। कल बंगलादेश के प्रधान मंत्री तथा कुमारी ममता बनर्जी ने मुझसे बातचीत की थी। हमने उन्हें यह भी बताया कि उनके सकुशल बंग्लादेश पहुंच जाने की बात सुनकर हमें बहुत ही खुशी हुई है। हमें निश्चित रूप से उन्हें सभी प्रकार का सहयोग देना चाहिएं। किंतु यदि हम इसे क्रियान्वित नहीं कर सके, यदि हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि बंगाल तथा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में जल उचित रूप से उपलब्ध है- उपरि जल धारा हमारे बस में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र में है—तब हम बंगलादेश तथा बंगाल की जनता दोनों की नजरों से गिर जायेंगे। प्रधान मंत्री को इस पर ध्यान देना है। यदि प्रधान मंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं तब इस संधि का हम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चीन की नजर अभी भी चटगांव पोर्ट पर है। अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह संधि को ध्यान में रखकर उपरि जलधारा से जल के कुल बहाव को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार की भूमिका बंगाल सरकार की तरह ही महत्वपूर्ण है। मुझे इतना ही कहना है।

श्री चित्त बसु (बारसार) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर हमारे भी यही विचार हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं भारत सरकार तथा बंगलादेश सरकार के बीच हस्ताक्षर की गयी संधि का स्वागत करता हूं तथा इस संबंध में अपने मित्रों से सहमत हूं।

भारत सरकार द्वारा की गयी शुरूआत तथा बंगलादेश के लोगों की अत्यधिक इच्छा की प्रशंसा करते हुए मैं प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत तथा बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने हेतु कई वर्षों से लम्बित पड़े अन्य द्विपक्षीय मुद्दों, जिसमें एन्क्लेवों का आदान प्रदान भी शामिल है, को यथाशीघ्र सुलझा लिया जाना चाहिए। इस पर इस संधि के तुरंत बाद कार्यवाही की जानी चाहिए। धन्यवाद ...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हम संधि का स्वागत करते हैं तथा दोनों सरकारों को बधाई देते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल की तरफ से मैं अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं। मैं भारतीय प्रधान मंत्री तथा बंगलादेश के प्रधान मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से पूरा सदन दोनों सरकारों को बधाई दे रहा है तथा इस संधि का स्वागत कर रहा है। मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.17 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा 11 दिसम्बर 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव किया गया है :—

> "कि यह सभा 11 दिसम्बर 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पार्लियमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने रखी है, इसमें जो आइटम दर्शाए गए हैं, उनमें संविधान में इक्यासीवां संशोधन विधेयक, जो महिलाओं के आरक्षण का बिल है, उस पर चार घंटे तो दिए गए हैं, लेकिन किस दिन यह बिल प्रस्तुत किया जाएगा, इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जिस दिन नौ तारीख को यह रिपोर्ट सदन में पेश की गई थी, उस दिन हमने आपसे पूछा था कि यह बिल कब प्रस्तुत किया जाएगा, तो आपने इसी पीठ पर बैठे हुए कहा था कि दो दिन के बाद यह बिल पेश कर दिया जाएगा। वह दिन आज बनता है 12 तारीख। हम लोग आज निगाह लगाए बैठे थे कि आज के आर्डर पेपर में यह बिल इंट्रोडक्शन के लिए रखा जाएगा, लेकिन वह आज के आर्डर पेपर में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर तरह-तरह के संकट के बादल गहरा रहे हैं। तरह-तरह की बातें दरदर्शन पर और अखबारों में इसके बारे में की जा रही हैं। चार घंटे तो आपने चर्चा के लिए रखे हैं, लेकिन निश्चितरूप से क्या यह सरकार बताएगी कि किस दिन यह बिल प्रस्तुत होना है क्योंकि अगले सप्ताह संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा और अगर चार घंटे चर्चा करानी है, तो इसके ऊपर 17 तारीख को चर्चा शुरू होनी चाहिए वरना सत्र 20 तारीख को समाप्त हो जाएगा। हमें और सभी पार्टियों को वोटिंग के लिए अपने सदस्यों को व्हिप देना पड़ेगा क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें 50 प्रतिशत लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : अध्यक्ष महोदय, लोक पाल विधेयक के बारे में क्या हुआ। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक पाल विधेयक को पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर 50 प्रतिशत उपस्थिति और दो तिहाई लोगों की उपस्थिति तथा वोटिंग जरूरी है। इसलिए हमें अपने सदस्यों को संसद में उस दिन उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी करना पड़ेगा। जब तक सरकार हमें यह नहीं बताएगी कि यह बिल सदन में विचार के लिए कब प्रस्तुत किया जाएगा, तब तक हम अपने सदस्यों को व्हिप कैसे जारी करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय बताएं कि यह बिल सदन में कब प्रस्तुत किया जाएगा? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैं समझता हूं कि आपने अपनी बात कह दी है। मैं आपको उत्तर दे दूंगा।

श्री सुरेश कलमाडी : अध्यक्ष महोदय, लोक पाल विधेयक भी महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह संविधान संशोधन विधेयक है। लोक पाल विधेयक पर इसके बाद विचार किया जा सकता है।

श्रीमती संध्या बौरी* (विष्णुपुर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक पर आज विचार किया जाना चाहिए। इसपर पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी तथा अब स्थिति यह है कि इस विधेयक को कब प्रस्तुत किया जायेगा, इस संबंध में अनिश्चितता बनी हुई है। इस विधेयक हेतु चार-घंटे का समय आवंटित किया गया है तथा हम जानना चाहते हैं कि यह समय कब आयेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर शुक्रवार को शाम को विचार शुरू हो। तब स्थिति अत्यंत कठिन हो जायेगी। अतः कृपया विधेयक पर आज ही विचार किए जाने की व्यवस्था करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसे आप समझ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या श्रीमती संध्या बौरी ने जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूरी तरह समझ गया हूं।

(व्यवधान)

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहती हूं कि आज 12 तारीख है और आपने हमें पूरा आश्वस्त किया था कि 12 तारीख को यह बिल ले लिया जायेगा। यह बिल अभी तक कैबिनेट में नहीं गया है। इसके संबंध में संशय बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार कल तक या आज शाम तक इसको कैबिनेट में ले जायेगी ताकि आज नहीं तो कम से कम सोमवार को इस पर डिसकशन हो सके।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में सभी तरह के सच्चे-झूठे तथा तोड़-मरोड़ कर पेश किये गये समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। अतः सरकार के लिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस विधेयक को किस तारीख को प्रस्तुत किया जायेगा। मैंने अनुरोध किया था कि यह आज अर्थात 12 दिसम्बर, 1996 को ही शुरू किया जाए। 9 दिसम्बर, 1996 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। दो दिन काफी हैं। मैं इस मांग को पुनः दोहराता हूं कि सरकार इस पर चर्चा आज ही प्रारंभ करे। हम नियमों को छोड़ सकते हैं। तब, चर्चा यदि कल नहीं तो आज शुरू की जा सकती है। निश्चित रूप से, इसे इस सत्र में ही किया जाना चाहिए। यही मेरी मांग है। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, आपने सुझाव दिया था कि चर्चा दो दिन के बाद आरंभ होगी। यह सुझाव अध्यक्षपीठ द्वारा दिया गया था। दो दिन बीत चुके हैं तथा आज 12 दिसम्बर, 1996 है। लेकिन इसका कोई उल्लेख आज की कार्य सूची में नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट 9 दिसम्बर, 1996 को पेश की गयी थी। आपने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने हेतु दो दिन का समय दिया जाना चाहिए। अब दो दिन समाप्त हो चुके हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने इस मद को नहीं छोड़ा है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानना चाहते हैं कि इस विधेयक पर विचार कब किया जायेगा। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जो रूप रखा गया है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। जब तक इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तब तक हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ...**(व्यवधान)** यह हम

लोगों का निवेदन है। ...**(व्यवधान)** जब तक हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे। सरकार को इस पर विचार करना होगा। ...**(व्यवधान)** यह भावना केवल हमारी ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की है। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, आप मिनिस्टर साहब से पूछिये कि वह कब तक यह बिल ला रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि कोई माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इस विधेयक को पारित होने नहीं दूंगा। इस विषय पर समग्र रूप से सभा ही निर्णय करेगी। कोई माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता है कि "मैं इसे पारित होने नहीं दूंगा।" मुझे इस बात का खेद है और आपको अपनी बात वापस लेनी होगी। आप ऐसी बात नहीं कह सकते हैं।

मैंने इस विषय को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख दिया है। मैंने यह अवश्य कहा है कि इसके लिए दिन का समय दिया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने विचारों को रखने का भी एक ढंग होता है। आप अपनी बात नम्रतापूर्वक क्यों नहीं रख सकते?

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : हम विरोध कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप विरोध कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है लेकिन आप यह कैसे बोल सकते हैं कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। यह कभी भी नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

इस तरह से जब यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा गया तो संसदीय कार्य मंत्री ने यह बताया कि इस संबंध में संयुक्त प्रवर समिति द्वारा कई परिवर्तन और संशोधन सुझाये गये हैं और ये संशोधन विचारार्थ पुनः मंत्रिमडल के समक्ष भेजे जाएंगे। इस मामले में ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाती है और मैं उनकी बात से सहमत हूं। अतएव इस सप्ताह में इस विधेयक पर कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है क्योंकि इसकी औपचारिकताएं भी पूरी की जानी है। इस पर मंत्रिमंडल की औपचारिक स्वीकृति भी प्राप्त की जानी है। इसलिए इस मामले को अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया गया। अब सरकार ही इस पर निर्णय करके यह बतायेगी कि इस संबंध में कार्यवाही किस तिथि को की जाती है। इस पर निर्णय करना मेरे अधिकार में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे) : महोदय, पूरा देश लोक पाल विधेयक के लिए सरकार की ओर देख रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कृपया संसदीय कार्य मंत्री यह बताएं कि मंत्रिमंडल इस पर कार्यवाही कब आरम्भ करेगा। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्षजी एक बात और महत्वपूर्ण है। यह बिल अब सदन की प्रापर्टी बन गई है। इसलिए इसे सोमवार को ला सकते हैं, सरकार को इतना ही कहने का मौका देना चाहते हैं क्योंकि यह बिल हमारा है, सदन में आया हुआ है, अमैंडमैंट्स कौन-सी हैं, वह सदन ने बताई है।

[अनुवाद]

सरकार उस विधेयक को वापस नहीं ले सकती है।

[हिन्दी]

सरकार इसे सोमवार को लाती है, केवल इतना ही बताना बाकी है।

[अनुवाद]

उन्हें यह बताना चाहिए। अन्यथा यह माना जाएगा कि सरकार पीछे हट रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। हम इसकी मांग करते रहे हैं। अतः मंत्रिमंडल को उस विशिष्ट मामले पर भी विचार करना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न अन्य तकनीकी मामले भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं जा सकती है। संशोधनों पर राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति भी अपेक्षित होगी। ...**(व्यवधान)** अतएव परम्परा के अनुसार उन्हें संविधान में ऐसा संशोधन लाने से पहले इन पर राज्यों के साथ विचार विमर्श भी करना होगा। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री जी.एम. बनातवाला : अतएव, मेरा यह कहना है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्हें इन संशोधनों को लाने से पहले विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाड़ी : महोदय, 'महिला खिलाड़ियों' के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : यह पूरे देश के पोलीटिकल स्ट्रक्चर का सवाल है। ऐसा नहीं है कि सुषमा जी खड़ी हो गईं, चंद नेता तैयार हो गए और पूरे देश के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दें। कल यदि यह बिल पास होता है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। बिल पर कब चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। महोदय, आपने प्रक्रिया के बारे में एक प्रश्न उठाया है। इस संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि इन संशोधनों पर विचार करने और इन्हें पुनः प्रस्तुत करने के लिए सरकार को एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़े। सरकार मंत्रिमंडल की बैठक आज ही अथवा 24 घंटे के अंदर ही कर सकती है और वह इन संशोधनों पर विचार करके इन्हें पुनः प्रस्तुत कर सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई षडयंत्र चल रहा है। यह पूरी सभा इस विधेयक के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में राजनीतिक दलों को खुलकर सामने आना चाहिए। महोदय, आपके नेतृत्व में ही हम ऐसा दृढ निर्णय कर पाये हैं। यदि राजनीतिक दलों द्वारा ...* इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो यह सभा के लिए शर्म की बात होगी। अतः महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि हमें खुलकर इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए और इसे पारित करना चाहिए। ...**(व्यवधान)** यदि सरकार थोड़ा समय चाहती है तो वह थोड़ा और समय ले सकती है ...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मेरे विचार से उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। हम पर इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए। मुझे ऐसे शब्द के प्रयोग पर आपत्ति है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री पी.सी. चाक्को : कृपया वे इस विधेयक को स्थगित करने का अनुरोध करें। महोदय, इस मामले में आप कृपा करके हमारा नेतृत्व सम्भालें और सरकार को इस विधेयक को कल अथवा अगले दिन विचारार्थ रखने की राय दें। अन्यथा यह विधेयक सभा द्वारा पारित नहीं हो पाएगा। इस विधेयक का पारित न होना हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाड़ी : महोदय, वे ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें यह शब्द वापस लेना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द उचित नहीं है। आप राजनीतिक दलों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं इसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही में से निकाल दूंगा। अब माननीय मंत्री अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, मैं अपनी बात में सुधार करता हूं। राजनीतिक दलों को अपनी निष्ठा दिखानी होगी, का प्रमाण देना होगा। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने इस मामले का निपटारा नहीं किया है। अतः आप कृपया कार्यवाही को जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं आपका वास्तव में आभारी हूं कि ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप महिलाओं के लिए आदरणीय बनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात रखने का मौका मिला है। कृपया बोलें।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, आपने कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत किया है इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। ...**(व्यवधान)** महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं और अलग-अलग विचार भी प्रकट किए गए हैं अतः इसकी जांच की जानी है। इसलिए मंत्रिमंडल को सभी दृष्टिकोणों एवं सिफारिशों पर विचार करना होगा।

श्री राम नाईक : इन संशोधनों पर चर्चा के दौरान विधि मंत्री वहां उपस्थित थे। उन्होंने रिपोर्ट का आकलन किया और वे इससे सहमत थे। यह मत कहिए कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है। आपको रिपोर्ट और संशोधनों के विषय वस्तु की जानकारी 3 दिसम्बर को ही थी। अतः यह मत कहिए कि आपको इसकी जानकारी 9 दिसम्बर को ही मिली। वस्तुस्थिति यह नहीं है।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा कहना यह था कि इस विधेयक के व्यापक परिणाम होंगे और इसलिए मंत्रिमंडल द्वारा इसका गहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। ...**(व्यवधान)** अतः महोदय, मैं किसी नियत तिथि का वादा नहीं कर सकता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि सरकार अत्यधिक गंभीरतापूर्वक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि इस मामले में तेजी से कोई व्यापक सर्वसम्मति हो सके ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> " कि सभा 11 दिसम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब यह मामला निपटाया जा चुका है।

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे) : महोदय, लोकपाल विधेयक के बारे में क्या हुआ? पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मेघे जी आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठे रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी सूचना मिल गई है और मैंने गृह मंत्रालय से इसके तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। ज्योंही मुझे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट प्राप्त होगी। मैं इस मामले पर विचार करूंगा। इसलिए यह मामला अब सिर्फ मेरे ही विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : एक सांसद के साथ जिलाधिकारी ने बड़ी बदसलूकी की है, उसको सस्पेंड करना चाहिए और जांच के आदेश देने चाहिए। ...**(व्यवधान)** यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : गम्भीर तो है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पद से उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकता। मुझे गृह मंत्रालय से कहकर इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, मैं आपकी टिप्पणी पर केवल एक बात कहना चाहूंगा। ऐसे मामलों में की गई कार्यवाही के बारे में सभा को भी जानकारी दी जानी चाहिए जिससे हमें भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यदि केवल उन्हीं को की गई कार्यवाही की जानकारी दी जायेगी तो हमें उस अधिकारी के गलती की और उस घटना की जानकारी नहीं मिल पायेगी। इसलिए सभा को ऐसे घटनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा है। यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

श्री राजेश पायलट : आप इस रिपोर्ट के मिलने पर ही कुछ कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्रालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है और इस रिपोर्ट के मिलने के बाद ही मैं अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बुला रहे हैं और हमारे मित्र बोलने नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के. विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक का क्या हुआ। मैं संयुक्त समिति का सदस्य था। सरकार यह नहीं कह सकती है कि उसको इन सब बातों की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी जी मैंने यह मामला समाप्त कर दिया है।

श्री के. विजय भास्कर रेड्डी : विधि मंत्री वहां पर उपस्थित थे जैसा कि श्री राम नाईक ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक अपनी बात कह चुके हैं। मैं उचित समय पर अपनी बात कहूंगा। हमें इसे दोहराना नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हाराधन राय* (आसनसोल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सप्ताह और इस सप्ताह भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह हमारे पास है।

---

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। हमारे देश में चुनावों का संचालन करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन की संख्या का सृजन किया है। उसके सदस्यों को नियुक्त करने की एक विशेष प्रक्रिया है।

यह मांग होती रही है कि जब इलैक्शन कमीशन के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। यह मामला केवल सरकारी तौर पर निर्णित किया जाए, ऐसा मामला नहीं रहना चाहिए। चुनाव कानून में संशोधन से पहले जो-जो संसदीय समितियां बनीं, उन्होंने यह सिफारिश की थी कि इलैक्शन कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका बदलने की आवश्यकता है। मेरे पास दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि जब इलैक्शन कमीशन के सदस्य नियुक्त होते हैं, तो सरकार को नियुक्ति से पहले चीफ जस्टिस और प्रतिपक्ष के नेता की राय लेनी चाहिए। यह परम्परा पूर्व सरकार के जमाने में जब नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे, उनके समय में डाली गई थी और जब श्री कृष्णमूर्ति और श्री गिल के नियुक्त करने की नौबत आई, तो प्रतिपक्ष के नेताओं से विचार-विमर्श किया गया था। उस समय के स्पीकर महोदय के कमरे में बैठक हुई थी। शिवराज पाटिल जी उसकी पुष्टि करेंगे। वहां नाम आए थे और सबने मिलकर जो नाम तय किया था, उसी को इलैक्शन कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया था। आज हमने अखबारों में देखा, श्री गिल की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। डा. गिल एक अच्छे व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, वे कमीशन में काम कर चुके हैं, हम लोग उनके प्रशंसक हैं, उनके विरूद्ध हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन सवाल प्रक्रिया का है कि इलैक्शन कमीशन के सदस्य किस तरह से नियुक्त किए जायें। क्या सरकार इस संबंध में दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी? क्या सरकार श्री नरसिम्हा राव जी के जमाने में जो परम्परा डाली गई थी, उस परम्परा को बिल्कुल अमान्य कर देगी? मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार पुनर्विचार करे। अगर सारे तथ्य सामने नहीं आए थे, तो मैं उन तथ्यों को लाया हूं। अभी एक और सदस्य की नियुक्ति होनी है। वह नियुक्ति कैसे होगी? ज्यादा से ज्यादा विचार-विमर्श करके अगर नियुक्ति की जाए, तो इलैक्शन कमीशन की निष्पक्षता में देश का विश्वास जमेगा और लोकतन्त्र बलशाली होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बात सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है।

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। भूतपूर्व सांसद. श्री के. वैंकटगिरि गौडा, ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का शीर्षक है। एच.डी. देवेगौडा, प्राईम मिनीस्टर दि किंग ऑफ करप्सन एण्ड दि अनमेकिंग ऑफ इंडिया **...(व्यवधान)**

इसमें इन्द्रजीत गुप्त जी के ऊपर भी कमेंट किया गया है। ... **(व्यवधान)** इसके पन्ने-पन्ने पर ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) **:** ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इससे नहीं निपटना है। इससे मैं निपटूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) **:** महोदय, जब इतनी बातें छपी हैं प्रधान मंत्री जी के बारे में **...(व्यवधान)** हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री के विरूद्ध ऐसी कोई बात न आए **...(व्यवधान)** नहीं तो अवमानना का विषय बनता है। प्रधान मंत्री जी के खिलाफ ऐसे कोई शब्द आए, तो उसका विरोध करें, नहीं तो सही बात बतायें। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बात आई है, तो हम कहां चाहते हैं कि प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप आए, अगर आरोप आया है, किताब छपी है **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी जी कृपया बैठ जाइए। *

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुषमा जी कृपया बैठ जाइए, कृपया शांत रहिए।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.40 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री चौबे जी मैंने आपके नोटिस के गुणदोष को देखा नहीं है। आपका नोटिस व्यवस्थित नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि क्योंकि नियम 223 के तहत आपके नोटिस के साथ दस्तावेज भी होने चाहिए। आपने अपने नोटिस के साथ दस्तावेज नहीं दिया है। नोटिस और दस्तावेज महासचिव, लोक सभा, सचिवालय को भेजा जाना चाहिए। मैंने इस आधार पर आपका नोटिस नामंजूर कर दिया है और गुण-दोष के आधार पर नहीं। अतः यह मामला यहीं पर समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं मिला था, आपको मैंने कहा था कि यह डाकुमेंट्स मेरे पास हैं। ...**(व्यवधान)** *

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : आपने स्वयं कहा था ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब आप नोटिस देते हैं वह सेक्रेट्री जनरल को एड्रेस करते हैं। आप डाकुमेंट्स स्पीकर साहब को देंगे और नोटिस सेक्रेट्री जनरल को दें तो ऐसा नहीं होता है। आपके नोटिस के साथ डाकुमेंट्स होने चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी तक कोई लेकर नहीं आया है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष जी, आप सर्वोपरि हैं। आपकी बातों में हमें विश्वास है। आपने स्वयं कहा कि ठीक है मैं स्वयं पढ़ लेता हूं आप नोटिस दे दीजिए। आपके सेक्रेट्री ने यहां फोन किया। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तो प्रोसिजर की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह आपका राइट है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका अधिकार है लेकिन आप इसे यहां नहीं दे सकते हैं। आपको इसे नोटिस कार्यालय को देना होगा।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से उस पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में सारा सदन जानता होगा, देश का बच्चा-बच्चा उस क्षेत्र के बारे में जानता होगा। वहां के महापुरूषों के बारे में जानता होगा। महारानी लक्ष्मी बाई का नाम हर व्यक्ति ने सुना होगा और पाठ्य पुस्तकों में यह भी पढ़ा होगा।

"खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
बुन्देलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी।"

यह बुन्देलखंड, जिसन आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में बगावत का बिगुल बजा था तो सबसे पहले बगावत का बिगुल 1857 में महारानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में बजाया गया था। झांसी के गरीब किसान मजदूरों ने महारानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ी थी और उसमें इतना खून बहा था कि झांसी की मिट्टी भी लाल हो गई थी। लेकिन आजादी के 50 सालों में हमारी सरकार उस बुंदेलखड के लोगों को पानी भी मुहैया नहीं करा पाई है।

महोदय, सदन के नेता राम विलास पासवान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्होंने भी बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को, वहां की बेरोजगारी को, वहां की भुखमरी को नजदीकी से देखा है, उनका ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

इस समय देश में चारों ओर छोटे-छोटे राज्यों की मांग उठ रही है। इसलिए मैं सरकार से पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग करता हूं।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

देश में यदि कहीं भी पृथक राज्य बनता है तो सबसे पहला हक बुंदेलखंड का बनता है क्योंकि बुंदेलखंड आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा है। ...**(व्यवधान)** बुंदेलखंड में साक्षरता का प्रतिशत केवल 26 प्रतिशत है तथा सरकारी नौकरियों में लोगों का प्रतिशत केवल .07 हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय बहुत सीमित है। अपने सहयोगियों को भी समय दीजिए।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : हमारे यहां की केवल 15 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। वहां से प्रतिदिन 1000 के करीब लोग नौकरी के लिए दिल्ली आते हैं और वहां से बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। दिल्ली में वे झुग्गी-झोंपड़ियों में नर्क का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली की कोई भी सड़क बनती है तो उसमें बुंदेलखंड का मजदूर काम करता है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जब तक हमारा प्रांत नहीं बनता है तब तक जिस तरह से उत्तरांखड के विकास के लिए 324 करोड़ रुपया स्पेशल ग्रांट के तौर पर दिया गया है उसी तरह से बुंदेलखंड के विकास के लिए 325 करोड़ रुपया स्पेशल ग्रांट दें जिससे वहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि बन सकें। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल (बेतुल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बेतुल के आदिवासियों की परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अपराह्न 12.47 बजे

(अपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बेतुल जिले में 33 प्रतिशत आदिवासी रहते है। आजादी के 50 साल बाद भी हमारी सरकार उन्हें रोटी-कपड़ा, मकान मुहैया नहीं करा सकी है। आदिवासियों को वहां खाने के लिए गल्ला नहीं मिलता है और भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। आज हालत यह है कि भामोड़ी और चिरोटी की पत्तियां खाकर वे लोग अपना जीवन-यापन कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें आंत्रशोध की बीमारी हो जाती है और वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इस वर्ष वहां 20 लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है और पिछले तीन सालों में वहां 200 व्यक्ति मर चुके हैं। उन्हें गल्ला प्राप्त होता है न वहां रोजगार के साधन हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां जो भुखमरी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही हैं उसे रोका जाए। सरकार वहां पर अपनी एक टीम भेजे, तथा वहां के आदिवासियों के लिए काम-धंधे खोले जाएं जिससे वहां के लोगों का पलायन बंद हो और भूख से मरने वालों की रोकथाम हो सके। ...**(व्यवधान)**

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में आदिवासी भूख से मर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम पुकारा है, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं? मैनें श्री हरिन पाठक का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महानुभाव मुझे खेद है, मैं श्री हरिन पाठक को बोलने के लिए कह चुका हूं। कृपया बैठ जाइएं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं करोड़ों-करोड़ जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति एक मांग के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारा देश अपनी आजादी की वर्षगांठ कुछ महीनों के बाद मनाने जा रहा है। हमारे देश की आजादी के साथ एक लम्बा सांस्कृतिक इतिहास जुड़ा हुआ है।

जब देश के संविधान का निर्माण होने जा रहा था तब देश का जो नाम था, उसके साथ लोगों की सदियों पुरानी भावनाएं जुड़ी थीं। 'इंडिया दैट इज भारत' ऐसा करके संविधान में देश का नाम रखा गया। आज देश दो नामों से प्रचलित है - एक भारत और दूसरा इंडिया। हमें आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। पूरे देश में और विश्व भर में देश का जो असली नाम हैं, जिसके साथ हमारे देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता और आस्था जुड़ी हुई है, उनसे सारी दुनिया अवगत हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। जब विभिन्न देश आजाद होते हैं तो लोगों की भावनाओं और उनकी मान्यताओं के अनुसार देश का नाम रखा जाता है। सिलोन का नाम श्रीलंका रखा गया, रोडीशिया का नाम जिम्बाब्वे रखा गया, पूर्वी पाकिस्तान आज से 25 साल पहले आजाद हुआ, उसका नाम बंगलादेश रखा गया। हमने संविधान में स्वीकार किया है कि 'इंडिया दैट इज भारत'। मैं अपने देश की जनता की ओर से सदन के सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब देश का नाम भारत है तो उसको 'द इंडिया' रखने की क्या जरूरत है। संविधान में यह तय हुआ था कि 'द इंडिया' यानी भारत। आज जब सारा विश्व भारत को जान चुका है, हम अपने गौरवशाली इतिहास और सभ्यता के आधार पर

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसका नाम रखे। जब हम 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तो अपने देश का नाम सिर्फ 'भारत' रखने की मांग इस सदन में करना चाहूंगा। इसके लिए संविधान में जो भी संशोधन करना हो, वह सर्वसम्मति से किया जाए, ऐसी सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बशीरहाट) : महोदय, मैं इस सभा का ध्यान पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से उत्तरी 24 परगना क्षेत्र में भारत-बंगलादेश सीमा पर लोगों को हो रही एक गंभीर समस्या को और आकर्षित करता हूं। पानी के अलावा चावल, गेहूं, खाद्य तेल, चीनी और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं वास्तव में हर चीज की सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों की मिली भगत से अप्राधिकृत मार्गों से भारत से बंगलादेश को तस्करी की जा रही है। इससे भारत बंगलादेश सीमा पर 24 परगना जिले में इन आवश्यक वस्तुओं की गंभीर कमी उत्पन्न हो गई है। वहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान इन गैर कानूनी गतिविधियों को रोक पाने में असफल हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों की गतिविधियां असंतोषजनक नहीं हैं। तस्करों द्वारा ये राष्ट्रविरोधी गतिविधियां सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की सांठगांठ से चलाई जा रही है। कमी के कारण मूल्य दिनों-दिन बढ रहे हैं। वहां पर लोगों को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल कदम उठाए ताकि तस्करी को तत्काल रोका जा सके और वहां रह रहे हमारे देशवासियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल बहाल की जा सके।

[हिन्दी]

श्री सोहन वीर (मुजफ्फरनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत खतरनाक स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महारानी दिव्यासिंह (भरतपुर) : मैंने आज सुबह नोटिस दिया था।

श्री शिवानन्द एच. कुन्नानगी (बेलगांव) : महोदय, मैं हर रोज नोटिस दे रहा हूं। मेरा नाम सूची में है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जिसका नाम लिखा गया है, उसको तो पहले बोलने दो।

श्री सोहन वीर (मुजफ्फरनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सर्वोच्च सदन के अंदर बहुत से अपराधी घुस आये हैं। उनके खिलाफ कई-कई करोड़ रुपये के घोटाले के मुकदमें चल रहे हैं और फिर भी वे इस पवित्र सदन में सीना खोलकर घुस रहे हैं। कत्ल के कई कई एफ.आई. आर. उनके खिलाफ थानों में दर्ज हैं। कई तो ऐसे हैं जिनपर सुप्रीम कोर्ट ने 50-60 लाख तक का जुर्माना भी किया है लेकिन इस सदन में घुस आते हैं। यह इस देश की जनता के लिये शर्म की बात है। मेरा अनुरोध है कि इस सर्वोच्च सदन को पवित्र बनाना होगा जिसे सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और चौ. चरण सिंह जैसे नेता सुशोभित करते थे। आज पूरे सदन का गंभीर प्रश्न है। ऐसे लोगों को इस सदन की चारदीवारी के पास भी नहीं फटकने देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कहना चाहता था कि इस देश की जनता भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट उद्योगपति के चंगुल में फंस कर रह गयी है। उन्हें रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। उनके बच्चों को मामूली सुविधायें जैसे बिजली, पानी नहीं मिलता है। यहां तो कहा जाता है कि किसान का बेटा प्रधान मंत्री है लेकिन यह कैसे किसान का बेटा है जिस देश के बच्चों को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बिजली नहीं मिलती है। जब इस देश के बच्चों को मामूली चीजें नहीं मिलेगी तो इस देश का क्या होगा, यह सोचने की बात है। एक भ्रष्ट शासन भी भ्रष्ट प्रशासन देता है। इसलिये जब तक शासन शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध प्रशासन मिल ही नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि सराकर इस ओर ध्यान दें। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये आपका धन्यवाद।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राजकुमारी रत्ना सिंह।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मानवीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि उत्तरी भारत में भारी मानसून के कारण सभी सड़कें वास्तव में बहुत बुरी हालत में हैं और उनकी मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता है। दिल्ली से जाते समय आप उत्तर प्रदेश होते हुए जाते हैं चाहे आप बम्बई, जाना चाहें, कलकत्ता जाना चाहें या मद्रास जाना चाहें, चूंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, हमारे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग बहुत बुरी स्थिति में हैं। मथुरा और आगरा के बीच जी.टी. रोड पर पिछले दो वर्षों से मरम्मत का काम चल रहा है। वहां से गुजरना बहुत कठिन है। दिल्ली-लखनऊ राजमार्ग बहुत बुरी स्थिति में है। लखनऊ-इलाहाबाद राजमार्ग बहुत बुरी स्थिति में है। दिल्ली-मंसूरी राजमार्ग, जो सीमा तक जाता है, वह बहुत बुरी स्थिति में है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती

हूं कि उत्तर प्रदेश में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपए जारी करे।

हम चाहते हैं कि जल-भूतल मंत्री इस मामले पर चर्चा करें क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है इसलिए अतः उत्तर प्रदेश में सड़कों और राजमार्गों की मरम्मत की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

राजकुमारी रत्ना सिंह : मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री से इस संबंध में वक्तव्य देने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर खींचना चाहती हूं। हो सकता है आज की तारीख में यह महत्वपूर्ण न हो लेकिन यह एक स्लो पायजनिंग की बात हो जायेगी अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

आज समस्त विश्व में जैनेटिक बॉडी आर्गानिज्म में संशोधन हो रहा है। हमारे यहां भी पहले से क्राप्स अच्छी है।

अपराह्न 1.00 बजे

हमारे यहां भी कई सालों से क्राप्स को अच्छा करने के लिए संशोधन होते थे लेकिन आजकल ये जैनेटिक्स को लेकर जो संशोधन हो रहे हैं उसमें मैं कहूंगी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल्स के साथ इस प्रकार का प्रयोग कर रहा है। कई बार यह स्वागत योग्य है लेकिन कई बार जो प्रोटेक्शन्स लेनी चाहिए वह प्रोटेक्शन्स नहीं ली जाती हैं। अभी जैसे हमारे यहां बेल्जियम और अमेरिका के साथ एक दक्षिण में और एक उत्तर में हिन्दुस्तान में दो जगह इस प्रकार के संशोधन हो रहे हैं लेकिन एक बात अभी सामने आई है। जब आई.सी.ए.आर. की पूसा में मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में एक बात सामने आई कि दो जगह संशोधन हो रहे थे, उसकी जानकारी हमारी सरकार को भी थी और अधिकारियों को भी थी, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात उभरकर सामने आई कि यूनाइटेड स्टेट्स डैवलपमेंट ऐजेन्सी के अधिकारियों ने कहा कि हिन्दुस्तान में दो जगह नहीं चार जगह इस प्रकार के संशोधन हो रहे हैं। अब जब जेनेटिक्स पर संशोधन होते हैं तो उसमे कई बार ऐसे बैक्टीरिया भी पौधों में इनजैक्ट किये जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना होता है कि वह बिहार में नहीं फैलें क्योंकि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वह आस-पड़ोस की जमीन पर उग रहे पौधों पर भी असर करते हैं और यही नहीं कह सकते कि जो लोग वहां काम करते हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स में फर्क आता है और ब्लड सेल्स में फर्क आता है। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे यहां इसकी जानकारी नहीं थी और इतना ही नहीं, दिल्ली के पास इस प्रकार का एक संशोधन चल रहा है। बैंगनों पर संशोधन चल रहा है। इसके लिए एक ऐडहोक कमेटी बनायी गई है। इस समिति के सदस्य समय-समय पर बदलते रहते हैं। इसलिये जितने महत्वपूर्ण तरीके से इस बात पर ध्यान देना चाहिए वह नहीं दिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलौजी की ऐनुअल रिपोर्ट में भी इस प्रकार के जेनेटिक मौडिफाइड जॉन्स के जो संशोधन हो रहे हैं उसकी कोई बात नहीं आती है। इनमें पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है क्योंकि हिन्दुस्तान के नागरिक, हिन्दुस्तान के पेड़-पौधे और वैसे देखा जाए तो हिन्दुस्तान में ऐसे केमिकल के कारखाने चल रहे हैं जो बाहर के देशों में प्रतिबंधित हैं। हमारे यहां सब कुछ चलता है। तो इस प्रकार चलते-चलते यह संशोधन हिन्दुस्तान की जमीन पर असर करेगा और हिन्दुस्तान के मानव पर भी असर करेगा। मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। यह प्रधान मंत्री का अपना विषय साइंस ऐंड टेक्नोलौजी हैं, इसलिए इस पर कुछ न कुछ वक्तव्य भी आना चाहिए। इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए और यह जो ऐडहोक कमेटी है, अधिकारियों के साथ साथ या तो और जन-प्रतिनिधि इसमें आ सकते हैं और कमेटी भी पारदर्शी हो, उसके रिव्यूज भी दिये जाएं और इस प्रकार के आश्चर्यजनक तथ्य सामने नहीं आएं और जनता पर तथा पर्यावरण पर इसका उल्टा असर न हो। जो संशोधन हो रहा है वह ठीक है, लेकिन इसका उल्टा असर न हो, इस चीज पर भी कुछ विचार हो, यह मेरा निवेदन है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बिहार राज्य से आते हैं जहां विद्युत का घोर संकट है। हमारा जिला औरंगाबाद बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और मैं उसकी ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। मेरे क्षेत्र में नबीनगर कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना में 2000 मेगावांट की पांवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय की तरफ से 30.8.1996 को निविदायें आमंत्रित की थीं। लेकिन एक भी निविदा नहीं आई। विकास कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी तक कोई निविदा नहीं डाली गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करा रहा हूं कि नबीनगर ताप विद्युत परियोजना को 9वीं पंचवर्षीय योजना में लाकर इसका कार्य कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला नाम बोलने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जीरो ऑवर में बेहतर होगा कि आप नेशनल इंटरेस्ट के मामले उठायें। मैं यह मानता हूं कि अपनी कांस्टीटुएंसी की बात आप कहें, अच्छी बात है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की बात जीरो ऑवर में आये तो जीरो ऑवर की कुछ इम्पोर्टेंस रहेगी। यह एक रिक्वेस्ट है और भाषा लम्बी न हो तो और भी अच्छा है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महान नेता श्री वाजपेयी सहित मैं यह बात पूरी सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अब ध्वस्त हो रही है। जल्दी ही कोई उद्योग लगने वाले नहीं है। पूंजी बाजार पूरी तरह से असफल हो गया है और किसी भी संस्थान और बैंक में यह साहस या हिम्मत नहीं है कि वह आगे आकर उद्योग को बढ़ावा दें क्योंकि उन्हें यह भय है कि उन्हें परेशान किया जायेगा और उनमें दोष ढूंढा जाएगा। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज देश की स्थिति अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई है।

शायद, अब तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी भांति होता रहा तो मैं नहीं जानता कि इस देश का भविष्य क्या होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि पूरे सदन को इस स्थिति पर चिन्ता होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि इस स्थिति में सुधार लाने के लिए जोरदार प्रयास करने चाहिए और कारगर उपाय करने चाहिए।

सरकार को बैंकों और अन्य संस्थानों को आगे आने के लिए नैतिक समर्थन देना चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट रूप से यह बोध कराया जाना चाहिए कि ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा और सरकार उन्हें समर्थन देगी।

इस प्रश्न के बारे में कि पूंजी बाजार में कैसे सुधार लाया जा रहा है मेरा कहना है कि जनता में और अधिक विश्वास जगा कर सरकार को इसमें सुधार करने के प्रयास करने चाहिए।

अंत में, बजट में 'मैट' की शुरूआत की गई है। वह भी देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हाल ही में हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि मेरी समझ में बात आ गई है कि सरकार ने "मैट" की शुरूआत करके गलती की है। मैंने अपने भाषण में भी इस बात पर आपत्ति की थी कि निगमित निकायों में 'मैट' की शुरूआत नहीं की जानी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री जी ने एक सार्वजनिक सभा में स्पष्ट तौर पर बात स्वीकार की कि वह देश के प्रमुख उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाकर उसमें "मैट" से उत्पन्न समस्या पर विचार करने और देश में उद्योग में सुधार लाने हेतु प्रयास करने पर विचार करने को तैयार हैं।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं और सरकार से "मैट" प्रणाली को समाप्त करने के लिए शीघ्र और कठोर कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि उद्योग में सुधार लाने की नई प्रेरणा देकर अर्थव्यवस्था को नया जीवन दिया जा सके।

मैं एक बार फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से रूचि लेनी चाहिए कि देश में उद्योग में सुधार हो।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 19.11.96 को शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाया था, जिस पर अभी तक सरकार ने कोई गौर नहीं किया है। मैं मजबूर होकर यह मामला उठा रहा हूं। महोदय, आज किसानों का शोषण हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है, 20 प्रतिशत जनसंख्या कारखानों पर निर्भर है और 30 प्रतिशत जनसंख्या इसलिए गरीब है कि गरीब किसानों को व्यापारी लूट रहे हैं। जब किसान की खेती पककर तैयार हो जाती है तो वह व्यापारियों के हाथों में आ जाती है और वह व्यापारी उसके इतने मूल्य गिरा देते हैं कि किसानों को अपनी फसल की लागत से भी कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा अन्य प्रांतों के किसानों को कपास का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। लाखों किसान मंडियों में लाइन लगाकर बैठे हैं, उनकी दशा देखी नहीं जा रही है। किसानों की कपास मंडियों में 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि एक एकड़ में चार-पांच क्विंटल कपास होती है, जबकि एक एकड़ पर खाद, बीज और दवाइयों पर बोने से लेकर काटने तक फसल पर पांच हजार रुपये खर्च होते हैं। यानी किसान की कपास का भाव मिट्टी के बराबर है। किसान जब अपनी फसल मंड़ियों में बेचता है तो वह सस्ते दामों पर बिकती है। जब किसानों के हाथों से उपज निकल जाती है और व्यापारियों को हाथों में आ जाती है तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। अप्रैल माह में चार सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिका था अब यह नौ सौ रुपये प्रति क्विंटन के हिसाब से बिक रहा है। यह किसानों और मजदूरों का शोषण है। हमारे प्रधान मंत्री जी अपने आपको किसान का बेटा होने का बड़े-बड़े पोस्टरों, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करते हैं। किसान का बेटा प्रधान मंत्री हो और किसानों को इस प्रकार शोषण हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी देश में क्या हाल होता होगा।

मैं सरकार से यह मांग भी करूंगा कि कपास का मूल्य कम से कम ढ़ाई हजार रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। मैं यह निवेदन भी करूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का बजट 16 परसेंट था जबकि उस समय सिंचाई-योग्य जमीन इतनी नहीं थी, जितनी आज है। आज सिंचाई-योग्य जमीन बढ़ गई है लेकिन बजट 6 परसेंट कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : निहाल चन्द जी, जीरो-ऑवर में पढ़ने की इजाजत नहीं है।

श्री निहाल चन्द चौहान : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के बजट को 6 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट किया जाए और कपास का मूल्य कम से कम ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल निश्चित होना चाहिए ताकि किसानों को उनकी

उपज का उचित मूल्य मिल सके। मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो श्रमिक 9 दिन से भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन उन्हें कवरेज दे तथा सरकार उनके बारे में सोचे।

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सभा और सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। हालांकि यह मुद्दा मेरे चुनाव क्षेत्र और जिले से जुड़ा हुआ है लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

महोदय, मेरे गृह जिले बीरभूमि में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अन्तर्गत कंकरताला कोयला खान हैं। इस कंकरतला कोयला खान में काम स्थगित कर दिया गया है और खनन कार्य भी बन्द कर दिया गया है। सरकार इस कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती है। मैं इसके कारण नहीं जानता हूं। सरकार ने वर्तमान कोयला क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। मैं सरकार से कंकताला कोयला क्षेत्र में खनन कार्य तत्काल शुरू करने और इस कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपने का आग्रह करता हूं।

मैं एक और अति महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि मेरे जिले के और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में समूचे कोयला क्षेत्र में अवैध खनन और कोयले की चोरी जोरों पर है। इस पर कोई रोक-टोक नहीं है। मैंने प्रशासन को इस बात से अनेक बार अवगत कराया है लेकिन फिर भी कोई रोक नहीं लगी है। वहां उत्तम श्रेणी के कोयले के विपुंल भंडार है। बीरभूमि जिले और बिहार के सीमांवर्ती क्षेत्रों में उत्तम श्रेणी के कोयले के दोहन के लिए नई परियोजना तैयार की जानी चाहिए।

मैं इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गरीब बुनकरों के प्रश्न को सदन में उठाना चाहता हूं। नागपुर के हैंडलूम कार्पोरेशन में 10 हजार गरीब बुनकर हैं जो आज भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। चार महीने से उनके पास सूत नहीं है, उनको काम नहीं मिलता। उनकी परिस्थितियां इतनी खराब होते हुए भी, उनके ऊपर बराबर अन्याय पर अन्याय हो रहे हैं, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई उनके दुख-दर्द में सहारा नहीं दे पाता। कई बार प्रयत्न किए गए लेकिन वे सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान सिद्ध हुए हैं, उनसे बुनकरों की समस्या सुलझाने में कोई सफलता नहीं मिली। उनकी परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हैंडलूम कार्पोरेशन में काम करने वाले ये गरीब लोग अपने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय दिया कि इंडस्ट्रियल वर्कर ट्रीट करके उन्हें फैसिलिटीज दी जानी चाहिए लेकिन उस निर्णय पर भी कोई अमल नहीं किया जा रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह यहां से किसी हाईएस्ट लेवल के मंत्री या सैक्रेटरी को भेजकर मामले की जांच कराएं क्योंकि इसमें केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। आज हैंडलूम कार्पोरेशन के 10 हजार वर्कर्स आपसे न्याय मांगते हैं। आप उनके साथ न्याय कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप उन्हें काम मिलना चाहिए।

उनको उसके अनुरूप न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वह मिलता नहीं है। हमने वहां के अधिकारियों से बातचीत की है। वह कहते हैं कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे, तो हमें हैंडलूम कार्पोरेशन बंद करना पड़ेगा। यह कोई एक्सक्यूज नहीं है। यदि कोई मिनीमम वेज नहीं दे सकता है, तो उसको कारखाना चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह इस देश का कानून हैं। इसलिए जो भी अधिकारी ऐसे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि उनको मिनीमम वेज नहीं दिया जाता है, तो हैंडलूम कार्पोरेशन को बंद कर के बुनकरों को एक-एक लाख रुपए मुआवजे के रूप में देकर उनको घर बैठा दें। वे अपने पैरों पर अपने आप खड़े हो जाएंगे। मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि वह इस ओर तुरंत ध्यान दे।

श्री परसराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के जालौर और सिरोही जिलों के उन गांवों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां कि पानी में फ्लोराइड ज्यादा है जिसको पीकर उन गांवों के लोग कुबड़े हो जाते हैं। काम करने लायक नहीं रहते हैं। उनके शरीर में आलस्य ज्यादा रहता है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वहां पर पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाए ताकि फ्लोराइडयुक्त पानी से उनको निजात मिल सके और वे अपने शरीर से स्वस्थ हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री हमेशा घोषणा करते रहते है कि देश के हर नागरिक को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि वहां पर पीने का साफ पानी शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक खुर्जा शहर है जिसमें नाजायज कट्टीघर, बूचड़खाना चल रहा है और इनमें गाय, भैंस, बैल और बछड़े तक काटे जा रहे हैं। मैंने और वहां की जनता ने कई बार इस बारे में आवाज उठाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अब जब मैंने स्वयं डी.एम. और एस.एस.पी. को लेकर रेड कराई, तो जो आरोप हमने लगाए थे, वे सब सही पाए गए और डी.एम. के आदेश से वह कट्टीघर बंद करवाया गया। इस कट्टीघर का असर यह है कि वहां पर एक तालाब था, वह भी खून से लथपथ हो चुका है और पूरे खुर्जा शहर का वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि वहां पर लोग रह नहीं सकते हैं। यदि आप दिल्ली से अलीगढ़ जांए, तो

आपको यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुर्जा कहां है। जहां पर अत्यधिक बदबू आनी शुरू हो जाए, वही खुर्जा शहर है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां हालत यह है कि लोग बूचड़खाना चला रहे हैं, उनको बहुत बड़े-बडे बदमाशों का संरक्षण प्राप्त है। जब मैंने डी.एम. को लेकर उस बूचड़खाने पर रेड करवाई और जो हमारे आरोप थे वे सब सही पाए गए और अब जब वह बूचड़खाना बंद हो गया है, तो अब पता नहीं कौन लोग हैं जो डी.एम. और प्रशासन पर जोर डाल रहे हैं और उस कोतवाल को जिसने डी.एम. और एस.एस. पी. के आदेशों का मुस्तैदी से पालन करके उस बूचड़खाने को बंद करवाया, उसी के ऊपर जांच बैठा दी गई है और अब उसको वहां से स्थानांतरित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

• उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर दिनांक 24.4.96 को बैल काटने का लाइसेंस डी.एम. ने दे दिया जबकि खुर्जा शहर में एक साल में पांच बार जातीय दंगे, कम्युनल राइट भड़क चुके है। इसके कारण वहां पर बैलों के स्थान पर गायों को काटा जाएगा क्योंकि बैल और गाय के मांस के टिश्यू तो एक ही प्रकार के होंगे और भैंस तथा गाय या बैल के टिश्यू अलग प्रकार के होंगे। जांच से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह मांस गाय का है या भैंस का है, लेकिन अब जब वहां पर बैल कोटने का भी लाइसेंस दे दिया गया है, तो यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि मांस गाय का है या बैल का है और इसी की आड़ में वहां पर गायों को काटने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एक तो जो अधिकारी वहां हैं और जिन्होंने इस बूचड़खाने को बंद करवाया है और अपनी ड्यूटी को ठीक प्रकार से अंजाम दिया है, उनको वहां से स्थानांतरित न किया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जितने भी ऐसे बूचड़खाने देश में जहां-जहां भी चल रहे हैं, वे सारे बंद हों। मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाह रहा था। आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच. कौजलगी (बेलगाम) : महोदय, माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में आश्वासन दिया था कि मई में कित्तूर-वेलहोंगल-सोगल-येलमगुंड्डा-धारवाड़ लाइन पर सर्वेक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद इस लाइन का सर्वेक्षण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

कित्तूर एक ऐतिहासिक स्थल है। कित्तूर स्थित रानी चेनम्मा, जो आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी, का किला यहां स्थित है। वेलहोंगल एक व्यापार केन्द्र है। सोगल और येलमगुंड्डा क्रमशः पर्यटन और तीर्थस्थल है। इस नई लाइन का निर्माण हो जाने से हुबली और धारवाड के बीच 80 किलोमीटर से भी कम दूरी रह जाएगी।

अतः माननीय रेल मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार नई सर्वेक्षण लाइन का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' (पूर्वी दिल्ली) : श्रीमान्, दिल्ली के अंदर 55 हजार पुलिस कर्मचारी हैं और इन पुलिस कर्मचारियों में बहुत असंतोष फैला हुआ है। उनमें असंतोष फैलने का एक ही कारण है कि उनको राशन भत्ता नहीं दिया जा रहा है जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों को राशन भत्ता दिया जाता है। दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है, यहां सब एम्बेसीस है, वी.आई. पी. यहां निवास करते हैं, यहां सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है इसलिए दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को 18 से लेकर 20 घंटे तक लगातार ड्यूटी देनी पड़ती है। इतना ही नहीं एक बड़ा भारी अन्याय भी उनके साथ हो रहा है। उनको कई वर्षों से एक्सग्रेशिया पेमेंट दी जाती थी। 12 महीने की तन्ख्वाह के बाद उनको 13 वें महीने की तन्ख्वाह दी जाती थी लेकिन इस बार उनको वह एक्सग्रेशिया पेमेंट नहीं दी गयी। इस कारण उनमें बहुत असंतोष फैला हुआ है। मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस असंतोष को समाप्त करें। मैं उनके एसोसियेशन के पक्ष में नहीं हूं। उनको एसोसियेशन का राईट नहीं देना चाहिए। लेकिन उनके दुखों, उनकी तकलीफों के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वे अपने दुख तकलीफों को व्यक्त कर सकें ताकि इस प्रकार का संतोष पुलिस कर्मचालियों में बना रहे ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम लिस्ट में है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। आप बैठ जाइये।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के सीतामढ़ी से आता हूं। सीतामढ़ी राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है। 10वीं लोक सभा में अनेक बार हमने इस सदन में यह सवाल उठाया था। प्रश्न काल के जरिये, शून्यकाल में और बजट पर बहस होने पर भी हमने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा था परन्तु आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सीतामढ़ी जगत जननी सीता की जन्म स्थली है। देश के कोने-कोने से लोग प्रतिदिन यहां आते हैं। बिहार से ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी, मारीशस से भी लोग वहां आते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर्यटन स्थल को देश के राष्ट्रीय मानचित्र में शामिल करना बहुत आवश्यक है। वहां पर पर्यटन का विकास अपेक्षित है। पर्यटन मंत्री से भी हम लोग मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक वहां पर साईट को विकसित करके पर्यटन को विकसित करने की कार्यवाही नहीं हुई है। वहां पर रेल की सुविधा भी नहीं है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक नई रेल लाइन बनाने के लिए पैसा दिया

गया है परन्तु उसमें भी विलम्ब हो रहा है। इसी प्रकार दरभंगा से नरकड़िया गंज तक बड़ी रेल लाइन बनाना अति आवश्यक है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना तक नेशनल हाईवे का निर्माण भी आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यटन के विकास से देश की संस्कृति की रक्षा तथा इससे देश में विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होता है, विकास की गति तीव्र होती है इसलिए ऐतिहासिक स्थल सीतामढ़ी को राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र में शामिल करने का आप सरकार को निर्देश दें। रेल तथा सड़कों का विकास करने की भी कृपा करें। धन्यवाद।

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जबलपुर औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों ने अनेक प्रतिरक्षा उत्पादन कारखाने खोले। आज देश में 39 कारखाने चल रहे हैं जिनमें से आधा दर्जन जबलपुर में चलते हैं। आजादी के बाद हमारी सरकार ने जबलपुर में एक नया कारखाना खोला। सभी 39 कारखानों में सन् 1984 से भर्ती बिलकुल बंद है। हजारों की तादाद में कर्मचारी रिटायर हो गए, मर गए और मैडीकली बोर्ड आउट हुए। परन्तु उनकी जगह सारे भारतवर्ष में एक भी नया कर्मचारी नहीं लिया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि भर्ती पर जो बैन लगा हुआ है, उसे उठाया जाए ताकि बेरोजगारों को काम मिले और प्रतिरक्षा उत्पादन में जो मंदी आई है, उसे भी तेजी मिले।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरदार सरोवर परियोजना में डूब क्षेत्र के जो खड़गांव और आकुलकुला तहसील बाधित हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार की भूमि देने की नीति है। अभी डूब क्षेत्र में पांच आदिवासियों को 10 हैक्टेयर जमीन देकर बावड़ी और बोरवैल दिए जा रहे हैं। 10 हैक्टेयर भूमि के लिए साढ़े सात सौ हॉर्स पावर का बड़ा पम्प दिया जा रहा है, उससे पूरी भूमि की सिंचाई नहीं होने वाली है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वहां पर जो एम.आई. टैंक के सर्वे हुए हैं, जो वालेरी, अम्बाबारी, आप्पापुर जैसे तीन टैंकों के सर्वे हुए हैं, उसे वन और पर्यावरण मंत्रालय ने क्लीयर करनी है। यदि वे उसे जल्दी क्लीयर कर दें तो वहां के बाधित किसानों की भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान टिटेनियम डाईआक्साइड के मूल्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केरल की दो बड़ी घरेलू कम्पनियां केरल मेटल्स और मिनरल्स लिमिटेड और ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स भारी संकट का सामना कर रही है। इसका कारण गत अनेक वर्षों के दौरान टिटेनियम डाईआक्साइड पर आयात शुल्क में भारी कटौती करना है। इन दोनों बड़ी कम्पनियों में हजारों लोग कार्यरत हैं और ये लोग राजकोष में करोड़ों रुपए का योगदान देते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान टिटेनियम डाईआक्साइड पर आयात शुल्क 85 प्रतिशत था। वर्ष 1994-95 के दौरान इसमें कटौती करके 65 प्रतिशत और 1995-96 में इसे कम करके 40 प्रतिशत कर दिया गया है। अब, 1996-97 के बजट में भी टिटेनियम डाई आक्साइड पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप इन कम्पनियों को अपने उत्पादों को उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचना पड़ रहा ह और इसका लाभ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसे अमरीकी डू-पोन्ट को हो रहा है। बजट पर चर्चा के दौरान भी वित्त मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि यदि घरेलू उद्योगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो इसकी समीक्षा की जाएगी लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अतएव माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें और उद्योगों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए टिटेनियम डाईआक्साइड पर आयात शुल्क में कटौती किए जाने से उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा करें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठाने जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। मैं पिछले छः महीने से इस अभियान में लगा हुआ हूं। मैं चाहूंगा कि यदि आप दो मिनट मेरी बात सुन लें तो मेरी संतुष्टि हो जाएगी क्योंकि इस संदर्भ में मेरा सरकार पर से विश्वास उठ गया है।

मेरे क्षेत्र में एक चीनी मिल है जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। उसमें पिछले वर्ष किसानों का 4 करोड़ रुपये का बकाया चीनी मिल के ऊपर है। इस वर्ष दिसम्बर के माह में किसानों को बताया जाता है कि इस वर्ष आपका गन्ना हम नहीं लेंगे। हम इस मिल को बंद कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि यदि गन्ना नहीं उठाना था तो किसानों को एक वर्ष पहले कह देना था कि हम इस चीनी मिल को नहीं चलाएंगे। लोग खेत में धान लगाते, गेहूं लगाते, दूसरे अनाज का उपयोग करते।

पांच करोड़ रुपये का गन्ना खेत में खड़ा है। यहां से सरकार कहती है कि इस चीनी मिल को दिसम्बर माह में नहीं चलाएंगे। सारण जिले में यह कानपुर शुगर वर्क्स है और भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हमारे यहां 200 किलोमीटर के भीतर इसके अलावा कोई चीनी मिल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चार करोड़ रुपया पहले का बकाया है। अब उस पांच करोड़ रुपये के गन्ने का क्या होगा। बिहार में जनता दल की सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : रूडी जी, एक मिनट सुनें। मैंने आपको इसलिए अलाऊ कर दिया कि आपने किसानों की बात कही, लेकिन आपका विषय कुछ और था। आपने प्राइवेट इंशोरेंस की बात लिखकर दी थी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए मैंने कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी इसीलिए अलाऊ किया।

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप सरकार को कहें कि इस पर कुछ विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका विषय नहीं था, फिर भी मैंने आपको अनुमति दी, अब आप बैठ जाएं।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा मुद्दा सदन के सामने लाना चाहता हूं जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों पर हमारा ध्यान जाए। केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। परंतु 1994 की आई.ए.एस. परीक्षा का परिणाम आया तो कुल 707 स्थानों के लिए 707 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें से 204 पिछड़े वर्ग के थे। उनमें से 31 जनरल कोटे में भी कम्पीट कर गए इसलिए उनका नाम ऊपर चला गया। बाकी बचे 173, तो उन सबको सरकारी सेवा में नियोजित नहीं किया जा सका। कहा गया कि उनके लिए अब स्थान नहीं है। 173, में से 15 सफल उम्मीदवार आज भी खाली बैठे हैं और दर-दर भटक रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने कार्मिक मंत्री को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा था। लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको नीचे से ऊपर रटा-रटाया जवाब मिलता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई विचार करने का प्रयास नहीं किया कि इस सम्बन्ध में क्या सच्चाई है और किस कठिनाई का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उचित जांच की जाए और जो 15 सफल उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के छूट गए हैं, उनको उचित स्थान दें। यह देखें कि 707 का 27 प्रतिशत कम से कम 190 होता है, जबकि सिर्फ 173 उम्मीदवारों को ही पिछड़े वर्ग के कोटे से नियोजित किया है, उसमें भी 15 को छोड़ दिया गया हैं इसलिए 27 प्रतिशत कोटा भी पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : धन्यवाद, महोदय, मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत, माननीय न्यायाधिकरण ने 1978 में अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है कि गुजरात में नर्मद पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 455 फुट होगी। न्यायाधिकरण के निर्णय पर किसी के द्वारा समीक्षा अथवा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल के दौरान किसी को पढ़ने की अनुमति नहीं होती। अतएव संक्षेप में बोलें।

श्री दिलीप संघानी : जी हां, महोदय।

फिर भी कुछ निहित स्वार्थ रखने वाले लोगों और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त बांध की ऊंचाई में परिवर्तन कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात की जनता निहित स्वार्थ रखने वाले इन लोगों की दुर्भावनापूर्ण चाल का विरोध करती हैं और वे नर्मदा सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में किसी परिवर्तन का विरोध करेंगी। केन्द्र सरकार को इस मामले में अपने रवैये को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया है कि नर्मदा सरोवर बांध की ऊंचाई 455 फुट होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने 9.12.1996 को इस संबंध में वक्तव्य दिया था। इसे समाचारपत्रों में निम्नवत रूप से प्रकाशित किया गया है :—

> " प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने रविवार को कहा कि नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा अनुशंसित बांध की ऊंचाई अन्तिम नहीं है और केन्द्र प्रभावित राज्यों से परामर्श करके इस पर कोई निर्णय लेगा। हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गोड़ा ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने विचार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेगी"।

[हिन्दी]

माननीय प्रधान मंत्री जी गुजरात आते हैं तो यह बात कहते हैं कि एक भी फीट हाइट घटेगी नहीं और जब वहां जाते हैं तो दूसरी बात कहते हैं। मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार स्थिति को क्लीयर करें।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयल इंडिया लिमिटेड के कार्पोरेट आफिस को स्थानांतित करने, जिसका निर्णय 1991 में लिया गया था, के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। आयल इंडिया लिमिटेड के इस निर्णय के अनुसार, कामरूप जिले के उपायुक्त से वृहत गुवाहाटी क्षेत्र में लगभग 300 बीघा भूखण्ड का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया था। यह भूखण्ड कामरूप जिले के पोलसवाड़ी सर्किल में मिर्जापुर गांव में था और आयल इंडिया लिमिटेड ने अपने कार्पोरेट आफिस को नई दिल्ली से स्थानांतरित करके इस भूखण्ड पर लगाने का निर्णय लिया था। इसके बाद से आयल इंडिया लि. ने कोई कार्यवाही नहीं की। किसान इस भूखण्ड पर न तो खेतीबाड़ी कर सकते हैं और न ही इसका वाणिज्यिक उपयोग कर सकते हैं। इन किसानों को कोई मुआवजा नहीं

दिया गया है और न हीं आयल इंडिया लिमिटेड इस भूखण्ड पर अपना कार्यालय स्थानांतरित करेगी। यह एक ताकालिक महत्व का मामला है। अतः मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह संबंधित अधिकारियों और आयल इंडिया लिमिटेड को इन मामलों को तत्काल निपटाने के लिए निर्देश दें ताकि वहां कार्यालय तुरन्त स्थानांतरित हो सके और किसानों को उन्हें देय मुआवजा मिल सके।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सड़कें टूट चुकी हैं और आए दिन वहां पर दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा काफी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सड़कों में एक फीट से लेकर तीन-चार फीट तक गड्ढे हो चुके हैं, जैसे जी.टी. सड़क, रांची-टाटा सड़क, रांची-पटना सड़क, रांची गुमला सड़क, चांडील-पुरलीया सड़क, रामगढ़-बोकारो आदि। इन सभी सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है।

वहां राष्ट्रीय उच्च पथ में जिस तरह से काम होना चाहिए वह काम नहीं होता है और जो सड़क बनती है वह एक महीना भी ठीक से नहीं चलती है। मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे यहां जैसे रांची है और जितने भी वनांचल क्षेत्र हैं उनमें रांची में हमारे क्षेत्र में अभी भी दो-चार ऐसी नदियां है वहां पुल का निर्माण न होने से लोग छह महीन टापू में रहते हैं। दो-चार करोड़ रुपया भी वहां खर्च नहीं किया जाता है। लोग टापू का जीवन व्यतीत करते हैं। ...**(व्यवधान)** हजारों परिवारों के लोग प्रभावित हैं।

महोदय, मैं सिर्फ नाम बता देना चाहता हूं। जैसे सिल्ली, चांडेल, भाया बारेन्दा और राढू नदी पर जो सिल्ली में पड़ता है और पईका में राढू नदी पर पुल का निर्माण और बांकू के पास कांची नदी पर पुल का निर्माण करना आवश्यक है। इसी तरह से ये जितनी भी नदियां हैं उनमें अगर पुल बना दिया जाए तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके साथ-साथ ग्रामीण सड़क की हालत भी बहुत दयनीय है, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार उसके लिए पैसा आबंटित करे और उनका निर्माण शीघ्र कराए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.42 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.46 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.46 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रक दुर्घटना के चलते बड़ी भारी संख्या में दो दिन पहले जो लोग काल-कलवित हुए, वे सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक ही गांव अरई के रहने वाले थे। मैं कल वहां गया और उस गांव के पीड़ित परिवार वालों से मिला। एक गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने की घटना मेरे लिए पहली घटना थी। मैंने ऐसा पहले कभी सुना भी नहीं था। आज वह गांव उजड़ गया है। एक संयुक्त परिवार के ।। लोग मरे हैं, एक परिवार के सात लोग मरे हैं और कई ऐसे परिवार हैं जहां बिलखने के लिए मासूम बच्चों को छोड़कर कोई नहीं बचा। कहीं एक-आध महिलाएं बची हैं। वहां से सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे। राज्य सरकार ने एक लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में केन्द्र सरकार को भी सोचना चाहिए। इस प्रकार के जब हादसे होते हैं तो उसमें किस प्रकार की मदद पहुंचायी जाए, इसके लिए एक स्थायी निधि की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस हादसे में खराब सड़क सबसे अधिक जवाबदेह है। सड़क कई साल पहले बन गई। इस सड़क को बनाने के लिए हमने लाख बार प्रयास किया कि इसकी मरम्मत हो जाए लेकिन वह उखड़ी हुई हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। ड्राईवर के संतुलन खो बैठने के कारण यह दुर्घटना हो गई और ट्रक उलट गया। बगल के गड्ढे में पानी था और सारे लोग उसमें गिर गए। ट्रक जो कि ऊपर से मैटल से लदा था, वह सब लोगों की देह पर आया। दम घुटने के कारण अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग स्थानीय प्रयास से बचाए जा सके। दुर्घटना के समय अलग-बगल के लोग इकट्ठे हुए। जब उन लोगों ने आप बीती सुनायी तो उसके बाद यही लगा कि सड़क खराब होने के कारण यह दुर्घटना हुई। उस इलाके के लोग एक जमाने से इस सड़क की मरम्मत कराने की मांग करते आ रहे हैं। जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी उनकी समस्या उठाता रहा हूं। देहातों में सड़कें बन जाती हैं लेकिन उनका रख-रखाव नहीं होता। केन्द्र सरकार सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना के मद में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़क बनाने के लिए पैसा देती है लेकिन मरम्मत की व्यवस्था नहीं होने के कारण अब देहात की सड़कें एक बार बन जाती हैं लेकिन टूटी हुई स्थिति में रहती हैं। स्थानीय विकास योजना के अंतर्गत मरम्मत की मद के लिए हम पैसा नहीं दे सकते । इसके निर्माण के लिए तो पैसा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति देखकर यही लगता है कि जो भी हम लोगों के हाथ में निधि उपलब्ध

है उसका इस्तेमाल इस तरह की सड़कों की मरम्मत कराने के लिए करें। इसके विस्तार करने का भी उसमें एक प्रावधान होना चाहिए और सरकार की तरफ से देहाती सड़कों की मरम्मत की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस हादसे के बाद जो परिवार उजड़ गए हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से हम आपसे आग्रह करेंगे कि केन्द्र सरकार भी अपनी तरफ से कुछ करे। केन्द्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाए, वहां की स्थिति को देखे और जो पीड़ित परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनके पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार भी अपनी तरफ से कोई योगदान करे तो बड़ी कृपा होगी। इस विपदा की स्थिति में लोगों को सांत्वना दिलाने में सहायक साबित होगी और लोगों का साहस भी बंधेगा। यही कहकर मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस मामले में सहमत होगा। उनके पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें धैर्य धारण करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिस्थिति विशेष में इस दुर्घटना का उल्लेख करने का अवसर दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर तो खत्म हो गया लेकिन यह दुर्घटना गंभीर है।

[अनुवाद]

सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। सरकार को निर्देश दें कि भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिये कोई न कोई व्यवस्था करेगी।

अपराह्न 2.47 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) कृषि मूल्य आयोग में किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन किसानों के हित में शासन बड़ा ही उदासीन है। सन् 1995-96, 1996-97 में ध्यान दिया तो यह ख्याल आयेगा कि हर वस्तु की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन किसानों की उपज की आधारभूत कीमतों में बहुत ही नगण्य बढ़ोत्तरी हुई।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि कृषि मूल्य आयोग की पुनर्रचना होनी चाहिये। इस आयोग पर किसानों के प्रतिनिधि नियुक्त होने चाहिये और किसानों को उपज के खर्चों पर आधारित भाव मिलने चाहिये।

(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु ठोस नीतियां बनाने तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा हैं। विगत पंचवर्षीय योजनाओं की कार्यावधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिये संविधान के प्रावधान के तहत जिन कार्यक्रमों का पूरा करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया था उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ापन और आर्थिक विपन्नता की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। शासकीय, प्रशासनिक सेवाओं में और रोजगार के उनके लिये निश्चित आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं हुई हैं। शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं किये गये हैं। स्वतंत्र देश के नागरिकों में सामाजिक समता स्थापित कर प्रत्येक को प्रतिष्ठा प्राप्त करा देने की स्थिति बनी नहीं है जबकि देश की आजादी के पचास वर्ष बीत रहे हैं। अब तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों तथा कल्याण मंत्रालय परामर्शदात्री समिति के सुझावों को अनदेखा किया गया है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अब तक की सभी विसंगतियों को समाप्त करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक सुरक्षा और उत्थान के लक्ष्यों का सुस्पष्ट निर्धारण कर कार्यान्वित किया जाये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को और अधिक कार्यक्षम बनाने के उपाये किये जायें तथा आयोग में कम से कम दो अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य का स्थान सुनिश्चित किया जाये।

[अनुवाद]

(तीन) स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान आदिवासी समुदाय के नायकों द्वारा किए गए त्याग का स्मरण किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : राष्ट्र स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम उनका स्मरण करते है जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अपने जीवन को न्योछावर किया था। लेकिन भारत के स्वतत्रन्ता संघर्ष के ऐसे अनेक नायक हैं जिनके योगदान को हम

भुला चुके हैं। मैं सभा में सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के उन नायकों की ओर आकृष्ट करना चाहतो हूं जिनको राष्ट्र द्वारा मान्यता दी जानी है। वे हैं बिरसा मुंडा, निर्मल मुंडा, धरणीधर, लक्ष्मण नाईक, भीमा भोई, सुरेन्द्र साई, सिधु कान्छू, रानी गैदिनलिड और अन्य अनेक जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों में भीषण युद्ध किया था।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इन नायकों के जीवन पर वृत्तचित्र बनवाने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करे। सरकार को भी इन नायकों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने के लिए यथोचित रूप से सम्मानित करने के लिए आगे आना चाहिए।

(चार) राष्ट्रीय जनसंचार संस्थान का नाम उड़ीसा के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी डा. राधा नाथ रथ के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उड़ीसा के डा. राधा नाथ रथ अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रसिद्ध पत्रकार हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों यथा सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यद्यपि गत 6 दिसंबर को उन्होंने अपने जीवन के 101 वें वर्ष में प्रवेश किया, अभी भी स्वर्गीय उत्कल मणि गोप बन्धु दास, जो उड़ीसा के गांधी के रूप में जाने जाते थे, के द्वारा स्थापित अग्रणी उड़िया दैनिक 'दि समाज' के संपादक हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी निःस्वार्थ सेवाओं की स्मृति स्वरूप उड़ीसा तथा उड़ीसा के बाहर 6 दिसंबर 1995 से 6 दिसंबर 1996 तक पूरे वर्ष शताब्दी समारोह मनाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में यह एक अच्छी बात है राष्ट्रीय जनसंचार संस्थान का नाम भारत के इस सपूत के नाम पर कर दिया जाय।

(पांच) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के बैकलॉग को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से सरकारी नौकरियों में आजादी के बाद से अभी तक बैक लाग रिक्तियां पूरी नहीं की गई। तत्कालीन कल्याण मंत्री ने दसवीं लोक सभा में कहा था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बैक लाग रिक्तियां समय-सीमा के अंदर पूरी की गई।

केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि समय सीमा के अंदर अनुसूचित जाति/जनजाति की सभी विभागों में बैकलाग रिक्तियां पूरी की जाएं।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अगर कोई भी वरिष्ठ अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नति के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसकी विवेचना मंत्रालय के मंत्री द्वारा होनी चाहिए। वह नहीं हो रही है। यह विवेचना मंत्री को अनुसूचित जाति/जनजाति के संपर्क अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। भविष्य में अनुसूचित जाति/जनजाति की बैकलाग रिक्तियां न रहने के लिए यह जरूरी है कि जो भी उम्मीदवार रिक्त पद हेतु योग्यता रखते हों, उन्हें इन पदों पर बहाल कर देना चाहिए, न कि इन्हें अनुपयुक्त करके खाली रखना चाहिए।

(छः) पूर्व रेलवे के अन्दल-सैन्थिया खण्ड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के अन्तर्गत अन्दल-सैंथिया खंड एक पुरानी तथा महत्वपूर्ण रेल लाइन है जो ब्रिटिश काल से बर्दवान-साहिबगंज लूप को एक ओर तथा ग्रैंड कार्ड को इसकी ओर जोड़ता है। यह मार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़नेवाला एक प्रमुख मार्ग है तथा आसनसोल-दुर्गापुर तथा बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से कोयला, लौह अयस्क तथा अन्य प्रमुख खनिजों तथा तैयार माल की पूर्वोत्तर राज्यों में ढुलाई हेतु प्रमुख मार्ग हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण खण्ड एकल लाइन है तथा उपेक्षित है। रेल लाइन का नवीकरण तथा उन्नयन तथा लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण सहित इस क्षेत्र के लोगों की एक लंबे समय से की जा रही मांग है। इस क्षेत्र में बढ़ते आद्योगिकीकरण को देखते हुए तथा तेजी से बन रही बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना को देखते हुए इस खंड में यातायात को देखते हुए दोहरी लाइन का खंड तथा विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

मैं सरकार से माल भाड़े का तथा यात्री यातायात में वृद्धि के लिए इस अन्दल-सैंथिया खंड में तुरंत दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण करने के लिए आग्रह करूंगा।

(सात) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की शीघ्र मरम्मत और इसके रखरखाव किये जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नगरकोइल) : त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47, जिसके एक ओर राष्ट्रीय टर्मिनल है तथा दूसरी ओर केरल की राजधानी है, देश में व्यस्ततम राजमार्गों में से एक है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रय पर्यटक, तीर्थयात्री तथा हमारे देश के सुदूरतम दक्षिण भाग तथा दक्षिणी के खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए अन्य यात्री इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा करते हैं। लेकिन यात्रियों को काफी लंबे समय से तमिलनाडु के भाग के सड़क की खराब रख रखाव के कारण यात्रा में अप्रिय अनुभव से दो-चार होना पड़ता है। सरकार तथा संबद्ध अधिकारियों के सामने बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद, सड़क को यातायात के उपयुक्त नहीं रखा जाता है। इसमें कई गड्ढे, दरार तथा खड्डे हैं। यहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं।

लगातार सड़क की प्रायः खराब हालत से यात्रियों तथा जनसामान्य का काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतएव, मेरा आग्रह है कि सरकार का तुरंत तथा शीघ्र उपाय करके तमिलनाडु से होकर जाने वाली सड़क को केरल से गुजरने वाली सड़क जैसा बनाने के लिए शीघ्रताशीघ्र कदम उठाने चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

(आठ) मेहदार, जिला सीवान के प्राचीन शिव मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के सीवान जिला के सीसवन थाना के मेहदार में आज से सैकड़ों साल पहले नेपाल के तत्कालीन महाराज ने भगवान शंकर का एक मंदिर बनवाने के साथ-साथ एक तालाब खुदवाया था जो दो ढाई सौ एकड़ में फैला हुआ है। यह स्थान धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां प्रति वर्ष उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के लाखों लोग दर्शनार्थ आते हैं। इसके इसी महत्व को देखकर महेन्द्र नाथ हाल्ट स्टेशन खुलवाया गया है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस मंदिर एवं तालाब को पुरातात्विक धरोहर घोषित करने के साथ-साथ तालाब का जीर्णोद्धार भी किया जाए।

[अनुवाद]

(नौ) हावड़ा में औद्योगिक एककों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त विशेष सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (हावड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संबंध में दिए गए दिशानिर्देश के कारण दिल्ली की तरह गंगा के तट पर तथा पश्चिम बंगाल का औद्योगिक शहर हावड़ा में कई ढलाईखानें तथा औद्योगिक इकाईयां बंद होने के कगार पर हैं तथा कई हजार श्रमिक अभी बेरोजगार हैं। यमुना के तट पर दिल्ली की तरह, गंगा के तट पर स्थित हावड़ा में गंगा कार्य योजना के माध्यम से 'ट्रीटमेंट प्लांट' के लिए अतिरिक्त विशेष सहायता की आवश्यकता है तथा सरकार को बैंकों के माध्यम से हावड़ा स्थित औद्योगिक इकाईयों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी साधनों के लिए विशेष उपस्कर हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। अन्यथा भारत सरकार को आगे आकर पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत करके प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय करके किसी वैकल्पिक स्थान पर इनका स्थानांतरण करना चाहिए। भारत सरकार के पर्यावरण तथा उद्योग मंत्रालय को श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर श्रमिकों को बचाने के लिए किसी नीति पर अवश्य निर्णय लेना चाहिए।

अपराह्न 3.02 बजे

[अनुवाद]

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एस.आर. बोम्मई द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर और चर्चा हेतु स्वीकार करें।

श्री राम कृपाल यादव अपना भाषण दे रहे थे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कल माननीय मंत्री जी को बता रहा था कि अगर उर्दू को व्यापक रूप देना है तो उसकी जड़ में जाना होगा। उर्दू की अहमियत हम सब लोग जानते हैं। उर्दू एक ऐसी भाषा है कि उसको सब लोग प्रेम करते हैं, यह एक मीठी भाषा है और मैं समझता हूं कि उर्दू के उपयोग से हमारी जो भाषा है वह शुद्ध हो जाती है। इसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज से 20 साल पहले, जैसा कि कल माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की कि उर्दू भाषा के प्रसार के लिए, विस्तार के लिए, उर्दू भाषा को व्यापक रूप देने के लिए गुजराल कमेटी बनी थी और उसने इसके विस्तार और इसको व्यापक रूप देने के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसकी 220-221 रिकमेंडेशंस में से मात्र एक रिकमेंडेशन ही लागू हुई, जिसका रूप आज 21 साल बाद सदन में आया है। इस रिकमेंडेशन में था कि उर्दू विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि वास्तव में अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें रिकमेंडेशन के अनुसार उर्दू को राष्ट्र भाषा के रूप में मान लेना चाहिए, जो आदरणीय श्री गुजराल साहब की रिपोर्ट में 20 साल पहले लिखा था, तो मैं समझता हूं कि उसके मान लेने से बहुत सारी दिक्कतें और कठिनाईयां जो उर्दू भाषा से जुडी हुई हैं, दूर हो जायेंगी। इसलिए यथाशीघ्र इस बात को मानने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लें।

मैं चाहता हूं कि यथाशीघ्र गुजराल साहब ने जो दूसरी रिकमेंडेशन्स की है, उन्हें भी इम्पलीमेंट कराने की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष जी, इस देश को बचाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, इसकी रक्षा और सुरक्षा में, उर्दू भाषा का काफी योगदान रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके संवर्धन के लिए निश्चित तौर पर अधिक से अधिक स्टैप्स उठाने चाहिए ताकि उर्दू जानने वाले लोगों का उत्साहवर्धन किया जा सके और उसके अच्छे नतीजे सामने आएं। मैं इस संबंध में मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा।

अपराह्न 3.06 बजे

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए)

यदि हम वास्तव में उर्दू का विकास करना चाहते हैं, सही मानों में चाहते हैं कि उर्दू को इस देश में व्यापक रूप दिया जाए, विशेष तौर से इस विधेयक में महिलाओं को उर्दू की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, सरकार की मंशा और उद्देश्य यह है कि महिलाओं को इससे अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके, मैं जानना चाहता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में कितने स्कूल या संस्थान या कालेज ऐसे हैं जहां महिलाओं को, लड़कियों को विशेष तौर पर उर्दू की शिक्षा दी जाती है-मुझे मालूम है कि ऐसे स्कूल और कालेजों की संख्या बहुत कम है, न के बराबर है। जब तक हम इन चीजों पर सरकार के माध्यम से नजर नहीं रखेंगे, उस समय तक मैं समझता हूं उर्दू विश्व-विद्यालय स्थापित करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, उसे पूरा नहीं कर सकते।

हमारे देश में उर्दू जानने वाले पुरूष और महिलाओं की संख्या बहुत कम है, सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं, जो आंकड़े सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, मैं अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दे रहा हूं। अगर सही मानों में हम उर्दू को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्व-विद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसके बारे में यहां माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार जाहिर किए हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हमें इसकी जड़ में जाना होगा। इसके लिए उर्दू की किताबों का सरकारी तौर पर अधिक से अधिक प्रकाशन कराने की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। उर्दू भाषा में किताबों की संख्या आजकल बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से उर्दू की किताबें छापने वाले सभी संस्थानों को सहयोग देना चाहिए ताकि उर्दू भाषा की अच्छी से अच्छी किताबें प्रकाशित हो सकें और उर्दू जानने वाले लोगों को उनका लाभ मिल सके।

इस विधेयक में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि जब तक विश्व-विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था नहीं की जाएगी, सही ढंग से उर्दू पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को उसका लाभ नहीं मिल सकेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू विश्व-विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था किया जाना अति-आवश्यक है, सरकार को छात्रावास के लिए इस बिल में आवश्यक प्रावधान करना चाहिए ताकि वहां रहकर छात्र और छात्राएं अच्छे ढंग से उर्दू का अध्ययन कर सकें, लाभ उठा सकें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां उर्दू जानने वाले लोगों की आबादी अधिक है, उर्दू जानने वाले लोग ज्यादा संख्या में हैं, वहां पुस्तकालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज उर्दू पुस्तकालयों की संख्या बहुत कम है। यदि पुस्तकालयों की व्यवस्था होगी तो उर्दू जानने वाले, उर्दू पढ़ने वाले और रूचि रखने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा और उर्दू के प्रचार प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां उर्दू भाषा द्वितीय राजभाषा के रूप में लागू की गई है, तो क्यों नहीं भारत सरकार में भी उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में लागू कर दिया जाता है ताकि इससे जुड़े हुए लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके और आमतौर पर जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको प्रोत्साहन मिल सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे इस पर अपना जवाब दें, तो इस पर भी अपने विचार प्रकट करने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि समय-समय पर भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वह उर्दू के मुशायरों का आयोजन करे ताकि उर्दू जानने वाले, पढ़ने वाले और सीखने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकें। मंत्री महोदय इस पर जरूर विचार करने का काम करें। इस विधेयक पर चर्चा में माननीय बनातवाला जी ने कई बातें कही हैं और कई कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उनकी ओर ध्यान दें। इसमें फंड की कमी को भी दूर करने और तीन करोड़ रुपए की जगह छः करोड़ रुपए करने की मांग की गई है ताकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिक से अधिक धन मिल सके और इसकी स्थापना ठीक तरह से हो सके। यदि ऐसा किया जाएगा तो इसकी स्थापना अच्छे मन और अच्छी भावना से की जा सकेगी जिससे इस बिल की मंशा पूर्ण हो सकेगी।

सभापति महोदय, इसमें स्त्रियों की योग्य शिक्षा के बारे में कहा गया है। मैं समझता हूं कि स्त्रियों की शिक्षा का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उनको प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के स्कूलों की व्यवस्था न की जाए। जब तक इन स्कूलों की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर नहीं की जाएगी तब तक मैं नहीं समझता कि इस बिल का उद्देश्य पूरा हो सकेगा और कोई ठोस परिणाम निकल सकेगा।

सभापति महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल पर बहस में जिन मुद्दों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है, उनके अनुसार इसमें सुधार करके और कमियों को दूर करके इस विधेयक को पारित करें ताकि इसका जो उद्देश्य है वह पूरा हो सके। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक की पुनः ताईद करता हूं।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति महोदय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1996 पर यहां चर्चा हो रही है। यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन यदि यह उर्दू भाषाभाषियों को सिर्फ बहकाने के लिए या किसी अन्य राजनैतिक लाभ के लिए लाया गया है, तो इसे पास करने से पहले इस पर पूरा सदन गंभीरता से विचार करे। विधेयक बनाने और पास करने से समस्या का समाधान नहीं होता। उसके लिए इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। ईमानदारी भी आवश्यक है। निष्पक्षता और कर्मठता भी आवश्यक है। राष्ट्रीय हित का संवर्धन करना अगर हमारी सरकार की

नीयत इस संदर्भ में बिलकुल साफ है, तो मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि कल हमारे आदरणीय, श्रद्धेय बनातवाला जी ने कहा था कि हो सकता है कि भा. ज.पा. की कोई मजबूरी हो इसका समर्थन करने की, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई मजबूरी नहीं है। यह प्रश्न मानवता का है, भाईचारे का है। मानवता के आधार पर दरियादिली के आधार पर, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। यह दरियादिली यदि दोनों ओर से हो, तो ज्यादा अच्छा है। मैं यहां एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कल उन्होंने बहुत कुछ कहा था। उसमें कई टिप्पणियां ऐसी थी कि मेरे जैसे संवेदनशील व्यक्ति, शिक्षाविद को भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं उसकी यहां पर कोई गुरेज नहीं कर रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं रोजमर्रा की भाषा, रोजमर्रा की बोली में एकतिहाई से ज्यादा शब्द उर्दू के बोलता हूं, लेकिन मैं आदरणीय बनातवाला जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मजबूरी हमारी नहीं है, दकियानूसीपन हमारा नहीं है, आप जब बोलते हैं. तो अंग्रेजी के कठिन शब्द तो बोल लेते हैं. लेकिन उर्दू में जो हिन्दी के शब्द प्रचलित हैं, उनको आप जानबूझकर, अछूत समझकर छोड़ देते है। मैं केवल एक-दो उदाहरण ही देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ओमपाल जी, आप अपनी बात कहिए। उनकी बात क्यों कह रहे हैं। उनको अपनी बात कहने का हक है और आपको अपनी बात कहने का।

प्रो.ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) **:** सभापति जी, यदि सदन, यही सदस्य, यही भाषा और जब दोनों बहनें हैं और हम सब भाई हैं, तो मुझे भी कुछ कहने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं इसमें कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं जिससे किसी को चोट लगे। मैं तो उर्दू के संवर्धन की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक भी शब्द हिन्दी का जानबूझ कर वे लोग नहीं बोलते हैं। स्थिति क्या है, हम "एक्जीक्यूटिव कौंसिल" तो बार-बार कहेंगे, लेकिन "कार्य परिषद" नहीं कहेंगे। उच्चारण करके देख लें एक्जीक्यूटिव कौंसिल कहने के लिए हमें अपने होठों के ज्यादा कोण बनाने पड़ते हैं और कार्य परिषद आसानी से बोला जा सकता है। हम "यूनिवर्सिटी" तो कहेंगे लेकिन "विश्वविद्यालय" नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से "डिमांस्ट्रेशन" तो कहेंगे, लेकिन "प्रदर्शन" नहीं कहेंगे। "फंड्स" कहेंगे, लेकिन "निधि" या "धन" कहने में शायद स्तर नीचा होता है या हमारा कद छोटा हो जाता है। अब आप यह तय करें कि कौन दकियानूसी है, कौन दरियादिल है और कौन मानवतावादी है, कौन अमानवतावादी है। इसमें मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कल एक बात आदरणीय रामाश्रय प्रसाद सिंह जी के द्वारा कही गई थी। वे उर्दू विधेयक पर बोलते समय कह गए कि यह फिरकापरस्ती ताकतों र चोट करेगा। इशारा हमारी तरफ किया गया था। मैं यहां इतना ही कहना चाहता हूं कि भाषा कभी मजहब की नहीं होती है। भाषा हमेशा जन की होती है और जो भाषा मजहब में बंधकरे रह जाती हैं उसका कभी विकास नहीं होता चाहे जितनी भी बैसाखी लगाई जाएं और जो भाषा जन की हो जाती है, गांव की हो जाती है, गरीब की हो जाती है और जो रोजी-रोटी से जुड़ जाती है, उसका विकास कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई बैसाखी लगे या न लगे।

महोदय, मैं राम कृपाल जी की इस बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि हिन्दी और उर्दू दो सगी बहनें हैं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है और मै बिलकुल पांइट पर धीरे-धीरे आ रहा हूं कि हिन्दी हमारी मां है, तो उर्दू चूंकि हिन्दी की सगी बहिन है, तो वह हमारी "मौसी" है और मौसी को आप भाषा में "मांसी" यानी "मां सी" अर्थात "मां जैसी" कहते हैं, लेकिन जो मां जैसी हैं, तो उसके बेटों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी मां जैसी, जो दूसरी भाषा, उसका भी सम्मान करें और उसका प्रयोग भी करें। एक कदम हम बढें, एक कदम वे बढ़ें, तो शायद बीच में जो यह एक खाई बनी है या जानबूझकर हम ओढ़े हुए है, वह समाप्त हो जाए और यह काम उर्दू आसानी मे कर सकती है।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि पूरे देश में, कोने-कोने में मुझे जाने का अवसर मिला है और मेरे मित्र सब जगह हैं। बहुत से शायर हैं, बड़े व्यापक दृष्टिकोण वाले, बड़े विशाल हृदय वाले मेरे संपर्क में है, लेकिन उन्हें कहीं ऐसा नहीं लगा कि मेरे मन में उनके प्रति कोई कटुता हैं। मेरे जैसे कट्टर व्यक्ति की भी वे सहन कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जब मानवता और साहित्य बीच में आ जाता है, तो यह जो अलगाववादी स्थिति है, यह दूर हो जाती है और भाषा इस दूरी को कम कर सकती है और समाप्त भी कर सकती हैं।

सभापति महोदय, एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा और वह बहुत छोटी बात है और वह यह है कि छोटी-छोटी बातें करने से, जैसे केवल पुस्तक प्रकाशित कर दें या कुछ स्कूल खोल दें, लेकिन उनको जिनके लिए स्कूल खोला गया है, स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था न करें, तो उससे कुछ नहीं होगा। यानी ऐसा वातावरण पैदा न करें जिससे जो कपड़े बीनने वाले, कचड़ा बीनने वाले या जो पोलीथीन बीनने वाले बच्चे कहीं दिखते हैं, उनको इतना ऊंचा न उठांए कि वे स्कूल जा सकें, तब तक ये सारी व्यवस्थाएं खोखली रह जाएंगी। इस मामले में यह मेरा अपना विचार है। मैं दो-तीन और बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने इस बिल का अध्ययन किया है और जो मुझे खामियां नजर आई हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। विधेयक की धारा 3 के भाग (2) में लिखा है विश्वविद्यालय का मुख्यालय हैदराबाद में होगा और इसी धारा में भाग (4) में लिखा हैं - "विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार" लिखा है। उत्तराधिकार का मतलब मैं समझ नहीं पाया, यदि इसकी जगह "उत्तरदायित्व" आ जाए, तो उचित रहेगा। हो सकता है कि अंग्रेजी में उसका मतलब रिसपांसिबिलिटी हो या कोई और हो, लेकिन

उत्तराधिकार और उत्तरदायित्व का अन्तर अगर समझ में आ जाए, तो यह ठीक हो जाएगा। इसमें आगे लिखा है, उत्तरादियत्व होगा और यह भी लिखा है कि मुकद्दमा ला सकता है और चला सकता है। इसलिए इस शब्द को आप देख लें, शिक्षा मंत्री जी। मुझे मंत्री कहना ज्यादा शिक्षा अच्छा लगा है।

महोदय, मुझे कितना समय बोलने के लिए मिला है?

सभापति महोदय : दस मिनट।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : कल सुना था कि बीस मिनट मिले हैं।

सभापति महोदय : कुल समय डिबेट के लिए ढाई घन्टे का दिया है और करीबन पौने तीन घन्टे हो चुके हैं तथा छः सदस्यों को और बोलना है। इसलिए कृपया करके दस मिनट का सीमित समय रखें, जिससे सबको मौका मिल सकता है।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : मैंने इस विधेयक की खामियों को बताने का प्रयास किया है। सुधार हो जाएगा, तो अच्छा होगा।

शिक्षा मंत्री मैंने इसलिए कहा, मानव संसाधन विकास मंत्री या मानव संसाधन, मानव का विकास संसाधन के रूप में, यह बात अपनी समझ में नहीं आती है। मनुष्य तो मनुष्य है, उसकी आत्मा होती है, उसकी वेदना होती है, और उसके भाव होते हैं। लोहा, लकड़ी और पत्थर को तो तराश करके विकास होता है। इसमें तो स्वतः स्फूर्ति भी होती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, धारा 5 के भाग (ii) में उपाधियां देना और वापिस लेना, थोड़ा सा खलता है। एक शिक्षक होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगा। कौन तय करेगा, जो उपाधियां दी गई हैं, उनको लौटाने के कारण वास्तव में सही है। मेरे विचार से उपाधियां दी ही ऐसे पात्रों को जायें कि लौटाने की आवश्यकता न पड़े। उपाधिया बांट दी जायें और बाद में ली जायें, इससे तो स्थिति खराब हो जाएगी और एक आक्रोश पैदा होगा तथा अपमान होगा। एक बात और, इसमें लिखा है-विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, लेकिन थोड़ा से आगे लिखा है, कुलाधीश की अनुमति से बाहर भी प्रयोगशाला खोली जा सकती है और केन्द्र खोले जा सकते हैं, देश के बाहर। यह बात मेरी समझ मे नहीं आई। जब विस्तार भारत में ही होगा, तो फिर वह बाहर कैसे चला जाएगा। ये दोनों बातें आपस में टकराती हैं और कोई तालमेल नहीं बैठता है।

एक बात और, धारा 5 के भाग (XXIII) में लिखा है-विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए, उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी अन्य स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना। मेरे विचार से इसमें यह होना चाहिए- जो संस्थायें दान या अन्य उपहार या अन्य दान सम्पत्ति विश्वविद्यालय को दे रहे हैं, उनका वास्तविक चरित्र क्या है। उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस बात की जांच अवश्य हो। यह भी इसमें थोड़ा सा जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कोई शंका सामने न आए।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्य-पालिका निकाय होगी...

सभापति महोदय : निडर जी, इन सबके तो आपने संशोधन देने चाहिए थे।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : महोदय, ध्यान तो दिला ही सकता हूं। असल में होता यह है कि तकनीकी कारणों से कोई अच्छी बात हो, तो उसको दबा देते हैं या छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय हित में तकनीकी कारण अगर आड़े आ जायेंगे, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र का विकास तकनीक में ही उलझ कर रह जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए अच्छी बात आ जाए, किसी के माध्यम से भी आ जाए, तो सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। हां, राष्ट्र के अहित में अगर कोई बात है, किसी के भी माध्यम से आती है, तो उसको अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। शिक्षक या अन्य प्रकार के जो पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी और उसकी जो निर्णय करनी वाली संस्थायें हैं, उन्हें कुछ ज्यादा ताकत दे दी गई है। इसलिए उनके निर्णय के विरूद्ध भी अपील करने का अधिकार, या तो यहां यह विश्वविद्यालय स्थापित है वहां हाईकोर्ट को मिलना चाहिए या देश के सुप्रीम कोर्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि तभी इससे लोग संतुष्ट हो सकते हैं।

महोदय, बहुत से लोग बोलने वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में कह रहा हूं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि भाषा तो उर्दू होगी लेकिन लिपि क्या होगी, क्योंकि भाषा और लिपि, इन दोनों में अंतर है। लिपि भाषा नहीं होती और भाषा लिपि नहीं होती। दुर्भाग्य है कि इस देश में पिछले 47-48 वर्षों से लिपि का झगड़ा है, भाषा का नहीं है।

सभापति महोदय : ओमपाल जी, अब आप बराय मेहरबानी समाप्त करिए।

(व्यवधान)

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : मैं केवल एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं यह केवल उस बच्चे के लिए झुनझुना तो नहीं होगा जिसे बहलाने के लिए दे दिया जाता है और जो बाद में जल्दी ही टूट जाता है। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी समय-सीमा क्या है। अगर विधेयक इस हालत में पारित होगा और लागू भी होगा तो कितने दिन में विश्वविद्यालय बन जाएगा, यह भी तय होना चाहिए। क्या कोई अन्य भाषा इस विश्वविद्यालय में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी तो केवल एक भाषा से

पढ़कर कोई व्यक्ति अपना जीवनयापन नहीं कर सकता। केवल एक भाषा पढ़ेगा तो इस देश में भी जीवनयापन नहीं कर सकता, सहायक भाषा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही, तभी उसका काम चल सकता है।

इसके साथ ही मैं अपने मानव संसाधन विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखकर अतिशीघ्र इसे व्यवहार में लाएं और यह विश्वविद्यालय बने। इससे देश लाभ उठाएं और देश का सिर भी सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में भी ...**(व्यवधान)** ऊंचा हो। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कमारुल इस्लाम (गुलबर्गा) : मिस्टर चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले युनाइटेड फ्रंट सरकार को मुबारकवाद देता हूं, जिसने आज हिन्दुस्तान में उर्दू के चाहने वालों का वह देरीना ख्वाह पूरा किया। उसने अपने इस छह महीने के पीरियड में जहां काश्मीर के लिए पैकेज लाये, जहां नार्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए पैकेज लाये, जहां पर यू.पी. जैसे स्टेट के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करने के लिए और साथ ही साथ रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जिस अंदाज से बजट पेश किया,...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपसे आग्रह किया कि आप अपने को विषय तक सीमित रखें।

श्री कमारुल इस्लाम : मैं दस मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा। मैं केवल पृष्ठभूमि बता रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सब्जेक्ट की बात कीजिए।

श्री कमारुल इस्लाम : वहीं पर यह उर्दू का देरीना ख्वाब ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं आपसे कोई परामर्श नहीं चाहता हूं। मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूं

सभापति महोदय : ठीक है, आप अध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं।

श्री कमारुल इस्लाम : शुरूआत में, मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। अतएव यह परिप्रेक्ष्य है। उर्दू इतनी सुन्दर भाषा है। आप इसके बिना अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि रेलवे का उर्दू से कोई संबंध नहीं है।

श्री कमारुल इस्लाम : मैं यह कह रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपने आपको विषय तक सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री कमारुल इस्लाम : महोदय, उर्दू के चाहने वालों का देरीना खवाब, बोम्मई जी, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने इस बिल के जरिए मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जो बिल है उसके जरिए उन्होंने पूरा किया। मौलाना आजाद इस देश की वे मुजाहिदे आजादी है जिसे न सिर्फ हिन्दुस्तान, बल्कि सारी दुनिया जानती हैं और उनकी खिदमात को अगर एक बेहतरीन खिराजे अकीदत पेश की जा सकती थी और 50 साल जो कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के हो रहे हैं उस साल अगर बेहतरीन खिराजे अकीदत अगर किसी मुजाहिदे आजादी को हो सकती थी, मौलाना आजाद को, वह इस बिल के जरिए उसके नाम के नाम से इस यूनिवर्सिटी को मौसूम कर रहे हैं।

जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, उर्दू एक लश्करी जुबान है और उर्दू संस्कृत के दो लफ्जों का जोड़ है। उर और यू दिल को मिलाना। एक का मललब दिल है और दूसरे का मिलाना। यह दिल को मिलाने वाली लश्करी जुबान है। उर्दू यहीं पर पैदा हुई, जवान हुई, यही पर पली और बड़ी हुई है। आज उर्दू को मादरे-वतन में जब एक मुकाम मिल रहा है तो बोम्मई जी को मैं मुबारकवाद देता हूं।

उर्दू में फारसी, अरबी, संस्कृत के अलफाजों का जखीरा है। इसमें अरबी की बलावत है, फारसी का फसात है, संस्कृत का जमाल है तो हिन्दी का जमाल भी है। उर्दू इन तमाम भाषाओं के अल्फाज से मिलकर बनी है, यानि यह उनकी चाशनी है। हम जब अपनी आजादी की तरफ नजर डालते हैं तो हमें शहीद भगत सिंह और अशफाक-उल्ला के वे अल्फाज जो उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए कहे थे याद आते हैं "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है"। इसका एक-एक लफ्ज उस हुब्बुल-वतनी का पयाम है जो अशफाक-उल्ला और भगत सिंह ने दिया था। उर्दू ने ही यह नारा दिया था "इंकलाब-जिंदाबाद"। यह वह नारा था जो लोगों में एक जोश पैदा करता था, जो मुल्क के लिए तारी थे उनमें एक जज्बा पैदा करता था। उर्दू का वह शेर कि "ना हो जिसमें इंकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूहे उमंग की हयात, तश्माकसे इंकलाब"। यह शेर इतना बड़ा पयाम देता है कि आप कई दीवान इस शेर के लिख दें तब भी आपको बयान नहीं कर सकते।

जहां तक साथ लेने की बात मेरे चंद भाइयों ने कही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह दिलों को मिलाने वाली जुबान है। उर्दू का शायर तो कहता है कि "हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेंके चलो"। उर्दू को सबको साथ ले के चलने वाली जुबान है जमाने को साथ लें के चलने वाली जुबान है। यह दिलों को तोड़ने वाली उर्दू नहीं है बल्कि उर्दू तो जोड़ने वाली जुबान है। ...**(व्यवधान)**

आप जानते हैं कि अगर हम तारीख के पन्ने उठाएंगे तो उर्दू में बहुत शुफियाना चीजें मिलेंगी। जिसमें नसीरूद्दीन चिराग देहलवी, हजरत ख्वाजा और बंदा नवाज व अमीर खुसरो का हम नाम लेते हैं तो दूसरी ओर पंडित दयाशंकर, प्रेमचंद, त्रिलोकचंद, विकबत, आनंद मुल्ला, कृष्ण चन्द्र, महाराजा हिंदूलाल, महाराजा कृष्णप्रसाद-ये सब उर्दू की अलामत हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत की है। ये सब उर्दू शाहस्तगी की एक अलामत हैं और तहजीब का एक बेहतरीन नमूना हैं। इसी के लिए यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन इस नाम से किया जा रहा है। मैं बोम्मई जी से कहूंगा जोकि आजादी के पहले मुजाहिद टीपू सुल्तान की सर जमीन से ताल्लुक रखते हैं, इस बिल में जो रकम, है उसको थोड़ा और बढ़ाएं। हैदराबाद उर्दू का एक बहुत बड़ा मुकाम रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहले उर्दू में थी जहां पर मैडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ के कोर्स उर्दू में होते थे। मैं चाहूंगा कि इस बिल में जो थोड़ी बहुत खामियां रह गयी हैं आने वाले दिनों में उनको दूर कर लिया जाएगा और फाइनेंशियल कंकरेंज ज्यादा पास किया जाएगा।

[हिन्दी]

अंग्रेजी में एक कहावत है

[अनुवाद]

"अच्छी शुरूआत आधा काम होने के बराबर है"

जमाने के बाद एक नई शुरूआत हुई है। जिस मोहब्बत के साथ आप सब साथ दे रहे हैं, अगर 50 साल पहले सब मिलकर यह सोचते, जैसा कि राम कृपाल यादव जी ने कहा कि उर्दू इस देश की दूसरी सरकारी जुबान हो, यह सरकारी भाषा बन जाती है। आज बहुत से स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में यह भाषा चलती है लेकिन यह इस देश की दूसरी सरकार जुबान हो सकती है। अगर इसी मोहब्बत का, खुलूस का, प्यार का सबूत दें तो मैं समझता हूं कि वह वक्त भी आएगा। एक शायर का कहना है...**(व्यवधान)**

मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं जब इन्दिरा गांधी के समय में एस्ट्रोनॉट सबसे ऊपर गए थे तो अल्लामां इकबाल का वही शेर, वही तराना राकेश शर्मा ने फिजा से कहा था। मैडम इन्दिरा जी ने जब राकेश शर्मा से बात की कि आपको अपना मुल्क कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा था कि "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा"। उस फिजा से उर्दू की आवाज गूंजी थी। इसको पूरा करने के लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं। मैं इस बिल का इस्तकबाल करते हुए एक शेर की तकरीर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

"उर्दू है जिसका नाम, हम यह जानते हैं दाय,
हिन्दुस्तान में धूम हमारे जुबान की है"

मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है और धूम हमारे जुबान की है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, मौलाना आजाद मेडिकल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 1996 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ...**(व्यवधान)** जब मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ तो दासमुंशी जी बोले कि वैरी गुड। यह विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है, इसका उद्देश्य इस विधेयक में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। इस विश्वविद्यालय से उर्दू भाषा का संवर्द्धन और विकास होगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा उर्दू भाषा में दी जाएगी। यह भाषा हमारे देश की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है। यह भाषा इस देश के किसी एक विशेष वर्ग की भाषा नहीं है।

इस विधेयक पर यहां कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैंने जब अपने मुस्लिम भाइयों के विचार सुने तो यह प्रतीत हो रहा था कि यह भाषा सिर्फ मुस्लिम समाज की है।

सभापति महोदय : ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबने यही कहा कि यह राष्ट्रीय भाषा है।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, आप आगे मेरी बात सुनिए। हम उर्दू भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हम न मुसलमानों के खिलाफ हैं और न ही धर्म के खिलाफ हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप विवादास्पद विषय में क्यों फंसते हैं? आप अपने विचार रखिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम न भाषा के खिलाफ हैं और न ही धर्म के खिलाफ हैं।

हमारे एक साथी जब कल इस विषय पर बोल रहे थे तो उन्होंने बनातवाला जी को याद किया और कहा कि आप उर्दू भाषा के ऊपर यहां भाषण दे रहे हैं लेकिन जब भी किसी विषय पर बोलने का मौका मिलता है तो अंग्रेजी में बोलते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : आप सारे रिकॉर्ड उठा कर देख सकते हैं। मैंने यहां अंग्रेजी में भी भाषण दिया है और उर्दू में भी दिया है। अगर आप कानों को बंद कर लें और आंखों को बंद कर लें तो मैं क्या करूं?

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, बनातवाला जी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था।

श्री जी.एम. बनातवाला : अगर में हुकूमत के सामने और इवान के सामने अपनी बात रखने के लिये दो जुबानें उर्दू और अंग्रेजी इस्तेमाल करता हूं और यदि तीसरी जुबान भी जानता तो तीसरी जुबान का भी इस्तेमाल करते हुये अपनी बात रखता।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, इस देश के मुसलमान भाई हमारे अलग अलग राज्यों में रहते हैं...

एम माननीय सदस्य : बनातवाला जैसे पुराने सदस्य के लिये आप ऐसा कह रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता और न किसी को अपमान करना चाहता हूं। आप मेरी बात पहले सुन तो लें ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातें करना बंद कीजिए। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अध्यक्षपीठ को संबोधित करके कहें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, महाराष्ट्र में हमारे जो मुसलमान भाई रहते हैं, उनकी मातृभाषा मराठी है और वे अपने बच्चों को मराठी स्कूल में पढ़ाने के लिये भेजते हैं और उर्दू के कम स्कूलों में ही अपने बच्चों को भेजते हैं। इसी प्रकार बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती मुसलमान भाई अपने बच्चों को वहां की मातृभाषा के स्कूलों में ही भेजते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गीते, मैं समझता हूं कि आप विषय से हट कर बोल रहे हैं। मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय के लिए यहां एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं उसी पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : आप इस पर बात कीजिये। महाराष्ट्र के मुसलमान क्या करते हैं, गुजरात के मुसलमान कहां जाते हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं विधेयक पर बोल रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भाषा पूरे देश की भाषा है। इसलिये हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं। आज विश्वविद्यालय बनने जा रहा है दुर्भाग्य से इस देश में जो राजनीति चलती है वह तुष्टिकरण की राजनीति, मतलब की राजनीति, वोट की राजनीति और मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव इस नीति से नहीं आया होगा।

श्री राम कृपाल यादव : यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव, कृपया व्यवधान पैदा न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं तो कह रहा हूं कि यह इस दृष्टिकोण से नहीं आया होगा।

सभापति महोदय : आप बोलिये, किसी के इंटरप्शन की चिन्ता मत कीजिये, आप बोलते जाईये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, इसलिये हम चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय बने और देश के अंदर काम करे। हम आज देखते हैं कि पूरे देश के अंदर कभी धर्म के ऊपर हमला उठता है, भाषा के नाम पर उठता है तो यह सारे देश को राष्ट्रीय धारा के साथ जोड़ने का काम करे। यही हम चाहते हैं कि यही काम होगा और मैं किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो हम कह रहे हैं, दिल से समर्थन कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों से करोड़ों युवक निकलते हैं लेकिन बेकार रहते हैं। आज स्कूल और कालेजों की यह हालत है कि ये बेकार बनाने के कारखाने हैं। हर साल लाखों युवक डिग्री पाकर बेकार ही बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे कालेज से निकलकर बेकार न बन जायें। उनके लिये सुविधा किया जाना जरूरी है। जो युवक उर्दू से शिक्षा पाकर निकलेगा, तो हम चाहते हैं कि वह बेकार न रहे। यह उर्दू विश्वविद्यालय का विधेयक है, सभी उसके समर्थन में हैं, चाहे बी. जे.पी. हो या शिवसेना हो।

आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को बांट देते हैं कि ये लोग किसी धर्म के खिलाफ हैं। लेकिन जनता इस बात को नहीं मानती। जनता इस बात को मानती है जो राष्ट्र के हित में काम करते हैं, जो राष्ट्र के विकास में काम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए जीना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि हम सबको राष्ट्र के लिए जीना चाहिए और यदि हम राष्ट्र के लिए जी रहे हैं तो राष्ट्र की भाषा पर आए हुए इस विधेयक का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) **:** मोहतरम चेयरमैन साहब, आज मेरी तबीयत खराब है, गला भी बैठा हुआ है। इसलिए मैं सारे सदस्यों से माफी चाहते हुए यह कहूंगा कि मैं अपनी बात धीमी आवाज में आपके सामने रखूंगा।

मैं आधे मन से इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन पूरे मन से अपोजीशन के रोल का स्वागत करता हूं जो अपोजीशन ने इस बिल की हिमायत के लिए अदा किया है। सवाल यह नहीं है कि उर्दू यूनिवर्सिटी बन रही है। सवाल नीति का भी नहीं है। नीति जो भी कागज पर लिखी जाती है, वह हर सरकार की अच्छी होती है। सवाल

नीयत का है। इसलिए कि उर्दू की कोई समस्या इस देश के सामने नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के वापस जाने के बाद जिन काले अंग्रेजों ने यहां सत्ता संभाली, उन्होंने नार्थ इंडिया से जहां उर्दू ने जन्म लिया था, उर्दू पली-बढ़ी थी, वहां से उर्दू का खात्मा करने के लिए कानूनी हथकंडे अपनाए। जोर-जबरदस्ती के हथकंडे अपनाए और आज हालत यह हो गई कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, जहां उर्दू ने जन्म लिया था, वहां एक भी उर्दू मीडियम का हायर सेकंडरी स्कूल आपको नहीं मिलेगा। नीयत की बात हो रही थी, तो उर्दू अकादमी बनाई गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन बनाया गया, तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड बनाया गया, माइनोरिटीज कमीशन बनाया गया, लेकिन नीयत चूंकि साफ नहीं थी, इसलिए ये सब उर्दू और माइनोरिटीज के मकबरे बन गए। इसीलिए जब महाराष्ट्र में माइनोरिटी कमीशन खत्म किया गया तो सब लोगों ने शोर मचाया परन्तु इलियास आजमी ने एक बयान भी नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि वह मकबरे थे। उससे कोई फायदा नहीं होता था। अब मैं नहीं जानता कि मौजूदा सरकार की नीयत क्या है क्योंकि मेरा विश्वास है कि नीयत का हाल सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम किसी की नीयत का हाल नहीं जान सकते।

जहां तक उर्दू की बात है, पूरे शुमाली हिन्दुस्तान से उर्दू का प्री-प्लाण्ड तरीके से खात्मा का किया गया था। मुझे याद है कि मई, 1948 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने वाकायदा असेम्बली में बिल पास करके उर्दू की प्राइमरी शिक्षा पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद धीरे-धीरे जो सरकारी प्राइमरी स्कूल थे, उनसे उर्दू की पढ़ाई जब खत्म हो गई तो हायर सेकंडरी स्कूल या डिग्री कालेजों में उर्दू रखने का कोई खास मतलब नहीं था। उस जमाने में जब उर्दू को खत्म किया जा रहा था तो एक शायर ने बड़े दर्द के साथ कहा था -

"उर्दू में कह रहे हैं कि उर्दू को मिटा दो।"

मोहतरम चेयरमैन साहब, जब उर्दू का खात्मा हो रहा था, वह मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कि मेरी भी मादरे जबान उर्दू थी। मैंने भी थोड़ी बहुत शिक्षा उर्दू के माध्यम से पाई थी। उस जमाने में पंडित संपूर्णानन्द जी ने सन् 1947 के बाद पहली बार मुख्य मंत्री आवास में एक मुशायरा करवाया था। उस वक्त एक तैश सिद्दीकी साहब ने उर्दू की जबून हाजी पर उनके सामने कुछ बातें रखी थी। मैं समझता हूं कि मैं बोम्मई साहब के सामने वह बातें रख दूं। उन्होंने कहा था -

"मोहतरम जी वकार आलीजाह,
आपने लुत्फ बेहिसाब किया।
आपके इस करम का शुक्रिया,
अपनी खिदमत में बारयाब किया।

मैं के यूं सीना जारो-जरीन,
कुल्बे नाशाद के लिए आई हूं।
आपके दोगाए अदालत में,
एक फरियाद ले के आई हूं।

आप वाकिफ हैं उन मसाईब से,
जान पर मैंने जो उठाए हैं।
जां निसारने हुरिय्यत के हुजूर,
सरफरोशी के गीत गाए हैं।"

जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको आजादी की लड़ाई में अपना नाम लिखवाने वाले टैरेरिस्ट्स कहते थे, उस जमाने में उनकी तरफ इशारा है।

जानेसाराने हुरियत के हुजूर,
सरफरोशी के गीत गाये हैं।
किसको आवाज दूं, कहां जाऊं मैं,
सख्त बेचारगी का आलम है,
आपका हुक्म हो तो मर जाऊं,
हां मगर ये राज है सरकार
कि ओहदेरफ्ता की राजदार हूं मैं।
रंग लाकर रहा है खूं जिनका,
उन शहीदों की यादगार हूं मैं।

वे चाहे सरदार भगत सिंह हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे चंद्रेशखर आजाद हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो जो हकीकी मानो में जंगे आजादी के हीरो थे। उन सबने पूरी आजादी की लड़ाई उर्दू जबान में लड़ी थी, सबकी जबान उर्दू थी। चाहे भगतसिंह या जितने भी लोग गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अंग्रेजों को यहां परेशान किया, सबकी जबान उर्दू थी और उर्दू में ही उनकी सारी लिटरेचर थी। उर्दू के ही जरिये उन्होंने सारी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में जब फांसी की सजा हो गई और फांसी की सजा दिलाने वाले जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत से बहुत आगे जाकर खुद गवाह तलाश किये, खुद उन्होंने अंग्रेजों की दलाली के लिए झूठे गवाह तैयार किये। उन्होंने अपनी पाकिट से पैसा दिया था, यह बात दुनिया और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। उन्होंने एक लम्बी नज्म जगत नारायण मुल्ला पर कही थी, उसके शेर मुझे याद नहीं हैं। लेकिन फांसी के पहले उन्होंने बहुत अच्छी नज्म कही थी, जिसकी एक शेर है :

शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।

लेकिन सर, मुझे बड़े अफसोस के साथ इस हाउस में कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद शहीदों के मजारों पर कोई मेला लगते नहीं देखा। राम प्रसाद बिस्मिल की मजार पर, अशफाकुल्ला की मजार पर कोई मेला नहीं लगता। यहां जो काले अंग्रेज सत्ता में आये उन्होंने कोई मेला नहीं लगाया। मैंने अपनी आंखों में जगत नारायण मुल्ला के घर पर देखा जहां जरूरतमंदों की भीड़ सुबह से शाम तक रहती थी। उसकी औलाद एम.पी. बनी,

एम.एल.ए. बनी, मिनिस्टर बनी, हाई कोर्ट के जज बने, सारे इनाम जगत नारायण मुल्ला की औलाद को मिले। लेकिन ऐसा शेर कहने वाले राम प्रसाद बिस्मिल को कोई फल नहीं मिला, जिन्होंने एक मासूम सी तमन्ना की थी हमारे माननीय सदस्य श्री गंगा चरण राजपूत ने झांसी का जिक्र किया। कौन नहीं जानता झांसी को, झांसी की रानी जब लड़ रही थी तो रानी झांसी के प्रधान सेनापति गुलाम गौस खां जिस दिन शहीद हुए, उस दिन रानी झांसी ने पूरी झांसी में ऐलान कराया था कि गुलाम गौस खां की कब्र झांसी का सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जायेगा, लेकिन गुलाम गौस खां का मजार झांसी का तीर्थस्थल नहीं बन सका और जिन लोगों ने गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया, जिस ग्वालियर स्टेट ने रानी झांसी का खात्मा किया था उसका झंडा अंग्रेजों के जमाने में तो बुलंद रहा हो, अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस के जमाने में भी उसी का झंडा बुलंद रहा और कांग्रेस के जाने के बाद कल अगर भाजपा आ गई, तब भी उसका झंडा बुलंद रहेगा। उसका झंडा कभी झुकने वाला नहीं है। ...**(व्यवधान)***

सभापति महोदय : देखिये किसी हाउस के मैम्बर पर अगर आप इशारा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है यह जायज बात नहीं हैं।

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही वृतान्त से हटा दिया जाना चाहिए। सभा के किसी भी सदस्य का उल्लेख सभा की कार्यवाही से हटा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मैंने कोई नाम नहीं लिया है चेयरमैन साहब, जहां तक उर्दू में साइंस और टैक्नोलोजी की तालीम का मसला है, आज जो नहीं जानते, उनके दिमाग में होगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी में साइंस और टैक्नोलोजी उर्दू मीडियम में कैसे पढ़ाई जायेगी।

मैं कहना चाहूंगा कि उसी हैदराबाद में, अंग्रेजों के जमाने में, जब हैदराबाद स्टेट थी, उस समय एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी होती थी, आज भी उसी नाम से हैं, जहां उर्दू मीडियम से आल्हा से आल्हा तालीम, साइंस एण्ड टैक्नोलोजी की तालीम दी जाती थी। कोर्स की सारी किताबें आज भी वहां मौजूद होंगी और हमारे लिए यह फख्र की बात है कि डा. अब्दुस्सलाम, जिन्हें एटामिक एनर्जी में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने अंग्रेजी मीडियम से साइंस की तालीम हासिल नहीं की थी, बल्कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रहते हुए उर्दू मीडियम से साइंस की तालीम हासिल की थी। जिन अब्दुल कादिर की इस वक्त बड़ी चर्चा चल रही है, उन्होंने भी उर्दू मीडियम से सांइस की तालीम हासिल की थी। इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है -कोर्स की तमाम किताबें उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मौजूद होंगी लेकिन जैसा मैंने कहा, आधे मन से मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। बोम्मई साहब कुछ दिन पहले तक हमारे लीडर थे, अध्यक्ष थे क्योंकि मैं भी उनकी पार्टी में था लेकिन आज उन्होंने 6 करोड़ रुपए देकर हातिम की कब्र पर लात मार दी-आप 6 करोड़ रुपए से उर्दू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हातिम बड़ा मशहूब था लेकिन हमारे मंत्री जी 6 करोड़ रुपया देकर उसका रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं।

इसलिए मैं ज्यादा न कहकर, आपकी बैल का लिहाज करते हुए, इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस उर्दू यूनिवर्सिटी को कोर्ट को कोई अख्तयार नहीं देना है, अगर यह बिल ज्यों का त्यों पास हो जाता है तो एच.आर.डी. मिनिस्ट्री का एक सैक्शन ऑफिसर वहां के वाइस चांसलर से ज्यादा पावरफुल रहेगा। अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर वहां कोर्ट की या वाइस चांसलर की क्या जरूरत है, हमारे शिक्षा मंत्री या एच.आर.डी. मिनिस्टर ही क्यों न उसके वाइस चांसलर रहें। मैं बनातवाला साहब की तकरीर के भाव से सहमत नहीं हूं, वे मुझे माफ करेंगे क्योंकि उनकी तकरीर का जो टोन था, उससे मैं सहमत नहीं हूं लेकिन उन्होंने जो अमैंडमेंट पेश की हैं, मैं दरख्वास्त करता हूं कि एच.आर.डी. मिनिस्टर साहब उसे इस बिल में शामिल कर लें ताकि कल उर्दू की जब तरक्की होगी, आने वाली हिस्ट्री आपको याद रखे। इन लफ्जों के साथ, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : माननीय चेयरमैन साहब, यह बात सही है कि न मैं उर्दू लिख सकता हूं, न पढ़ सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मौलाना आजाद साहब के नाम से एक कौमी यूनिवर्सिटी हमारे देश में बनने जा रही है, मानव संसाधन मंत्री द्वारा सदन में लाए गए प्रस्ताव की मैं हिमायत करता हूं, बिल का खैर-मकदम करता हूं।

यह मुल्क उन लोगों का है जिन्होंने आजादी के दौरान कुर्बानियां दी, लड़ाइयां लड़ी। उनमें मौलाना आजाद साहब का नाम किसी से पीछे नहीं है।

> भूमि के रक्त कण सितारे सभी आकाश के,
> बून्दियां बरसात की गर कोई गिन सके।
> किन्तु भारत मां के सपूतों की यह शोभा थी बड़ी,
> अपरिमित अनन्त अन्तहीन मणियों की लड़ी।

जब हमारे देश में सबसे पहली वजीरे आलम पंडित जवाहर लाल नेहरू की कबीना बनी, मौलाना आजाद उसमें वजीर-ए-तालीम थे। उनकी कुर्बानियां किसी से कम नहीं हैं इसलिए उनके नाम के साथ एक कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ना अच्छी बात है, अच्छी शुरूआत है।

चेयरमैन साहब, जहां तक यहां कुछ बातें ऐसी आईं, इधर-उधर से कुछ माननीय सदस्य नाराज होकर एक दूसरे पर छीटाकशी करने लगते हैं, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेता लेकिन साफ तौर से कहना चाहता हूं कि उर्दू जुबान किसी हाउस की जागीर नहीं है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

अपराह्न 4.00 बजे

उर्दू जुबान किसी एक जमात की जागीर नहीं है। उर्दू जुबान पूरे हिन्दुस्तान की जुबान है। मुझे याद आता है, पढ़ने को मिलता था कि जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस रंगून आए थे तो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर की मजार पर जाकर उन्होंने एक शेर कहा था। उस शेर को सुनाने से पहले मैं एक और शेर सुनाना चाहूंगा। जिस समय बहादुर शाह जफर को फिरंगियों ने कैद कर लिया था तो उन्होंने मुगल बादशाह को एक शेर कहा था:-

दमदमे में दम नहीं खैर मानो जान की
ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिन्दुस्तान की।

80 साल की वृद्धावस्था में उस मुगल बादशाह ने कहा कि एक बार फिर फरमा हो।

दमदमे में दम नहीं खैर मानो जान की
ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की।

उस मजार पर खड़े होकर उन्होंने यह शेर कहा था :—

गाजियों में बू है जब तलक ईमान की
तब तलक चलेगी तेज-ए-हिंदुस्तान की।

उर्दू जुबान जहां शराफत रखती है, वहां नफासत भी रखती है। मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य कह रहे थे, वह ठीक है कि यह जुबान एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता का अद्वितीय संगत है। वह जमाना याद आता है जब पंडित का बेटा राम प्रसाद बिस्मिल और पठान का बेटा दोनों फांसी का फंदा झूल रहे थे तो जेलर ने पूछा कि आपकी आखिरी तमन्ना क्या है, तो उन्होंने वही बात कही थी जो मेरे लायक दोस्त ने अभी बताया कि :

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

उर्दू जुबान पर किसी एक फिरके का कब्जा नहीं है। जहां तक मजहब की बात है, तो मजहब इबादत का एक रास्ता है, पूजा की पद्धति है। हमारा तो केवल एक धर्म है और वह राष्ट्र धर्म है। कोई भी जुबान हमारे राष्ट्र से ऊपर नहीं होगी। लेकिन उर्दू युनिवर्सिटी में जो उर्दू की तालीम दी जाएगी, मुझे पूरा यकीन है कि आदरणीय मानव संसाधन मंत्री उसकी तामीर इस प्रकार की हो कि इससे हिंदुस्तान में एक से एक उस्ताद पैदा हो और सारा हिंदुस्तान मानकर चले कि इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, उर्दू के द्वारा भी उनका सम्मान होता है।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

श्री नकली सिंह : मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सोचें कि कोई भी जुबान जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बनी है, फली-फूली है, वह हमारी जुबान है। हम सब लोगों को उसका एहतराम करना चाहिए। मैं अपने बुजर्ग साथी बनातवाला जी से अर्ज करता हूं कि वह बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वह अंग्रेजी में बोलते हैं तो लगता है हिटलर की तरह बोल रहे हों।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : क्या 193 के अंतर्गत महंगाई पर चर्चा शुरू नहीं होगी?

सभापति महोदय : वह पांच बजे शुरू होगी।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मानव संसाधन मंत्री श्री एस.आर. बोम्मई ने सदन में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यहां पर एक विधेयक रखा है। सदन उस पर चर्चा कर रहा है। कुछ दिनों के बाद सदन में मंत्री जी द्वारा महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय विधेयक रखा जाएगा और उस पर भी चर्चा होगी। किसी भी भाषा का विकास किया जाए, उसको और समृद्ध बनाया जाए, यह अच्छी बात होती है। खासकर देशी भाषाओं के विकास के लिए सरकार को कदम उठाना ही चाहिए। इस नाते उर्दू भाषा के विकास के लिए सरकार अगर सोच रही है, प्रयास कर रही है तो उसका स्वागत किया जाएगा।

मैं साफ-साफ तौर पर दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं सरकार की मंशा पर कोई संदेह प्रकट नहीं करना चाहता। उर्दू युनिवर्सिटी बनाई जा रही है, अच्छी बात है। हिन्दी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, अच्छी बात है। आजादी की लड़ाई में मौलाना आजाद का उर्दू वालों की तरफ से और महात्मा गांधी का हिंदी वालों की तरफ से नाम है। बापू ने खुद कहा था कि अगर कोई हिंदुस्तानी जुबान का विकास हो, खड़ी बोली हो, हिंदी के शब्द हों, उर्दू के शब्द हों और एक हिंदुस्तानी जुबान हो जो आम आदमी चाहता है, उस भाषा का विकास हो, वही भाषा राष्ट्रभाषा का रूप ले सकती है।

सभापति महोदय : मैं तो समझा था कि आप उर्दू विश्वविद्यालय के लिए महात्मा गांधी का और हिंदी विश्वविद्यालय के लिए मौलाना आजाद का नाम हो, ऐसा कुछ कहेंगे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं उस पर आ रहा हूं महात्मा गांधी ने यह विचार रखा था। मौलाना आजाद साहब की आजादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका थी, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जिस समय उनको काफी संकटों का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। वे हमारे राष्ट्र नायकों में से एक हैं। क्या अच्छा होता अगर सरकार यह विचार करती कि मौलाना आजाद के नाम पर हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना होती और बापू के नाम पर उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना होती, तो आप एक कदम और आगे बढ़ जाते। लगता है हम फिर से अपने पुरखों को उनके दायरे में कैद करना चाहते हैं। मौलाना आजाद की जुबान उर्दू थी इसलिए उनका नाम उर्दू विश्वविद्यालय से जुड़ा और महात्मा गांधी का नाम हिंदी विश्वविद्यालय से जुड़ा।

आज जो सरकारी हिंदी है, महात्मा गांधी ने कभी उसकी वकालत नहीं की थी। क्योंकि वह संस्कृतनिष्ठ हिंदी है और समझ से परे है। जो हिंदी की कल्पना आजादी के नेतागणों और महात्मा गांधी ने की थी वह हिंदुस्तानी थी।

अपराह्न 4.07 बजे

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

आज खड़ी बोली और उर्दू दोनों का एक ही रूप है। लेकिन आगे जाकर दोनों मुड़ गई। उर्दू फारसी की तरफ मुड़ गई और हिंदी संस्कृत की तरफ मुड़ गई। अगर उर्दू के किसी शब्द को देखना हो तो हमें फारसी देखनी पड़ती है। ऐसे ही अगर हिंदी के लिए कोई शब्द को देखना हो तो हम संस्कृत को देखते हैं। ऐसे ही नागरी लिपि जो हिंदी की है वही संस्कृत की है और जो उर्दू की है वही फारसी की है। लेकिन देश की एक सम्पर्क भाषा नहीं बन सकी। दोनों भाषाओं का अपना महत्व है। मैं सरकार की इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं। उर्दू भाषा का और हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार सचमुच कोई मौलिक काम करना चाहती है तो एक हिंदुस्तानी जुबान को विकसित करे। ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें हिन्दी और उर्दू दोनों का सम्मिश्रण हो और हिंदुस्तानी भाषा का विकास हो। उसीमें किताबें निकलें, हमारा संविधान जो अंग्रेजी में बना हुआ है, जिसका अनुवाद हिंदी में है, उस हिंदुस्तानी में संविधान का अनुवाद हो। यहां लोक सभा में भी कार्यवाही होती है तो हिंदी और अंग्रेजी में होती है, केवल दो भाषाएं हैं। पहले अंग्रेजी होती है तो उसका अनुवाद केवल हिंदी में होता है। कोई सदस्य अंग्रेजी बोलता है तो हम सिर्फ हिंदी में उसका अनुवाद सुनते हैं। यह किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। हिंदी भाषा को भी कैद कर दिया गया है। यह काम करने में हिंदी के दुश्मन वही थे जो हिंदी के हिमायती बनते थे। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आम बोलने वालों की समझ से परे हैं। हिन्दी भाषा में जो सरकारी विधेयक लाते हैं, उसके कई शब्द समझ में नहीं आते हैं और हमें उसको समझने के लिए शब्दकोष देखना पड़ता है। आप अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक लाने वाले हैं, उसमें भी अगर उसी तरह की हिन्दी का विकास करेंगे, तो वह हिन्दी की सेवा नहीं होगी। उर्दू विश्वविद्यालय में उस उर्दू का विकास करेंगे, जो शब्द अरबी और फारसी से लिए जायेंगे, तो उससे उर्दू का विकास नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हर चीज के नाम पर राष्ट्रीय नेता का नाम क्यों लगाते हैं। अच्छा होता, प्रेमचन्द उर्दू विश्वविद्यालय होता या मिर्जा गालिब हिन्दी विश्वविद्यालय होता। अगर आप उनको उनकी जुबान में कैद करना चाहते हैं, तो मिर्जा गालिब उर्दू विश्वविद्यालय बना लेते और प्रेमचन्द हिन्दी विश्वविद्यालय बना लेते। यह सब आपने नहीं किया, लेकिन इसको करने का अब भी आपके पास वक्त है। इस विधेयक का विरोध करने का मेरा इरादा नहीं है। उर्दू विश्वविद्यालय बनें और आप उर्दू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, लेकिन उर्दू माध्यम के जितने विद्यालय, मदरसे हैं, उनकी हालत आपसे छिपी हुई नहीं है। मैं बिहार से आता हूं वहां मदरसों में जो शिक्षक हैं, उनको महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिलती है। जब कोई पर्व या त्यौहार आता है, तो कुछ महीने तनख्वाह उनको मिल जाती है, लेकिन बाकी समय उनको फाकाकशी करनी पड़ती है। छः करोड़ रुपया देकर आप एक उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना तो नहीं कर पायेंगे, लेकिन उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अपना इरादा आपने प्रकट किया है। संसद की मंजूरी आप ले लेंगे, लेकिन उस छः करोड़ रुपए से वह विश्वविद्यालय चलने वाला नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय संसाधन विकास मंत्री, सबसे पहले तो आप अपने मंत्रालय का नाम ही बदलवा लीजिए। आपको मानव संसाधन विकास मंत्री-ह्युमन रिसोर्स डवेलपमेंट मिनिस्टर- से ज्यादा शिक्षा मंत्री सब समझते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले कुछ एलीट लोगों को छोड़ दीजिए या बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को छोड़ दीजिए बोलचाल की भाषा में आपको अंग्रेजी में एजुकेशन मिनिस्टर और हिन्दी में शिक्षा मंत्री। पता नहीं किसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपके मंत्रालय का नाम रखा गया है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उर्दू के माध्यम से जो विद्यालय चलते हैं, वहां एलीमेन्ट्री एजूकेशन या प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए। छः करोड़ रुपया देकर उर्दू विश्वविद्यालय बनाकर के आप वाह-वाही लूट लीजिए। उर्दू कमाल की भाषा है। उर्दू भाषा तो रूहानी भाषा है। उर्दू भाषा में तो जजबात उभरते हैं। इन्कलाब बोलने में जो जजबात उभरता है, वह क्रान्ति बोलने से पैदा नहीं होता है। इसलिए क्रान्ति जिन्दाबाद का नारा नहीं लगता है, इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा लगता है। उर्दू भाषा का अपना महत्व है। उर्दू में जो भाव व्यक्त होता है, उसमें जो जोर है, जान है, वह दूसरी किसी भाषा में देखने को नहीं मिलता है। इस देश में कई समर्पित भाषायें हैं, उन तमाम भाषाओं का विकास होना चाहिए, सिर्फ हिन्दी और उर्दू का नहीं। इसी तरह से बंगला, तमिल, तेलगू, मराठी, मलयालम, असमिया, उड़ीया आदि सभी भाषाओं का विकास होना चाहिए। जितना अधिक इन भाषाओं का विकास करेंगे, उतना बेहतर होगा। जितना अधिक आप विदेशी भाषा की प्रथा को समाप्त कर दें, उतना अच्छा है। आज आप उर्दू विश्वविद्यालय से संबंधित बिल लाए हैं, तो मैं उसी से संबंधित एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। संविधान बना, संविधान राष्ट्र को अंगीकार किया, समर्पित किया और अभी हाल में संविधान सभा की 50वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई है, संविधान में कहा गया है कि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा बनेगी। सरकारी हिन्दी से मेरा मतलब नहीं है। मैं उस हिन्दी का हिमायती हूं, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी हिन्दी और उर्दू को मिलाकर हिन्दुस्तानी जुबान है। क्या वह हिन्दी राष्ट्रभाषा बन सकी? क्या उसको उसका स्थान मिल सका? क्या अभी भी हाईकोर्ट के जजमेंट प्रान्तीय भाषाओं में हो रहे हैं? कुछ शुरू हुए हैं, लेकिन क्या बड़े पैमाने पर हुए? क्या देश के सर्वोच्च

न्यायालय में आप हिन्दी में बहस करके हिन्दी में फैसला देते हैं? क्या देशी जुबान में फैसले देते हैं? आप इस संसद में देखिए, जो दूसरी भाषाओं में बोलने वाले लोग हैं, 14 भाषायें संविधान की अनुसूची में शामिल हैं, उनको अपनी भाषा में बोलने के लिए पहले सूचना देनी पड़ती है। इंतजाम तो उसका हो जाना चाहिए था। देश को किसी भी भाषा में कोई बोलना चाहे, तो उसका उसी तरह से साइमलटेनियसली ट्रांसलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि लोग अपनी-अपनी भाषा में बोल रहे हैं और इन्टरप्रिटेशन की व्यवस्था है।

आज इस सदन की भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी, चाहे जो कह लीजिए। हिन्दी और उर्दू को मिला कर कितनी बड़ी संख्या में बोलने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में नहीं भी बोली जाने वाली भाषाओं को मान्यता प्राप्त है लेकिन हमारी देशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम शरमाते हैं। हम आपके लिए आगे नहीं बढ़ते। हम अपने देश में भी अपनी भाषा को प्रतिष्ठित नहीं करते। अंग्रेजी रखनी है। हम अंग्रेजी को हटा कर कोई एक भाषा थोपने के हिमायती नहीं है लेकिन देश की सभी भाषाओं में काम हो, उसकी व्यवस्था हो। यह इस नाम पर, संपर्क भाषा के रूप में, सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी को कब तक बना कर रखेंगे और यह अंग्रेजी भाषा के दस पेज पढ़ जाइए उसी को अगर हिन्दी में लिखने के लिए कहिए तो एक पेज में उसका लिस्ट लिख दिया जा सकता है। अगर धोखा देना हो तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करिए। आप अंग्रेजी में घंटों बोलते रह जाइए, निचोड़ निकलता है कि इसको पांच वाक्य में बोला जा सकता है। यह अंग्रेजी भाषा है जो शासन करने वालों की भाषा रही है। उस अंग्रेजी भाषा को हम लोग ढोते चले जा रहे हैं। उसको हटाइए और जितनी देशी भाषाएं हैं, उनको प्रतिष्ठित कीजिए, यह मंशा भी आपकी इसके साथ-साथ होनी चाहिए। सिर्फ एक रूप भाषा का या हिन्दी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपके पास दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ जो भी इस देश में शैक्षणिक संस्थान हैं, उनकी तरक्की की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा बिहार सब चीजों में आगे है। वहां संस्कृत युनिवर्सिटी बहुत जमाने से हैं, जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से सुना है, कामेश्वर प्रसाद सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है। आप उर्दू विश्वविद्यालय, हिन्दी विश्वविद्यालय बना देंगे तो क्या हश्र होगा, हमको नहीं मालूम। भाषाओं के आधार पर विश्वविद्यालय इस देश में पहले से ही बने हुए हैं लेकिन अब उनकी हालत क्या हो गई है। उसमें काम करने वाले लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है। इस तरह से एक यूनिवर्सिटी बना करके देश में एक चर्चा छेड़ देना कि हम एक भाषा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में उस भाषा का विकास तभी संभव होगा जब सरकार उसको मान्यता दे और उस भाषा के विकास के लिए, उसके लिए जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर जोर दे।

महोदय, अभी आजमी साहब ने बहुत अच्छा कहा। इतने बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने उर्दू माध्यम से विज्ञान पढ़ा और वह इतने बड़े वैज्ञानिक बने। आज अंग्रेजी भाषा के चलते कितने मेधावी कुंठित हो जाते हैं। आज जितना समय लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखने में लगता है अगर उसको आप हटा दीजिए तो उसमें विज्ञान, गणित हर चीज में पारंगत हो सकता है, लेकिन देशी भाषाओं का विकास, देशी भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों का लिखा जाना बहुत ही आवश्यक है और इस नाते हम उर्दू भाषा का संवर्धन, विकास करना चाहते हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं सरकार से पुरजोर मांग करूंगा कि हिन्दी और उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद एक हिन्दुस्तानी जुबान विकसित करने के लिए हिन्दुस्तानी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए जो सही मायनों में इस देश की संपर्क भाषा बन सकेगी और जो सचमुच इस देश में एक राष्ट्रीय भाषा का रूप है वह रूप धारण कर सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय मानव संसाधन मंत्री जी ने जो प्रस्ताव लाया है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं समर्थन के पहले एक ही बात की तरफ इस संसद के साथियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी-अभी दो दिन पहले उसका एक बहुत बड़ा यहां सेंट्रल हॉल में समारोह हुआ। भारत में 50 वर्ष पहले 9 दिसम्बर को भारत का संविधान बनाने के लिए भारत की संविधान सभा बनी। उस समारोह को देखने के लिए मैं भी उपस्थित हुआ, क्योंकि उसमें 8,10,15 लोग ऐसे थे जो उस संविधान सभा के सदस्य थे। उनको देखने की मेरे मन में बड़ी इच्छा थी। उसमें श्री निजलिंगप्पा जी भी आए थे उनको भी देखने का अवसर मिला।

महोदय, 50 साल पहले संविधान सभा ने तय किया था कि भारत की भाषा दस वर्षों में हिन्दी हो जाएगी, लेकिन मैंने क्या देखा कि हमारे भूतपूर्व स्पीकर आदरणीय पाटिल जी यहां मौजूद हैं। वहां पहला भाषण संगमा जी का हुआ, जो हमारे स्पीकर हैं वह अंग्रेजी में बोले। दूसरा भाषण हमारे उपराष्ट्रपति जी का हुआ वह भी अंग्रेजी में बोले, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ वह भी अंग्रेजी में बोले। अंत में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ वह भी अंग्रेजी में बोले। मेरी इच्छा हुई कि मैं यहां से उठ कर चला जाऊं।

फिर सोचा कि यह अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चुपचाप तमाशा देखता रहा और संविधान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सारे भाषण अंग्रेजी में होते रहे। इस संसद के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान अपनी आजादी को बचा सकता है। दुनिया का कोई देश जिसकी अपनी भाषा नहीं होगी, वह अपनी आजादी को नहीं बचा सकता।

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है। जब संविधान की बात हो रही है तो मैं संविधान के बारे में कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)** संविधान के अनुच्छेद 100 के (3) और (4) में

लिखा हुआ है कि हाउस कैसे चलाना है। इसमें (3) और (4) में कोरम की बात कही गयी है कि इसके लिए नियम लोक सभा बना सकती है। आज तक लोक सभा ने हाउस चलाने का नियम बनाया है या नहीं। संविधान में दिया हुआ है कि जब कोरम न हो तो स्वयं सभापति जी हाउस बंद कर दें। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। यह जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदारी आपकी है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : इसमें कोरम की कोई जरूरत नहीं है।

श्री दिलीप संघानी : संविधान में हिंदी के बारे में सबने कहा है। इसी तरह से अनुच्छेद 100 की भी बात है। हमें कोई पावर नहीं है कि हम वेव कर सकें, अगर है तो हम वेव कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 100 में सुविधा है, इसलिए हम हाउस में कोरम चाहेंगे। संविधान में दिया है और नियम नहीं बना है तो यह आपकी जवाबदारी है।

श्री नीतीश कुमार : पहले तय तो हो जाए कि कोरम है या नहीं है।

श्री दिलीप संघानी : मैंने देखा है कि कोरम नहीं है। केवल 46 मेम्बर है।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ कानून हैं तथा कुछ परिपाटियां हैं। सभा की परिपाटी यह कहती है कि जब किन्हीं बातों पर चर्चा की जाती है तो कभी गणपूर्ति होती है और कभी वह नहीं भी होती है। परिपाटियां कानून की तरह होती हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : एक काफी अच्छा मुद्दा उठाया गया है तथा उस कर्तव्यपरायणता की सराहना करते हैं जिसके साथ इसे उठाया गया है। संविधान यह व्यवस्था करता है कि गणपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन परिपाटी यह है कि जब तक यह पीठासीन अधिकारी के ध्यान में नहीं लाया जाता है, कार्यवाही चलने दी जायगी। यदि कोई सदस्य यह अनुभव करता है कि गणपूर्ति नहीं है, वह अध्यक्ष के ध्यान में इस बात को ला सकता है तथा अध्यक्ष यह देखने के लिए बाध्य है कि उसके ध्यान में लाए जाने के पूर्व गणपूर्ति मौजूद थी तथा उसके पहले क्या था इससे उसे कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य तथा शिवराज पाटिल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह मुद्दा उठाया। यह एक मुद्दा है जिसके बारे में हम सभी के सामने यह बात स्पष्ट हो। किसी भी समय गणपूर्ति के अभाव में चर्चा चल सकती है, यह परिपाटी है। क्या आप गणपूर्ति की मांग कर रहे हैं?

हिन्दी]

श्री दिलीप संघानी : जी हां।

[अनुवाद]

महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। सभा में कोई गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति हो चुकी है। माननीय सदस्य, श्री कल्पनाथ राय अब चर्चा जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 50 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारे देश की अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है जो कि बड़े दुख की बात है। सभी दलों, सभी नेताओं और विशेषकर बोम्मई जी से मेरा निवेदन है कि आप देश की आजादी के प्रहरी हैं, इस सवाल पर बुनियादी ढंग से विचार करें। क्या हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा होगी या नहीं? 50 साल पहले आजादी की लड़ाई के सेनानियों ने संविधान बनाया था। संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल थे। उसमें सत्यमूर्ति और राजागोपालाचारी थे। आजादी की लड़ाई के 99 फीसदी सेनानियों ने संविधान बनाया था। उन्होंने संविधान के अन्दर यह प्रावधान किया था कि 15 साल के अन्दर भारत की राष्ट्रभाषा पूर्णरूपेण हिन्दी हो जाएगी और देश की एक राष्ट्रभाषा होगी लेकिन लगातार अंग्रेजी का वर्चस्व हमारे देश में बढ़ता चला गया। लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनायी थी, उसमें कहा था :

[अनुवाद]

> "हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हमारे तथा लाखों ऐसे लोगों जिन पर हम शासन करते हैं और उस वर्ग के रूचि और बुद्धि से जो मूलतः भारतीय होते हुए भी अंग्रेज है के बीच एक कड़ी का काम करें।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान को गुलाम बना कर रखना है तो इस मुल्क में अंग्रेजी को कायम रखना होगा। आज देश में अंग्रेजी माध्यम से राजकाज चलता है। देश के बड़े-बड़े मनीषियों ने कहा था कि "अंग्रेजो में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा"। अंग्रेज यहां से चले गए लेकिन अंग्रेजी यहां से नहीं गई। अगर अपने देश की भाषा होगी तो देश में एकता का वातावरण बनेगा। सारे देश की जितनी भाषाएं हैं, सबको मिला-जुला कर एक भाषा बने जो आम जनता की भाषा हो। इससे वैज्ञानिक प्रगति होगी, तकनीकी प्रगति होगी।

आज दुनिया में सबसे तरक्की वाला देश जापान है। वहां जापानी में काम होता है। मुझे पिछले 23 सालों से संसद के कामकाज को देखने का मौका मिल रहा है। विभिन्न देशों के सौ-डेढ़ सौ राष्ट्रपति

और प्रधान मंत्री यहां आए हैं। वे सैंट्रल हॉल में अपनी भाषा मे बोलते हैं, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलता लेकिन हमारा ही ऐसा देश है, जहां अंग्रेजी में भाषण दिया जाता है। अपने ही देश में, अपने ही सैंट्रल हॉल में विदेशी मेहमानों के सामने इस अंग्रेजी बोलते हैं। हम यूनाइटिड नेशन्स ऑर्गेनाइजेशन में भी अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे किसी भाषा से विरोध नहीं है। हर कोई अंग्रेजी, फ्रैंच और जर्मनी सीख सकता है। वह पचासों भाषाओं का जानकार हो सकता है। जानकारी अच्छी चीज है लेकिन अपने मुल्क की राष्ट्रभाषा होगी या नहीं, यह एक बुनियादी सवाल है। यदि हमने आजादी की लड़ाई का इतिहास मद्देनजर रखते हुए नीति का निर्धारण नहीं किया तो हम मुल्क को गुलाम बनने से रोक नहीं पाएंगे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने बंगाली होते हुए भी आजाद हिन्द फौज बनायी। उन्होंने भारत की आजादी का बीड़ा उठाया। और आजाद हिन्द फौज-जिसने मार्च किया और कहा-दिल्ली चलो, उसने भी यही गीत गया था :

कदम-कदम बढ़ाये जा, उसी के गीत गाये जा,
यह जिन्दगी है कौम की, तो कौम पर लुटाये जा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो गुजराती थे, उन्होंने भी यही कहा कि यदि मेरे हाथ में हुकूमत आ गयी तो कलम की एक नोंक से हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा कर दूंगा। अभी हमारे बिहार के एक साथी बोल रहे थे, जिनकी बातों से मैं सहमत हूं। इस मुल्क में हर आदमी वोट लेने की बात कर रहा है कि कैसे वोट मिलेंगे? चाहे वह नीतिगत मामला हो, चाहे लोकशाही का मामला हो या समाजवाद, सैकुलरिज्म या नेशनलिज्म का मामला हो। इसके पीछे एक ही दृष्टिकोण है कि वोट कैसे मिलेगा। इस तरह की निरर्थक बात को चलाकर अपने मुल्क में आने वाली पीढ़ियों को गिरवी रखना चाहते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हर प्रान्त के एक एक एम.पी. को बुलाकर मीटिंग करें कि कम से कम भारत की संसद में कार्यवाही हिन्दी में चलनी चाहिये। यदि कोई तमिल में बोलना चाहता है तो उसका हिन्दी ट्रांस्लेशन हो सकता है। विदेशी लोग इस मुल्क को देखकर हंसते होंगे कि अपने आपको आजाद मुल्क कहने वाले विदेशी भाषा बोलते हैं। एक विदेशी भाषा के बल पर अपने मुल्क को नहीं बचा सकते हैं। अब उर्दू विश्वविद्यालय चाहे हैदराबाद में हो या लखनऊ में और हिन्दी विश्वविद्यालय चाहे गुजरात में हो या कन्याकुमारी में खुले, इससे राष्ट्रीय समस्या का निदान नहीं हो सकता। यहां पर दर्शक दीर्घा सूनी पड़ी रहती हैं क्योंकि लोग आते हैं और जब देखते हैं कि सवाल-जवाब अंग्रेजी में चल रहे हैं तो पांच मिनट बैठ उठकर चले जाते हैं और समझते नहीं कि हमारे एम.पी. किस बारे में बोल रहे हैं। यदि हिन्दी भाषा में संसद का संचालन होता तो दर्शक दीर्घा खचाखच भरी रहती। उसे मालूम होता कि दाम नीति, सामाजिक न्याय नीति, महंगाई पर नियंत्रण की नीति, औद्योगिकरण की नीति, मुल्क की कृषि नीति और विज्ञान एवं तकनीकी में क्या प्रगति कर रहा है, सब समझ सकता। यह बात करोड़ों लोगों को मालूम हो जाती।

सभापति जी, आप जानते हैं कि लोकशाही आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है। इस लोकशाही में करोड़ों लोगों का भला हो सकता है। लेकिन आज लोकशाही पर बहुत बड़ा हमला चारों तरफ से हो रहा है। आज करोड़ों लोगों का लोकशाही में विश्वास है, उसे और मजबूत करना है तो इस मुल्क की एक भाषा बनानी होगी। मैं हिन्दी और उर्दू में कोई फर्क नहीं मानता क्योंकि मैं एक ही शैली मानता हूं। 'इन्कलाब जिन्दाबाद' हर पार्टी, हर गांव का कार्यकर्त्ता यही बोलता है। ये दोनों शब्द उर्दू के ही हैं। इसीलिये जो आम बोलचाल में आ जाता है, वहीं बोला जाता है। लोग स्टेशन को 'टेशन' कहते है जबकि हिन्दी में लोहपथ गामिनी स्थल और 'सिग्नल' को गमनागमन सूचक पटिका कहते हैं लेकिन कोई नहीं कहता ...**(व्यवधान)** मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो हिन्दी भाषा के लिये कह रहा हूं। मैं यह सोचता हूं कि मेरे देश की भाषा कैसी होगी जिसे आम आदमी बोलेगा। देश की आम जनता जिस भाषा में बोलती है, करोड़ों लोग उसी भाषा में बोलते हैं। इसी प्रकार लोग 'चाय' को दुग्ध-शर्करा मिश्रित पेय नहीं कह सकते।

मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सभी दलों के सभी सांसदों से निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्रभाषा इस मुल्क की जनता की बोली हो और उसके माध्यम से देश की राज-व्यवस्था चले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे माननीय सदस्यों से एक आग्रह है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : हम एक विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि अन्य बातें स्वागत योग्य हैं। जो व्यक्ति बोल रहे हैं, वे विधेयक के बारे में भी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मोहतरम चेयरमैन साहब, आज हमारे सामने जो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी बिल लाया गया है, मैं उसका खैरमकदम करता हूं और माननीय बोम्मई जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक तारीखी काम किया है। हिन्दुस्तान के अंदर उर्दू ने जो कारनामे अंजाम दिये हैं, उर्दू के जरिये इस देश के अंदर जो तारीखे-आजादी, जंगे-आजादी लड़ी गई और उसके लिए उर्दू ने जो रोल अदा किया उसकी नजीर कोई जुबान नहीं बन सकती, चूंकि जब जंगे-आजादी लड़ी जा रही थी तो उस वक्त इंकलाब जिन्दाबाद का नारा बच्चे-बच्चे की जुबान पर था। कोई नहीं कह सकता चाहे वह किसी कौम बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी का हो, आज भी इंकलाब जिन्दाबाद का नारा ही लगाया जाता है और सब मिलकर जिन्दाबाद कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उर्दू ने जो इस

देश की खिदमत की है, इस देश के अंदर जो मुहब्बत की रूह फूंकी है, उसको कोई भुला नहीं सकता है।

"हमारी जिन्दगी की दासता है इतनी तूलानी,
ये अफसाना समझने से है कासिर फहमे इंसानी।
ये धोखा है कि बुझती जा रही है शम्मे नूरानी,
अभी बाकी है इन टूटे हुए तारों में ताबानी।

तो आज भी उर्दू के साथ कुछ भी जुल्म किया गया हो, ज्यादती की गई हो, उसको दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन उर्दू आज भी जिन्दा है और जिन्दा रहेगी। इसका सबसे बड़ा सुबूत यह है कि किसी भी जुबान के बोलने वाले का हिन्दुस्तान के किसी भी चप्पे के रहने वाले हों, आज वह उर्दू ही बोलते हैं और अपने ख्यालात का इजहार उर्दू में ही करते हैं। उर्दू इस देश की एक जानी-पहचानी जुबान है। वह पूरे हिन्दुस्तान की जुबान है और बेनल-अकवामी जुबान बन चुकी है। दूसरे मुल्कों में भी उर्दू जुबान बोली, पढ़ी और समझी जाती है लेकिन हिन्दुस्तान के अंदर मुझे अफसोस है कि उर्दू और हिन्दी जबकि दोनों सगी बहिनें हैं, छोटी और बड़ी बहिनें हैं, लेकिन उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया जिसकी वजह से उर्दू को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज उर्दू के लिए मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया जा रहा है। इससे मैं समझता हूं कि चाहे वह हैदराबाद के अंदर ही क्यों न हो, बहरहाल पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। अगर एक यही यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर भी कायम की जाए और उर्दू यूनिवर्सिटी का कयाम उत्तर प्रदेश में भी किया जाए तो इससे पूरे हिन्दुस्तान को और भी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। इसके साथ ही उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ा जाए।

जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी हुकूमत के जमाने में जब उनकी सरकार थी, तब वह चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने की कोशिश की थी और हजारों उर्दू टीचर रखे गये थे, ट्रांसलेटर रखे गये थे, उर्दू को दूसरी जुबान बनाया गया है। मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि हिंदुस्तान के अंदर उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाया जाए, चूंकि यह हमारी भावनाओं को और हमारे जज्बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। उर्दू ने हमें मौहब्बत दी है, दिलों को जोड़ा है और उर्दू का पैगाम सारी दुनिया के अंदर इस तरीके से फैला हुआ है कि उर्दू ने जब से जन्म लिया बहरहाल वह लश्करी जुबान कहलाई और लश्करी जुबान इसलिए कहलाई कि उर्दू जुबान के अंदर दूसरी जबानों में लफ्ज समा लिए गये हैं। हमारी किसी जबान से मुखालफत नहीं है और न ही हम किसी जुबान की बुराई कर सकते हैं। बल्कि हमारे नबी हजरत मौहम्मद साहब ने कहा है कि चाहे चीन तक जाना पड़े, चाहे कितनी दूर क्यों न जाना पड़े, हमें तालीम हासिल करनी चाहिए और चाहे वह जुबान कोई भी हो, जुबान के सीखने में कोई बुराई नहीं है। बहरहाल उर्दू हमारी मादरी जुबान है, हमारे मादरे वतन के अंदर इसने जन्म लिया है, यह पूरे देश की जुबान है और इस देश की हालत की अक्कासी करती है। जब भी कोई मोड़ आया है तो इस जुबान का हमें सहारा मिला है और हमने इस जुबान के जरिये से हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब पैदा किया है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए अगर यह जुबान न होती तो शायद इतना जोश और जलजला लोगों के अंदर पैदा नहीं हो सकता था। लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था और सीने पर गोलियां खाई थीं और फिर देश को आजाद कराने के लिए इंकलाब जिंदाबाद कहा था। तो मैं चाहूंगा कि आज उर्दू चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में बोली जाती हो, डिपार्टमेंट की जुबान हो या न हो लेकिन हमारी इस पार्लियामेंट के अंदर भी गवर्नमेंट का रिकार्ड अगर उर्दू में फरहाम किया जाए तो और बेहतर होगा। आज लखनऊ के सुन्नी सैंट्रल वक्फ बोर्ड में चूंकि सारा काम उर्दू में होता है। लेकिन मुझे अफसोस है तो सिर्फ इसलिए कि वे उर्दू के जानने वाले हैं, आज ।। महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और दो महीने से वे भूख हड़ताल पर हैं। सारा काम ठप्प पड़ा हुआ है। मैं यह भी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस तरफ भी सरकार तवज्जह दे जिस तरह से हमारे मुकदमात और सारी फाइलें बंद पड़ी हुई हैं और लोगों को भूखों मरना पड़ रहा है। आज लखनऊ के अंदर क्या हालत है। तो इस तरीके से बहरहाल अगर उर्दू के साथ नाइंसाफी न की गई होती तो मैं समझता हूं कि आज इस देश के अंदर उर्दू ने वह मुकाम हासिल किया होता जो शायद किसी और जुबान को नहीं मिल सकती थी। तो जब कि हमारे साथ इस देश के अंदर बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। लेकिन यह जुबान सिर्फ मुसलामानों की ही जुबान नहीं है, यह किसी एक कौम और बिरादरी की जुबान नहीं है, यह बैनलअक्वामी जुबान है। उर्दू यूनीवर्सिटी का खुलना और वह भी मौलाना आजाद के नाम से मंसूब होना काबिले मुबारकवाद है। चूंकि मौलाना आजाद ने उर्दू के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत की है, उन्होंने पूरे उर्दू अदब की खिदमत की है और इसलिए उनका यह हक बनता था और अगर इस यूनीवर्सिटी को उनके नाम से मंसूब किया गया है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बहरहाल इसके लिए जो बजट लिया गया है, मेरी मांग है कि इसमें इजाफा जरूर होना चाहिए, हमें फुलफ्लेज्ड यूनीवर्सिटी बनानी चाहिए। अगर हमने यूनीवर्सिटी बनाई है तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं बननी चाहिए, बल्कि उसका मकसद उर्दू की खिदमत होना चाहिए। मुहिब्बाने उर्दू को इससे बहुत बड़ी तसल्ली होगी और वे देश का काम कर सकेंगे। इस देश के अंदर आज भी उर्दू सरकारी जबान न सही, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता।

मैं कहना चाहता हूं कि इस हाउस में भले ही कोई मैम्बर तमिलनाडु से आया हो, कर्नाटक से आया हो, आन्ध्र प्रदेश का रहने वाला हो, उत्तर प्रदेश का हो, कश्मीर का हो, कहीं का भी मैम्बर हो, वह कोई दूसरी जुबान जानता हो या न जानता हो, उर्दू जुबान जरूर जानता है और बोल सकता है। अगर कोई नहीं भी बोल सकता तो

समझ जरूर लेता है। इसलिए उर्दू को पौपुलैरिटी, उर्दू की हरदिल अजीजी, उर्दू का वह मुकाम, जिसने हमारे दिलों के अंदर घर कर लिया है, दिलों पर राज किया है, वह इस बात से साफ जाहिर है कि हिन्दुस्तान के अंदर उर्दू के साथ जितनी ना-इंसाफियां हुई, जितना उसे दबाने की कोशिश की गई, उस सबके बावजूद वह आज भी जिन्दा है।

मैं इन अल्फाज के साथ मोहतरम बोम्मई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि वे इस बिल को हाउस में लाए। उन्होंने उर्दू के लिए जो वायदे किए, मैं समझता हूं कि वे उन सब वायदों को निभाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उर्दू यूनिवर्सिटी के मामले में जो बजट की कमी है, उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं -

अगर रहेंगी हवाएं यूं ही जमाने की,
न खैर होगी चमन की, न आशियाने की।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाब-ए-चेयरमैन साहब और मुअज्जिज मैम्बरान, मैं इस मसौदा-ए-कानून की ताईद में खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मरहूम मौलाना आजाद साहब, जो हमारे माने हुए नेता थे, उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हैदराबाद में, जहां पुराने जमाने से उर्दू काफी आगे बढ़ी है, फैली है और खास तौर से तकनीकी तालीम में, उस शहर में इस यूनिवर्सिटी का दर-खुलासा मुकर्रर किया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उर्दू जुबान, जिसे मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान की एक राबता जुबान है, खास तौर से हमारे जम्मू-कश्मीर के जो तीन खित्ते हैं-लद्दाख, जम्मू वैल्ली और जम्मू उन तीनों खित्तों की इलाकाई जुबान भले ही मुख्तलिफ हो, अगर हमारी कोई कौमन जुबान है तो वह हिन्दी या उर्दू जुबान है जिसके जरिए तीनों खित्तों के लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इस तरह पूरे हिन्दुस्तान में हिन्दी के साथ साथ उर्दू जुबान ऐसी है जो मुल्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने वाली एक कौमी जुबान है, जिसकी मदद से हमने आजादी हासिल की है। ऐसी जुबान को फरामोश करना या उसे सही मुकाम न देना, मैं समझता हूं कि उर्दू के साथ बे-इंसाफी होगी।

मैं जहां मौजूदा ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बधाई देता हूं, वहीं इस हाउस के ऑनरेबल मैम्बरान को याद कराना चाहता हूं कि इस मसविदा-ए-कानून को यहां तक आने में काफी सफर तय करना पड़ा है। इस कानून को शक्ल देने में हमारी सरकार कांग्रेस सरकार ने अहम रोल अदा किया है, जिसका यहां जिक्र होना चाहिए था लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी ऑनरेबल मैम्बर ने पुरानी कांग्रेस सरकार का जिक्र नहीं किया जिसने उर्दू की डैवलपमेंट के लिए कई कमेटीज कायम कीं और इस कानून को लाने में मदद की।

इस सिलसिले में सबसे पहले जो कमेटी बनी वह टास्क फोर्स थी, जिसे चेयरमैन हमारे भोपाल के अजीज कुरैशी साहब थे। फिर उसे यूनिवर्सिटी की शक्ल देने के लिए, जो दूसरी कमेटी बनी, उसके चेयरमैन भी अजीज कुरैशी साहब थे, बाकी उसके मैम्बर थे।

उस कमेटी ने इसको शक्ल दी और इस ऐवान में ठाकुर अर्जुन सिंह जी, जो उस वक्त के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट को माना और इस हाउस में, यानी पुरानी पार्लियामेंट में यह ऐलान किया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस कमेटी की रिपोर्ट को मानती है और इसके मुताबिक कानून पार्लियामेंट में पास होगा। हमारे साबका ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर श्री माधवराव सिंधिया जी ने वह बिल राज्य सभा में पेश किया और वह पास होकर यहां आया। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारे ठाकुर अर्जुन सिंह जी, पूर्व प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी, माधवराव सिंधिया जी और कुरैशी साहब, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जिन्होंने इस कानून के हक में अहम रोल अदा किया। मैं उनकी कारगर्दगी की सराहना करना चाहूंगा कि उनके कारण इस कानून के पास होने पर तकनीकी एजूकेशन और वोकेशनल एजूकेशन, जो पेशेवाराना एजूकेशन है, वह उर्दू जुबान में मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह काबिले कद्र बात है। यह कोई नई बात नहीं है। हैदराबाद में उसमानिया यूनिवर्सिटी में पहले टैक्नीकल एजूकेशन उर्दू जुबान में दी जाती रही है और मैं समझता हूं कि वह दी जा सकती है और इससे जो आम लोग हैं, जो उर्दू जुबान जानते हैं या सीखना चाहते हैं वे तकनीकी एजूकेशन, पेशेवाराना एजूकेशन इसके माध्यम से हासिल कर सकेंगे। यह काबिले तारीफ बात है।

चेयरमैन साहब, इस बिल में जो खामियां हैं जिनका तस्करा हमारे माननीय मैम्बर बनातवाला साहब ने किया है उनको दूर किया जाए। अन्य मैम्बरान ने कई अन्य खामियों की ओर इशारा किया है, मैं मंत्री जी से इल्तजा करूंगा कि उनको दूर करें। इस यूनिवर्सिटी का अलहाक या अफेलिएशन अन्य यूनिवर्सिटियों या कालेज के साथ नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और हमारे उत्तर में और ईस्ट तथा वैस्ट में जो यूनिवर्सिटियां हैं या कालेज हैं, उनके साथ इसके एफीलिएशन के बारे में बाजाप्ता कानून बनें ताकि यह उनसे जुड़ सके और इसका व्यापक संपर्क हो सके। इसके मुताल्लिक जो कमेटी बनी थी उसने भी इसके बारे में रिकमेंडेशन की थी कि इस यूनिवर्सिटी का एफीलिएट करने का प्रोवीजन करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस खामी को दूर किया जाए।

चेयरमैन साहब, इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रोवीजन किया जाए और इसके लिए पैसे का प्रावीजन इस कद्र रखा जाए कि इस कानून के पास होने के बाद तुरंत यह यूनिवर्सिटी कायम हो सके और इसको कायम करने के लिए कोई मुबारक दिन तलाश करना चाहिए जैसे नैशनल डे, 15 अगस्त या 26 जनवरी, या मौलाना आजाद साहब के जन्म दिन के मुबारक मौके पर इसको शुरू किया जाए।

मेरा स्टेट जहां से मैं चुनकर आया हूं, उसके लिए यह बहुत अहमियत रखता है क्योंकि हमारी रियासत में उर्दू जुबान आफीशियल जुबान है हमारा सारा काम सरकारी दफ्तरों में इसी जुबान में होता है और वहां पर उर्दू जानने वालों की काफी तादाद है। हमारे लोगों को इसमें इंटरैस्ट और दिलचस्पी है कि उर्दू जुबान आगे बढ़े। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को कौमी धारा में लाने में और राष्ट्रीय धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने में यह बिल बहुत माफिक साबित होगा और जम्मू कश्मीर के अधिक से अधिक लोगों का सारे मुल्क के साथ राबता कायम होगा और ज्यादा लोग नैशनल मैनस्ट्रीम में आएंगे। इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूं और मंत्री जी को और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और मंत्री जी से पुनः कहना चाहता हूं कि इसमें जो कमियां हैं जिनकी ओर बनातवाला जी और जगमोहन जी ने अपनी तकरीर में ध्यान खींचा है, उनको दूर किया जाए।

चेयरमैन साहब, मैं इस बात पर खुशी जाहिर करता हूं कि इस बिल को यहां पेश करके पास किया जा रहा है। इसके लिए मैं इस ऐवान के मैम्बरान का खुशमदीद करता हूं और इससे देश की कौमी एकता बढ़ेगी और एक हिस्से के लोगों को दूसरे हिस्से के और करीब आने का मौका मिलेगा। अंत में मैं इन्हीं अलफाज के साथ दिल की गहराइयों से इसकी ताईद करता हूं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से इसको पास किया जाए और जल्दी से लागू किया जाए।

एक दूसरे तबके को एक दूसरे से मिलकर चलने में एक साधन साबित होगा। इन लफ्जों के साथ मैं इस बिल की गहराई से ताईद करता हूं और चाहता हूं कि यह जल्द पास हो और इसे जल्द लागू किया जाए।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : मोहतरम सदर साहेब, बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में उर्दू जुबान को जिसके बारे में किसी वक्त यह कहा गया कि जंगे आजादी में इसका बड़ा हिस्सा है, यह कौमी जुबान है, यह सारे हिंदुस्तान की जुबान है। उसके लिए एक अपंग, अपाहिज, लाचार और बीमार-सा बिल पेश किया गया है। जिसके बारे में यह एहसास हो रहा था कि अभी भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बिल में कोई रूह या जान फूंकी जा सके। मुझे खयाल आता है कि क्या वोटों की राजनीति है, क्या यह एक शुगल किया जा रहा है या देश में यह एक बहलावा है।

मुझे याद आता है, बहुत दिनों के बाद 1992 में गालिब शताब्दी मनाई गई थी। मुझे भी वहां नज्म पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। उसके एक-दो शेर आपकी नजर करता हूं।

पैंतालीस बरस गुजरे आजादिये कामिल को
तब जाके कहीं हमको गालिब का खयाल आया।
तुर्बत है कहां उसकी, दफन है कहां उसका
हमारे जहनों में अब यह सवाल आया।

इसी तरह से 47-48 साल गुजरने के बाद अब यह खयाल आ रहा है कि उर्दू युनिवर्सिटी बनाई जाए। हमारे आईने बनाने वालों ने हिंदी को कौमी जुबान बनाने का फैसला किया था। आज तक वह कौमी जुबान नहीं बन सकी। काश आज भी हम हिंदी और उर्दू दोनों जुबानों को हिंदुस्तानी के तौर पर या दोनों को मिलाकर कौमी जुबान बना सकते, नहीं तो वही बात होगी जैसे गालिब शताब्दी मनाई, यहां पर ऐसे ही बिल पेश कर दिया। मैं इसकी सिफारिश करूं, लेकिन किस दिल से करूं, जिसमें न रूह है, न जान इससे कौन सी युनिवर्सिटी कायम होगी।

बहुत से सूबों में उर्दू एक अच्छी जुबान हुआ करती थी, अदालतों की जुबान हुआ करती थी। आज वह जुबान नहीं रही, उर्दू पढ़ने वाले नहीं रहे, उर्दू समझने वाला वह तबका नहीं रहा। छः करोड़ रुपया जाया करके कौन सी उर्दू की खिदमत होगी, यह मेरी समझ में नहीं आती। अगर आप आज का बिजनेस देखें, उसको पढ़ने से भी नजर आता है कि इसमें भी कुछ कमी है या यह इत्तेफाक है, मालूम नहीं। एक तरफ जहां उर्दू युनिवर्सिटी को कायम करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी के नाम से हिंदी युनिवर्सिटी कायम करने की भी बात आ रही है। क्या यह इसलिए है कि हिंदुस्तान का एक तबका यह महसूस न करे कि उर्दू को दिया जा रहा है, हिंदी को पीछे धकेला जा रहा है इसीलिए दोनों बिल इकट्ठे लाए गए हैं। मैं समझता हूं ऐसे बिलों की, ऐसे मुद्दों पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अहम् मसला है। हमारे आईने बनाने वालों ने जब कौमी जुबान हिंदी बनाई है तो यह भी फैसला करें कि हिंदी को और उर्दू को कौमी जुबान बनाएं। इन दोनों के मिश्रण से हिंदुस्तानी बन सकती है। ...**(व्यवधान)** अगर पचास बरस में हिंदी या हिंदुस्तानी को कौमी जुबान नहीं बनाया गया, तो उर्दू की एक युनिवर्सिटी हैदराबाद में मुकर्रर करके आप कौन सी खिदमत करने जा रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसी तरह से आप महात्मा गांधी के नाम से हिन्दी युनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। ये दोनों बातें इकट्ठी होनी चाहिए। हिन्दी कौमी जुबान बना कर, हिन्दुस्तानी के नाम से कौमी जुबान बना कर, उर्दू की युनिवर्सिटी कायम करके हम खिदमत कर सकते हैं। जब तक हम कोई कौमी जुबान नहीं बनायेंगे, आप चाहे जितनी युनिवर्सिटीज बनाते रहें, चाहे उर्दू की युनिवर्सिटी बनायें, तब तक कुछ काम नहीं हो सकता है। इसी तरह से उर्दू जुबान डैड लैंग्वेज बन गई है, एक मुर्दा जुबान हो गई है, जिस प्रकार संस्कृत बहुत बड़ी जुबान होते हुए भी, बहुत बड़ी रिच और अमीर लैंग्वेज होते हुए भी, बिल्कुल डैड लैंग्वेज बन कर रह गई है। यह जुबान भी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती चली गई है। लेकिन इस छः करोड़ रुपए से हैदराबाद में युनिवर्सिटी कायम करके, इसको जिन्दा नहीं किया जा सकता है। इसको जिन्दा करने का तरीका वही है कि हम हिन्दी को कौमी जुबान बनायें और उसके साथ-साथ उर्दू को जिन-जिन सूबों की अदालतों में एक जुबान हुआ

करती थी, जिन जगहों पर इसको बोलने वाले, पढ़ने वाले और समझने वाले मौजूद हैं, वहां उर्दू को भी दूसरी जुबानों के साथ-साथ चलाया जाए और सिखाया जाए और बढ़ाया जाए।

इन शब्दों के साथ, जिस बेदिली के साथ यह बिल आया है, मैं उसी बेदिली के साथ अपने साथियों के साथ इस बिल की ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब पांच बज रहे हैं। हमारे पास नियम 193 के अन्तर्गत दो चर्चाएं पड़ी हैं। हम मद संख्या 18 उठाते हैं जो "भारत की विदेश नीति के संबंध में आगे चर्चा" से संबंधित है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विपक्ष के नेता ने यह इच्छा प्रकट की है कि हम चर्चा बाद में करेंगे। माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया है कि हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा पूरी कर लेंगे तब इस मद को उठाएंगे।

अतएव, हम मद संख्या 19 को ले रहे हैं जो "आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में और चर्चा" से संबंधित है।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मूल्य वृद्धि के संबंध में चर्चा जारी रख सकते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हम लोग इस भ्रम में न रहें कि 5 बजे का समय इसके लिए निर्धारत किया गया है।

मैं आपका ध्यान कार्यसूची की ओर दिलाना चाहूंगा। मद संख्या 18 को भारत की विदेश नीति के संबंध में चर्चा को तारांकित करके दर्शाया गया तारक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि 5 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया था। अगला मद मूल्य वृद्धि पर चर्चा से संबंधित है। यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आज के पांच बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। अतएव, यदि आप विदेश नीति पर चर्चा को नहीं लेते हैं, तो यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मूल्य वृद्धि पर चर्चा को लेने का समय आ गया है। आपको मद संख्या 15 पर जाना होगा जो कि उर्दू विधेयक है। ...**(व्यवधान)** मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मूल्य वृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय है। आप इसे ले सकते हैं। लेकिन हम इस गलतफहमी के शिकार न हों कि पांच बजे का समय केवल इसके लिए निर्धारित किया गया है-और मैं इसे दोहराता हूं कि केवल—भारत की विदेश नीति के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है। यह कार्य सूची से स्पष्ट है।

अगला मद पांच बजे के लिए निर्धारित नहीं था। आप इस पर विचार कर सकते हैं। यह एक दूसरी बात है। लेकिन रिकार्ड में सभी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अन्यथा यदि आप मद संख्या 18 को नहीं ले रहे हैं, आपको मद संख्या 15 को लेना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में क्या हुआ?

सभापति महोदय : उन्हें बाद में लिया जाएगा।

बनातवाला जी, आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय उठाया है। आप कृपया कार्य सूची को पढ़ें। नियम 193 के अधीन चर्चा एक नहीं अपितु दो विषयों पर होगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण-दिल्ली) : यह अभी वैध नहीं हैं।

सभापति महोदय : बात यह है कि सदन के समक्ष अभी दो मदें हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : किन्तु पांच बजे के लिए केवल एक मद है।

सभापति महोदय : बात यह है कि सदन के समक्ष दो विषय हैं। दोनों पर नियम 193 के अधीन चर्चा होगी।

श्री जी.एम. बनातवाला : किन्तु 5 बजे के लिए केवल एक मद है।

सभापति महोदय : सदन के समक्ष दो विषय हैं। दोनों पर नियम 193 के अधीन चर्चा होगी।

श्री जी.एम. बनातवाला : किन्तु "नियम 193 के अधीन चर्चा" शब्दों पर कोई चिन्ह नहीं हैं। मद संख्या 18 पर ही चिन्ह लगा है। आप मूल्य वृद्धि पर चर्चा करवा सकते हैं। रिकार्ड में इस बारे में स्पष्ट अंकित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप भी आज प्रातः सदन में उपस्थित थे। जब यह मामला विपक्ष के नेता ने उठाया था तो सभी एकमत थे। उनकी प्रार्थना पर माननीय अध्यक्ष ने भी निर्णय लिया था। मैं समझता हूं कि सदन की अनुमति से हम नियम 193 ले सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह कि बाहर सूचना पट्ट पर एक सूचना है कि हमारे विदेश मंत्री श्री आई.के. गुजराल 5 बजे सदन में हस्ताक्षर किए समझोते व संधि सम्बन्धी एक पत्र सभा पटल पर रखेंगे तथा एक वक्तव्य देंगें। यह सूचना बाहर दी गई है। वास्तव में मैंने यह सूचना पढी और यहां आया किन्तु विदेश मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री गुजराल ने हमें यह सूचित किया है कि वे बंग्लादेश के शिष्टमंडल के साथ व्यस्त हैं। उन्होंने यह कार्य श्री श्रीकान्त जेना को सौंपा है। श्री जेना सभा पटल पर यह पत्र रखेंगे। इस समय वे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हैं।

श्री राम नाईक : मैं भी उस समिति का सदस्य हूं किन्तु मुझे इस बारे में सूचित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : सदन को हल्के-फुल्के अन्दाज में नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार के गतिरोध आते रहेंगे। हमें उनके साथ समायोजन करना होगा।

श्री राम नाईक : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कहां हो रही है? मैं उसका सदस्य हूं किन्तु मुझे सूचित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। वह तो राज्य सभा की कार्य मंत्रणा समिति में व्यस्त हैं। माननीय मंत्री महोदय ने इसकी सूचना दे दी थी। हमें यह मानना होगा। आमतौर पर इस प्रकार की घटना होती है। उन्होंने लिखित में यह सूचना दी थी।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) **:** वह पत्र सभा पटल पर कब रखे जाएंगे?

सभापति महोदय : वह पत्र इस चर्चा के दौरान भी रखे जा सकते हैं। जब वे बैठक की समाप्ति पर आएंगे तो उन पत्रों को रखेंगे।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह पत्र आज ही रखे जाने चाहिए क्योंकि ये होने वाली चर्चा से सम्बन्धित हैं।

श्री राम नाईक : उस स्थिति में कृपया मंत्रालय को यह परामर्श दें कि हमें वितरित की जाने वाली डाक के साथ संधि की एक प्रति भी प्राप्त हो। कल जब विदेश नीति पर चर्चा हो तो यह हमारे हाथों में होनी चाहिए।

सभापति महोदय : यह तैयार है और आप थोड़ी सी असुविधा के कारण मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं। आप किसी भी समय इसे प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री महोदय बाद में भी आ सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय इस प्रकार के परिपत्र सदन में भी वितरित किए जाने चाहिए। हम सदस्य गण इसलिए दण्ड के भागी होते हैं क्योंकि हम सदन के बाहर नहीं जाते। हम यहां गणपूर्ति कर रहे हैं तथा आपको सदन की कार्यवाही चलाने में सहायता कर रहे हैं। हम बाहर नहीं जाते और सूचना पट्ट नहीं देखते। अतः हम सदन की कार्रवाई के सम्बन्ध में अनभिज्ञ रह जाते हैं। महोदय, अतः यह निर्देश दें कि इस प्रकार के परिपत्र सदन में भी वितरित किए जाएं ताकि सदन की कार्यवाही में भाग लेने के प्रति गम्भीर सदस्य इस प्रकार दण्डित न हों।

सभापति महोदय : इसे सूचना पट्ट पर दर्शाने की प्रथा है। यह सभी माननीय सदस्यों को अवगत करवाने की व्यवस्था है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) **:** यह भी प्रथा है कि इसे यहां वितरित किया जाता है। इसे सभा पटल पर भी रखा जाता है।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं अध्यक्षपीठ से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जिस पर तीन दिनों से सदन में चर्चा की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि यह लगातार चले और इसे पारित कर दिया जाए। अन्य मामले भी आवश्यक हैं किन्तु यदि एक ही विधेयक पर तीन दिनों से सदन चल रहा है तो चर्चा पूरी की जानी चाहिए, इस पर उत्तर दिया जाना चाहिए और इसे पारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर केवल तीन सदस्यों को और बोलना बाकी हैं। हम इसे पूरा करेंगे।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस विधेयक पर तीन या दस सदस्य बोलने वाले हैं। प्रत्येक को बोलने का अधिकार है। मैं इस विधेयक पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या में कटौती नहीं करना चाहता। मेरा अनुरोध मात्र यह है कि तारतम्यता रहनी चाहिए। कम से कम अगले दिन इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री राम नाईक : महोदय, अनेक सदस्यगण इस विधेयक का समर्थन करने को उत्सुक हैं।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं इसका स्वागत करता हूं।

अपराह्न 5.09 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 19 लेते हैं। श्री पिनाकी मिश्र आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर अपना भाषण जारी रखें।

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) **:** सभापति महोदय, मैंने कल कहा था कि 1996 के दौरान इस देश में हमें एक निराशाजनक दृश्य देखने को मिला। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जनमत मेरे इस विचार से सहमत है।

हमें 1990 और 1991 की याद आती है। सभापति महोदय, हमें पुरानी फ्रांसीसी कहावत याद आती है "जैसे जैसे वस्तुऐं बदलती हैं, वैसे वैसे वे उसी प्रकार की रह जाती हैं।" मैंने कल यह भी कहा था कि 1991 और 1996 के पांच वर्षों में देश में सब कुछ ठीक ठाक चलने की भावना थी जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और मैंने यह उपदेशात्मक अन्दाज में कहा था। लोगों में ठीक ठाक स्थिति को मापने का कौनसा पैमाना है? यह तो विश्व में जाने माने पैमाने हैं। स्टॉक बाजार में तेजी, निवेशक का विश्वास, स्टॉक बाजार में काफी पैसा लग रहा है, निवेशक पैसा बटोर रहे हैं व्यापार बढ़ रहा है तावाद उपभोक्त पनप रहा है; तथा देश में विदेशी निवेश अबाध रूप से हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : घोटाले हो रहे हैं।

श्री पिनाकी मिश्र : कुछ घोटाले अवश्य होते हैं। आप बिना अण्डा तोड़े आमलेट नहीं बना सकते। किन्तु वे घोटाले जैसा कि मैंने कल कहा था अधिकांश आरोप हैं तथा प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति बिना जेल जाए आरोप लगा सकता है। प्रजातंत्र का यह एक प्रसाद है जो हमें विरासत में मिला है।

सभापति महोदय, 1995 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 21 बिलियन डॉलर था।

सभापति महोदय : श्री पिनाकी मिश्र क्या आप कृपया एक मिनट के लिए स्थान ग्रहण करेंगे? यह पत्र रखने का कार्य समाप्त हो जाएगा।

श्री पिनाकी मिश्र : हां, महोदय।

अपराह्न 5.13 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय गणराज्य की सरकार तथा बंगलादेश गणराज्य की सरकार के बीच फरक्का में गंगा जल बंटवारे से सम्बन्धित समझौता

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं श्री आई.के. गुजराल की ओर से सभा पटल पर भारत के गणराज्य तथा बंगलादेश गणराज्य की सरकारों के बीच फरक्का में गंगा जल बंटवारे से सम्बन्धित समझौते की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 891/96]

अपराह्न 5.14 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि—जारी

श्री पिनाकी मिश्र : सभापति महोदय, कल्याण की इस भावना को ध्यान में रखकर शेक्सपियर ने एक बार कहा था, "ईश्वर स्वर्ग में हैं और विश्व में सब कुछ ठीक है।" यही बात भारत के साथ लागू हुई है। ईश्वर स्वर्ग में था और हमारे यहां पांच वर्ष तक अच्छी मानसून रही। शीतकाल में भी हमारे यहां अच्छी वर्षा हुई थी और हमारे यहां फसल अच्छी हुई थी। इस सबके बीच दुर्भाग्यवश हम एक अतिमहत्वपूर्ण तथ्य भूल गए जिसके बारे में सम्पूर्ण विश्व के कृषि शास्त्रियों कृषि विशेषज्ञों ने तथा खाद्य और कृषि संगठन जो विश्व खाद्य प्राधिकरण का शीर्षस्थ निकाय है, के वरिष्ठ प्राधिकारियों ने बताया कि भारत में केवल एक मानसून को वर्षा न होने से ही अकाल पड़ जाएगा। चूंकि हमारे यहां निरन्तर अच्छा मानसून रहा है, हमारे यहां खाद्यान्नों के भंडार में वृद्धि हुई है और हमारे 'बफर स्टाक' में वृद्धि हुई है। परन्तु मूल रूप से हमारे यहां अकाल पड़ने में केवल एक मानसून की ही देर है और दुर्भाग्यवश मैं उड़ीसा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और हमने सभा में इस मुद्दे पर चर्चा की है कि यह राज्य इस वर्ष सूखे से प्रभावित हुआ है।

जबकि देश में 35 कृषि जलवायु क्षेत्र में से 33 में औसतन और औसत से अधिक वर्षा हुई थी। केवल दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में वास्तव में वर्षा नहीं हुई थी और इन क्षेत्रों में से एक उड़ीसा है। वहां सूखे की स्थिति व्याप्त है और यह अकाल के कगार पर है। कोई भी यह सोच कर ही कांप उठता है कि यदि हमारे यहां एक मानसून की वर्षा न हुई तो जैसा कि इस वर्ष उड़ीसा में हुआ था, उस समय देश की स्थिति क्या होगी।

महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की समस्या वास्तव में एक बड़ी समस्या का, जिसका सामना सामना हमें आज देश में करना पड़ रहा है, लघु रूप है। इस समस्या के अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों कारण हैं। इस प्रकार समस्या लघुकालीन और साथ ही दीर्घ कालीन है और स्वाभाविक रूप से इसके उपाय भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन है।

हमारे यहां अल्पकालीन समस्यायें क्या हैं? पिछले पांच वर्षों में हमारे यहां भरपूर फसल हुई है। देश में दो दशक पूर्व स्वीकार्य "बफर स्टाक" की मात्रा जिसके बारे में मुझे बताया गया है 220 लाख टन खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित की गई है अब यह बात पुरानी हो चुकी है। हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे देश में 150 लाख प्रतिवर्ष की दर से प्रतिदिन 500000 की जन्म दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यह विकास दर काफी अधिक है।

वर्ष 1977 की घटना के पश्चात सभी व्यक्ति यह समझते हैं कि परिवार नियोजन मूल रूप से एक गन्दा शब्द है। परिवार नियोजन के सन्दर्भ में, जनसंख्या वृद्धि के विरूद्ध आबंटन के सन्दर्भ में बात करना अब राजनीतिक रूप से गलत बयान देना है। चूंकि परिवार नियोजन के विषय में कोई राष्ट्रीय आम राय नहीं है अतः हमें इन अतिरिक्त लोगों के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर विचार करना होगा।

भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह 220 लाख टन खाद्यान्न का "बफर स्टाक" रखेगा परन्तु यह बात पुरानी हो चुकी है। वे "बफर स्टाक" की इस मात्रा को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील हैं परन्तु जब इस बफर स्टाक में वृद्धि हुई, मुझे बताया गया कि कुछ वर्षों पूर्व यह बढ़कर 370 लाख टन हो गई जो कि

पिछले वर्ष भी रही, और भारी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हुआ और भारतीय खाद्य निगम ने उस समय इस अधिक स्टाक को बाजार में भेजना उचित नहीं समझा जो कि किया जाना चाहिए था। इस समय सरकार ने गेहूं के निर्यात का निर्णय लिया। इस तात्कालिक अल्पकालीन समस्या, जिसका सामना आज हम कर रहे हैं, इस कारण हैं कि एक बार हमने 190 डालर अथवा 200 डालर प्रतिदिन जो कि लगभग 7000 रुपये बैठता है, की दर पर निर्यात आरम्भ किया और जब भारतीय खाद्य निगम ने 4200 से 4500 रुपये प्रति टन पर गेहूं जारी किया तो उसमें 3000 रुपये का अंतर था। अतः प्रत्यक्ष तौर पर किसान भारतीय खाद्य निगम के स्थान पर खाद्यान्न निर्यात हेतु अथवा मध्यस्थ व्यापारियों, जो कि यह निर्यात करते हैं, को देना पसंद करेगा।

इस वर्ष हमें यह स्मरण रखना है कि उत्पादन 30 लाख टन कम हुआ है और यह कोई विशेष कमी नहीं है। अर्थात् उत्पादन 650 लाख टन से कम होकर 620 लाख टन हो गया है। परन्तु जब हमें प्रतिवर्ष 150 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न जुटाना पड़ता है तो खाद्यान्न का प्रत्येक टन महत्वपूर्ण है।

अतः मेरे विचार से सबसे पहले जो मुद्दा उठाया जाना चाहिए और जिसे सरकार द्वारा अमल में लाया जाना चाहिए वह यह है कि गेहूं के निर्यात को शीघ्रताशीघ्र रोकने हेतु सही समय पर पर्याप्त आपतकालीन उपाय क्यों नहीं किए गए। माननीय मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है जो मैं समझता हूं कि एक उत्तरदायीपूर्ण वक्तव्य है। जिसमें कहा गया है कि जून के पश्चात निर्यात नहीं किया जाएगा। जून के पश्चात निर्यात रोक दिया गया था परन्तु पिछले आशय पत्र के आधार पर निर्यात जारी है। इन आशय पत्रों को किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है? आज अधिकांश निर्यातकों ने 50 करोड़ या 75 करोड़ अथवा 100 करोड़ रुपये की नकद राशि का बैक ऋण ले रखा है। वे किसानों से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करते हैं और इसी कारण ये खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप किसानों को क्यों विवश करेंगे अथवा आप उन्हें किस प्रकार विवश कर सकते हैं या फिर आप किस प्रकार किसानों को 4200 रुपये अथवा 4500 रुपये प्रति टन की दर से भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न देने के लिए कह सकते हैं जबकि वे निर्यातकों को 5000 या 5500 रुपये प्रतिटन की दर से खाद्यान्न देंगे जबकि निर्यातक अभी भी 2000 या 3000 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं?

यह पहला मुद्दा है जो कि सरकार को उठाना चाहिए और मुझे दुःख है कि सरकार ने उचित समय पर इस मुद्दे को नहीं उठाया और इसका परिणाम यह है कि आज हमें खाद्यान्न की भारी कमी तथा मूल्यवृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। आज भी सरकार की असंतुलित और अदूरदर्शी नीति बरकरार है। यह किस प्रकार हो रहा है। उन्होंने गेहूं का निर्यात बन्द कर दिया है परन्तु गेहूं के आटे का निर्यात जारी है। गत माह 150000 टन गेहूं का आटा जारी किया गया है। अन्ततोगत्वा इससे बाजार में खाद्यान्न की कमी हो गयी और मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि सरकार ने स्वयं आरंभ में इस मूल और महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं उठाया है।

जहां तक मैं समझता हूं कि अल्पकालीन समाधान यह है कि गेहूं के आटे का निर्यात शीघ्र बन्द कर दिया जाना चाहिए।

यह निश्चित है कि सभी आशय पत्रों को समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता है परन्तु आशय पत्र की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बैंकों को यह निर्देश जारी करने के लिए कहा जाना चाहिए कि उन्होंने इन निर्यातकों को जो सीमा अवधि और ऋण जारी किये हैं उसे वे समाप्त कर दें ताकि वे बाजार में आने और भंडार खाली करने के लिए विवश हो जाएं। बड़े किसान जो अब उत्तरी भारत में व्यापारी बन चुके हैं, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि किसी प्रकार वे अपना भंडार खाली कर दें क्योंकि भंडार अभी भी उनके पास ही हैं। आगामी फसल के आने तक अभी हमारे पास पांच से छः महीने का समय है और वे इस बात को जानते हैं।

दूसरा मुद्दा जिसे सरकार को स्वयं शीघ्रताशीघ्र उठाना चाहिए वह आवश्यक सेवा अधिनियम ('एस्मा') का है। आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि वह अब व्यापारियों और जमाखोरों के विरूद्ध 'एस्मा' लाएगी। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली सरकार व्यापारियों पर ही निर्भर है क्योंकि भाजपा के अधिकांश मतदाता व्यापारी वर्ग से हैं। भाजपा का गढ़ अथवा भाजपा समर्थक व्यापारी वर्ग है। यह बात सर्वविदित है। अतः यदि व्यापारियों और जमाखोरों के विरूद्ध कार्यवाही करनी होती तो यह बहुत ही पहले कर लिया जाना चाहिए था। अब वे ऐसा कह कर यह बात केन्द्र सरकार पर ही डाल रहे हैं कि विनियंत्रण आदेश को समाप्त नहीं किया गया है। उनकी बात ठीक है। विनियंत्रण को पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु आपको उन्हें विनियंत्रण आदेश को तुरन्त समाप्त करने के लिए कहना चाहिए। अब हमने यह मुद्दा संसद में उठाया है। अचानक ही केन्द्र सरकार यह निर्णय करती है कि विनियंत्रण आदेश समाप्त कर दिया जाएगा और फिर दिल्ली सरकार यह निर्णय करती है कि 'एस्मा' को लागू किया जाएगा। यह सभी कुछ तीन या चार महीने पूर्व ही हो जाना चाहिए। अतः व्यापारियों तथा निर्यातकों को दी गई बैंक ऋणों की सुविधा को शीघ्रताशीघ्र समाप्त कर दिया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित होगा कि गोदामों में पड़े खाद्यान्नों का भंडार शीघ्रताशीघ्र समाप्त हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त सभा को यह समझना होगा कि मूल रूप से कृषि संबंधी सरकार की नीति का अब तक इस देश के 25 अथवा 30 प्रतिशत धनी किसानों को ही लाभ मिला है। मध्यम और गरीब वर्ग के किसानों को कभी भी बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है और उन्हें कृषि संबंधी सरकार की नीति का लाभ अभी प्राप्त नहीं होता है। इसका लाभ केवल धनाढ्य किसानों को ही प्राप्त होता है। अतएव कृषि संबंधी नीति इस प्रकार बनानी होगी कि इसका लाभ मध्यम और

छोटे किसानों को भी मिले क्योंकि धनाढ्य किसानों के बदलने अन्ततः इनके द्वारा की गई उपज ही बाजार में पहुंचती है। आज धनाढ्य किसान स्वयं ही व्यापारी बनते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस क्षेत्र की कई दीर्घकालीन समस्याएं हैं और ये समस्याएं क्या हैं? मैं समझता हूं कि हर कोई यह समझता है कि वे स्वयं गत दो से तीन वर्षों से इस पर विचार कर रहे हैं परन्तु दुर्भाग्यवश इस पर कोई आम राय नहीं बन पायी है और इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं किया जा सका है। ये समस्यायें क्या हैं?

अन्ततः हम सभी उर्वरक सहित भूमि से होने वाले उत्पादन पर निर्भर हैं। फसलों के उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि की जाए इसके लिए कोई सामंजस्यपूर्ण और तर्कपूर्ण नीति नहीं है। आज हमारे यहां 30 लाख टन की कमी है। ऐसा क्यों हैं? ऐसा इस वजह से है कि आदर्श मृदा अनुपात जो एन.पी.के 4:2:1 अर्थात चार भाग नाइट्रोजन, दो भाग फास्फेट और एक भाग पोटाश होना चाहिए अब इतना असंतुलित हो गया है कि यह 16:4:1 अर्थात 16 भाग नाइट्रोजन, 4 भाग फोस्फेट और एक भाग पोटाश हो गया है। इससे भूमि से होने वाले उत्पादन में निश्चित रूप से प्रतिवर्ष कमी होगी जब तक कि एक बेहतर सर्वतोमुखी उर्वरक नीति द्वारा शीघ्रताशीघ्र इसमें सुधार न किया जाए।

प्रधानमंत्री जी ने इस ओर कुछ पहल की है और डी.ए.पी. पर अधिक राजसहायता प्रदान की है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। आज भी यदि डी.ए.पी. यूरिया रु 3000 या 3500 या 4000 रु. अधिक की दर पर बेचा जाएगा तो कौन किसान डी.ए.पी. की खरीद करेगा? किसानों को शिक्षित करना होगा। निश्चय ही किसान अपनी ओर से सुशिक्षित हैं। परन्तु सरकार को उसे यह बताना चाहिए कि उर्वरक के असंतुलित उपयोग से इस वर्ष 30 लाख टन की कमी हो गयी और आगामी वर्ष में इसमें और कमी हो जाएगी। कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय मिलकर इस पर विचार करें और एक शीर्ष निकाय बनाएं ताकि डी.ए.पी., यूरिया और अन्य फास्फटिक उर्वरकों के मूल्यों में समानता सुनिश्चित की जा सके और किसानों को उपलब्ध कराये जा सकें। इससे किसानों को अपनी भूमि का उचित और अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी। यह इस देश के 950 मिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा की पूंजी हैं। और जब तक इन दीर्घ आवधिक समाधानों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया जायेगा तो वर्ष में लगभग साढे पन्द्रह मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से बढ रही इस 950 मिलियन आबादी से हम गंभीर परेशानी में पड़ जायेंगे। मैं इस सभा में अपना दृढ कथन दोहराता हूं कि सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिये और इस तरह की उस निष्क्रियता की बड़ी निंदा की जानी चाहिये जो गत तीन चार महीनों से देखी गई है। यह सब बहुत पहले हो जाना चाहिये था।

एक दूसरा मसाला है। वस्तुतः पंजाब तथा हरियाणा में पेप्सी आदि जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के कारण किसान लोग अब अपनी फसलों को गेहूं तथा चावल से नकदी फसलों में परिवर्तित कर रहे हैं। कल श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक अच्छी बात कही थी, मैं समझता हूं कि इस बात से ससम्मान कोई भी सहमत नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वेतनों में बढोत्तरी कर रही हैं और इसलिए वे यह सुनिश्चित कर रही हैं कि भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाये। मैं नहीं समझता कि यह सच है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इसलिए आती हैं क्योंकि भारत में श्रमिक सस्ता है। अपनी श्रम दरें बढाना नहीं चाहतीं और यहां श्रमिकों की सहायतार्थ भारत में आती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एक अन्य दिशा में हमें प्रभावित कर रही हैं, अर्थात, किसान लोग गेहूं और चावल जैसी फसलों से नकदी फसलों की ओर अपना ध्यान लगा रहे हैं। अतः यह पुनः वह क्षेत्र है जहां सरकार को विचार विमर्श कर यह सुविचारित दृष्टिकोण अपनाना है कि सही दिशा में किसानों की सहायता कैसक की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान भूमि उपयोग सम्बंधी नीति सर्वोत्तम सिंचाई के अनुकूल बन जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सम्मानीय सभा को सम्बोधित करने के लिए मुझे अवसर देने हेतु, धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर) : सभापति महोदय; मैं बड़े संक्षेप में बोला चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यह संसद देश में मूल्य वृद्धि की चर्चा करके अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही है। जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण सम्बंधी समस्याएं, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, कृषि विकास कैसे हो, उद्योग विकास कैसे हो, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में शोध और विकास कैसे हो-इस तरह के मुद्दों के अतिरिक्त उन मुद्दों पर चर्चा करना, जो अन्य स्तरों पर संस्थाओं से सम्बंधित है, विचार करना इस संसद के लिए वस्तुतः जरूरी है।

यह सच है कि कीमतें बढ़ रही हैं और मैं नहीं समझता कि सरकार इस बात से मुकर जायेगी कि कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। मूल्य वृद्धि से सामान्यतया समाज के गरीब लोग प्रभावित होते हैं। यह सरकार जनता को भी प्रभावित करती है। यह सरकार के लिए जरूरी है कि वह इस सम्बंध में कदम उठाये। यह भी सच है कि बहुत से कार्यकलाप सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। यदि कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो भारत में हमारे पास सरकारी खेती नहीं हैं, और न ही यह भूमि सरकार की है, यह निजी व्यक्तियों के हाथों में है, सरकार को उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक भूमिका निभानी पड़ती है। ठीक इसी तरह से ऐसी नीतियां निर्धारित करना जो वास्तव में उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर सकें, सरकार की जिम्मेदारी है।

कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? कीमतें क्यों बढ़ती हैं? यदि खाद्य पदार्थ तथा सामान पर्याप्त मात्राओं में समाज में, बाजार में, देश में उपलब्ध नहीं हैं तो कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ जायेंगी। तो, जहां तक आवश्यक खाद्य पदार्थों का सम्बंध है, भारत में आज क्या स्थिति है? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री खड़े हो गये हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न हैं।

इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम कुछ सामान तथा खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्राओं में उपलब्ध है। पर्याप्त मात्राओं में खाद्य पदार्थों तथा सामान की उपलब्धता के पश्चात भी यदि कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि जब-जब उपभोक्तों को इसकी जरूरत होती है और जिन स्थानों पर ये चाहते हैं उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो यह परिवहन नीति के कारण होता है। भारत सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इस मसले पर राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा करे तथा वह इस बात का पता लगाये कि जिन स्थानों पर वास्तव में इसकी जरूरत है उन स्थानों पर सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्नों की ढुलाई कैसे की जाये। आपूर्ति विभाग में राज्य मंत्री कें लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे रेल मंत्री अथवा परिवहन मंत्री के साथ इस मसले पर चर्चा करें ताकि समन्वय करके यह सुनिश्चित करें कि एक स्थान पर जो खाद्यान्न उपलब्ध है उसे अन्य स्थानों पर उपलब्ध कराया जाये। ढुलाई में अड़चनों पर नियंत्रण करना होगा।

मेरे अनुसार तीसरा कारण जमाखोरी है। श्री मिश्रा ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। उन्होंने कतिपय कदम सुझाये हैं जो यह देखने के लिए उठाये जा सकते हैं कि जमाखोरी बिलकुल नहीं है, यदि हम बाजार में सामान तथा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की जांच करें और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सामान तथा खाद्य पदार्थों के पर्याप्त तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई उनकी जमाखोरी कर रहा है। यदि कोई उनकी जमाखोरी कर रहा है तो वह यह कैसे कर सकता है। वह यह केवल उस ऋणराशि की सहायता से कर सकता है जो उसे बैंकों द्वारा दी जाती है। इस मामले में सरकार निर्णय ले सकती थी, वित्त मंत्रालय निर्णय ले सकता था। उन लोगों को धन उपलब्ध कराया जाना चाहिये जो पैदावार करना चाहते हैं, धन उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिये जो व्यापार और वाणिज्य करना चाहते हैं, धन उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिये जो अपने पास उपलब्ध बैंकों से प्राप्त ऋण की सहायता से जमाखोरी करना चाहते हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को यह जांच करनी पड़ती है कि देश में कौन-कौन सा सामान और खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा कौन-कौन सा सामान तथा खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो इनका आयात किया जा सकता है अथवा हम यह देखने के लिए कदम उठा सकते हैं कि इन्हें उपलब्ध कराया जाये और इनके उपलब्ध कराने के पश्चात यदि इनकी जमाखोरी हुई है, तो हम यह देखने के लिए कदम उठा सकते हैं कि जमाखोरी तो नहीं हुई है। ऐसा हम उन्हें दण्डित करके अथवा उनके विरूद्ध मामले दर्ज करके कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने का सबसे प्रभावी तरीका यह होगा कि हम इन क्षेत्रों में स्थित बड़े-बड़े वाणिज्य तथा व्यापार घरानों का पता लगायें तथा उन ऋण सुविधाओं की सीमा निर्धारित करें जो उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे निश्चय ही कीमतें कम होंगी।

बात यह है कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है। हमें अधिक पैदावार करनी होगी। यदि कृषि उत्पादन कम हो गया है तो यह संसद तथा विधान सभाओं में केवल सरकार का नहीं अपितु हम सबके लिए अनिवार्य है कि हम यह पता लगायें कि कृषि उत्पादन कम क्यों हो गया है। क्या यह इसलिए हुआ है कि धन उपलब्ध नहीं है? क्या यह उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ है? क्या यह इसलिए हुआ है कि नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है? क्या यह इसलिए हुआ है कि उत्पादकों को अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं और उपभोक्ताओं को अधिक रुपये देने पड़ते हैं? तो ये वे मुद्दे हैं जिनकी बड़ी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी तथा तदनुसार नीतियां निर्धारित करनी होगी। यदि ये निर्धारित नहीं की जाती हैं तो मूल्य वृद्धि के लिए हम जिम्मेदार होंगे।

निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र इस मामले में अड़चनें दूर करने में मदद कर सकते हैं। सरकार इसमें एक काम कर सकती है वह है भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाएं। घटनाएं हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाने के बाद सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती है। एक वैज्ञानिक ने हमें बताया था कि यदि आप एक पौधे में बीमारी देखते हैं और यदि आप उस पर दवाई लगाते हैं तो आप पौधे को नहीं बचा पायेंगे लेकिन यदि आप यह ख्याल करते हैं कि मौसम हालातों के कारण इसे क्या हो सकता है और पौधे को दवाई लगाते हैं तो आप पौधे को बचा सकते हैं। तो, यह हम सभी के लिए जो यहां बैठे हैं, जरूरी हो जाता है कि हम इन बातों का ख्याल करें। यदि हम ख्याल नहीं करते हैं और यदि हम घटना घटने से पूर्व तथा स्थिति के बेकाबू होने से पूर्व कदम नहीं उठाते हैं तो हम लोगों को उस प्रकार की राहत नहीं दे पायेंगे जो उन्हें दी जानी है।

समन्वय अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में जिसने अपना संघात्मक ढांचा अपना रखा है, हमारी संघीय सरकार राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन भी है। यहां तक कि ग्राम प्रशासन है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय होना चाहिए। उदाहरणार्थ, कोई कह रहा था कि रेल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। यहां बैठे एक सदस्य द्वारा स्वाभाविक रूप से पूछा गया प्रश्न यह था कि आपके पास सड़क परिवहन की वापसी क्यों नहीं थी, गोदामों से उपभोक्ताओं तक खाद्यान्नों को सड़क परिवहन द्वारा ले जाने में क्या कठिनाई थी, और आपने पहले समन्वय क्यों नहीं किया। यह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार पर दोष लगाने का प्रश्न नहीं है। ऐसे मामलों में समन्वय निश्चय ही आवश्यक होता है।

वाद-विवाद शुरू करते हुए माननीय सदस्यों में से एक सदस्य ने कहा था कि नई आर्थिक नीति मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि नई आर्थिक नीति इसके लिए कैसे जिम्मेवार है। नई आर्थिक नीति का आशय अधिक पैदावार करने का है। यदि इसमें विदेशियों अथवा ऐसी बाहरी संस्थाओं द्वारा निवेश किया जाता है तो आप नीति में नुकताचीनी छांट सकते हैं। यदि आप

कृषि, उद्योग, विश्वविद्यालय अथवा शोध प्रयोगशालाओं में और अधिक सम्वर्द्धन करने के लिए कदम उठा रहे हैं तो आप इसमें नुकताचीनी नहीं निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं नई आर्थिक नीति, जो हमारे देश ने अपनाई हुई है, का आशय अधिक सम्वर्द्धन से है। इस सम्बंध में नई आर्थिक नीति में नुक्ताचीनी नहीं निकाली जा सकती है।

सरकार को नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। ऐसे लोग भी हैं जो प्रौद्योगिकी के प्रयोग का विरोध कर रहे हैं। जब उपग्रह छोड़ा गया था तो लोग यह कहकर आलोचना कर रहे थे कि जब पीने का पानी नहीं है तो हम उपग्रह क्यों छोड़ें। वे यह नहीं समझते कि उपग्रह आज विश्व में सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी है जो ग्रामीणों की मदद करती है, जो उस व्यक्ति की मदद करती है जो जंगल में रह रहा है। यदि आपको मानसून के बारे में सूचना देनी है अथवा उन बीमारियों के बारे में सूचित करना है जिनसे पौधे प्रभावित होते जा रहे हैं तो यह उपग्रह ही है जो आपकी मदद करेगा। यही कारण है कि इस आधुनिक विश्व में अत्यधिक नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना आवश्यक है। यदि आप सारा समय, हर समय प्रबंध के आधुनिक तरीकों, आधुनिक प्रौद्योगिकी अथवा आधुनिकी वैज्ञानिक प्रणालियों की निंदा करते हैं तथा दूसरी ओर इसके विरूद्ध अपना मन बना लेते हैं तो आप अपने देश के लिए पर्याप्त सम्वर्द्धन कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर जापान को लीजिये। यह भारत जितना धनी जनसंख्या वाला देश है। लेकिन जापान में जो मंहगा है वह सामान नहीं है अपितु मंहगी तो सेवाएं हैं।

यदि आप एक सूटकेस खरीदना चाहते हैं तो यह 18 डालर में खरीदा जा सकता है लेकिन यदि आप इसे किसी व्यक्ति द्वारा उठवाना चाहते हैं तो आपको 5 डालर खर्च करने पड़ेंगे। अतः सामान की अपेक्षा सामान उठवाने की दर महंगी है ऐसा क्यों है? जापान सबसे अधिक विकसित देश है। साथ ही साथ यह सबसे अधिक धनी आबादी वाला देश है। आधुनिक तरीकों का उपयोग करके उन्होंने बेरोजगारी को समाप्त कर दिया है। वे और अधिक उत्पादन कर रहे हैं तथा विश्व के अत्यधिक विकसित देशों की श्रेणी में आ गये हैं। इस संबंध में उनसे संपर्क किया जाना चाहिए। हमारे देश में जो लोग प्रौद्योगिकी, विज्ञान अथवा आधुनिक तरीकों के विरूद्ध बोल रहे हैं, हो सकता है कि वे दिल से अच्छे लोग हों। हमें उनमें दोष निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तथा हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि उनके दिल में लोगों के प्रति अच्छाई नहीं है। लेकिन समय बदल चुका है। आज की स्थिति पूर्णतया भिन्न है। यह समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि क्या करना चाहिए ताकि उत्पादन को वांछित स्तर पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम उस दिशा में नहीं जाएं जो देश में अधिक उत्पादन के लिए सहायक नहीं हो।

मेरे विचार से मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाना अब अत्यधिक आवश्यक हो गया है। कोई भी सरकार के यह कहने की अनुमति नहीं दे सकता है कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण उसकी जिम्मेवारी नहीं है। संभवतः वे यह नहीं कहना चाहते हैं कि यह उनकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन यदि सरकार का एक सदस्य खड़ा होकर यह कहता है कि हमारे पास खाद्यान्नों का प्रचुर भंडार है तथापि यदि यह उपभोक्ता को उचित दर पर उपलब्ध नहीं होता है तब सरकार की और अधिक जिम्मेवारी हो जाती है। यदि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं तब हर कोई यह कह सकता है कि उन्होंने के पूर्वानुमान नहीं लगाया, योजना नहीं बनायी, अपना दिमाग नहीं लगाया तथा आवश्यक कदम नहीं उठाए।

मैं नहीं समझता हू कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी है। स्थिति आज भी नियंत्रण में है। यदि हम सजग हो जाएं तथा कुछ कदम उठाएं तब हम स्वयं को सहायता कर सकते हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : सभापति महोदय, देश में मूल्य वृद्धि पर हो रही इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे अपने विचार प्रकट करने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैंने भूतपूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल के अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण को सुना है तथा मैं उससे लाभान्वित हुआ हूं। निसंदेह मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं क्योंकि यह उत्पादन के तरीके तथा वितरण प्रणाली के बारे में है जो हमारे देश में बेरोजगारी तथा गरीबी से जुड़ी हुई है। मूल रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था अत्यधिक खराब है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि यह सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। चावल, गेहूं, दालों, सब्जियों तथा अन्य खाद्यान्नों की कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज मेरे बच्चों को भी दूध उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसकी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यदि सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहती है तो मैं सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

इस आर्थिक स्थिति के लिए केवल संयुक्त मोर्चा सरकार को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वे सिर्फ कुछ महीने पहले जून में ही सत्ता में आये हैं। इस छः महीने की अवधि में कोई सरकार स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती है। स्वाभाविक रूप से अथवा परिणामतः इस तरह के आर्थिक संकट का आरोप हम पिछली सरकार पर ही लगा सकते हैं। मेरा यह कहना है कि हमारी आज की आर्थिक स्थिति पिछली सरकार की उदारीकरण और सार्वभौमिकीकरण की आर्थिक नीतियों का परिणाम है। मैं नहीं समझ सकता कि मेरे अच्छे मित्र पूर्व वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह उनके द्वारा बनाई सार्वभौमिकीकरण निजीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि की आज की स्थिति के संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे।

मैंने श्री पाटिल द्वारा दिए गए एक अच्छे भाषण को सुना है। यह सच है कि हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते

हैं कि आज का पूंजीवाद अत्याधुनिक पूंजीवाद है जो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटना है। उत्पादन तथा वितरण के तरीके, आवश्यक वस्तओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से संबंधित है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य वृद्धि होती है तो अल्प विकसित देश जैसे भारत तथा अन्य देशों के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अवश्य वृद्धि होगी तथा इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। अतः अनेक मुद्दे तथा तथ्य हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे अधिक महतवपूर्ण कारण हमारे देश में बाजार अर्थव्यवस्था शुरू किए जाने का है।

बाजार अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभाव से कोई इंकार नहीं कर सकता है। समाजवादी प्रणाली में विनियमित बाजार प्रणाली से राज्य सरकार मूल्य नियंत्रित कर सकती है क्योंकि विनियमित बाजार प्रणाली राज्य नियंत्रित है। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में, सामाजिक प्रणाली से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाना सबसे अधिक कठिन है। बाजार प्रणाली में, बाजार अर्थव्यवस्था में लोगों की मांग ज्यामितीय अनुपात पर आधारित होती है जबकि इसकी आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात पर आधारित होती है। ज्यामितीय अनुपात तथा अंकगणितीय अनुपात में बहुत अधिक अंतर है। इन दो बातों के बीच जमाखोरों, काला बाजारियों तथा स्टाकर्त्ताओं द्वारा देश तथा समाज को नुकसान पहुंचाया जाता है।

आपकी अनुमति से मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के उद्धृत कर रहा हूं। जवाहर लाल नेहरू द्वितीय विश्व युद्ध के तुंरत बाद जेल से रिहा होने के बाद कलकत्ता गए तथा वहां उन्होंन 1945 में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कालाबाजार करने वालों "जमाखोरों तथा स्टॉक छुपाने वालों को बिजली के खम्भे पर फांसी पर लटका दो, तथा खाद्यान्नों एवं स्टॉककर्त्ताओं के धन को लोगों के बीच बांट दो"। यह श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1945 में दिया गया भाषण था। पचास वर्ष बीत चुके हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनके उत्तराधिकारी भी देश के प्रधान मंत्री थे लेकिन किसी काला बाजारी को बिजली के खम्भे से लटका कर फांसी नहीं दी गयी। यह सरकार की असफलता है। सभी इसे अच्छी तरह जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वही इसका कारण हैं। संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली में क्या किया जा सकता है? सरकार सभ्य तथा विधि सम्मत तरीकों से क्या कर सकती है। सरकार द्वारा इसका जवाब दिया जाना चाहिए। किसी भी कल्याणकारी राज्य लोकप्रिय सरकार को लागों का असामान्य तथा जटिल जनादेश प्राप्त कर अपने वायदों को पूरा करने तथा अपने कार्य को अवश्य पूरा करना चाहिए। सरकार का पहला कार्य राज्य व्यापार नीति को लागू करने का है। यदि कोई राज्य व्यापार नीति होती तब लोगों की ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती हुई मांग की अंकगणितीय अनुपात में पूर्ति से बचा जा सकता था। अतः मेरे विचार में राज्य व्यापार निगम को पहले शुरू किया जाना चाहिए। जन वितरण प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। इसे समेकित करना चाहिए, इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अन्यथा, स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता है।

मुझे कुछ कहना है। मैं इसे बहुत कम समय में समाप्त कर दूंगा।

एक बात स्पष्ट है तथा सभी ने कहा है कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने के संबंध में निर्णय लेती है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने के तुरंत बाद मूल्य वृद्धि की स्थिति पर नियंत्रण लगाने हेतु कोई उपाए नहीं किए। साथ ही साथ मुझे यह कहते हुए भी खेद है कि हमारे प्रभारी माननीय खाद्य मंत्री ने खाद्यान्नों की स्थिति का जायजा नहीं लिया जबकि यह उनकी जिम्मेवारी थी। ऐसा भी हुआ है।

आज, हमने माननीय खाद्य मंत्री के वक्तव्य को सुना है। यह वक्तव्य कैसा है? वक्तव्य में कहा गया है कि आवश्यकताओं में वृद्धि की गयी है, मध्याह्न भोजन, पोषक कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजनाओं की आवश्यकताओं में वृद्धि की गयी है। लेकिन यह आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, इत्यादि की कीमतों में वृद्धि का कारण नहीं हो सकता है।

उन्हें स्टाक की स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। उन्हें इन सभी बातों की जांच करनी चाहिए थी। लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, उपग्रह का प्रश्न है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि संबंधी सुधार तुरंत किया जाना चाहिए। हमारे देश के कई राज्यों में हम भूमि संबंधी सुधार किए गए हैं। भूमि सुधारों के नाम पर वे अतिरिक्त भूमि का वितरण जमीन जोतने वाले गरीब कृषकों, बंटाईदारों तथा इसी तरह के लोगों को करते हैं। मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि भूमि सुधार संबंधी प्रणाली को पूरी तरह बदल देना चाहिए। इसका सबसे पहले आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। देश में उपलब्ध समस्त अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि सरकार ने भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की होती तो हमारे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता था तथा हम न सिर्फ देश के 900 मिलियन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते बल्कि इसकी आपूर्ति अन्य देशों में भी कर सकते थे।

हमारी भूमि काफी उपजाऊ है। लेकिन वर्तमान सरकार तथा पिछली सरकार समस्त उपजाऊ भूमि को उपभोग नहीं कर सकी। वे भूमि सुधार की इस प्रणाली को नहीं अपना पायी। वे आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पायी। वे भूमि तथा इसमें उपजाऊपन से संबंधित आधुनिक तरीकों का पूरा लाभ नहीं उठा पायी। अतः दीर्घावधि उपाय अपनाए जा सकते हैं। सरकार को भूमि सुधारों को अपनाने का कार्य सबसे पहले करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, त्वरित औद्योगिकीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निमंत्रण वाले भारी इंजीनियरिंग उद्योग के कारण नहीं है। इन पर ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन बुनियादी सच यह है कि हमारे समाज तथा हमारी अर्थव्यवस्था का त्वरित औद्योगिकीकरण हुआ है। जहां तक कृषि का प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग हमारे देश के विकास में योगदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में जन वितरण प्रणाली में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सुधार तथा विकास किए जाने की तुरंत जरूरत है। राशन की सिर्फ संशोधित प्रणाली ही नहीं, बल्कि इस पूरी प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में भी सोचना है। जनसंख्या में वृद्धि की समस्या वाले अन्य देश भी हैं लेकिन उन्होंने इस समस्या को निपटा लिया है। इसके बाद अर्थव्यवस्था की समस्या आती है। उन देशों द्वारा अर्थव्यवस्था संबंधी समस्या निपटने हेतु अन्य तरीके अपनाए गए हैं।

लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार उन तरीकों को नहीं अपना सकी। रूस ने क्या किया? चीन ने क्या किया? केवल चुनौती को स्वीकार लेना केवल एक रास्ता नहीं है लेकिन चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा और भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। हमें इन चीजों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अनिवार्य नसबंदी एकमात्र उपाय नहीं है लेकिन लोगों में चेतना का विकास किया जाना चाहिए। ऐसा करने से जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाया जा सकता है। यदि आज जनसंख्या नियंत्रण पर अमल किया जाय तब पचीस साल बाद हम इसका लाभ प्राप्त करने की स्थिति मे होंगे। अतएव, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को सबसे पहले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपाय शुरू करने चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : माननीय सभापति महोदय, मूल्यवृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय है जो देश के लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इस सदन में कितनी ही बार इस मुद्दे पर विचार किया गया है। वास्तव में गरीब लोग मूल्य वृद्धि से प्रभावित होते हैं। अब मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1990 से 1995 के बीच लगातार मूल्य वृद्धि हुई है, विशेषरूप से, चावल, गेहूं, नमक तथा दाल जो कि जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, के मूल्य बढ़े हैं।

हमारे देश के गरीब लोग मुख्य रूप से जीवन यापन के लिए इन आवश्यक वस्तुओं की जरूरत महसूस करते हैं तथा इस संकट की स्थिति में लगातार मूल्य वृद्धि हुई है।

गरीब लोग मोटे चावल लेने के आदी होते हैं। यदि आप मोटे चावल को लें तो 1990 में यह 3.92 रुपये प्रति किलो था तथा 1995 में यह 7.28 रुपये प्रति किलो था। आप चालू मूल्य से परिचित हैं। यही बात मोटे गेहूं की है। फरवरी 1990 में मोटे गेहूं का मूल्य 2.90 रुपये प्रति किलो था तथा 1995 में यह 4.65 रुपये प्रति किलो हो गया। यदि आप चीनी का मूल्य लें तो यह 1990 में 8.72 रुपये प्रति किलो था तथा 1995 में यह 13.95 रुपये प्रति किलो हो गया।

महोदय, नमक एक अत्यन्त सामान्य वस्तु है। गरीब लोगों को सब्जी, दाल इत्यादि नहीं मिल पाती है। इसलिए वे नमक का उपयोग शोरबे के रूप में करते हैं। हमारे देश के लाखों लोग नमक या उनके गांव में जो भी चीज उपलब्ध होती है उसका उपयोग शोरबे के रूप में करते हैं क्योंकि वे सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। 1990 में नमक का मूल्य 98 पैसे प्रति किलो था जो 1995 में बढ़कर 2.06 रुपये प्रति किलो हो गया। मैं साधारण नमक की बात कर रहा हूं जो जन सामान्य द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

सामान्य दालों जैसे अरहर की दाल जो कि जन सामान्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है, का मूल्य भी बढ़ा है। 1990 में इसका मूल्य 10.35 रुपये प्रति किलो था तथा अब इसका मूल्य 24.97 रुपये प्रति किलो हो गया है। यदि आप यह सब देखें तो आपकी समझ में आयेगा कि गरीब लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं।

कई बार मूल्य नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। सरकार, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकारों ने, यह प्रदर्शित करने की कोशिश की है वे इसके प्रति सतर्क हैं लेकिन मूल्य पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है। इसके क्या कारण हैं? एक कारण जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। यह कारण मुद्रास्फीति तथा अन्य कोई भी हो सकता है। माननीय सदस्यों द्वारा संसद में इस विषय के कारणों पर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारी वितरण प्रणाली किस हद तक प्रभावी है।

हम स्कूल के दिनों में कालाबाजारियों तथा जमाखोरों के बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन बाजार में कालाबाज़ारियों तथा जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाही करने की कोई प्रणाली क्यों नहीं उपलब्ध है? हम असफल क्यों हुए? मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। लगातार सरकारों को असफलताओं का मुंह देखना पड़ा है। मैं सोचता हूं कि यह एक मुख्य मुद्दा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम बढ़ते हुए मूल्य को नियंत्रण में रखने या निम्न स्तर पर लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए हम क्यों असफल हुए।

मैं अब गरीबों की क्रयशक्ति का मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उड़ीसा के सूखा-पीड़ित क्षेत्र में आता है जहां लोगों की क्रयशक्ति समाप्त हो गई है। वे 2 रु. प्रति किलो की दर पर भी चावल खरीदने की स्थिति में नहीं है। मैं उन लाखों लोगों की बात कर रहा हूं जो गांवों में रहते हैं। उनके पास रोजगार नहीं है। हम देश में भूमि तथा मानवशक्ति को सुदृढ़ करना भूल गए हैं। हमने केवल द्रुत विकास पर जोर दिया है। यह ठीक है कि हम अन्य देशों की तरह विकास

करें लेकिन यह हमारी मानवशक्ति तथा भूमि का उपयोग किए बिना नहीं होना चाहिए। करोड़ों हेक्टेयर भूमि अनुपयुक्त पड़ी है।

अपराह्न 6.00 बजे

स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्षों के बाद भी हम अपनी भूमि को क्यों उपयोग में नहीं ला सके हैं? हम अपने कृषि समुदाय तथा कृषि प्रणाली को मजबूत नहीं बनाना चाहते हैं तथा आवश्यक रूप से हम अपने किसानों को नकदी फसल अपनाने पर जोर दे रहे हैं। हर समय हमने अपने किसानों को यह कहा कि वे पारंपरिक फसलों को छोड़ दें तथा नकदी फसलों को अपनाएं ताकि वे भूखे न रह सकें तथा और ज्यादा कमा सकें। गत एक दशक से ये सब नारे काफी लोकप्रिय रहे हैं। इसीलिए हमारे किसानों की क्रयशक्ति कम हो गई है।

सभापति महोदय, श्री भक्त चरण दास, कृपया बैठ जाइए।

मैं सभा का समय बढ़ाने के लिए सभा का विचार जानना चाहता हूं। इस बहस में भाग लेने के लिए बारह और वक्ता हैं। कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे लम्बे समय से वाद-विवाद में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप सभी सहमत हों तो हम सभा का समय एक घंटा और बढ़ा सकते हैं ताकि हम सभी वक्ताओं को समय दे सकें। ...**(व्यवधान)**

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : हां, महोदय, हम आज एक घंटे और बैठ सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : नहीं महोदय ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपको सुना है। काफी वरिष्ठ सदस्य काफी लंबे समय से इस बहस में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज इसे हम पूरा कर लें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, मेरा मुद्दा है चाहे सदस्य नए हो या वरिष्ठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सभा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभा का विषय जान सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपका मत जानना चाहता हूं। मैं अपना विचार प्रकट नहीं करना चाहता हूं। यह अध्यक्ष या सरकार या विपक्ष का मत नहीं है। काफी कार्य लंबित है। यह इस चर्चा का दूसरा दिन है। हम नियम 193 के अन्तर्गत दूसरी चर्चा पर विचार कर रहे हैं। अतएव, हमें समय में एक घंटे की वृद्धि पर सहमत होना चाहिए ताकि हम सभी बारह वक्ताओं को आज सम्मिलित कर सकें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : उस मामले में, सुबह से ही सभा का विचार जानना चाहिए था न कि शाम के 6 बजे तक इंतजार करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, यह अभी ही लिया जाता है।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह सही है। यदि समय को बढ़ाया जाता है, तो इसे कार्य मंत्रणा समिति के सामने लाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभी मुद्दे सही हैं। साथ ही, मुझे विश्वास है कि आप भी इससे सहमत होंगे कि यह एक महत्वपूर्ण बहस है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, अब हम आज एक और घंटे के लिए बैठें ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही एक और घंटा बढ़ाने पर अपनी सहमति दें।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, जब हम ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं तब भी काफी कम उपस्थिति है ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : माननीय सभापति महोदय, हमें नियम 193 के अन्तर्गत विदेश मामले के संबंध में चर्चा करनी है जो लंबित है।

लगभग बारह दलों ने उस चर्चा में भाग लेने के लिए कई नाम दिए हैं। श्री वाजपेयी भी इस चर्चा में काफी तत्पर हैं तथा उन्होंने कहा कि दो घंटे का समय पर्याप्त नहीं होगा तथा इसे बढ़ाया जाना चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ हुए समझौते तथा अन्य चीजों को इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं जिसके बारे में श्री वाजपेयी जी ने भी विचार व्यक्त किए हैं।

कार्य मंत्रणा समिति में हमने नियम 193 के अन्तर्गत दो चर्चाओं को स्वीकृति प्रदान की जिसमें से एक खेलकूद पर तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में था। तब, हमने दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की थी। हम सदस्यों द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियों को समझते हैं। हम इस चर्चा को एक और घंटे बढ़ाएं, मैं तो यह कहूंगा कि यदि संभव हो, तो मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। इस सत्र की अंतिम तिथि 20 तारीख है। अन्यथा, हम इस बहस को पूरा नहीं कर पाएंगे तथा हमारे लिए काफी कठिनाई होगी। हम 20 तारीख से पीछे की ओर देखें न कि आज से 20 तारीख तक ...**(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं फिर भी उपस्थिति काफी कम है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : महोदय, अभी यहां पर काफी माननीय सदस्य बोलने के लिए बैठे हैं। ...**(व्यवधान)** माननीय

मंत्री जी इसका उत्तर कल दे दें, क्योंकि बहुत से जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं वे अगर रिप्लाई के समय नहीं रहेंगे, ...**(व्यवधान)** तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या बोला है। मंत्री जी कल उत्तर दे सकते हैं। मगर अगर एक घंटा बढ़ा देते हैं तो जो यहां माननीय सदस्य बैठे हैं वे बोल सकते हैं। अगर उसके बाद आवश्यकता है, और कुछ बोलने वाले बाकी हैं तो फिर आप बाद में निर्णय करें।

श्री श्रीकांत जेना : पांडेय जी कृपया मेरी बात सुनिये।

जैसा कि श्री संतोष मोहन देव ने कहा, सही स्थिति यह है कि अनेकों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं और फिर विदेशी मामलों पर चर्चा का विषय भी है। यदि आप इस पर एक दिन और चर्चा करते हैं तो हम अन्य सदस्यों को चर्चा में शामिल नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सदन की कार्यवाही एक घंटे तक ओर बढ़ाने की बात मान लें। बहुत से सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि सदन का समय बढ़ाया ही जाना था तो यह सुबह ही हो जाना चाहिए था। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : आज सुबह सदन में विपक्ष के नेता ने एक सुझाव दिया था कि 'गंगा जल' तथा 'विदेशी मामलों' पर एक साथ चर्चा की जाए और इस पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता नहीं है हमने भी इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसे आज की चर्चा से हटाया जा सकता है।

हमे इस चर्चा को आज ही समाप्त करना चाहिए। सुबह ही मैंने यह सुझाव दिया था। हम उसी के अनुसार चल रहे हैं।

मधुकर सरपोतदार : किसने यहा सुझाव दिया था।

श्री श्रीकांत जेना : श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सुझाव दिया ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। वे स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री श्रीकांत जेना : इसलिए मैं भा.ज.पा. के मित्रों एवं शिव सेना के नेता को इस बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि वैसी स्थिति में दूसरे मुद्दों को चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकेगा। समय सीमित है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप सदन का समय एक घंटा अथवा दो घंटे बढ़ाए जाने को स्वीकृति दें। ताकि हम लोग इस पर चर्चा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : एक घंटे में तो सब लोग नहीं बोल पाऐंगे।

श्री श्रीकांत जेना : दो घंटे बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

हम इकट्ठे बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि, जैसा कि मूल्य वृद्धि एक महत्वपूर्ण विषय है, हमें इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। सदस्य उपस्थित हों या न हों। यदि इस विषय को कल लें तब भी कोई जरूरी नहीं कि सदस्य उपस्थित हों। अतः हम इस विषय पर आज ही गंभीरता से विचार कर लें और इस पर चर्चा समाप्त कर दें।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि सभी माननीय सदस्य आज बोल लें और मंत्री महोदय कल जवाब दे दें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मंत्री जी को कल राज्य सभा में भी जाना है। राज्य सभा का भी इतना ही महत्व है। अगर यह हो जाए कि सारे के सारे मेम्बर आज ही बोल लें और मंत्री जी का भी जवाब आज ही हो जाए, चाहे इसके लिए एक घंटे, दो घंटे या तीन घंटे ही क्यों न बैठना पड़े। दूसरा यह हो सकता है कि सारे मेम्बर आज बोल लें और कल प्रश्न काल के बाद मंत्री जी जवाब दे दें। दोनों बातों के लिए हम तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यदि स्थिति यही थी तो हमें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष सभी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए थी। यदि आवश्यक हो तो सदन का समय एक दो घंटे के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष बिल्कुल नहीं लाया गया। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि यदि किसी सदस्य को देर तक बैठना आवश्यक हो तो उसे सुबह ही पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसी के अनुसार हम उनके कार्यक्रम का बाहर भी इंतजाम कर देंगे। यह दूसरी दिक्कत है।

तीसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन चर्चा हेतु आज के विषय को हम महज औपचारिक रूप से समाप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें पहले से सूचित कर दो कि हम कल दो घंटे देर तक बैठेंगे और इस विषय को समाप्त करेंगे। यह बात तो समझ में आती है। जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे इंजतार करेंगे, जो नहीं रखते वे चले जाएंगे। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं कि अंतिम क्षणों में इस चर्चा को क्यों लिया जाये। मेरी राय में सदन का यह इरादा नहीं है।

सभापति महोदय : मैं सभापति पद से कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि यह न तो सरकार की राय है और न ही मेरी कोई व्यक्तिगत राय। आपको पता है, सदन की कार्यवाही सदन के सभी सदस्यों के

लिए सोचनें का विषय है। मैं सदस्यों को रोक नहीं रहा क्योंकि यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी दलों ने अपनी अपनी समय सीमा समाप्त कर ली है। लेकिन, इसके बावजूद हम सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। हम किसी सदस्य को बोलने से रोक नहीं रहे हैं। सदस्यों के नाम की सूची आ रही है। नाम अभी भी आ रहे हैं। हम उन सभी नामों की सूची बनाते जा रहे हैं। अतः यदि इस तरह की चर्चा को और आगे बढ़ा दी जाती है तो यह सरकार अथवा किसी दल का उत्तरदायित्व नहीं है। अतः हम बोलने की अनुमति दे रहे हैं। मैंने सदस्यों को बोलने की अनुमति देने के अपने अधिकार का उपयोग किया है। कृपया आप इस बात को समझें। विषय की गंभीरता को देखते हुए ही हमने सभी सदस्यों को अनुमति दी है। हमने साथ ही पाबंदी नहीं लगाई। आपने यह महसूस किया होगा। अन्यथा एक दल को एक दो मिनट के बजाय पांच पांच अथवा दस-दस मिनट बोलने का समय दिया गया है। उन्हें बोलने की अनुमति देना ही उचित है क्योंकि यह एक महज मुद्दा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सदन की कार्यवाही एक अथवा डेढ़ घंटे के लिए बढ़ाने की अनुमति दें ताकि सभी सूचीबद्ध वक्ताओं को बोलने का मौका मिल जाए। उनमें से कुछ अनुपस्थिति हैं। अतः आप संयम से बोल सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरा ख्याल है कि हम औपचारिकता पूरा करना चाहते हैं?

सभापति महोदय : यह औपचारिकता नहीं है क्योंकि हम इस तरह का निर्णय करते रहे हैं। हमने सदन में हमेशा ही ऐसा निर्णय लिया है। आपका कहना सही है कि हमें इसका अनुमान होना चाहिए था और हमें इस पर पहले ही चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन सदन में ऐसी बातें हुआ ही करती हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : हम उनकी बात सुनें।

सभापति महोदय : इसीलिए हम सदन की राय ले रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोरम पूरा है।

श्री दिलीप संघानी : केवल 46 सदस्य उपस्थित हैं। यदि मैं उपस्थित रहा तो कोरम के मुद्दे को उठाऊंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि यही हमारी गंभीरता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। एक खास समझौते हैं जब हम माइक्रोफोन पर नहीं बोलते।

श्री दिलीप संघानी : हम इससे सहमत नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : यदि आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी से सहमत नहीं हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। यह उन्हीं का सुझाव था जो उन्होंने सुबह दिया था। आप सब मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अब आप कहते हैं कि इस मुद्दे को कल लिया जाए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम लोग बहस में न पड़ें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना : सबकी बात सुन लीजिए और बैठ कर बात कर लीजिए। एक डेढ़ घंटा बैठकर इसको खत्म कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमने सभी सदस्यों की बात सुनी। सभी की बातें जायज हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही के हित में हमलोग सहमत हो जाएं। हम समय बढ़ाएंगे।

श्री भक्त चरण दास : अपनी बात जारी रख कर जल्दी से जल्दी समाप्त करें। ...**(व्यवधान)**

श्री भक्त चरण दास : महोदय, मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : कृपया, सदन का समय एक अथवा डेढ़ घंटे तक न बढ़ा कर तब तक के लिए बढ़ाया जाय जब तक सभी सदस्य बोल न लें—और माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर न दे दिया जाए। ...**(व्यवधान)** आपने निर्णय ले लिया है जो हम पर बाध्यकारी है ...**(व्यवधान)** सदस्यों के समक्ष शाम के लिए दूसरा काम है। उन्हें यह पता नहीं था कि आप समय बढ़ाने जा रहे हैं। यही समस्या है।

सभापति महोदय : जहां तक मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने का प्रश्न है हम इसके लिए समय निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन सदस्यों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। सदस्य अपनी बात कहेंगे। अतः सदस्य जब अपनी बात आज ही समाप्त करेंगे और मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न काल के तत्काल बाद इसका उत्तर दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, आपने भक्त चरण दास जी को बोलने के लिए कह दिया है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस तरह का तकनीकी मुद्दा न उठाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम लोग एक बात पर सहमत हों।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : जो सदस्य सदन में हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनका आदर किया जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है। ...**(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना यह है कि लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष तथा काफी वरिष्ठ सदस्य श्री शिवराज वी. पाटिल ने तेरह-चौदह मिनट तक भाषण दिया। सदस्यगण बिना किसी समय सीमा के बोल रहे हैं और इस प्रकार सदन की कार्यवाही का समय समाप्त हो रहा है। मैं समझता हूं कि आपको कुछ पाबंदी लगानी पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम यह चाहते हैं कि सदस्य स्वयं ही पाबंदी रखें। ऐसा नहीं होता है तो पीठासीन अधिकारी को पाबंदी लगानी पड़ेगी। अतः हमलोग इसे समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : आप इतना तो कह दें कि रिप्लाई कल हो जाएगा ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी को आज भी उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं है। हमलोग इस तरह से बहस न करें। बात यही है कि मंत्री महोदय आज भी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अतः हमलोग चर्चा आज समाप्त करेंगे और मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने का मामला 12 बजे निर्धारित करेंगे। अतः हम लोग चर्चा आज ही समाप्त करें।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : कितने सदस्यों को बोलना बाकी है?

सभापति महोदय : अभी 12 सदस्य शेष हैं। हो सकता है कुछ सदस्य अभी उपस्थित न हों।

(व्यवधान)

श्री भक्त चरण दास : सभापति महोदय, हमने अधिक पैदावार अथवा अधिक उत्पादन के लिए मानवशक्ति का सदुपयोग करने के लिए प्रयास नहीं किए हैं। हमने पड़ी भूमि में पारम्परिक फसलें जैसे धान और गेहूं इत्यादि उगाने के लिए भी प्रयास नहीं किए हैं। हमारे देश में करोड़ों एकड परती भूमि है। हमारा देश सभ्यता की शुरूआत से ही पारम्परिक फसलों की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि सूखा प्रभावित कालाहांडी जिलों में फालतू मात्रा में धान और गेहूं का उत्पादन होता था। 1936 में हमने बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों को चावल की आपूर्ति की थी। हालांकि अब यह जिला सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसा क्यों? यह प्रकृति की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि इसलिए है कि हम किसानों को अधिक उपज के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लाभ मुहैया कराने में असफल रहे हैं।

यदि इन क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित सुविधाएं रही होती तो इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। 1936 में हमने अधिक मात्रा में उत्पादन किया था और अब तक उससे भी अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा होता। लेकिन इस क्षेत्र में धान के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। कमोवेश यही स्थिति देश में भी है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि परती भूमि पर अधिक फसल उगाने के लिए समुचित कदम उठाएं। देश में बेरोजगारी की बड़ी संख्या है जिनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस मानवशक्ति का उचित सदुपयोग होना चाहिए। भूमि के लिए अधिकाधिक सिंचाई सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए ताकि अधिक मात्रा में धान, गेहूं और पारम्परिक फसलों को उगा सकें। हमें अपने किसानों को पारम्परिक फसल उगाने के लिए समुचित प्रोत्साहन देना चाहिए। किसानों से आग्रह किया जाना चाहिए कि वे नकदी फसल उगाने के बजाय, गेहूं और धान की फसलें अधिक उगाएं क्योंकि देश की गरीब आबादी इन खाद्यान्नों का उपयोग करती है।

वितरण और समूचे देश में कालाबाजारी और जमाखोरों पर रोक लगाने के संबंध में हमें नया कार्यक्रम अपनाना चाहिए अन्यथा देश में इन वस्तुओं का उचित वितरण करना असंभव होगा तथा कालाबाजारियों और तस्करों का जोर रहेगा। सारी नारेबाजी के बावजूद, कालाबाजारियों और जमाखोरों पर रोक लगाने में असफल रहे हैं।

मैंने आपको कालाहांडी का उदाहरण दिया जहां पर 1936 में हम अधिक पैदावार लेते हैं। आजादी पूर्व, हम अधिक पैदा करते थे और इस पर बाद से प्रतिकूल असर पड़ा है। अतएव, सरकार द्वारा इस प्रकार की फसलों की पहचान करनी चाहिए। प्रकृति ने हमें सभी प्रकार के संसाधन दिए हैं। हमारी भूमि उपजाऊ है और देश में जलस्रोत भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमें इन स्रोतों का समुचित दोहन करना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ एक दीर्घावधि योजना बनाई जानी चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में अधिकाधिक उत्पादन हो।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, आज हम सब इस बात के लिये चिन्तित हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम सभी सहमत हैं कि चर्चा पूरी होने तक सभा बैठेगी और हम इस बात पर भी सहमत हैं कि हम गणपूर्ति का प्रश्न भी नहीं उठाएंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी प्रधान सचेतक, सरकार और सभी सदस्य इस बात को नोट कर लें। उन्होंने एक बहुत ही सही बात कही हैं। हमें चचा जारी रखनी चाहिए। यदि कोई सदस्य यहां आसपास हैं तो उन्हें सभा में आने क लिए कहें। हमें चर्चा जारी रखनी चाहिए। हम सभी चर्चा पूरा होने तक बैठने पर सहमत हैं। अतः कृपया कोई प्रश्न नहीं उठाएं।

श्री यादव अपनी चर्चा जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आज जो मूल्य-वृद्धि की समस्या है यह राष्ट्रीय समस्या है और सारा सदन और सारा देश इस बात से चिन्तित है। आवश्यक वस्तुएं महंगी क्यों हो रही हैं, इसके पीछा जरा गौर करना होगा। संयुक्त मोर्चे की सरकर इस बात के लिए कटिबद्ध है कि मंहगाई नहीं बढ़ने देंगे और मूल्य-वृद्धि रोकने का काम करेंगे। छः महीने की सरकार ने अच्छा प्रयास किया है और खास तौर से मैं खाद्य मंत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास किया है कि आम जनता तक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर पहुंचे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की आबादी 90 करोड़ से ऊपर है और आधे से अधिक ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। 70 फीसदी लोग खेत-खलिहानों में काम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। 50 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए और आजादी के इतने लंबे अंरसे के बाद जहां हमारे देश की अधिकांश आबादी खेतिहर मजदूर, किसानों की है, उन लोगों की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि आज हम महंगाई को चाह कर भी नहीं रोक पा रहे हैं। अगर हम मूल जड़ में नहीं जाएंगे, खेत में उत्पादन बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकने का काम नहीं करेंगे तो देश में महंगाई नहीं रूक पाएगी। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। सदन में बैठे हुए लोगों को सोचना होगा चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। यह हम सबकी संयुक्त जिम्मेवारी है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा कि इसका क्या समाधान है। आज हम सत्ता में हैं और हमारे सामने बैठे हुए भाई विपक्ष में हैं। हम खामियों को उजागर करें, ऐसी प्रजातंत्र में व्यवस्था है मगर सकारात्मक सुझाव भी देने पडेंगे और पूरे सदन को बैठकर यह सोचना पड़ेगा कि उत्पादन कैसे बढ़े और जनसंख्या कैसे कम हो। अगर इन चीजों पर कंट्रोल करने का काम नहीं किया तो चाहें किसी की सरकार आए, लाख चाहने के बाद भी वह मूल्य-वृद्धि को नहीं रोक पाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि खेत में उत्पादन बढ़े। हमें देखना होगा कि खेत में उत्पादन करने वाले लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, खेतों में समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है या नहीं, खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको पूरी तरह से सुविधा मिल रही है या नहीं। अगर इन चीजों के ऊपर हमने ध्यान देने का काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर हम मूल्य-वृद्धि रोकने का काम नहीं कर सकेंगे।

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

अपराह्न 6.24 बजे

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी है, मैं इस बात को मानता हूं। पिछले 20-25 दिन में ज्यादा बढ़ी है। यह निश्चित तौर पर एक साजिश के तौर पर बढ़ाई गई है। संयुक्त मोर्चे की सरकार पोपुलर गवर्नमेंट है। इसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है और इसके पीछे जमाखोरों और काला-बाजार करने वाले लोगों की चाल है।

जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है कि दाम को बढ़ाओ और अनाज को गरीब तक पहुंचने न दो। यह आर्टीफिशियल स्केयरसिटी करने की व्यवस्था एक बड़ी साजिश के तहत की जा रही है और मैं साफ तौर पर कहना चाहूं कि कालाबाजारी और जमाखोरों को प्रोत्साहित करने का कौन लोग कर रहे हैं। कुछ लोग उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी इच्छाशक्ति हो और चूंकि केन्द्र में हमारी सरकार है, राज्यों को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए गौर से देखना होगा कि आज मुख्य रूप से 4-5 राज्यों में मूल्यवृद्धि बड़े पैमाने पर की गई है। आम तौर पर यह देखने से पता चलता है कि जो 4-5 राज्य हैं, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, और राजस्थान इनमें जो अनाज के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से यह लगता है कि वहां की जो सरकारें हैं उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझने का काम नहीं किया और कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोटेक्शन देने का काम किया है, प्रोत्साहित करने का काम किया है और यही कारण है कि आप संयुक्त मोर्चा की सरकार को उनके माध्यम से बदनाम किया जा रहा है।

श्री जय प्रकाश (हिसार) **:** दिल्ली की सरकार तो आपकी सरकार है।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, सरकार तो हमारी है, कंट्रोल आप कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार में आप भी हैं और हम भी हैं।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) **:** बिहार में गेहूं क्या भाव बिक रहा है, कलकत्ता में क्या भाव बिक रहा है। इन्होंने चार सरकारों का नाम लिया है। ...**(व्यवधान)** यह गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोलिये, इनको जो पता है वही बोल रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मैं जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं कि इन चार-पांच राज्यों में जो मूल्यवृद्धि हुई है वह किन्हीं दूसरे अन्य राज्यों में नहीं हुई है। इनको तकलीफ हुई होगी। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर आपको सोचना होगा तभी हिन्दुस्तान की आम जनता को राहत प्रदान की जा सकती है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : आपने कालाबाजारी में जो गेहूं बेचा है और निर्यात की अनुमति क्या आपकी केन्द्र सरकार ने इन चारों राज्यों से पूछकर दी थी?

श्री राम कृपाल यादव : हमारे माननीय मंत्री जी ने विस्तारपूर्वक अपनी बात पहले दिन रखी है और जब वह अपनी बात रखेंगे उस बात को काटने का काम आप कीजिएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार जो मंहगाई है उसके पीछे खास तौर से जो गेहूं की मंहगाई हुई है, उसके पीछे कारण यह है कि उत्पादन भी कम हुआ है। गेहूं का उत्पादन 31 लाख टन हुआ है और 41 लाख टन कम वसूली किसानों के माध्यम से की गई है। तो नेचुरली उत्पादन कम होगा तथा बाजार में इस चीज की किल्लत होगी। मगर उसके बाद भी सरकार ने अपने स्तर से हर स्तर से प्रयास करके राज्यों को उचित मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी की जो आवश्यकता हुई है, उसको प्रदान करने का काम किया है। मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया था, उसमें कई राज्यों ने आवंटित राशन से उसको उठाने का काम नहीं किया है, तो स्केयरसिटी होगी या नहीं होगी। इस तरह इन चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमारे यहां जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को राशन पहुंचाया जाता है। मगर जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें हैं, उनमें कितना भ्रष्टाचार है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। हम लोग भी आम परिवारों, आम लोगों में से आते हैं। हम भी जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन तंत्र का काम करते हैं। लेकिन एक-एक राशन दुकानदारों के पास इतने बड़े पैमाने पर बोनस यूनिट हैं। एक-एक राज्य में 30-40 परसेंट बोनस यूनिट हैं, जब तक इन बोगस यूनिटों को खत्म करने की कार्रवाई नहीं होगी।

सभापति महोदय : आपका समय 10 मिनट है। बहुत सारे मैम्बर्स हैं, 10-10 मिनट सब सदस्यों को समय दिया जायेगा।

श्री राम कृपाल यादव : सर, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। अभी तो बहुत सारी बातें कहनी हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने के लिए थोड़ा समय और दिया जाए।

सभापति महोदय : आपको 10 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म करना था। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अब आप समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बोगस राशन कार्ड रखे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ऐसे मामलों की इंक्वायरी के आदेश दें, जांच कराएं ताकि बोगस राशन कार्डों पर अंकुश लगाया जा सके। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो देश में गरीब लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पाएगा ...**(व्यवधान)**

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि जहां हमारी सरकार ने जितने छोटे व्यवसायी हैं, छोटे आटा-चक्की वाले हैं, छोटे डीलर हैं, उन्हें गेहूं उपलब्ध कराया है क्योंकि वे सभी निम्न स्तर के गरीब व्यापारी हैं, वही बड़े व्यापारियों को किसी तरह का नाजायज लाभ उठाने से रोकने की कार्यवाही की है जो अब तक मनचाही सामग्री रखकर, होर्डिंग करके नाजायज लाभ उठाते रहे हैं। हमारी सरकार ने उन पर अकुंश लगाया जिसके परिणामस्वरूप यह बावेला मचा है। बड़े व्यापारियों को पहले असीमित मात्रा में खाद्यान्न मिलता था, उसे सरकार ने रोका है, जिसके लिए मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले होर्डिंग नहीं थी और कोई भी व्यापारी किसी भी सीमा तक अनाज रख सकता था लेकिन 1993 में होर्डिंग रोकने के लिए अनाज की एक सीमा निर्धारित की गई। अब हमारे मंत्री ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे मैं समझता हूं कि होर्डिंग को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा और उन कदमों के अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। इसके अलावा देश में बड़े पैमाने पर अनाज की जमाखोरी और काला-बाजारी में लगे लोगों पर छापा मारकर, गरीब तबके के लोगों तक अनाज पहुचांने की व्यवस्था सरकार करेगी।

समय की कमी के कारण, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इतिहास में पहले कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने विभाग में सी.बी.आई. जैसी किसी एजेंसी को आमंत्रित किया हो। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जिसका श्रेय हमारे मंत्री जी को जाता है। इससे साफ परिलक्षित होता है कि हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार हर कीमत पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कटिबद्ध है ताकि गरीब जनता तक आम खाने-पीने की वस्तुएं पहुंचाई जा सकें, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों तक, खेत-खलिहानों में काम करने वाले लोगों तक, गरीब लोगों तक खाने-पीने की जरूरी चीजें पहुंचाई जा सकें- यही हमारी सरकार की मंशा है जिससे मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कीमतों में कमी आएगी, कीमतों पर कंट्रोल हो सकेगा और देश की 70 प्रतिशत आबादी, जो गरीब है, उसे अधिक से अधिक राहत यह सरकार पहुंचाएगी। इन चन्द शब्दों के साथ, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, हमारे मंत्री जी ने जो स्टैप्स लिए हैं, मैं सभी मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वे हमारी सरकारें के साथ को-आपरेट करें ताकि अनाज की जमाखोरी को रोका जा सके तथा आम जनता तक खाने-पीने की तमाम वस्तुएं पहुंचाने में वे सहायक भूमिका अदा कर सकें। इन शब्दों के साथ मंत्री जी को धन्यवाद और सरकार को भी धन्यवाद।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय सभापति जी, हमारे देश में मूल्य-वृद्धि के बहुत से कारण हैं लेकिन इनमें एक सबसे बड़ा कारण सरकार की नीति है। मैं अभी आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं कि हमारे देश में कृषि उत्पाद व कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पाद के सम्पूर्ण भारत में आने-जाने में प्रतिबंध सिर्फ थ्योरोटिकली हटा हुआ है। सरकार कई दफा हाउस में आश्वासन भी दे चुकी है कि कृषि उत्पाद को लाने ले-जाने की पूरे भारत में स्वतंत्रता है लेकिन वास्तविकता क्या है कि प्रत्येक राज्य की सीमा पर कहीं व्यापार-कर के नाम पर, कहीं चुंगी परिषद के नाम पर, कहीं सेल्स टैक्स के नाम पर बैरियर लगे हुए हैं। पूरे देश में कृषि उत्पाद व कृषि पर आधारित उद्योग के उत्पाद का ब्रांड या कीमत एकसमान रहे, उसके लिए समस्त राज्यों की सीमाओं पर ये समस्त बैरियर हटाने जरूरी हैं।

सभापति महोदय, राज्य सरकारें टैक्स वसूलने के नाम पर ये बैरियर लगाए हुए हैं। क्या 1974 से पहले ये राज्य सरकारें टैक्स नहीं वसूलती थीं। कोई बैरियर जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी राज्य की सीमा पर लगे हुए नहीं थे। इसी कारण आज बासमती चावल जिसकी पूरे देश में 25 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो तक की कीमत है, लेकिन बंगलौर में 50 से 55 रुपए प्रति किलो बासमती चावल बिक रहा है।

सभापति महोदय : श्री अमर पाल जी, आपको पढ़ना नहीं है। मौखिक रूप से बोलना है।

श्री अमर पाल सिंह : सभापति महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल पाइंट ही देख रहा हूं। जहां तक गेहूं की तेजी का सवाल है आज भी एटा और मैनपुरी में गेहूं का भाव 600 रु. प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं है, लेकिन दिल्ली में यह भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं की तेजी के और भी कई कारण हैं क्योंकि इस वर्ष में गेहूं बेचने के लिए किसान के घर में नहीं है। या तो गेहूं एफ.सी.आई. के गोदामों में है अथवा बड़े व्यापारियों के गोदामों में है। किसान के घर में इस वर्ष गेहूं क्यों नहीं है इसका कारण भी सरकारी नीति ही है।

सभापति महोदय, वर्ष 1994-95 में गन्ना चीनी मिलें अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में अपनी पिराई आरंभ कर चुकी थी। जिसके कारण गन्ना किसान ने अपना गन्ने के खेत को खाली करके बड़ी अच्छी मात्रा में गेहूं बोया था। खाद्य मंत्रालय ने वर्ष 1994-95 में भारत की समस्त चीनी मिलों को जल्दी पिराई आरंभ करने के लिए एक राहत योजना दी थी। जो चीनी मिलें अपना गन्ना पिराई अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में आरंभ कर देगी उन सभी मिलों से अक्तूबर और नवंबर में लेवी चीनी नहीं ली जाएगी। क्योंकि इस समय में गन्ने में चीनी की रिकवरी कम होती है। इसी कारण इस वर्ष में गेहूं का रिकार्ड उत्पादन 65.5 मिलीयन मीट्रिक टन हुआ था। लेकिन 1995-96 में खाद्य मंत्रालय आंख मूंद कर बैठा रहा और उसने यह राहत योजना चालू नहीं की। जिसके कारण गेहूं का उत्पादन 94-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 में बढ़ने के बजाए और कम हो गया और गन्ना किसान की भी आर्थिक दुर्दशा हुई। क्योंकि इस सीजन में गन्ना चीनी मिलें अक्तूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में पिराई आरंभ हुई।

सभापति महोदय, इस बार 1996-97 में तो सरकार ने कोई लेवी राहत योजना गन्ना सीजन के प्रारंभ में नहीं रखी जिसके कारण कुछ मिल मालिकों की मनमानी के कारण मिलें नवंबर के अंतिम सप्ताह में चालू हुई। इस वर्ष गन्ना किसान बिलकुल गेहूं नहीं बो पाया है। अतः आने वाले वर्ष 1996-97 में खुले बाजार में गेहूं की पैदावार में गिरावट आने की बहुत बड़ी संभावना है। जहां तक चीनी की बात है वर्ष 1994-95 में खुले बाजार में चीनी का भाव 20 रुपए प्रति किलो था जिसके कारण इस वर्ष चीनी का आयात भी करना पड़ा था। इस समय चीनी का भाव खुले बाजार में 12 रुपए से लेकर 13 रुपए प्रति किलो है क्योंकि वर्ष 1995-96 में चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ। लेकिन इस वर्ष चीनी के किसान की बहुत अधिक आर्थिक दुर्दशा हुई। अभी तक पिछले वर्ष का भुगतान भी उसको नहीं मिल पाया है। इस वर्ष को छोड़ कर 1997-98 में फिर चीनी बीस रुपए प्रति किलो से ऊपर बिकेगी।

सभापति महोदय : अमर पाल सिंह जी, हाउस में इस तरह से ऐसा नहीं जाता है। आप अपने लिखे हुए को मंत्री जी को दे दीजिए। वे इसका जवाब दे देंगे।

श्री अमर पाल सिंह : नहीं सभापति जी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं तो इसमें से सिर्फ मुख्य बिंदुओं को देख कर बोल रहा हूं।

इस वर्ष तो किसान को सरकार द्वारा निर्धारित कीमत भी नहीं मिल रही है तथा चीनी मिलें केन्द्र व प्रदेश सरकार की मिली भगत से गन्ने की कीमत किसान को न देने हेतु उच्च न्यायालय में भी पहुंच गई हैं। अगर सरकार चीनी मिल मालिकों की मनमानी को रोकना चाहती है और गन्ना किसान को लाभ पहुंचाना चाहती है, तो भारत सरकार को अविलंब लघु खंडसारी इकाईयों को वेक्यूम पैन की अनुमति दे देनी चाहिए ताकि इनकी रिकवरी बढ़कर छः से नौ प्रतिशत हो जाए और ऐसी व्यवस्था हो कि लघु इकाई पांच हजार क्विंटल तक प्रतिदिन गन्ना पिराई कर सकें। इन लघु इकाईयों को लाइसेंस एवं लेवी चीनी से मुक्त रखा जाना चाहिए। यदि गन्ना किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो इस वर्ष को छोड़ कर वर्ष 1997-98 मे पुनः चीनी 20 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच जाएगी।

सभापति महोदय, यह एक अजीब विडम्बना है कि हमारे देश में जब भी किसान अपनी उपज का उत्पादन बढ़ाता है, तो उसे प्रोत्साहित करने की बजाय उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाती है।

हमारी सरकार की नीति के कारण किसान की ऐसी स्थिति होती है। अगर किसान आलू का उत्पादन अधिक करता है तो आलू के दाम बहुत अधिक नीचे आ जाते हैं। यही स्थिति कपास व प्याज का उत्पादन बढ़ाने से किसान की होती है। यदि धान का उत्पादन किसान

अधिक करता है तो सरकारी धान के क्रय केन्द्र किसान का उत्पीड़न करते हैं। किसानों के बजाए सरकारी क्रय केन्द्र बिचौलियों से धान खरीदना शुरू कर देते हैं और धान के किसानों का शोषण होता रहता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान जिस वर्ष अपने उत्पादन में वृद्धि करता है, उस वर्ष उसे संरक्षण देकर सरकार को उसकी दुर्दशा से बचाने का प्रावधान कर दें।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री अमर पाल सिंह : मेरा दो मिनट का और है। इस देश का किसान न केवल 100 करोड़ देश की जनता की मांग पूरा करने में सक्षम है बल्कि 30 प्रतिशत संसार को भोजन दे सकने में सक्षम हो जाएगा। भारत का किसान निर्यात बढ़ाने में तथा विदेशी मुद्रा का भण्डार अर्जित करने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। मेरा दाल की कीमत के वृद्धि के संबंध में सरकार से जानना है कि अब दाल खुले बाजार में 25 रुपये प्रति किलो से 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जो कि हमारे देश की शाकाहारी जनता के लिए एक मात्र प्रोटीन का सोर्स है तो 840 रुपये प्रति क्विंटल दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को देने का क्या औचित्य है? अगर सरकार दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 840 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल कर दे तो न केवल देश दाल के उत्पादन में आत्म निर्भर हो जाएगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी दाल 30 रुपये किलों के स्थान पर 15 रुपये प्रति किलो के भाव से मिलने लग जाएगी।

सभापति महोदय : आप 12 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अमर पाल सिंह : मेरा एक प्वांइट हैं। मैं दो मिनट और बोलूंगा।

सभापति महोदय : आपके प्वाइंट सब अलग हैं। आपने कोई प्वाइंट दुबारा नहीं बोला है। आपके जो प्वाइंट है, वह आप मिनिस्टर साहब को दे दीजिए।

श्री अमर पाल सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी से बोलने वाला तीसरा मैम्बर हूं। पार्टी के हिसाब से तो आप मुझे बोलने का टाइम दीजिए।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी मैम्बर बोलने वाले हैं। आपने जो बोलना है, जल्दी बोलिये।

श्री अमर पाल सिंह : सरकारी नीति के कारण घरेलू उद्योग की दशा खराब होने के दो उदाहरण मैं सभापति जी आपके व सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। अभी कुछ वर्ष पहले देश में पेपर की कमी थी लेकिन देश में नयी नई पेपर मिलें चालू हुई तथा उत्पादन बढ़ने से पेपर की कमी दूर हुई। इस वर्ष भारत सरकार ने पेपर के आयात कर में 20 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत कर देने से जो छूट आयात कर में दी है, उससे न केवल कर में कमी आई है बल्कि घरेलू पेपर उद्योग के सामने संकट आ गया है। गन्ना किसान की खोई जो 80 रुपये प्रति क्विंटल पेपर उद्योग खरीदता था, उसकी कीमत भी गिरकर 30 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी है। ये पेपर मिलें बंद होने के कगार पर खड़ी हो गयी हैं। अगर सरकार ने तुरन्त पेपर पर आयात कर में बढ़ोत्तरी नहीं की तो आने वाले वर्षों में देश का पेपर उद्योग चौपट हो जाएगा, जिससे देश को फिर से पेपर की कमी का सामना करना पड़ेगा।

दूसरा मेरा उदाहरण है—बरेली में एक सिंथेटिक रबर और कैमिकल फैक्ट्री चल रही है। उसके उत्पादन में बूटाडीन व स्टाईरन उपयोग होती है। सरकार ने उसे इसके आयात करने की अनुमति दे रखी है। यह फैक्ट्री हांगकांग, सिंगापुर तथा साऊथ कोरिया से बुटाडीन तथा स्टाईरन आयात कर रही है। जबकि बूटाडीन और स्टाईरन का उत्पादन देश में ही हो सकता है। इस फैक्ट्री की खपत के लिए बूटाडीन और स्टाईरन के स्थान पर तीन लाख लीटर एलकोहल की प्रति दिन आवश्यकता पड़ेगी। अगर सरकार बूटाडीन और स्टाईरन का आयात बंद कर दे तो गन्ना फैक्टिरयों को जो सीरे की समस्या है, वह सीरा बाजार में नहीं बिक रहा है, उसका समाधान हो जाएगा क्योंकि एलकोहल सीरे से ही बनता है। इससे गन्ना किसान को लाभ होगा।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति जी, बढ़ती हुई मंहगाई से सारा देश चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कह दिया है कि पैदावार कम है। हम इस बात को मानते हैं कि पैदावार कम होगी तो मंहगाई बढ़ेगी। लेकिन पैदावार कम होने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। आज नैशनल फ्रंट की सरकार यह कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दलित और शोषित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मैं केवल यह बात तो नहीं पूछ सकूंगा क्योंकि वह फूड सप्लाई मंत्रालय से संबंधित नहीं है। लेकिन मंहगाई क्यों बढ़ी, यह कृषि मंत्रालय से संबंधित बात है। जब इस देश का किसान धान की फसल बीज रहा था, गन्ना लगा रहा था तो केन्द्र सरकार की तरफ से डी.ए.पी. खाद, हरियाणा, पंजाब, वैस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मुझे मालूम है, भी उपलब्ध नहीं करवाई।

अब गेहूं की बात आई। मैं हरियाणा प्रदेश में रहता हूं। मुझे ज्यादा ज्ञान है कि गेहूं की पैदावार पहले से ज्यादा थी। कमी क्यों आई? कमी इसलिए आई क्योंकि इसके लिए एफ.सी.आई. दोषी है। हरियाणा और पंजाब प्रदेश में ये 20 अप्रैल से पहले गेहूं की प्रोक्योरमेंट नहीं करते। इतनी देर में किसान की फसल मंडी में आ जाती है और व्यापारी उसे खरीदकर ले जाते हैं। क्या यह सरकार की बेईमानी नहीं है? जब एफ.सी.आई. ने गेहूं परचेज करनी है, केन्द्र की एजेंसी ने परचेज करनी है तो क्यों नहीं करते। मैं इसके लिए एफ. सी.आई. के लोगों को दोषी ठहराउंगा। मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, ये कह रहे थे कि हम एफ.सी.आई. की सी.बी.आई. से जांच करवाएंगे। वैसे तो पिछले पांच वर्षों से सी.बी.आई., पोलिटीशियन्स और ब्यूरोक्रेट्स ही टैलीविजन और रेडियो में आते हैं लेकिन अब

यहां पर भी आने शुरू हो गए हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय से तालमेल करके इस देश के किसान की फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार को ज्यादा उपाय करने चाहिए ताकि उसकी पैदावार बढ़े और देश के उपभोक्ता को पूरा अन्न मुहैया करवाया जा सके, पूरी दालें मिल सकें।

किसान से 380 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा गया और आज मंडियों में 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आटा बिक रहा है। इसके लिए कौन लोग दोषी हैं। इसके लिए यह कहा गया कि प्रदेशों की सरकार जिम्मेदार है। मैं अपने मित्र श्री राम कृपाल जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। क्या बम्बई, दिल्ली राजस्थान, अहमदाबाद या दूसरे प्रदेशों में मंहगाई है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। पिछले तीन महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने खाद्य और आपूर्ति मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि हरियाणा प्रदेश में एफ.सी.आई. के माध्यम से करोड़ों रुपये की गेहूं लूटी जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों-करोड़ रुपये की चीनी शुगर मिलों में जमा है। वहां के मुख्यमंत्री बार-बार लिख चुके हैं कि या तो केन्द्र की पूर्ण चीनी को उठाया जाए या हरियाणा प्रदेश की सरकार को इजाजत दी जाए ताकि वह इसे आम बाजारों में बेचे। हमारे किसान का दस करोड़ रुपया हमारी चीनी मिलों पर बकाया है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री हमारे कुछ साथियों से कहते हैं कि यदि प्रदेश की सरकार किसान के गन्ने का मूल्य नहीं देगी तो हम उसका इंतजाम करेंगे। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कितने महीने से दूसरा सीजन शुरू हो चुका है लेकिन आज तक हमारी मिलों से चीनी नहीं उठाई गई। इसलिए चीनी के रेट्स बढ़ते हैं। वितरण प्रणाली का सिस्टम बिल्कुल गलत है। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने की क्या हालत है। 30-35 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के किसान का गन्ना बिक रहा है।

अब मैं नरमे की बात बताता हूं। आज हरियाणा प्रदेश में नरमे की बहुत दुर्दशा है। कॉटन कोपॉरेशन के अधिकारी रोज जाते हैं और मिल मालिकों से मिल जाते हैं जिससे किसान के नरमे का उठाव नहीं हो रहा है।

आज किसान को केवल 900 रुपये से 1100 रुपये प्रति क्विंटल देकर उसके नरमे को लूटा जा रहा है। कपड़े की हालत देखिए, उसके दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या यह विपक्ष की जिम्मेदारी है या उन प्रदेशों की जिम्मेदारी है जहां भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की सरकारें हैं? आज हरियाणा में किसान रो रहा है। किसान का नरमा उठाया नहीं जा रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कम से कम केन्द्र की सरकार समय रहते यदि यह काम करती कि नरमा ज्यादा है, तो उसका निर्यात करती, ताकि किसान को उचित मूल्य दिलाया जा सकता। हमारे साथी राम कृपाल जी कह रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र की नहीं है। केन्द्र ने समय रहते यदि अच्छा काम किया होता तो हम उसका समर्थन करते। हम तब मानते जब केन्द्र सरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री की चिट्ठी पर अमल करती। वहां पर एफ.सी.आई. के रीजनल मैनेजर पर अगर लगाम लगाई जाती तो यह स्वागत योग्य कदम होता। एक आदमी को पांच-पांच, छः-छः हजार बोरिया दी गई और दूसरे को दो सौ बोरियां दी गई। उन लोगों ने जमाखोरी की और इस देश के सारे खाद्यान्न को विदेशों में भिजवा दिया, जो आम आदमी को वितरित किया जाना चाहिए था। क्या इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की नहीं है।

एफ.सी.आई. के बारे में कहा गया कि हम सी.बी.आई. से जांच कराएंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में नरमे की खरीद हो, वहां जो सैंकड़ों करोड़ रुपये की चीनी पड़ी है उनको आप उठाएं, वरना प्रदेश सरकार को इजाजत दें कि वह चीनी उठाकर बाजार भाव से बेचे।

मैं अंत में केवल एक बात और कहना चाहूंगा। आज यहां सरकार की तरफ से या प्रतिपक्ष की तरफ से यह कहने से काम नहीं चलेगा कि केन्द्र की सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन सरकार कहती है कि वह किसानों की हमदर्द सरकार है। यदि केन्द्र की सरकार किसानों की हमदर्द सरकार होती तो समय पर यूरिया देती, समय पर डी.ए.पी. देती, समय पर कोआपरेटिव सोसाइटीज से लोन उपलब्ध कराती और समय पर ट्रैक्टरों पर जो सब्सिडी दी गई है, वह उपलब्ध कराती।आप कीटनाशक दवाओं को देखें। हमारे इलाके में गेहूं बोया जा चुका है, खर-पतवार खत्म करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। आज एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। हमने कई बार कृषि मंत्री को लिखा है कि ऐसी फैक्ट्रियों और ऐसी दवाओं पर नियंत्रण किया जाए। क्योंकि खर-पतवार ज्यादा पैदा होगी तो गेहूं की पैदावार कम होगी और गेहूं की पैदावार कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। दालों की हालत क्या है, प्याज की हालत क्या है, आलू की हमारे यहां बुआई हुई है। नया आलू मार्केट में आना शुरू हो गया है। लेकिन किसान जहां मंडियों में क्विंटल के हिसाब से उसको बेचता है वहीं आलू दिल्ली में उसी दाम पर किलों के हिसाब से बेचा जाता है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का इन सब चीजों पर नियंत्रण होना चाहिए, वितरण पर नियंत्रण होना चाहिए। आपने ऐसा रवैया अपनाया कि हरियाणा में विरोधी दल की सरकार है, ऐसी सरकार है जो संयुक्त मोर्चा से सम्बन्ध नहीं रखती इसीलिए वहां चीनी बेचने की इजाजत नहीं दी। समय पर हमारा धान और गेहूं नहीं खरीदा गया। आप रिकार्ड मंगाएं और देखें कि हरियाणा में बासमती धान केवल 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया और साहूकार के कल-कारखाने से साफ होकर जब हम उसको खरीदते हैं तो वह पचास रुपये किलो खरीदते हैं। अभी भी समय है, बात काबू

में आ सकती है। यदि आप वितरण प्रणाली सही करें तो अभी भी काफी कुछ हो सकता है। आपने प्रादेशिक सरकारों को अब इजाजत दी है, यदि समय रहते दे दी होती तो प्रदेश की सरकारें उसमें सहयोगी सिद्ध होती, लेकिन केन्द्र की सरकार ने जिस तरीके से किसान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का षडयंत्र रचा है, मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। यह बाहरी शक्तियों का सहारा ले रही है, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के नाम से इस देश के लघु उद्योग को दबाने का प्रयास कर रही हैं।

हमारे साथी राम कृपाल सिंह जी हंस रहे हैं। मुझे दुख है, जब वे यह कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां देश में आयेंगी, तो इस देश का सुधार होगा।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस मुद्दे को आप पार्टी का मुद्दा मत बनाइए, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाइए। मंत्री जी तथ्यों को न छिपायें और प्रान्तीय सरकारों के साथ भेदभाव न कीजिए। कहते हैं, दिल्ली में राशन नहीं है और कहा जाता है कि रेल के डिब्बे उपलब्ध नहीं है। यदि रेल के डिब्बे नहीं है, तो ट्रकों से खाद्य पदार्थ क्यों नहीं पहुंचायेंगे। बेमानी बात मत कहिए, जिससे आम जनता का नुकसान हो। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो और चाहे बिहार की सरकार हो तथा चाहे गुजरात की सरकार हो, माल की सप्लाई नहीं हो रही हैं।

अंत मैं, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सी.बी.आई. की इन्कवायरी के लिए भी कह दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि एम.डी. से लेकर एस.आर.एम. तक की जांच होनी चाहिए और सी. बी.आई. की रिपोर्ट को सदन में रखा जाना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि सी.बी.आई. ने किस तरह से जांच की है।

[अनुवाद]

श्री सुव्रता मुखर्जी (रायगंज) : सभापति महोदय, यहां यह उल्लेख करना गैर-जरूरी है कि गत कुछ महीनों के दौरान खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। सरकार ने सत्ता में आने के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा की थी और इस कार्यक्रम के अनुसार मूल्यों में स्थिरता लाने और निर्धन और दलित लोगों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के उद्देश्य से जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा ये सभी नियंत्रण जरूरी कारक हैं।

वाणिज्य और व्यापार मंडल संघ जिसका प्रतिनिधित्व बड़े व्यापारी करते हैं, ने विचार प्रकट किया है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष निर्यात पर और औद्योगिक विक्रय दर कम रहेगी। 1995-96 के दौरान व्यापार घाटा 4.5 मिलियन अमरीकी डालर था और इस वर्ष इसके 6.7 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की आशंका है। हमारे देश की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्यों में स्थिरता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जैसाकि हमारे खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने स्वीकार किया है कि गेहूं का थोक मूल्य सूचकांक...

सभापति महोदय : श्री मुखर्जी, आपको नहीं पढ़ना चाहिए।

श्री सुव्रता मुखर्जी : महोदय, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मैं मंत्री महोदय द्वारा आज दिए गए आंकड़ों की सहायता ले रहा हूं।

उनके अनुसार गेहूं का थोक मूल्य सूचकांक 268.5 था जो अक्तूबर, 1996 में 332.2 तक पहुंच गया है। उन्होंने चावल के मूल्य में 18.3 प्रतिशत की हुई बढोत्तरी को भी स्वीकार किया है।

अपराह्न 7.00 बजे

निसंदेह रूप से जहां तक गेहूं उत्पादन की खराब स्थिति का प्रश्न है तो गेहूं की कीमत में बढोत्तरी इसके उत्पादन स्तर पर निर्भर करती है। गेहूं का उत्पादन इस वर्ष कम हुआ है। पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन 653 लाख टन था लेकिन 1995-96 में यह घट कर 622 लाख टन रह गया। गेहूं का कम उत्पादन एक प्रमुख कारक है लेकिन यह गेहूं की कीमत में बढोत्तरी का कारण नहीं हो सकता है। सरकार जन वितरण प्रणाली के लिए समुचित मात्रा में गेहूं की खरीद करने में असफल रही है। पिछले वर्ष 31 लाख टन की खरीद की गई थी लेकिन सरकार इस वर्ष उतनी मात्रा में भी खरीद पाने में असफल रही है। लेकिन यह गेहूं की कीमत में वृद्धि होने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। गेहूं की कीमत 750 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1880 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। गेहूं की कम खरीद का मेहनतकश जनता और दलित वर्ग को सीधे सीधे बुरी तरह प्रभावित किया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जन वितरण प्रणाली भी असफल हो गई है।

हमारे मित्र माननीय श्री शिवराज वी. पाटिल ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनके अधिकार संबंधी सुझाव सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सहयोग स्थापित करने से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं नई आर्थिक नीति की अवधारणा से सहमत नहीं हूं। आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से यह पूरी तरह भिन्न है। हम सभी आधुनिक प्रौद्योगिकी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के नाम पर सभी आवश्यक वस्तुओं का बाहर से आयात करने के एकदम खिलाफ हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी हम पानी के लिए आयात पर निर्भर हैं। क्या कोका कोला और पेप्सी कोला स्तर के शीतल पेय हमारे देश के अन्दर ही नहीं बनाए जाते हैं? क्या हम अपने देश के भीतर ही शीतल पेय बनाने में समर्थ नहीं हैं। हम सक्षम तो हैं लेकिन सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण इस प्रकार के लघु उद्योगों को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है।

निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि आर्थिक स्थितियों जिसमें ऋण भार, ऋणों पर ब्याज दर, रुपए की विभिन्न दर, राजकोषीय घाटा

इत्यादि सम्मिलित है, से अलग हटकर मूल्य स्थिरता हासिल नहीं की जा सकती है।

अतएव यह सही समय है कि सरकार को पिछली सरकार की नई आर्थिक नीति की समीक्षा करनी चाहिए। अन्यथा, मूल्य सूचकांक में कोई स्थिरता नहीं रहेगी और सरकार सत्ता में आने के समय लोगों से किए गए वायदों को पूरा नहीं कर सकेगी।

सभापति महोदय : श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी। कृपया दो मिनट का समय लें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : हो सकता है महोदय मैं अन्तिम वक्ता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, अनेक वक्ता हैं जैसे निर्मल कान्ति चटर्जी, श्री लक्ष्मण सिंह और अन्य।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात चंद मिनटों में रखूं ताकि आपको घंटी बजाने की जरूरत न पड़े। हम यहां इस सदन में बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले पर बहस कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान हम लोगों की तरफ देख रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बातों को पार्टी से ऊपर उठकर रखें। लेकिन बड़े सदमें की बात है कि हमारे लोकदल के जो साथी बैठे हैं इन्होंने संयुक्त मोर्चे की सरकार पर सीधा आरोप लगा दिया कि यह सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी और गांव विरोधी है। सभी कुछ इन्होंने एक ही जुमले में कह दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हमें भारत के गांवों को आगे ले जाना है, किसानों को आगे ले जाना है और गरीबों की हिस्सेदारी उन्हें दिलानी है क्योंकि सामाजिक न्याय हम लोगों का मूल-आधार है और उसी आधार पर हम मुल्क और समाज के बारे में सोचते हैं। ...**(व्यवधान)** हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें चाहे इंदिरा आवास के जरिये घर बनाने का मामला हो, पानी पहुंचाने का मामला हो, खाद के दाम कम करने का मामला हो, ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का मामला हो-सरकार के लिए जो कुछ भी किसानों के लिए मुमकिन था वह अपनी सीमा में रहते हुए उसने किया है। अभी इन्होंने कहा कि मंत्री जी ने और सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो गेहूं की फसल अच्छी हो जाती। अब हमारे देवेन्द्र भाई तो मंत्री हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश : गेहूं नहीं, धान पर 54 रुपये ...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : धान की फसल तो अच्छी हुई है। आप कृषि मंत्री जी से इस बारे में बात कर लीजिए। आज जो देश के सामने सबसे जटिल मामला है उसकी वजह भारत सरकार नहीं है, पिछले साल फसल बहुत कम हुई थी। बहुत से सदस्यों ने इशारे से कह दिया कि प्रोक्योरमेंट कम हुआ, सामान कम लिया गया। जब माल ही कम होगा तो कम ही लिया जाएगा। कुछ सदस्य आरोप लगाते हैं कि खाने-पीने का सामान एक्सपोर्ट कर दिया गया, गेहूं का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय यहीं पर खड़े होकर कहते हैं कि आज हमारे देश में खाद्यान्न का भंडार इतना है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो सदस्य जोरदार तालियां क्यों बजाते हैं, आप तालियां क्यों बजाते हैं। आज हिंदुस्तान से जो चीजें दुनियां में जा रही हैं उनमें बासमती चावल एक नम्बर पर आता है। ...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश : महंगा तो बहुत हो गया। ...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हिंदुस्तान में कोई चीज अगर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होती है तो वह किसानों द्वारा उगायी गई चीजें हैं-चाहे वह दालें हो, प्याज हो, चावल हो, चीनी हो, कपास हो, कपास से बना कपड़ा हो या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य प्रोडक्ट्स हों। आज दुनिया में इनकी मांग और जरूरत है। हिन्दुस्तान का किसान पूरे साल मेहनत करता है। उसके बाद हिन्दुस्तान के लिए दौलत अर्जित करता है। जब किसी चीज की कमी होती है तो कहा जाता है कि एक्सपोर्ट कम कर दिया है। एक्सपोर्ट करने के लिए पहले से प्लानिंग होती है कि हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे। इस लिहाज से इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं और चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। ...**(व्यवधान)** आप तो किसान हैं लेकिन हम तो छोटे-मोटे किसान हैं। हमारे मंत्री.जी भी छोटे-मोटे किसान हैं। वह आपकी तरह बड़े किसान नहीं है। गांवों में जब किसी साल किसी चीज की फसल ज्यादा हो जाती है तो किसान की यही कोशिश रहती है कि वह अगले साल उस फसैल की पैदावार न करे। इसकी वजह से फसल कम हो जाती है। इसमें किसानों को दोष देने की जरूरत नहीं है। किसान पूरी मेहनत करता है। वह इस साल ज्यादा उगा लेगा। अगली गेहूं की फसल ज्यादा हो जाएगी और हमारे मंत्री जी इसका हाउस में ऐलान कर देंगे। आप हरियाणा में जाकर ऐलान करिए।

आखिर मसला शुरू कहां से होता है? असैंशल कमोडिटीज पर डिसकशन चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला गेहूं का है। गेहूं और आटा मार्किट में महंगे दामों पर कहां बिक रहा है? राम कृपाल जी ने ठीक बात कही। आखिर चन्द राज्यों जैसे दिल्ली, मुम्बई, जयपुर में ही आटा क्यों महंगा है। राम कृपाल जी ने हरियाणा की बात नहीं कही थी। आप तो बेमतलब नाराज हो रहे थे।

श्री जय प्रकाश : बिहार में आटा सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आखिर इन राज्यों में इतना महंगा आटा क्यों बिक रहा है। जैसा कि हमारे कामरेड साथी ने कहा कि सबसे बड़ी वजह पी.डी.एस. का मिसमैनेजमैंट है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वह इसके बारे में व्हाइट पेपर लाए। उसमें बताना चाहिए कि किन राज्यों ने एफ.सी.आई. से गेहूं मांगने का काम किया, उन्हें वे क्यों नहीं मिला था उन्होंने क्यों नहीं लिया। मैं

बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों की कहीं न कहीं सांठ-गांठ जरूर है। यही वजह है कि गेहूं मुम्बई, दिल्ली और जयपुर में महंगा मिल रहा है। मंत्री जी इस बारे में हमें जानकारी दें। क्या दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार ने आपसे गेहूं मांगा? अगर उन्होंने मांगा तो आपने क्यों नहीं दिया? अगर दिया तो वह कहां गया? उन्होंने मांगने का काम किया या नहीं? इसको भी स्पष्ट करें। इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। एक शेर जो कि आपने सुना होगा, मैं वह सुनाना चाहता हूं :

फल सफी को बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं,
डोर को सुलझा रहा है सिरा मिलता नहीं"।

डोर को उलझाने का काम मत कीजिए। गेहूं की फसल कम होने से कम गेहूं खरीदा गया। एफ.सी.आई. के पास जो मौजूदा भंडार है, उसके द्वारा वह विभिन्न राज्यों में पी.डी.एस. में पहुंचा या नहीं? जिन राज्यों में इसकी कमी है, उनको गेहूं दिया जा सकता है या नहीं, यह देखने की जरूरत है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, मैं एक-दो मिनट और लूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सरकार को जवाब देना है। मैं ज्यादा न बोलते हुये अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे फूड मिनिस्टर गांव से आते हैं और हिन्दुस्तान के गरीबों की चिन्ता करते हैं और एक महीने से सो नहीं सके हैं, उनको मालूम था तभी उन्होंने प्रीकॉशनरी मैजर्स लिये हैं। इसलिये जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये और जो आतंक पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको वे सूली पर भी चढ़ा सकते हैं लेकिन पी.डी.एस. और मार्किट में चीजों को मुहैया कराने का काम उनको कराना चाहिये। साथ ही जो पॉलिटिकल रीजन्स हों, उनको उजागर करने का काम करें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, महंगाई पर कई दिनों से इस सदन में चर्चा हो रही है जिसे मैं गंभीरतापूर्वक सुन रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बात के पक्ष और विपक्ष में कौन दोषी है और कौन नहीं है, इस बात को छोड़कर इस राष्ट्रीय मुद्दे को हम सबको संभालना होगा। इससे न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी प्रभावित हो रहा है। महंगाई के कारण की जांच की जाये तो सही रूप में सरकार को सुझाव दिया जा सकता है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण खाद्य की कोई राष्ट्रीय नीति का न होना है। सरकार ने एफ.सी.आई. का निर्माण करके यह सोच लिया कि यह एक राष्ट्रीय नीति हो गयी। मंत्री जी ने कहा कि एफ. सी.आई. की जांच करवा रहे हैं अगर यह जांच सही ढंग से होगी तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जेल के अंदर होंगे। हम लोगों ने सदन में देखा है कि इन लोगों के चलते सब जगह महंगाई हुई है। जब धान और गेहूं रखाने का समय होता है तो यही लोग कहते हैं कि समय पर खरीद नहीं और मार्किट में व्यापारियों के हाथ चला जाता है। मैंने भी इस बात को इस सदन में उठाया कि परमल चावल खरीदने में जितना पैसा लगाया, उसे फिकवाने में उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा! ये सब एफ.सी.आई. के कारनामे हैं। महंगाई क्यों बढ़ी, इसके कई कारण हैं। यह कहा जा रहा है कि खरीदने के लिये पैसे की कमी है और अगर यह बात सही है तो हम लोगों ने कैसे हरित क्रान्ति का नारा दिया था। उसका क्या नतीजा निकला? एक समय में 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था लेकिन किसान को क्या सहूलियत मिलती है? किसान के सामने उत्पादन का लक्ष्य रखा रखा गया और ज्यादा उत्पादन भी दिया लेकिन आज सोचना चाहिये अब कितना उत्पादन बढ़ा लें? जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसके अनुपात में हमारी खेती की पैदावार नहीं बढ़ रही है। जमीन कोई रबड़ नहीं है कि उसको खींचते जाएंगे। जमीन में जब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम बढ़ाएंगे, तभी हम बढ़ती हुई आबादी को खिला सकते हैं। बढ़ती हुई आबादी को रोकने पर भी विचार करना आवश्यक है। यह एक दिन की बात नहीं है। हम इस सदन में कई सालों से देख रहे हैं कि यहां चर्चा हो जाती है कि महंगाई बढ़ रही है। हम बोलकर अपना कर्तव्य पूरा करते हैं लेकिन इस बारे में कोई सही सुझाव नहीं आता है कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। व्यापारी बैंक से जो पैसा लेते हैं, वह आम जनता का पैसा होता है और उस पैसे से व्यापारी गल्ला स्टोर करते हैं, फिर वे व्यापारी दाम बढ़ाकर जनता का जीवनघात करते हैं। इस तरह बैंक से पैसा लेकर जो जमाखोरी करते हैं, ऐसे लोगों को रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। जमाखोरी करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि वह राष्ट्र के साथ द्रोह का काम करते हैं।

एक बात यह है कि हम खेती का उत्पादन नहीं बढ़ा पाए हैं। इसका एक कारण यह है कि हम भूमि हदबंदी को लागू नहीं कर सके हैं। जब तक हदबंदी नहीं होगी, तब तक अच्छा उत्पादन नहीं होगा। सभापति महोदय, आपके बंगाल में भूमि हदबंदी लागू हुई है और इससे पैदावार बढ़ी है। हम यह तो नहीं कर सकते हैं कि वहां पैदावार इतनी अधिक हो गई है कि सबको खिला सकते हैं, लेकिन पैदावार बढ़ी जरूर है। अगर पूरे देश में हदबंदी हो जाए तो हम समझते हैं कि बढ़ती हुई आजादी के बाद भी हम किसी को भूखा मरने नहीं देंगे और महंगाई का मुकाबला हम कर सकेंगे। व्यापारियों द्वारा जो नकली महंगाई की जाती है, उनका मुंहतोड़ जबाव हम दे सकेंगे। एक दिन चतुरानन मिश्र जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि किसानों की आंख नहीं है क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है। जब मैंने सिंचाई के बारे में पूछा तो उसमें भी वही हालत है। अगर समय से कृषि पर ध्यान दिया जाता तो इतनी बहस की जरूरत न पड़ती। कृषि पर शुरू से ही ध्यान नहीं दिया गया। कृषि पर हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग निर्भर हैं। सरकार की एक रिपोर्ट है कि अगर एक एकड़ भूमि में पानी पहुंचा दें तो 100 आदमियों को एक साल के काम में लगाया जा सकता है। अगर हम कृषि को उन्नत करेंगे, सिंचाई के लिए प्रकृति की देन, नदी-नालों का प्रयोग करेंगे तो हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन यह नहीं हो सका है। कृषि मंत्रालय से पूछें तो वे कहते हैं कि सिंचाई विभाग से

बात करो। सिंचाई विभाग वाले विद्युत विभाग पर बात डाल देते हैं। ये तीनों विभाग एक ही मंत्री के पास होने चाहिए क्योंकि तीनों का संबंध कृषि से है। अगर ये विभाग अलग रखे जाते हैं तो कृषि उन्नत कैसे होगी? होता यह है कि मंत्रियों की संख्या बढ़नी चाहिए और इसलिए मंत्रालयों को तोड़कर नये विभाग बनाकर सबको खुश करने की कोशिश की जा रही है। हम जितने कम मंत्रियों में काम कर सकते थे, उसके विपरीत हम उनकी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं।

आखिरी बात यह है कि सामाजिक जीवन में आज भ्रष्टाचार आ गया है, वह भी महंगाई का एक कारण है। कहा जाता है कि यह सदन सर्वोच्च है। तो यह भी कोई ईमानदारी से देखे कि क्या यह भ्रष्टाचारियों को मदद करता है या नहीं। अगर राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो हम समझते हैं कि हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन एक तरफ जो होर्डिंग करते हैं, उनके बारे में यहां बहस होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देवेन्द्र जी जो हमारे मंत्री हैं, इसमें उनका दोष नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यह हम भी जान रहे थे कि आने वाला समय ऐसा है तो इसके लिए किसको पकड़ा जायेगा, मंत्री को पकड़ा जायेगा, सरकार को पकड़ा जायेगा न कि उन विरोधियों को पकड़ा जायेगा। देखिये ठकुरसुहाती की बात भी सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, खास तौर से तब जबकि हमें देश को चलाना है। मैं यही कहूंगा कि इन चीजों के लिए हमें सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ऐसे-ऐसे मगरमच्छ हैं, जो सरकार को बदनाम करने के लिए तैयार हैं, उन मगरमच्छों के हाथ में ताकत तो कुछ नहीं है और इसलिए वे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। महोदय, यह जो खाद्यान्न वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, यह बढ़ाये गये हैं, अपने आप नहीं बढ़े हैं, यह सुनियोजित तरीके से बढ़ाये गये हैं और देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो एक किसान के बेटे को खाद्य मंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती और देवेन्द्र भाई से मैं यह कहूंगा कि वह ऐसे तत्वों से सावधान रहें और ऐसा सख्त [illegible] ...यें। मैं एक उदाहरण देता हूं- मध्य प्रदेश सरकार ने ...माखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ एक नियम बनाया है कि जो भी जमाखोरी और कालाबाजरी करेगा, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत बंद कर दिया जायेगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप देश में ऐसा कानून बना दें तो यह जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले कभी इस तरह का धोखा आपके साथ नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। चूंकि हमें गौर करना है कि आज जो खाद्यान्न की कमी है, जो कृषि उत्पादन कम हुआ है उसके भी कारण हैं और यह जो मूल्यों में वृद्धि हुई है और यह जो मांग और हमारा कृषि उत्पादन कम होने के कई कारण हैं, इसमें जाना अति आवश्यक है। इसका एक कारण है परती भूमि। परती भूमि का विकास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में लाखों एकड़ जमीन परती भूमि के रूप में पड़ी है। चूंकि हम लोग बराबर उसका विकास नहीं कर पाये हैं, इसी कारण से हमारा कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। शिवसेना के मेरे साथी कल वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में बोल रहे थे। आज परती भूमि को भी सिंचित करना चाहिए, हमें सिंचाई की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने उस व्यक्ति के साथ क्या सलूक किया, जिसन वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए अपना जीवन लगा दिया। मैं श्री अण्णा हजारे की बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने वाटर शेड मैनेजमेंट पर राले गांव में जो अभूतपूर्व कार्य किया है, वह एक उदाहरण है और हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक नहीं हजारों अण्णा हजारे पैदा हों, ताकि हम लोग परती भूमि का विकास कर सकें। मैं शिवसेना के हमारे भाई से कहूंगा कि वह अपनी सरकार से खुद जाकर कहें कि ऐसे महान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश के समुद्र के किनारे की बहुत सी जमीन ऐसी है, जैसे हमारा केरल राज्य है, वहां की बहुत सारी जमीन सी वॉल न होने के कारण कृषि योग्य नहीं रहती। हमारे मध्य प्रदेश में चंबल का बीहड़ प्रति वर्ष चंबल नदी के चढ़ने के कारण लाखों एकड़ बीहड़ में तब्दील हो जाता है, वहां की भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। बिहार का टाल, उत्तर प्रदेश में कानपुर जितने चंबल के किनारे के इलाके हैं वहां प्रति वर्ष बीहड़ क्षेत्र बढ़ रहा है, कृषि योग्य भूमि वहां कम हो रही है। यह आपसे संबंधित नहीं है लेकिन आपको कृषि विभाग के साथ समन्वय करना चाहिए क्योंकि यह उत्पादन से जुड़ा प्रश्न है। इसके अलावा हमें कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक हमारे एग्रीकल्चर एनलिस्ट हैं श्री एम. राय, उन्होंने कहा है, मैं उसे पूरा नहीं पढ़ना चाहता, उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। 9वें प्लान में एग्रीकल्चर स्टेरिंग कमेटी ने भी सिफारिश की है कि जो एग्रीकल्चरल ग्रॉस गेमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका एक प्रतिशत हमको रिसर्च पर खर्च करना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर हम लोग रिसर्च पर ध्यान नहीं देंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आज हम दलहन की फसल का उदाहरण ले लें। पल्सेज का जो जैनटिक प्रोडक्शन का दलहन का प्रोडक्शन है वह पिछले 30 सालों से केवल 14 मिलियन टन के आसपास घूम रहा है।

दलहन का उत्पादन आज तक हम साढ़े पांच क्विंटल प्रति हैक्टयेर से ज्यादा नहीं कर पाए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसी तरह टीश्यू कल्चर पर हमने अब ध्यान देना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि निजीकरण की जो हमारी नीति है, उसका लाभ उठाते हुए, टीश्यू कल्चर के क्षेत्र में हम बाहर के लोगों को आमंत्रित करें ताकि इसे बढ़ावा मिल सके। टीश्यू कल्चर से, हमारे किसानों को जो खराब बीज मिलता है, उसकी भरपाई हम कर पाएंगे।

मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, मध्य प्रदेश की कुछ समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मध्य प्रदेश में फूड-रायट्स हुए, जो बहुत दुखद घटना थी। हम बहुत समय से मांग

करते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का खाद्यान्न का कोटा आप बढ़ा दीजिए क्योंकि वहां हालत बहुत खराब है। हमें 44 हजार मी.टन गेहूं का कोटा आबंटित है, हमारी मांग है कि उसे बढ़ाकर 54 हजार मी. टन कर दिया जाए। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दूरदराज के गांवों में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः चावल खाया जाता है, मैं चाहूंगा कि चावल के 48 हजार मी. टन कोटे को बढ़ाकर आप 60 हजार मी. टन कर दें। शक्कर का कोटा 28,127 मी. टन से बढ़ाकर 35 हजार मी.टन कर दें। इस वक्त कैरोसिन का कोटा 42,378 मी. लीटर है जिसे बढ़ाकर 46 हजार मी. लीटर करने की मैं मांग करता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा और गरीब प्रदेश है। जब हमारा आबंटन बढ़ जाएगा तो उससे निश्चित रूप से स्थिति में सुधार आयेगा।

मैं आपके सामने एक बात शक्कर की कीमतों के बारे में और कहना चाहता हूं। हमारे देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है। जब पिछले दिनों मैं आपके सचिव से मिला तो उन्होंने भी बताया कि हमारे पास पर्याप्त चीनी है लेकिन उसके दाम नहीं घट पा रहे हैं। चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जब आपकी सरकार आई थी तो आपने डी-लाइसेंसिग पौलिसी शुरू करने की बात कही थी। यदि चीनी मिलों को आप डी-लाइसेंस कर दें तो उससे जो चीनी मिल आना चाहें, आ सकती हैं जिससे चीनी के दामों पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र में, आप जानते हैं और मैं आपसे कई बार मिला हूं, सहकारी क्षेत्र में एक चीनी का कारखाना आना है। इसके अलावा हमारे यहां नर्मदा कमांड एरिया तथा तवा कमांड एरिया में 30 चीनी मिलें आ सकती हैं। बशर्ते कि आप उन्हें अनुमति दे दें। मैं समझता हूं कि चीनी का उत्पादन बढ़ाकर उसके दामों पर नियंत्रण किया जा सकता है। देश में ऐसे अनेक स्थान हैं, जहां लाईसेंस न मिलने के कारण चीनी मिलें अभी तक नहीं लग पाई हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।

मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि उस षडयंत्र से आप सावधान रहें क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जमाखोरी को बढ़ावा देंगे, आगे भी देंगे। अगर आप इन बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण कर पाए तो इसमें आपकी सफलता है और अगर नहीं कर पाए तो यह आपकी असफलता है। हम चाहते हैं कि आप सफल हों। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर, सभापति जी, समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चमन लाल गुप्त : सभापति महोदय, आज इस विषय पर चर्चा करके, हम सचमुच करोड़ों देशवासियों की जन-भावनाओं का आदर कर रहे हैं परन्तु वह साकार तभी होगा जब हम उनको कोई राहत, कोई रिलीफ पहुंचाने में कामयाब होंगे अन्यथा मैंटल जिम्नेजियम करके हम यहां से चले जाएं, उससे शायद ही कुछ निकल पाएगा।

सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि मंत्री जी कुछ ऐसे बिलकुल डैफिनिट स्टैप्स उठाएं जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो बार-बार कहा गया है कि इस समय चूंकि अनाज की फसल कम हुई है इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं, यह ठीक नहीं है। मेरे हाथ में यह एक डाकुमेंट है "इंडियन इकानौमी टूडे" यह हमें पिछले सत्र में ही मिला है और इसके अंदर जो पिक्चर दी गई है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं -

[अनुवाद]

> "सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकानामी का यह अनुमान है कि वर्ष 1996-97 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 103.6 मिलियन टन पहुंच जाएगा। यह 1995-96 में हुए 97.7 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में छः मिलियन टन अधिक है। इसी तरह से रबी खाद्यान्नों का उत्पादन 1995-96 में अनुमानित 87.3 मिलियन टन की तुलना में 1996-97 के दौरान अनुमानत 92.7 मिलियन टन होने की सम्भावना है। 1996-97 के दौरान खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में 1995-96 में उत्पादित 185 मिलियन टन की तुलना में 11 मिलियन टन अधिक यानि 196.3 मिलियन टन होने का अनुमान है। इससे 1995-96 की तुलना में 6.2 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, उसमें यह तस्वीर दिखाई गई थी और इसके अनुसार हमारे सामने यह बात थी कि 11 मिलियन टन अनाज की बढ़ोत्तरी होगी और रिजल्ट हमारे सामने आया कि सिर्फ तीन मिलियन टन अनाज की ही बढ़ोत्तरी हुई। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब हमारे पास अनाज कम हो रहा है, इसका इंडीकेशन कोई एक दिन में तो आता नहीं है। छः महीने पहले पता चल जाता है कि कैसा मौसम है, अनाज की स्थिति कैसी है। उसके बावजूद भी हमने अनाज एक्सपोर्ट किया। आखिर इसका क्या जवाब है? जब हमारे पास अनाज कम हो रहा है और हम फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे सारे देश के अंदर एक हवा बन गई कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया है और अनाज हमारे पास कम हो गया है। इसलिए ये कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे पास भंडार हैं। मैं चाहता हूं कि अगर यहां पर सरकार चल रही है,

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : मैंने सिर्फ यह कहा था कि पी.डी.एस. कार्यक्रम के लिए और आर.पी.डी.एस. तथा

वैलफेयर स्कीम्स के लिए हमारे पास अनाज पर्याप्त मात्रा में भंडार में है, लेकिन जब हम ओपन मार्केट में पिछले सालों में 11-12 लाख टन अनाज सप्लाई करते रहे हैं उसकी तुलना में इस साल हमने तीन, चार, पांच अभी छः लाख टन प्रति माह सप्लाई किया है। इस प्रकार से हम पिछले वर्ष की तुलना में ओपन मार्केट में छः लाख टन गेहूं प्रति माह कम दे रहे हैं, इसलिए प्राइस बढ़ रही हैं। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य ऐसी प्रणालियों का सवाल है, उनके लिए हमारे पास गेहूं भंडार में है।

श्री चमन लाल गुप्त : सभापति जी, मैं इसी मुद्दे की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो होर्डर्स हैं या कोई बिजनैसमैन हैं, ये स्थिति की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आपने वक्त पर इन चीजों को संभाला नहीं और यह इम्प्रैशन क्रिएट होने दिया देश के अंदर कि देश में अनाज की बहुत बड़ी कमी होगी जिसके नतीजे के तौर पर आज अनाज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आप भी जानते हैं कि दाल-रोटी या चावल-रोटी, ये हमारे सबसे साधारण से साधारण व्यक्ति का खाना होता है, यह माना गया है, लेकिन जो हमारे देश की स्थिति आज है उसके अनुसार हमारे देश के 56 प्रतिशत लोग आज केवल 10 रुपए प्रति दिन आमदनी करते हैं। आप बताइए कि इस माहौल में जबकि दाल 40 रुपए प्रति किलो और आटा 12 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो 10 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार का खर्च कैसे चलाए? इसके लिए यहां पर बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत सारे सजेशन्स आये हैं कि हमें प्रोडेक्शन बढ़ानी चाहिए। किसी ने कहा है कि हमें अपने किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे जल्दी जो सवाल है वह यह है कि हमारे गरीब से गरीब आदमी तक यह अनाज कैसे पहुंचेगा? उसके लिए मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगें।

हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आम आदमी तक अनाज देने की जो व्यवस्था है, उसको आप ठीक करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इस समय मैं इनका ध्यान अपने इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं। सौभाग्य से इन्होंने मेरा इलाका देखा है, डोडा में यह गये हुए हैं। आज भी उस क्षेत्र के अंदर ऐसे स्थान हैं जहां केवल भेड़-बकरी के ऊपर चार किलो राशन 100-100 किलोमीटर तक पहुंचाना पड़ता है। आप अंदाजा लगाइये कि इन पहाड़ी इलाकों के अंदर जिसमें हमारा बॉर्डर आएगा, बार्डवन आएगा, दक्षिण आएगा, जंस्कार आएगा, कारगिल आएगा, ले आएगा। ऐसे इलाकों के अंदर आज राशन की बड़ी कमी हो गयी है आने वाले वक्त के अंदर मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले सैशन के अंदर, 17 जुलाई को मैंने इस बारे में एक सवाल किया था। उसके जवाब में आपने बताया था कि श्रीनगर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर 5,514 टन अनाज खराब हुआ है। आपने यह भी कहा था कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा लेकिन मुझे नहीं पता कि आज तक आपने वह इंक्वायरी की है या नहीं की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसकी इंक्वायरी करवाइये।

सभापति महोदय, हम कश्मीर वैली के अंदर हर व्यक्ति के लिए आठ किलो चावल देते हैं और तीन किलो गेहूं देते हैं जबकि जम्मू में इससे उल्टा है। वहां पर हम तीन किलो चावल देते हैं और आठ किलों गेहूं देते हैं। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो एफ.सी.आई. वाले काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया है। उन्होंने कश्मीर के अंदर भी आठ किलो गेहूं के हिसाब से सारा अनाज श्रीनगर में भेज दिया है। जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए एक ट्रक पर 7600 रुपये खर्च आता है। वहां पर तीन किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से पहुंचा दिया है। वह राशन फिर से वापस आएगा। आप अंदाजा लगाइये कि एफ.सी.आई. इतना बड़ा स्कैंडलस अजारा बन गया है कि जगह-जगह के ऊपर लोगों के साथ मिलकर यह स्कैंडल कर रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दें। इतना ही नहीं मैं तो यह भी कह सकता हूं कि हमारी रियासत भी सैल्फ सैफशिष्ट है, उसके बावजूद भी हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा राशन चाहिए। आखिर इतने राशन का क्या होता है? बहुत सारा राशन पाकिस्तान की तरफ स्मगल होता है। मैं आपका ध्यान इन चीजों की तरफ दिला रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी तरफ ध्यान देंगे। विशेषकर आज की जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए आम आदमी को राशन मिल सके, इसकी आप कोई व्यवस्था करें। बाकी बहुत से प्वाइंट जो सबने गिनायें हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फेयर प्राइस शॉप सब जगह खुलनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा ठीक होना चाहिए, किसान को वक्त पर खाद, बीज, पानी और बिजली सबसीडाईज्ड रेट पर मिलनी चाहिए। उसी के साथ-साथ होर्डिंग्स को जितनी सख्ती से दबाया जा सकता है उतनी सख्ती से दबाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि यह स्टेप्स हम लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो इम्प्रैशन देश के अंदर बना है कि अनाज की बहुत बड़ी कमी है और उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, उसे हम रोकने में कामयाब हो सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं साफ एवं स्पष्ट वक्तव्य से अपनी बात आरम्भ करता हूं। मेरा यह मानना है कि जिस सरकार का हम बाहर से समर्थन रहे हैं उसने समय से कदम नहीं उठाया है। हम सभी उन प्रस्तावित कदमों का स्वागत करते हैं। परन्तु यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था। मैं अब सरकार की परेशानी समझ सकता हूं।

यह समस्या पिछले वर्ष उस समय उत्पन्न हुई थी जब हमने निर्यात किया था, न कि इस वर्ष में आखिर हमने यह निर्यात क्यों

किया? इसके दो कारण हैं। हमारी यह बिल्कुल गलत धारणा है कि हमने खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है। मूल्यों की समस्या को सुलझाने के रास्ते में हमारी यही धारणा अक्सर आड़े आती है। यदि चीन में अथवा भारत में खाद्यान्नों की कमी होगी तो पूरी दुनिया इस समस्या से परेशान हो जायेगी क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। अतएव हमें देश में खाद्यान्न की पूर्णता के मामले में हमारी धारणा में परिवर्तन लाना होगा। मैं इस अत्यंत गम्भीर चर्चा में किए गए बिल्कुल अलग तरह के विरोधाभासपूर्ण टिप्पणी की ओर आता हूं तथा यह एक गलत विचार है कि हमें इसे छोड़ना होगा और हम इससे खाद्यान्नों के निर्यात से बच पाएंगे।

निर्यात के बारे में उठाई गई दूसरी बात यह थी कि हमारी आर्थिक नीति स्वतः हमें अधिकाधिक निर्यात करने को मजबूर करती है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम खाद्यान्नों का निर्यात करते हुए दूसरी ओर पूरी तरह से खस्ता हाल अथवा थोड़ी खराबी वाली मोटरकारों का आयात कर रहे हैं। सभा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कार के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है। यहां पर कोई मंत्री नहीं है परन्तु मैं अपनी बात कहूंगा। कार बाजार में काफी छूट मिल रहा है। वस्तुतः कारों के मूल्य गिर रहे हैं क्योंकि कारों की मांग की तुलना में इनकी आपूर्ति अधिक है। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि यह मूल्य वृद्धि से संबंधित है।

एक अन्य क्षेत्र हैं जहां मूल्य गिर रहे हैं वह है शेयर बाजार। वहां क्या हो रहा है? शेयर बाजार से अत्यधिक राशि हटा ली जा रही है। इसीलिए मूल्य गिर रहे हैं। यह सारी राशि कहां जा रही है? यह राशि खाद्यान्न बाजार में लगायी जा रही है। हमें यह समझना चाहिए कि ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस चर्चा में केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव उपस्थित हैं और कृषि मंत्री उपस्थित नहीं हैं। वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए था। जनसंख्या और उत्पादन का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है। परन्तु अल्पावधि में बाजार में हस्तक्षेप करके ही मूल्यों को कम किया जा सकता है। आप लम्बे समय तक ऐसा नहीं कर सकते। जब वे बढ़े हुए उत्पादन की बात करते हैं तब वे यह भूल जाते हैं कि साठ के दशक जब हमने पी एल 480 के माध्यम से अमरीकी आयात का समझौता किया था, तब से प्रति वर्ष हमारे उत्पादन में वृद्धि होती रही है परन्तु इनकी कीमतों में गिरावट नहीं आयी। हमें इन संबंधों को समझना होगा। गत वर्षों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता में गिरावट नहीं आई है। फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। यह सब एक लम्बे अर्से से हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? हमें इस मामले को समझना होगा। यदि इन मामलों में अल्पावधिक विलम्ब न हुआ होता तो हम इसे रोक पाते। इसके बाद आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं अथवा चावल के कीमतों में मजबूरन वृद्धि करनी पड़ी होगी। वस्तुतः यही हुआ है। इसलिए हमें इस मसले को समझना होगा कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण कीमतों में बेहिसाब वृद्धि हुई है। हम इसके लिए चिंतित क्यों हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे मित्रजन 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं खरीद नहीं पाएंगे। अपितु हमें इस बात पर गौर करना होगा कि खाद्यान्नों की कीमतों में जितनी वृद्धि होगी उसी हिसाब से अधिकाधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे होते जायेंगे। हमें और हमारी नई सरकार को इस बात को अवश्य समझना चाहिए।

यह हमारे लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि अब हमारे समक्ष योजना आयोग का एक वक्तव्य है जिसमें यह दर्शाया गया है कि गत 15 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या घटने की बजाय 40 प्रतिशत पर बनी रही है। फिलहाल, यदि हम सर्वेक्षण करायेंगे तो यह पाएंगे कि इनकी संख्या 40 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है जो अपनी भूख मिटाने के लिए गेहूं जैसे अत्यावश्यक खाद्यान्न भी खरीद नहीं सकते।

हमारी अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप का प्रभाव समग्र रूप से उन सभी लोगों पर पड़ा है जो खुद को भारतीय और देशभक्त मानते हैं। यह बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने अपना भाषण एक स्पष्ट वक्तव्य से आरम्भ किया कि सरकार को इस मामले में और अधिक सचेत हो जाना चाहिए जितना कि अब है।

महोदय, मैंने शेयर बाजार को इस बात से क्यों जोड़ा? बैंक ऋण कम हो रहे हैं, तथापि जरूरतमंद वस्तुओं की कीमतें बढ रही हैं। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। हमार निवेश खर्च कम हो रहा है। रूग्ण उद्योगों कालाहांडी में अकाली और बाढ़ के कारण हमारी क्रय शक्ति घट रही है। फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। यह बात उतनी सरल नहीं है जैसाकि शिवसेना ने अथवा किसी और व्यक्ति ने कहा है कि यह सब जनसंख्या में वृद्धि के कारण हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद पिछले एक अथवा दो वर्षों को छोड़कर उत्पादन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है। अतः इसका समाधान इसके अलावा कहीं और है।

संक्षेप में हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसी से काम चलाना होगा और खाद्यान्न पूर्णता के बारे में भ्रान्तिपूर्ण अवधारणा के आधार पर निर्यात किए जाने के बावजूद हमारे स्टाक में कमी आई है। हम इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमें इसके परिणाम शीघ्र ही हासिल होंगे। परन्तु केवल इतनी उपलब्धि ही पर्याप्त नहीं होगी। मेरे विचार से उन्होंने और अन्य लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से इसका उल्लेख किया है। आगे हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। यदि हम अपने भोजन में सुधार चाहते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति खपत में 50 ग्राम अथवा जो भी मात्रा हो, उसमें वृद्धि करनी होगी। पशुपालन के लिए और अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। अतः हमें सिर्फ नकदी फसलों पर ही नहीं, अपितु हमारे खद्यान्नों को बढ़ाने पर विचार करना होगा।

महोदय, क्या हमारे यहां सिंचाई पर्याप्त है? गत पांच वर्षों में हमारी सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पायी है। वस्तुतः कभी भी योजना खर्च की पूर्ति नहीं हो पायी है। मैंने मध्यावधि समीक्षा में भी यह पढ़ा है। यह अत्यंत विकट स्थिति है। उर्वरकों को राजसहायता प्रदान करने के बारे में वाद-विवाद के समय हमें इसका ध्यान रखना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की यह एकमात्र कुंजी है। खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और इस क्रम में यदि उर्वरकों के लिए राजसहायता अपेक्षित होगी तो हमें इसका प्रबंध करना होगा। इस क्रम में यदि उर्वरक का अधिक उत्पादन करना पड़े तो हम बंद पड़े उर्वरक एककों को चालू करके उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना होगा चाहे यह हमारे लिए बहुत महंगी क्यों न हो क्योंकि यह हमारे लिए भुखमरी से मरने वाले भारतीयों और खाद्यान्नों की कमी के कारण हमारी चरमरायी अर्थव्यवस्था में अधिक महंगी नहीं होगी। हमें यह काम करना होगा। गत पांच वर्षों के दौरान हमें इस तरह की बातों को भुला दिया था और मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस बात को नहीं भुलायेगी।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। आठ बजने जा रहे हैं मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। चूंकि अनेक अच्छी-अच्छी बातें रखी गई हैं अतः मैं केवल इन्हीं बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। परन्तु हमें मूल प्रश्न को पकड़ना होगा। संक्षेप में मंत्री महोदय के सुझाव स्वागत योग्य हैं। समस्या यह है कि—पिछले कई वर्षों से—मैंने 1960-61 के कीमतों के आधार पर आकलन किया है—कृषि कामगारों के जीवन यापन—लागत में 14 गुना वृद्धि हुई है। यह क्या हो रहा है? एक ओर तो हम 22 लाख लागत की कारें, एक लाख रुपये मूल्य का रेफ्रिजरेटर, और वाशिंग मशीन, आदि अत्यधिक मूल्य चुकाकर मंगा रहे हैं दूसरी ओर कृषि कामगारों के जीवन यापन लागत बढ़ रहे हैं, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि के बावजूद अधिकाधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे होते जा रहे हैं।

हमें इस समस्या को सुलझाना होगा। इसे सुलझाने के लिए सरकार को देश में अनुकूल सिंचाई, उर्वरक राजसहायता, खाद्यान्न राजसहायता और हमारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि विश्व में विकासशील देशों के दबाव में आकर। वे हमारे ऊपर कुछ बातें थोप रहे हैं। जब तक हमारे पास इनका विरोध करने का सामर्थ्य नहीं होगा, थोड़े समय को छोड़कर हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार पिछले पांच वर्षों में अपनाए गए दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में प्रयास करेगी। यदि वह ऐसा प्रयास कर पाएगी तो उसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सरकार स्थिर होगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, यहां पर सभी विषयों के बारे में चर्चा की गई है। सदन में जो माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं समझता हूं कि उनका विभाग मात्र विपणन का कार्य देखना है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक देश में उत्पादन किए गए खाद्य को पहुंचाने का काम करता है। मैं एक दूसरे विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । देश में जो मुद्रास्फीति की दर है, जिस प्रकार से देश में इन्फलेशन है, जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक बात है कि कम अनाज के प्रति ज्यादा लोग उस अनाज को लेना चाहेंगे। वैसी परिस्थितियों में सरकार का अकेले दायित्व नहीं है कि सिर्फ खाद्य मंत्री यहां उपस्थित हों। इस सभा में फाइनेंस मिनिस्टर उपस्थित होते, तो इस मसले पर बेहतर ढंग से सोच पाते।

जब उत्पादकता की बात आती है, तो कृषि मंत्री का यहां उपस्थित होना अनिवार्य था, क्योंकि अनाज का उत्पादन होगा, तभी तो खाद्य मंत्री उसका वितरण करेंगे। जल संसाधन मंत्री यहां उपस्थित होते, तो बात समझ में आती कि देश में किस प्रकार से जल-संसाधन का उपयोग खाद्य के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मेरी आपसे मांग है, जब इस सदन में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जाए, तो सभी विभागों को समन्वय होना चाहिए। इसी प्रकार पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति भी अनिवार्य थी, क्योंकि देश में जब पर्यावरण का दोहन हो रहा है, देश में पानी का स्तर गिर रहा है, देश में पानी की कमी हो रही है, इसलिए यह मामला पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। इन सबसे ऊपर योजना आयोग की भूमिका क्या होगी? योजना आयोग जैसा शीर्ष स्थान पर रहने वाला विभाग, जो देश की सभी योजनाओं का समन्वय स्थापित करता है, मार्गदर्शन करता है, इस विभाग का भी समन्वय होना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार हो सके और सही ढंग से निदान कर सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्य सूची के कार्य निपटाए जा चुके हैं और मंत्री महोदय अपना उत्तर कल देंगे। अब मंत्री महोदय एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, आसन से आदेश है, जवाब तो कल ही होगा, लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया है, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं। मैं सदन को सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत कराना चाहता हूं। पिछले रबी के मौसम में गेहूं का उत्पादन कम हुआ तथा गेहूं के मूल्य में खुले बाजार में वृद्धि हुई, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा भी है। गेहूं के खुले बाजार में मूल्य को तात्कालिक प्रभाव से नियन्त्रित करने हेतु केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दो मिलियन टन यानि 20 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1996 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 8.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1996/22 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।